राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का 60 वां दिवस [संख्या : 13

गुरुवार,

20 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या : 270

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी। (व्यवधान)

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : कल जब कहा शंकर भानूदा ने +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, इस समय 6 महीने के लिए भाभड़ा जी का राज चल रहा है, फिर 6 महीने बाद भैरोंसिंह जी का राज चलेगा और यही हालत होती रहेगी तो फिर राजस्थान का ढब्बा बैठना ही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के लिए भाभड़ा जी का राज है राजस्थान में, फिर 6 महीने के लिए भैरोंसिंह जी का राज आएगा। (व्यवधान) कोई पूछने वाला ही नहीं है। (व्यवधान) राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों की टांग तोड़ी गयी है। माननीय भाभड़ा जी, 6 महीने के लिए आपका राज है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, प्रश्नकाल लेने दें अब।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल लिया जाए। यह तो रास्ता बन गया।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्र बजट सत्र है और इसमें सत्ता पक्ष की ओर से एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय यह रोज का काम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । (व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : विपक्ष के नेताओं ने जिन निलम्बित सदस्यों को बहाल करने के लिए जो मांगें रखीं उन पर कोई विचार किया नहीं गया और आज एक तरफा यह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री फतेह सिंह)

महत्वपूर्ण बजट है उसमें विपक्ष का होना जरूरी है...

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह आंखें निकाल कर डरा रहे हैं हमें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह फतेह सिंह जी हैं, शंकर भानूदा नहीं है कि गला दबा दोगे आप। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : इनका गला दबा देंगे ? बिना परमिशन के, प्रश्नकाल है तो प्रश्नकाल चलेगा। बिना अध्यक्ष की अनुमति के बोलने की परमिशन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : प्रश्नकाल का समय है, प्रश्नकाल चलेगा। हमारी मांग है प्रश्नकाल की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम नहीं कह रहे हैं गला दबाने का। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल ही चलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : जिन सदस्यों का निलम्बन किया है उन सदस्यों को...(व्यवधान) मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो मांग विपक्ष ने रखी है, जिन सदस्यों का निलम्बन किया है उन सदस्यों को बहाल किया जाए। (व्यवधान) और उसके बाद विपक्ष को सत्ता पक्ष विश्वास में लेकर इस बजट को पारित किया जाए। उसी से लाभ होगा वरना पिछले जमाने में एकतंत्रीय हुकूमत थी।....

श्री किशन गोपाल कोगटा : 8 दिन हो गये, महत्वपूर्ण समय चला जाता है। (व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : जिस तरह से चल रहा था उस तरह से आज भी सत्ता पक्ष के लोग एकतरफा बजट पास करके, गरीबों के हित में, बजट में जो विपक्ष अपनी तरफ से अपनी भावना रखना चाहता था, जो सुझाव देना चाहता था उस सुझाव को न मानकर इस बजट को एकतरफा पास किया जा रहा है, उसमें हमारा विरोध है। विपक्ष को साथ में नहीं लिया गया है। इस तरह से जनतंत्र के अन्दर अगर एकतरफा सरकार किसी काम को करती है तो इसको हम जनतंत्र नहीं मानेंगे। यह +++ हो रही है। इस मुद्दे पर मेरा विरोध है कि जो सारी कार्यवाही विधान सभा के अन्दर हुई है।....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह +++ शब्द पर प्रतिबंध लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार निवेदन कर दिया है, इससे मुझे पीड़ा होती है। (व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : यह इल्लीगल है, मैं इसका विरोध करके मांग करता हूं कि विपक्ष को साथ में लेकर अगर सदन की कार्यवाही की जाए तो मैं मानता हूं कि वह कार्यवाही जनता के हित में है, इस क्षेत्र के हित में है, रचनात्मक कामों में जनता की भागीदारी मिलेगी। लेकिन एक तरफ जो बजट पास किया जा रहा है और विपक्ष की बात नहीं मानी जा रही है।.....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को चालू किया जाये।

श्री फतेहसिंह : इससे यह लगता है कि हमारा जनतंत्र खतम हो चुका है। वह जमाना एक था जब राजाओं, अंग्रेजों का राज था उस मौके पर एकतरफा सारी कार्यवाही होती थी। उस मौके पर भी जनता उभरी और जनता ने अपनी आवाज बुलन्द की।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अभी भी सामूहिक कार्यवाही है। आप स्वयं ही निकलकर बाहर जा रहे हैं बायकाट करके, किसी ने निकाला नहीं है। आपको बोलने के लिए मना नहीं किया है (व्यवधान) लेकिन आप स्वयं ही निकलकर जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : लोकतंत्र के जमाने में अगर इस तरह से होता है तो यह परम्परा गलत पड़ेगी और हम यह चाहेंगे कि यह चुनाव ही खतम हो जाएं।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, "सिंह पकड़यों सियालिया और जै छोड़े तो खाय।" अब निर्णय तो उलटा ले लिया और अब वापस अठे रहणे पर विचार कियां होवे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल शुरू किया जाए।

श्री फतेहसिंह : मैं मांग करता हूं कि जिन मांगों को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है उन मांगों को मान लिया जाए, उन बातों को मान लिया जाए, विपक्ष को विश्वास में लेकर सदन की कार्यवाही की जाए तो यह उचित होगा वरना यह हमारे जनतंत्र को खतरा होगा, जनतंत्र को आघात पहुंचेगा और एकतरफा कार्यवाही जनता के अन्दर जाएगी। उस पर जनता क्या कहेगी ? मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि इस कार्यवाही को रोक कर विपक्ष की जो मांग है, उस मांग को मानकर जिस तरह कार्यवाही हमेशा की जाती है उस तरह कार्यवाही की जाए। यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व में राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उस समय से लगाकर बजट तक एकतरफा कार्यवाही हुई है, मेरी मांग है कि शुरू से उस कार्यवाही को नये सिरे से किया जाए और विपक्ष को साथ लेकर सारी कार्यवाही हो तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आपने देखा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय,–

श्री अध्यक्ष : 270 पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि पूरा विपक्ष, जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी–

श्री अध्यक्ष : आप अपने प्रश्न की फरमा रहे हैं या और कुछ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारे निर्दलीय, सारी कांग्रेस पार्टी–

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है सबसे पहले।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस सैशन में जितनी एकता आपने विपक्ष में देखी होगी उससे पहले कभी नहीं देखी होगी। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरी तो चलती ही नहीं है, मेरे विधायक मानते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, इतना तो प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं से तय करवा दीजिए कि वे अपना भाषण देने के बाद 15 मिनट हमारा भी भाषण सुनने का माद्दा रखें।

श्रीमती कमला (बैराठ) : आपने तो खुद दे दिया भाषण।

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं, हम अकेले भाषण नहीं देना चाहते हैं, हम आपकी मौजूदगी में भाषण देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कमिटमेंट हर हालत में तैयार किया जाए कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं, आधा घंटा बोलें, 20 मिनट बोलें परन्तु उनको सरकार की तरफ से उत्तर हो, उसके लिए यहां बैठकर सुनने के लिए पाबन्द किया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस असेम्बली की 45 साल की आयु में ऐसे कांड जो इस बार हुए हैं, कभी नहीं हुए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में भी न हों। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस बार प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया...

श्री अध्यक्ष : बराबर दे रहा हूं मैं तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस प्रकार से प्रतिपक्ष के तीन मामूली सवालों पर इतना अड़ा रुख रखा, यह हमें भैरोंसिंहजी से उम्मीद नहीं थी। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : प्रश्न के लिए नाम पुकारा था न कि भाषण देने के लिए। आपने प्रश्न के लिए पुकारा था इनको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंहजी का जो कुछ कैरियर बना इसी विधान सभा से बना। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपको प्रश्न के लिए पुकारा । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : +++ अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का तो +++ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आप, अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा करें। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : और भाभड़ा साहब स्पीकर रहते हुए व उप मुख्य मंत्री बनने के बाद इतने जिद्दी हो गये हैं।...

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय खेतसिंह जी साहब बोल रहे थे कि पहली बार एका रहा। (व्यवधान) यह एका कब तक रहेगा ? चुनाव में भी रहेगा कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और यह भाभड़ा जी की जिद के ही कारण है कि आज इतनी कटुता आई और यह कटुता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि सारी परम्पराएं आपने खतम कर दीं। इस विधान सभा के अन्दर जो मैत्रीपूर्ण भाव अपने आपस में रहा करते थे उसको आपने कटु बना दिया और आज परिस्थिति यह हो गयी है कि ...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही में भाग तो लें। हम तो हृदय से यह चाहते हैं कि आप सदन में कार्यवाही में भाग लें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बीच में व्यवधान डाल रहे हैं, इनको बन्द करिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, एक-एक प्रश्न पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। (व्यवधान)

हमारे सवालों का + + + (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : हमारे नेता महोदय बोल रहे हैं और आप व्यवधान डाल रहे हैं, यही है डेमोक्रेसी में आपकी आस्था ? + + + ऐसी आस्था के प्रति।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वोट ऑन एकाउण्ट होने के बाद, असेम्बली उस रोज एडजोर्न हो रही थी और वह अच्छा होता कि उसके बाद में आप एडजोर्न कर देते, आगे सैशन बढ़ा देते और फिर हम सब को मौका मिलता और एक एक डिमाण्ड पर अपनी बातें कहते। आपके + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान) क्यों व्यवधान डाल रहे हैं बीच बीच में ?

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह कौन से घोटाले की बात हो रही है। (व्यवधान) यह चीनी घोटाले की बात हो रही है या हवाला घोटाले की बात हो रही है ? (व्यवधान)

श्री पराक्रमसिंह (बनेड़ा) : झारखण्ड मोर्चे वालों को रिश्वत किसने दी ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : बोलने के लिए इनके पास कोई बात है नहीं और रोज एक ही एक भाषण थोपे जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): सुनो तो सही। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कपासन से आने वाले माननीय सदस्य श्री शंकर भानूदा को, जिन्होंने अपनी अन्तरआत्मा की आवाज से जो गलत कार्यवाही की है, उसका विरोध किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे मालूम है ऐसी अन्तरआत्मा वाले कई सदस्य उधर बैठे हैं, लेकिन शायद वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, घोटाले में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य घोटाले की बात कह रहे हैं। + + + (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : 6 महीने कांग्रेस की घोटाले की सरकार रही। 5 साल तक एक-एक आदमी को, न्यायालय में सबके मुकदमे चल रहे हैं। न्यायालय में उपस्थित होना पड़ रहा है। + + + ने कितने घोटाले

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(6)

(श्री कालूलाल गूजर)

किये ? (व्यवधान) जो घोटाले खुद करते हैं वे दूसरों को घोटाले की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री अध्यक्ष : अब कोई अंकित नहीं हो रहा है। श्री मदनमोहन जी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

रीको द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा

271. **श्री मदन मोहन (खैरथल) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा उद्योगों तथा आवास के लिए भूमि अवाप्त करते वक्त मुआवजा देने के मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्त करते समय बाजार भाव से मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय भी दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्णय के अनुसार भविष्य में किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा):

(1) रीको के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास/विस्तार हेतु मुआवजा देने सम्बन्धी अलग से कोई मानदण्ड (नार्म्स) निर्धारित नहीं हैं क्योंकि मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-23 में निहित प्रक्रिया के अंतर्गत ही दिया जा सकता है।

(2) उच्चतम न्यायालय के ऐसे निर्णय की जानकारी नहीं है। किंतु अधिनियम की धारा 23 (1) में उल्लिखित मार्केट वेल्यू को दृष्टिगत रखकर ही मुआवजा निर्धारण हेतु प्रावधान है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2 महीने से इस सदन में विवाद चल रहा है। (व्यवधान) सदन इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली का इस सदन में बहुमत नहीं है। जोड़-तोड़ कर उसके पास 8-10 सदस्य ज्यादा हैं। लेकिन विपक्ष (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विपक्ष भी बहुत बड़ा धड़ा है। अगर वह रूठा हुआ है तो सदन के नेता का यह कर्तव्य है। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : अब मैंने प्रश्नकाल प्रारम्भ कर लिया है। माननीय, मैंने आप दोनों को

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

अवसर दिया था अब आप बाद में फरमा रहे हैं। (व्यवधान) प्रश्नकाल चालू कर दिया है।

श्री रामप्रताप कासनियां : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो।

प्रश्न संख्या : 272

श्री राधेश्याम जी गंगानगर।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री भवानी जोशी।

जिला बांसवाड़ा में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

273. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बांसवाड़ा में शारीरिक शिक्षकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) बांसवाड़ा जिले में दो तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षकों के पद अप्रेल, 1995 एवं अगस्त, 1996 से रिक्त हैं।

(2) जी हां। उक्त रिक्त पदों को माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में रिक्त रखा गया है। अतः निर्णय प्राप्त होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न संख्या : 274

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 275

श्री दयाराम परमार।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 276

श्री रामस्वरूप मीणा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(स्थगित)

प्रश्न संख्या : 277

श्री हरजीराम बुरडक।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 278

श्री परसादीलाल मीणा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

प्रश्न संख्या : 279

श्री रामनारायण जी मीणा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 280

श्री रतनलाल ताम्बी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 281

श्री हरिसिंह जी (महुआ)।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 282

श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 283

श्री हबीबुर्रहमान जी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में नेफ्था आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र

284. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि किसी संस्था के साथ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जालौर में नेफ्था आधारित 50 मेगावाट क्षमता का ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुबन्ध किया था ? यदि हां, तो कब तथा किसके साथ ?

(2) क्या उक्त संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक तैयारियां करली गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त संयंत्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

(3) उक्त संयंत्र जालौर की जनता को बिजली उपलब्ध करवाने में कब तक सक्षम हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जोगेश्वरजी के प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है और जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है इस सारी कार्यवाही के सम्बन्ध में जो +++ रवैया है, उसको लेकर के हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) :(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने किसी भी संस्था के साथ जालौर में नेफ्था या अन्य प्रकार के ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्र के लिए कोई अनुबन्ध नहीं किया है। प्रारम्भ में मैसर्स टीएफ. एण्ड एम. सर्विसेज ने जालौर में 50 मेगावाट क्षमता का संयंत्र

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(ऊर्जा मंत्री)

स्थापित करने के स्थान में परिवर्तन करने की अनुमति मांगी, जो दे दी गयी। जिलों का चयन डवलपर्स स्वयं द्वारा जहां भी उन्हें तकनीकी दृष्टि से उचित लगे, किया जाता है, अतः संशोधित स्थान जालौर नहीं रहा है। परन्तु फिर भी जालौर जिले की विद्युत व्यवस्था पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

(2) चूंकि कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है इसलिए संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक तैयारियों का प्रश्न ही नहीं उठता है। (व्यवधान)

(3) चूंकि कोई संयंत्र जालौर में लगना प्रस्तावित ही नहीं है, अतः संयंत्र से बिजली उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

(माननीय सदस्य, श्री रतनलाल ताम्बी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि अखबारों में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ, उसके लिए प्रश्न लगाया था। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाएं। अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाएं आप।

श्री अध्यक्ष : हां, अभी वापस ले लेते हैं, यह हो जाने दीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब उसका स्थान परिवर्तन हो गया है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर में, विशेषकर सांचौर क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या माननीय मंत्री महोदय, सौर ऊर्जा का कोई प्लाण्ट वहां लगाने की योजना रखते हैं या योजना बनाएंगे ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सौर ऊर्जा का कोई प्लाण्ट जालौर जिले में लगाने की योजना बनाएंगे क्या ? यह बताएं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं सौर ऊर्जा के लिए आमंत्रित की थीं। तीन पार्टियां आई थीं, उनको लैटर आफ इंटेंट दिया है, दो पार्टियों से पी.पी.ए. हुआ है। यदि कोई भी पार्टी आएगी, जहां भी लगाना चाहेगी, हम लगाने के लिए उससे वार्ता करेंगे।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा भी एक पूरक प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि सौ मेगावाट का नेफ्था पर आधारित प्लांट लगने वाला है, आप बताएं कि वह कब लगेगा, कब शुरू होगा? अभी तक वहां पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है जबकि भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और बिजली की वहां पर हमेशा कमी रहती है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, नेफ्था पर आधारित कुछ प्लांट्स राजस्थान में लगाये जा रहे हैं। अभी नेफ्था कम अलाट हुआ है, केवल 1415 मेगावाट का

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

नेफ्था हमको अलाट हुआ है उस हिसाब से हमने कुछ डवलपर्स को अलाट किया है। हमारा भी प्रयास है कि हमें अधिक नेफ्था मिले और हमें उम्मीद है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। जब सैण्ट्रल गवर्नमेंट से और नेफ्था अलाट हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि भीलवाड़ा में भी यह प्लांट लगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन मोहन जी।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, रीको के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और विस्तार के लिए जो भूमि अवाप्त की जाती है उसके न तो सरकार की तरफ से कोई मापदण्ड तय किये हुए हैं और न ही कोई नार्म्स तय हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एग्रीकल्चर लैण्ड बरबाद हो रही है, इस आधार पर और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है कि किसानों को बाजार भाव के ऊपर मुआवजा दिया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार को इस फैसले की कोई जानकारी नहीं है, जिस तरह से इस प्रकार के जो फैसले आ चुके और सरकार की जानकारी में नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इस फैसले को लागू किया जाए तो जिस तरह से रीको के अधिकारी किसानों का शोषण कर रहे हैं, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहती है या नहीं ? सरकार तो यहां तक कहती है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के फैसले को आए हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं। अलवर जिले का किसान इस बात से दुःखी है। वहां पर आज से 20 साल पहले गांव की हाइएस्ट रजिस्ट्री मान लो दस हजार की हुई है, तो रीको के अधिकारी उसी आधार पर अधिनियम, 1894 की धारा 23 के आधार पर वहां 20 हजार रुपये भूमि का मुआवजा देते हैं। आज उस भूमि की लागत करीब लाखों में है। जहां उनको मुआवजा करीब 10-15 लाख रुपये बीघा मिलना चाहिए, वहां पर उन्हें 10 हजार रुपये में संतुष्ट होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को यदि इस अधिनियम में संशोधन करना पड़े तो संशोधन करना चाहिए जिसके आधार पर किसानों का शोषण रुक सके और राज्य के किसानों की उन्नति हो सके। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि उद्योग मंत्रीजी इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखते हैं या नहीं ? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के आधार पर उनको बाजार भाव के ऊपर मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी के अनुसार यह धारा 23 है। धारा 23 (1) में भी वही बात है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। धारा 23 (1) में बाजार भाव पर मुआवजा देने का प्रावधान है। उसी का विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि मार्केट वेल्यू पर मुआवजा दिया जाए और रीको भी मार्केट वेल्यू पर ही मुआवजा देता है। परेशानी यह आ रही है कि मार्केट वेल्यू कैसे तय हो। जो एक्वीजिशन आफिसर है, जो अवार्ड देता है, वह मार्केट वेल्यू डिटरमिन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करने के लिए उस क्षेत्र में जो बेचान होता है, रजिस्टर्ड बेचान होते हैं, उनकी कॉपी मांगते हैं और उसमें जो कीमत लगी रहती है, उस कीमत को वे मार्केट वेल्यू मानते हैं। दिक्कत यह आ रही है कि लोग मार्केट वेल्यू ज्यादा होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन अण्डर-वेल्यू का कराते हैं। यदि लाख रुपये में उन्होंने बेचा है तो उसमें स्टाम्प बचाने के लिए, 50 हजार का बेचान करते हैं। अब चूंकि लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर के पास लिखित में रजिस्टर्ड डीड एक एविडेंस के रूप में है, इसलिए उसके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि वह और किसी तरह से मार्केट वेल्यू डिटरमिन करे। इसके बावजूद भी हमने रीको को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इस समस्या का समाधान जब तक कानूनन तरीके से लोग सही वेल्यूएशन करके रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए हमने रीको को, खास तौर से इंस्ट्रक्शन दे रखा है अलवर जिले में कि पहली बात तो यह है कि जमीन सरकारी हो और जो किसी काम में नहीं आ रही हो उसको लिया जाए, वह नहीं हो तो फिर बारानी जमीन ली जाए। बारानी जमीन नहीं हो तब सिंचित जमीन ले, वह भी उसका प्रतिशत साढ़े बारह से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यदि सिंचित जमीन का कुछ ही हिस्सा आता है तो रीको को इंस्ट्रक्शंस यह हैं कि वह उसमें नेगोसिएट करे क्योंकि मार्केट वेल्यू तो निश्चित रूप से, जो रजिस्टर्ड डीड में लिखी हुई है वही वेल्यू होगी परन्तु किसान को फायदा कराने के लिए रीको को नेगोसिएशन करने के अधिकार दिये हैं कि वह नेगोसिएट करके उस कीमत से ज्यादा कीमत किसानों को दे। यह हमने भी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए जहां तक किसानों के हितों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में जो कानूनी व्यवस्था है उसमें हमने पूरी सावधानी बरती है। उसके बावजूद भी अलवर जिले में पिछले दिनों से यह काफी आवाज उठ रही है कि वहां सिंचित जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। अभी नीमराणा की भी एक शिकायत आई है। इसलिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा और यह देखूंगा कि सिंचित जमीन एक्वायर न की जाए और जो किसान वहां पर अपनी खेती सिंचाई के माध्यम से कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से हानि नहीं हो उसको प्रत्यक्ष मौके पर देखकर इस सम्बन्ध में रीको को इंस्ट्रक्शन दूंगा।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे के बारे में माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं उस जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। इन्होंने कहा कि मुनाफे के चक्कर में पचास हजार के बेचान पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, बाजार भाव रीको के अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं। रीको इण्डस्ट्रियल एरिये के अन्दर उनके चरागाह पड़े हैं, कस्टोडियन लैण्ड पड़ी है, सिवाय चक पड़ी है, वह सारी जमीन तो उन गांवों के विकास के लिए रखी गयी थी और उन गांवों में इस तरह से अधिग्रहण किये जा रहे हैं कि गांव में, यदि आज पांच सौ घर हैं या सौ घर हैं, उसके पास जितनी भी बकाया भूमि पड़ी है वह सारी अवाप्त कर ली। क्या उस गांव

(12)

(श्री मदन मोहन)

की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है ? उस गांव की जनसंख्या बढ़ेगी तो इन लोगों का पलायन भी वहां से होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि जिस तरह से अवाप्ति का खेल चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट जमीन के बारे में कह रही हैं, उद्योग मंत्रीजी, अलवर जिले में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से लगाकर के अलवर शहर तक जितनी भी भूमि आज तक एक्वायर की गयी है, सारी एग्रीकल्चर बैल्ट को एक्वायर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि खाद्यान्न की समस्या पैदा नहीं हो जाए अलवर जिले में तो आप देख लेना, यह मैं इस सदन में पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, जिस तरह से अवाप्ति की जा रही है तो इस अवाप्ति को रोका जाए और जो अनएग्रीकल्चर्ड भूमि पड़ी है, जो अनफर्टाइल जमीन है उस भूमि को ही अवाप्त किया जाए न कि एग्रीकल्चर बैल्ट को।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने कहा ही है।

श्री मदन मोहन : जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में पोल्यूशन के लिए जो यह किये जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कि एक भी उद्योग के अन्दर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक-एक फैक्ट्री का सर्वे करवा लें। जितनी भी फैक्ट्रीज में क्लोरीन गैस का, जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, उनके खिलाफ आज तक एक भी कार्यवाही हुई हो तो माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यह भी बता दें। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाजार भाव की मैं बात कर रहा हूं, बाजार भाव का यही है कि किसानों से सीधा उद्योग-पतियों को मिलने दिया जाए। किसानों की यदि बेचने की मर्जी है तो वह बेचें और जो उनका सौदा तय हो, उसके आधार पर बेच दें, उसकी कोई वह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसी को लागू किया जाए, जिससे कि किसानों का शोषण रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट के तो कई डिसीजन हैं। और यही है कि बाजार वेल्यू से दिया जाएगा। 30 परसैंट सोलेसियम दिया जाएगा। वह तो हो गया। वहां पर बाजार भाव से तो यही है, कर देंगे।

श्री मदन मोहन : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वहां पर बाजार भाव से तो ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वहां पर रीको के अधिकारी खुद दलाली करने लग गये। प्रापर्टी डीलर का काम करने लग गये। स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि वहां के गांवों में यदि किसी व्यक्ति की चालीस-पचास बीघा जमीन बीच में पड़ती है, तो उसके चारों तरफ से वे एक्वायर कर लेते हैं या खरीद लेते हैं और उसको बीच में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको रास्ता तक नहीं मिलता। उसके बाद मजबूर होकर उसको बेचना पड़ता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो कार्यवाही हो रही है, इसको बन्द किया जाना चाहिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सैक्शन चार का नोटिफिकेशन निकलने के बाद सब लोगों से आपत्ति मांगी जाती है और यदि काश्तकार आपत्ति करते हैं तो उनकी आपत्ति की सुनवाई होती है। जो बात माननीय सदस्य ने कही, यदि किसी काश्तकार को या काश्तकारों को परेशानी है तो उनकी आपत्ति वाजिब होने पर उस जमीन को एक्वायर करने से ड्राप कर दिया जाता है। आपत्ति नहीं होती है तब आगे की कार्यवाही होती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक और धारा 23 के मुताबिक मार्केट वेल्यू से देते ही हैं। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि मार्केट वेल्यू नहीं दी जाए। जैसा मैंने बताया कि मार्केट वेल्यू क्या है, इसमें भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं, लेकिन मार्केट वेल्यू देने का और इतना ही प्रावधान नहीं है बल्कि यह और है कि सैक्शन चार से लेकर सेक्शन 6 के बीच में जो टाइम गुजरता है, उस समय को भी काउण्ट करके अवार्ड देते समय 12 प्रतिशत और अतिरिक्त राशि दी जाती है। इतना ही नहीं है; यदि किसी काश्तकार को कोई ज्यादा नुकसान होता है तो उसको 30 प्रतिशत सोलेसियम राशि और दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : यही मैंने कहा था इसमें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुआवजे के अतिरिक्त दी जाती है। इसके अलावा भी, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, मुआवजे की दर काश्तकारों के हित में तय हो इसके लिए नेगोसिएशन परमानेंट समिति बनायी हुई है। यदि फिर भी काश्तकार को शिकायत हो कि हमको पूरी वेल्यू नहीं मिल रही है तो एक नेगोसिएशन कमेटी बनायी हुई है, जो काश्तकार से बात करके अधिकतम मुआवजा काश्तकार को मिले, इस बारे में निर्णय देती है। प्रयास यह रहता है कि काश्तकारों को हम अधिकतम मुआवजा दें।

जहां तक आपने कहा कि गांव के पास में जो सरकारी जमीन है या गोचर जमीन है, गांव के काम में आती है। ऐसी जमीन को जब एक्वायर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो गांव के लोग यदि आपत्ति करते हैं तो उनकी आपत्ति सुनकर उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। गांव के पक्ष में निर्णय लिया जाता है। यदि गोचर इतना कम है कि उसको लेने से गांव में मवेशी चरने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो उसको नहीं लिया जाता है। यह सारी बातें सोचकर और काश्तकार को पूरी तौर से सन्तुष्ट करने के बाद ही होता है। अब शिकायत यह होती है कि कुछ काश्तकार तो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं लेकिन कुछ इम्पार्सियल लोग हैं जो यह सोचते हैं कि काश्त की जमीन सारी चली गयी तो खेती खतम हो जाएगी। उनको चिन्ता होती है, स्वयं काश्तकार को नहीं। उसको पैसा मिलता है, वह बेचने के लिए तैयार है। अब उसको बाध्य कहीं भी नहीं करते हैं और इतने प्रावधान हैं, आपत्ति करने के सैक्शन चार से लेकर 6 तक, बीच-बीच में कि यह कोई प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, इस प्रक्रिया में लगभग छः महीने से सात-आठ महीने लगते हैं और इन सात-आठ महीनों में जितनी भी आपत्तियां आती हैं, उन पर गम्भीरता से विचार होता है और जो भी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इस तरह का जेनुइन केस है, उसको हम अवाप्त नहीं करते हैं। माननीय सदस्य ने भी मुझे लिखा है तो उसके बारे में मैंने जानकारी की है और उस सम्बन्ध में उन सबकी आपत्तियां सुनी हैं और उस सम्बन्ध में वाजिब आदेश कर दिये हैं तो ऐसी कोई भी घटना हो, ऐसा कोई आपके सामने केस हो तो वह लाइये, उसके बारे में निश्चित तौर से विचार करेंगे और उसमें काश्तकार के हित में जो निर्णय होना चाहिए, वह निर्णय करेंगे।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक...

श्री अध्यक्ष : बस, हो गया न यह तो।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक ही मिनट दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है इसमें पहले तो बताएं मंत्री महोदय कि जिस तरह से कोटकासिम पंचायत समिति के अन्दर 19 गांवों का एक्वायरमेंट हो रहा है, 19 गांवों की क्या सहमति है? 19 गांव क्या बरबादी के कगार पर नहीं पहुंचेंगे उससे? उन गांवों में पूरी की पूरी बैल्ट एग्रीकल्चर बैल्ट नहीं है और उन गांवों में जब एक्वायरमेंट होगा तो उन गांवों से पलायन भी होगा। मैं उद्योग-धन्धों के खिलाफ नहीं हूं, उद्योग धन्धे पनपने तो चाहिए लेकिन एग्रीकल्चर बैल्ट में नहीं होने चाहिए... (व्यवधान)...19 गांवों को जिस तरह से...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कोटकासिम इसमें नहीं है, आप मुझे अलग से कोटकासिम का बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लें और आप कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की लैण्ड है उसको नहीं लेंगे। जो बारानी लैण्ड है, बिलकुल बंजर जमीन है, उसी को ज्यादा कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपसे भी डिस्कस कर लेंगे। कोटकासिम के बारे में आप जो बता रहे हों, वह बात भी डिस्कस कर लेंगे। आप और हम, दोनों मिलकर तय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप फरमा रहे हैं, आप माननीय मंत्रीजी से बात कर लें। श्री रामरिछपाल नुवाल।

श्री भवानी जोशी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री रमाकान्त शर्मा : इसके बारे में मेरा भी प्रश्न है, अगर आप इजाजत दें तो।

श्री अध्यक्ष : आपके रीको हो गया न?

श्री रमाकान्त शर्मा : रीको के बारे में ही मेरा छोटा सा प्रश्न है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : रीको के बारे में मेरा भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपके तो हो गया रीको।

श्री रमाकान्त शर्मा : यदि आप आज्ञा दें तो।

श्री अध्यक्ष : अब आप एक दो प्रश्न और लेने दो।

श्री रमाकान्त शर्मा : जैसी आपकी मर्जी हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

जिला बांसवाड़ा में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

273. **श्री भवानी जोशी** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में शारीरिक शिक्षकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया): (1) बांसवाड़ा जिले में दो तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक शिक्षकों के पद अप्रेल, 1995 एवं अगस्त, 1996 से रिक्त हैं।

(2) जी, हां। उक्त रिक्त पदों को माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में रिक्त रखा गया है। अतः निर्णय प्राप्त होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री भवानी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि डी.ई.ओ. गर्ल्स में 16 पद शारीरिक शिक्षकों के खाली हैं और डी.ई.ओ. एलीमेंट्री में 42 पद शारीरिक शिक्षकों के खाली हैं जबकि जवाब में मात्र यह आया है कि दो ही पद खाली हैं। तो माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि वास्तव में कितने पद खाली हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में आज की तारीख में कोई पद रिक्त नहीं है। 47 अतिरिक्त पद पर भर्ती हो गयी, पिछले सालों में और इसलिए रिक्त होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपको वर्षवार बता देता हूं। 1994 में केवल 22 पद भरने थे उसके अगेंस्ट में 102 भर दिये गये। उसकी जांच चल रही है। जिस डी.ई.ओ. ने भरे, उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। 1995-96 में 74 पद थे, उसके अगेंस्ट में 57 ही भरे, इस बात को ध्यान में रखकर के कि पिछली बार कुछ ज्यादा थे। इसी तरह से इस बार ब्वायज सैटअप में दो पद रिक्त थे, उसके अगेंस्ट में भी 19 पद भरे हैं। यह जरूर है कि बालिका शिक्षा में, बालिकाओं को ही शारीरिक शिक्षक लगाने की दृष्टि से कुछ हमने जो शारीरिक शिक्षक ब्वायज लगे हुए थे, उनको हमने अपने इस सैटअप में चेंज किया, लेकिन आज की तारीख में अगर पदों को टोटल मिलाते हैं तो हमारे पास एक्सेस भरे हुए हैं। तो हम उसकी तनख्वाह कहां से उठाएंगे ? इस कारण से जब तक इसकी पूर्ति नहीं होती, उस स्थिति में नहीं भरेंगे।

श्री भवानी जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिये, गलती है तो विभाग की है और उसको पनिशमेंट वहां के डी.ई.ओ. गर्ल्स में शारीरिक शिक्षक क्यों भुगतें, महिलाएं क्यों भुगतें ? उन पदों पर तो महिला शारीरिक शिक्षकों को ही लगाया जाए न उनकी जगह पर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : महिला शारीरिक शिक्षक जितनी उपलब्ध होती हैं उतने ही पद भर पाएंगे। अगर उपलब्ध ही

18

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं होती हैं तो फिर उस पद को किस से भरा जाएगा ? और यह भी जबकि हमारे पास अतिरिक्त पद हैं। 47 लोग आज की तारीख में हमारे पास अतिरिक्त हैं। यह गलतफहमी हुई है अपर प्राइमरी स्कूल में यह सोच करके कि तीसरा पद शारीरिक शिक्षक का होता है। इसकी गिनती ठीक नहीं लगायी। जबकि हमारे यहां तीसरा पद पहले साल में आठवीं स्कूल खोलते ही हैड-मास्टर का मिलता है, दूसरी साल में हम दो थर्ड ग्रेड के और देते हैं, तीसरी साल में दो और देते हैं। तो जब आठवीं पूरी होती है तब शारीरिक शिक्षक का पद आता है एक अपर प्राइमरी स्कूल में। लेकिन जैसे ही मिडल स्कूल खुला उसकी गिनती लगा करके भर्ती कर दी जबकि वास्तव में यह था की जब आठवीं का स्कूल पूरा बनता है, तब शारीरिक शिक्षक का पद उस स्कूल में आता है। इस कैलकूलेशन की गलती के कारण से यह हुआ इसमें भी डी.ई.ओ. के खिलाफ जांच चल रही है, निश्चित रूप से उसको भी सजा देनी है, दी जाएगी।

प्रश्न संख्या : 285

श्री अध्यक्ष : श्री रामरिछपाल नुवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 286

श्री किशन मोटवानी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 287

श्री रामपाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 288

श्री भीखा भाई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 289

श्री विष्णु मोदी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 290

श्रीमती इन्द्रिरा मायाराम ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 291

श्री नाथूराम अहारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

राज्य की शिक्षाकर्मी / लोक जुम्बिश योजनाएं

292. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षाकर्मी/लोक जुम्बिश परियोजना चलायी जा रही है ? यदि हाँ, तो राज्य में ये परियोजनाएं कब से चल रही हैं तथा इसमें प्रतिवर्ष कितना बजट राज्य सरकार एवं विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हो रहा है ? प्रत्येक का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(2) शिक्षाकर्मी एवं लोक जुम्बिश परियोजना में शिक्षकों के चयन/नियुक्ति का आधार क्या है, कौनसी योग्यता तक का व्यक्ति इसमें अध्यापक के पद पर नियुक्ति पा सकता है ? प्रत्येक का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उच्च योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध होने के बाद भी दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण व्यक्तियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जा रही है जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

(4) शिक्षाकर्मी एवं लोक जुम्बिश परियोजना में अध्यापकों को कुल कितना मानदेय दिया जाता है तथा इनके स्थायीकरण का आधार क्या है ? एक बार अध्यापक पद पर नियुक्ति मिल जाने पर उन्हें कब तक सेवा में रखा जाएगा ? परियोजना बन्द हो जाने पर इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा ? क्या सरकार इन अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) राजस्थान में शिक्षाकर्मी एवं लोक जुम्बिश परियोजनाएं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलायी जा रही है। राज्य में शिक्षाकर्मी परियोजना वर्ष 1987 से एवं लोक जुम्बिश परियोजना जून, 1992 से संचालित की जा रही है। शिक्षाकर्मी परियोजना स्वीडिश इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी (सीडा) एवं राज्य सरकार के सहयोग से एवं लोक जुम्बिश परियोजना, सीडा, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही है। व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षकों का चयन न करके कार्य करने वाले आशार्थी का चयन शिक्षाकर्मी के रूप में किया जाता है। शिक्षाकर्मी चयन के आधार पर परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। लोक जुम्बिश द्वारा अध्यापकों की कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। लोक जुम्बिश परियोजना में चलने वाले विद्यालय में अध्यापकों का पदस्थापन राज्य सरकार द्वारा निर्देशित नियुक्ति अधिकारी द्वारा राजकीय/पंचायत समिति में अध्यापकों में से ही किया जाता है।

(3) शिक्षाकर्मी परियोजना में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले उपलब्ध आशार्थियों में से चयन के आधार बिंदुओं में वर्णित मानदंडों के आधार पर शिक्षाकर्मियों का चयन ग्रामवासियों के सम्मुख चयन दल द्वारा किया जाता है। चयन के पश्चात् चयनित आशार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है एवं प्रशिक्षण में सफल होने पर ही आशार्थी को शिक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने की स्वीकृतिदी जाती है। शिक्षाकर्मी परियोजना में पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं की शैक्षिक योग्यता अन्य विद्यालयों की तुलना में कम नहीं है।

(18)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लोक जुम्बिश परियोजना में शिक्षक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाते हैं।

उपरोक्त परियोजनाएं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से चलायी जा रही हैं।

(4) शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षाकर्मी को दिवसीय विद्यालय एवं प्रहर पाठशाला संचालन किये जाने पर 1800/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। शिक्षाकर्मी के रूप में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में परियोजना के चलते रहने तक कार्य किये जाने हेतु रखा जा सकता है।

लोक जुम्बिश परियोजना में अध्यापक को राज्य सरकार के नियमानुसार राशि दी जाती है।

दोनों परियोजनाएं वर्तमान में संचालित है। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि परियोजनाएं कब बन्द हो जाएंगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह शिक्षाकर्मी योजना 1987 से चल रही है और अब 1997 आ गया है, लगभग 10 साल से यह योजना चल रही है, क्या इसका कोई सर्वे कराया गया है ? लोक जुम्बिश शिक्षा 1992 से प्रारम्भ की है, लगभग चार वर्ष हो गये हैं, तो क्या किसी एजेंसी के द्वारा यह मालूम कराया गया है कि इस योजना को जिन उद्देश्यों को लेकर प्रारम्भ किया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है ?

दूसरा, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि शिक्षा के विषय में सार्वजनीकरण के लिए इस योजना को चालू किया गया है विदेशी सहायता से और लोक जुम्बिश में केन्द्र सरकार भी सहयोग कर रही है, तो क्या कोई ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा इसकी जांच करायी गयी है ? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : लोक जुम्बिश में भी विदेशी सहायता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हां, दोनों में ही है और वह भी स्वीडन की ही सहायता है। तो क्या इसका कोई सर्वेक्षण कराया गया है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कोई शैक्षणिक योग्यता उस क्षेत्र का आदमी रखता हो, जिसमें आप शिक्षाकर्मी रखने वाले हैं। उसमें उस गांव का ही कोई व्यक्ति अगर पूरी शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण की योग्यता भी रखता है तो क्या ऐसे आदमी को भी शिक्षक बनाया जा सकता है ? जैसा आपने कहा, यह योजनाएं कब समाप्त होंगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई भी योजना प्रारम्भ की जाती है तो निश्चित रूप से उसकी समयावधि तो तय की ही जाती है कि यह कब खतम होगी और इसमें काम करने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा। परन्तु ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ परियोजना चल रही थी और स्वच्छ परियोजना समाप्त होने के बाद में उसमें जो लोग डेपुटेशन पर थे उनको तो दूसरे विभागों

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ने ले लिया लेकिन जिन लोगों को उसमें एम्प्लयामेंट दिया गया था, उन सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया। तो जो लोग, लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी योजना में काम कर रहे हैं उन लोगों के भविष्य का क्या होगा ? यह चिंता का विषय है। यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 1987 से शिक्षाकर्मी योजना और 1992 से लोक जुम्बिश योजना चल रही है। समय-समय पर इसका मूल्यांकन किया गया हमारे यहां से भी और बाहर की एजेंसी के द्वारा भी और केन्द्र सरकार की आई हुई टीम के द्वारा भी। शिक्षाकर्मी के बारे में सामान्यतः मैं यह चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को भी कोई कमेटी बना करके आप भेज दीजिए। और चिंता करने के बारे में यह बिलकुल दावे के साथ कह सकता हूं ...

श्री अध्यक्ष : शिवकिशोरजी को तो ले ही लो आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वो एजेंसी कौनसी है, मंत्रीजी ? उसका नाम भी तो बताएं जिस एजेंसी द्वारा सर्वे कराया है। राजस्थान के लोगों से ही अगर आपने सर्वे कराया है तो वह आपके ही लोग हैं जो आपके ही बारे में बोलने वाले हैं। बाहर की एजेंसी हैं क्या जिससे सर्वे कराया गया है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केन्द्र सरकार की एजेंसी ने भी सर्वे किया है, स्वीडिश गवर्नमेंट की जो टीम आती है वो भी साल में दो बार इसका मूल्यांकन करती है और इसके बाद ही हमको आगे का अनुदान देते हैं। मैं तो चाहूंगा माननीय सदस्य ही चले जाएं और स्कूल देखकर अपनी रिपोर्ट कर दें।

शिक्षाकर्मी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में शिक्षाकर्मी में पढ़ने वाला कोई भी बालक किसी प्राइमरी स्कूल के बालक से किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं, उससे सवाया साबित होगा यह मेरा विश्वास है।

शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से कोई पाबंदी नहीं है लेकिन चूंकि दूरदराज में अध्यापक जाता नहीं हैं इसलिए उसी गांव का अध्यापक, जिसमें यह शिक्षाकर्मी योजना चालू कर रहे हैं, गांव के सब लोगों के बीच में ही बैठा करके गांव के ही जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, जिस स्तर के भी पढ़े-लिखे हैं उनमें से ही चयन करते हैं। अगर वो ग्यारहवीं पास हो तो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई पाबंदी है। लेकिन ट्रेंड को हम इसलिए नहीं लेते हैं कि वह किसी दिन अपनी नौकरी छोड़ कर चला जाएगा और हमारा जमा हुआ स्कूल फिर बिखर जाएगा। इसलिए उसको तो हम सामान्यतः नहीं लेते हैं लेकिन हम जिन आठवीं और दसवीं पास को भी लेते हैं उनकी 47 दिन की स्कूल में ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद उनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में उस बालक का टीचर के रूप में प्रेक्टिकली और जो कुछ भी विषय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का ज्ञान है उसमें पास होने के बाद ही लगाते हैं। मैं बिलकुल आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई भी हमारा चयन किया गया अध्यापक है, वह किसी भी सामान्य अध्यापक से शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से कमजोर नहीं है। यह बात जरूर है कि महिलाएं हमको ज्यादा मिलें और बच्चियों का नामांकन बढ़े इस दृष्टि से ध्यान में रखकर उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जरूर हम थोड़ा कमजोर होते हुए भी उनको लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनका नामांकन बढ़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि हमने जो कुछ भी अब तक प्रयास किया है, हमारी 3,474 प्रहर पाठशालाएं चल रही हैं और हमने अपनी शिक्षाकर्मी योजना के माध्यम से 144 गांवों में दिन की पाठशालाओं में शत-प्रतिशत नामांकन कर दियां। उस गांव का एक भी बालक आज की तारीख में विद्यालय से बाहर नहीं है छह साल से लेकर ग्यारह साल तक की उम्र का। इसी तरह से 325 गांव ऐसे हैं जिनमें दिन का विद्यालय और प्रहर पाठशालाओं दोनों को मिलाकर शत-प्रतिशत नामांकन पूरा कर लिया है।

जहां तक लोक जुम्बिश परियोजना का सवाल है, लोक जुम्बिश में किसी भी अध्यापक का भविष्य अंधकार में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसको तो राजकीय नौकरी में से ही उधर डेपुटेशन पर नियुक्ति देते हैं और अगर कोई विशेष परिस्थिति आएगी तो वह सबके सब हमारे अध्यापक हैं, वह फिर लौटकर आएंगें। मैं सोचता हूं, शिक्षाकर्मी योजना जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर रही है, इसमें स्वीडिश गवर्नमेंट पहले हमको 90 प्रतिशत पैसा देती थी पहले फेज में, और 10 प्रतिशत हम देते थे, अब हमने पचास-पचास प्रतिशत कर दिया है। 50 प्रतिशत वह देते हैं और 50 प्रतिशत हम देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो सारा खर्चा राज्य सरकार उठाकर ऐसे विद्यालयों, जिनमें नामांकन बढ़ता है, अच्छी पढ़ाई होती है और दूर-दराज में भी शिक्षक की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहती है, के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसी कोई जिद नहीं है। लेकिन वहां वह स्थिति आज नहीं है इसलिए आज उसके बारे में विचार करना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। बहुत आवश्यक है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : इसी बारे में पूछेंगे ? आपका आगे प्रश्न आने वाला है।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं, आगे प्रश्न नहीं आएगा। इसी मामले के अंदर मुझे बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, फ़रमाएं।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, एक मिनट बाद पूछना।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अप्रशिक्षित अध्यापकों की शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत बहुत बढ़िया परफारमेंस रही है और वहां से पढ़ाये हुये लड़कों में कहीं कोई खराबी नहीं है। तो क्या राज्य सरकार यह सोचेगी कि जो इनके नियमित स्कूल हैं उनके अंदर भी अप्रशिक्षित अध्यापक इसी ग्रेड के अंदर लगाये जाएंगे ? इससे स्कूलों की संख्या दुगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी क्योंकि प्रशिक्षित अध्यापक को तीन हजार रुपये देने पड़ते हैं, अप्रशिक्षित को यह 1800 रुपये ही देते हैं। तो उससे राज्य सरकार के उसी बजट के अंदर बहुत ज्यादा स्कूल खुल जाएंगे, यदि इसी तरह की परफारमेंस है तो एक तो यह बात है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दोनों योजनाएं, शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश, विदेशी, स्वीडिश धन से चलती हैं। मेरी यह मान्यता है कि कोई भी विदेशी इस भारतवर्ष को उन्नत नहीं देख सकता, चाह नहीं सकता, यह स्वाभाविक बात है। इसलिये इनके द्वारा यह पैसा शिक्षा के अंदर हमारी शिक्षण व्यवस्था को मूलभूत स्तर पर बिगाड़ने के लिए दिया जा रहा है। यदि उनको पैसा देने में इतनी प्रसन्नता है तो हमारे रेगूलर स्कूल खोलने के लिए पैसा दे दें और उस पैसे से रेगूलर स्कूल खुलें।

यह क्या बात हुई कि एक तरफ तो हम अपने यहां बी.एड. और एसटी.सी. लगाना चाहते हैं और दूसरी जगह प्रशिक्षित, जिनको शिक्षा का अनुभव नहीं है, जिनको प्रशिक्षण का अनुभव ही नहीं है, जिनको शिक्षण का अनुभव नहीं है, जिनको अध्यापन का अनुभव नहीं है उस आदमी को बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा देते हैं और आप कहते हैं परफारमेंस बढ़ी है। मैं कहता हूं, आने आने वाली पीढ़ी का सारा का सारा भविष्य खराब होने वाला है, यदि वह प्रशिक्षित अध्यापक से नहीं पढ़ रहे हैं। प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती तो राज्य सरकार प्रशिक्षित अध्यापक लगाती ही नहीं।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि जहां-जहां पर भी इस तरह की शिक्षाकर्मी योजना चलायी गयी है, इनके नियमों के अंदर, इनके उद्देश्यों में यह है कि जहां कोई भी अध्यापक नहीं जा सके, सड़क के किनारे नहीं हो, डार्क कार्नर में हों वहां पर इस तरह के स्कूल खोले जाते हैं। मेरा अनुभव यह है कि जहां अच्छा-खासा स्कूल चल रहा था, 10 वर्ष से स्कूल चल रहा था नगाड़ा के अंदर, वहां के एक स्थानीय आदमी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उस नियमित स्कूल के नियमित अध्यापक को वहां से हटा दिया गया और शिक्षाकर्मी अध्यापक को 1800 रुपये देने की गरज से वहां लगा दिया गया। इस शिक्षाकर्मी योजना की इस तरह जो क्रियान्विति है वह सारी शिक्षण व्यवस्था को पूरी की पूरी समाप्त करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय –

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, समग्र उत्तर साथ दे दें। श्री दलीचन्दजी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, दलीचन्द जी को बोलने दें, फिर आप बोल लें।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। शिक्षाकर्मी योजना 1987 से चालू की है। हमारे बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर में ट्राइबल क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां दूर-दराज के इलाके में लोग बसते हैं, वहां पढ़ाई के लिये मंत्री महोदय कह रहे थे कि बाहर का व्यक्ति वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जा सकता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे वहां बहुत-से गांव काफी बड़े हैं और दूरदराज के इलाके हैं, नदी-नाले पड़ते हैं, बारिश में बच्चे जा नहीं सकते। वहां शिक्षाकर्मी की जो चयन प्रक्रिया अपना रखी है, इसमें एक सबसे बड़ी बाधा है कि जिस मौहल्ले में या जिस मजरे में स्कूल खोली जाएगी वहीं का लड़का पढ़ा-लिखा हो तो ही वहां खोली जाएगी। अगर उस मौहल्ले में कोई पढ़ा-लिखा लड़का नहीं है तो क्या वहां स्कूल नहीं खोला जाएगा? अगर वहां का लड़का नहीं है तो क्या वहां के बच्चे नहीं पढ़ेंगे ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो ऐसे मजरे हैं जहां कोई लड़का पढ़ा-लिखा नहीं है, यदि वह शिक्षाकर्मी योजना नहीं चला सकता तो क्या ऐसे मजरे में दूसरे मजरे से लड़कों को ले जाकर, वहां लगाकर स्कूल चालू करेंगे? यह मंत्रीजी से सवाल करना चाहूंगा क्योंकि एक ऐसा उदाहरण है वहां, एक पंचायत मुख्यालय ऐसा है डूंगलाडाणी, जिसमें 24 मजरे हैं और 24 मजरों में केवल तीन स्कूलें हैं। दो प्राइमरी और एक मिडल स्कूलें है, बाकी सब मजरे खाली पड़े हैं। वहां पहाड़ी इलाका है, लोग पढ़े-लिखे मिलते नहीं हैं। जब यह कमेटी चयन करने के लिए जाती है तो कहती है कि यहां का लड़का पढ़ा-लिखा होगा तो ही हम चयन करेंगे अगर यहां का लड़का नहीं मिलेगा तो हम चयन नहीं करेंगे। इस तरह से बहुत सारे मजरे यह योजना खुलने से वंचित हैं। मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि एक मजरे से दूसरे मजरे का लड़का दूर का भी हो, उसको भी वहां लगाकर स्कूल चालू किया जाए ताकि वहां के लोगों का भविष्य सुधर सके।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सदस्य, रमाकान्त जी ने जो बात बतायी है वास्तव में वह बात सही है कि पहले से जो प्राइमरी स्कूलें चल रही हैं उनके अंदर शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश के लोग लगा दिये और सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक थे, इनको हटा दिया गया और वहां ऐसी हालत हो गयी है कि गांव के जो लोग हैं, उनमें आधे लोगों ने उसके चक्कर में अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेजना चालू कर दिया। एक तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जहां पहले से स्कूल चल रहा हो वहां शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश के माध्यम से जो भी

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

अध्यापक आते हैं उनको ऐसी स्कूलों में नहीं लगाया जाए।

दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जहां आज तक एक स्कूल नहीं है, यह मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि लोक जुम्बिश या शिक्षाकर्मी में जितने भी अध्यापक हैं उनमें से 90 प्रतिशत लोगों को सरकारी स्कूलों में लगा दिया गया या दूरदराज में या अड़ौस-पड़ौस में जहां आज तक एक भी स्कूल नहीं है तो मैंने उनसे निवेदन किया, बार-बार लिखकर भी दिया, माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा आदेश देंगे कि जिन गांवों में आज तक स्कूल नाम की कोई संस्था नहीं है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे संस्कृत विभाग की हो, चाहे पंचायत समिति के माध्यम से हो, कोई भी स्कूल नहीं है, ऐसी जगह जहां 10-10 किलोमीटर में कोई स्कूल नहीं है वहां पर शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश योजना के तहत स्कूल खोलने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: बिराजिये आप। गोपीरामजी, आपको क्या कहना है ? टाइम बहुत कम रह गया।

श्री गोपीराम जाट : यह शिक्षाकर्मी से सम्बन्धित ही है।

श्री अध्यक्ष : हां, जल्दी कहिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : मेरा निवेदन है कि जैसा बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मेरे क्षेत्र में भी एक भी शिक्षाकर्मी स्कूल नहीं है और पहले कांग्रेस के शासन में जो शिक्षाकर्मी विद्यालय चलते थे उसके लिए गांव के लोगों ने जो भवन बनाये थे, आज भी वह खाली पड़े हुए हैं। मेरे यहां तो अनौपचारिक शिक्षा के जरूर 300-400 केन्द्र हैं जो एक भी नहीं खुलता। न वहां कोई पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, न कोई पढ़ाने जाते हैं। 300 रुपये महीने के उनको मिलते हैं। इनमें से 50 रुपये तो कार्यालय में काट लेते हैं और 250 रुपये उनके पास पहुंचा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री गोपीराम जाट : इस तरह से इस अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस धन का जो अपव्यय हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए या शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करके दूसरे विद्यालय खोलने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की बात सुन लें। समय खराब न करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षाकर्मी योजना को लेने की जरूरत महसूस हुई कि जहां अध्यापक बराबर नियमित रूप से नहीं पहुंचते वहां की शिक्षण व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो रही है तो वहां के लोगों के ही आग्रह से हमने उस विद्यालय में लिया। बाकी हमारा अपनी तरफ से चलाकर ऐसे प्राथमिक विद्यालयों को लेने का कोई इरादा नहीं था।

जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, मेरा यह दावा है कि शिक्षाकर्मी का प्रशिक्षण हमारे एसटीसी. और बीएड. से भी ज्यादा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रभावी है। ज्यादा प्रभावी इसलिए है कि पहली बार 47 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें पास होने के बाद ही आगे नौकरी में आता है। हर साल 30 दिन की उसको फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एसटीसी. जिन्दगी में एक बार कर ली तो 30-40-50 साल जितनी भी वह नौकरी करता है वह ट्रेण्ड माना जाता है, जबकि इसमें प्रतिवर्ष यह नियमित कार्यक्रम है कि 30 दिन ट्रेनिंग के कारण प्रशिक्षण की दृष्टि से सही है और मैं यह समझता हूं कि राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकृत ही इस कारण से किया कि दूरदराज में बच्चे वहां पूरे नहीं होंगे, 40 बच्चे नहीं होंगे, 50 बच्चे नहीं होंगे, आपने रेगूलर प्राथमिक विद्यालय खोल दिया और नार्म्स बना दिया कि दो टीचर कम से कम लगेंगे तो दो टीचर को लगाकर 47 लड़कों को पढ़ाना किसी को भी समझ में

(12.00)

नहीं आता। इसलिए कम खर्च में हम पढ़ा सकें। यह भी कोई कम खर्चा नहीं है। अठारह सौ रुपया जो आज हम उसको दे रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : यही तरीका नियमित स्कूलों में कर लीजिए ना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नियमित स्कूलों में तो जरूरत नहीं है। वहां बच्चे हैं और बच्चों के आधार पर दो टीचर का वायबल है।

श्री रमाकान्त शर्मा : अनट्रेण्ड अध्यापक लगाने की प्रक्रिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बैठकर बात कर लें सब बने, एक कमेटी बना लें। शिवकिशोर जी सनाढ्य और ये, सब कर लेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं भी चाहता हूं, मैं स्वयं भी चाहता हूं।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अभी घोषणा करें आप तो। हमारे कोटड़ा में रहेंगे हम तो। हम बताएंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी की बात सुनें एक मिनट।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : इसके बजाय तो बी.एड. की हुई लड़कियां गांवों में फिर रही हैं, उनको व्यवस्था दी जाए पहले।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दानपुर से आने वाले माननीय विधायक का चयन के बारे में यह कहना था कि हमारे गांव चयन होने चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमारी एक यूनिट पन्द्रह विद्यालयों की होती है, उस पर एक निरीक्षण करने वाला रहता है, अगर और ऐसे गांव होंगे तो दूसरी यूनिट प्रारम्भ की जा सकती है। सामान्यतः कम से कम उस पंचायत का रहने वाला तो वह अध्यापक होना ही चाहिए तब तो वह समय पर पहुंच सकता है, जैसा हम विद्यालय चलाना चाहते हैं, वैसा चला पाएंगे, नहीं तो दूर से आएगा तो बाकी जैसी विद्यालयों की स्थिति बनती है, वैसी बनेगी। इसलिए इतनी पाबन्दी हमने जरूर रखी कि वहां एक अध्यापक हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उठाना है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री दलीचन्द : एक ही मिनट का काम है।

श्री अध्यक्ष : अब बात ही खतम हो गयी। आप बात कर लेना।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक ही मिनट चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बात कर लेना अब। मैं आपको क्या बताऊं।

श्री दलीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था, आपके माध्यम से गृह मंत्री का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में 17 तारीख को ...

श्री अध्यक्ष : वह तो जीरो आवर में होना चाहिए।

श्री दलीचन्द : एक देवा नाम के व्यक्ति के साथ इतनी यातनाएं दी गयीं और यातनाओं के साथ उस आदमी को पेशाब पिलाया गया अर्थना के हैड कांस्टेबल के द्वारा...

श्री अध्यक्ष : यह लोक जुम्बिश के तहत है क्या सब ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं-नहीं, यह तो अलग है।

श्री अध्यक्ष : कृपा बिराजें। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री दलीचन्द : अप कब मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा। मैंने समझा लोक जुम्बिश के बारे में कुछ बोल रहे हैं आप। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट -2 देखें)

अनुपस्थित/ बोलने के लिए खड़े नहीं हुए माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, लूणी तथा शेरगढ़ में स्वीकृत प्राथमिक शालाएं

270. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वित्तीय वर्ष 1996-97 में कितनी नई प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं ? इन शालाओं को स्वीकृत करने का क्या मानदण्ड रहा ? उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, लूणी तथा शेरगढ़ में कितनी नई प्राथमिक शालाएं खोली गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त स्थानों पर यह प्राथमिक शालाएं, विभाग के मानदण्ड व नियमों के अनुसार ही खोली गई हैं ? यदि हां, तो मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो उक्त शालाएं किस आधार पर खोली गईं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 में 417 प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं। नवीन प्राथमिक शाला स्थानीय आवश्यकता अनुसार ग्राम, ढाणी,

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

मजरे में खोले हैं। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, लूणी तथा शेरगढ़ में निम्न प्रकार शाला खोली गयी : -

1- बड़ी सादड़ी	-
2- लूणी	2
3- शेरगढ़	1
योग	3

(2) जी हां। इस वर्ष राजस्व ग्राम, गैर राजस्व ग्राम, ढाणी मजरे में वित्तीय संसाधनों एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक शालाएं खोली गईं।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा वसूल राशि

272. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों की कृषि उपज मण्डियों में आढ़तियों द्वारा क्रेता एवं कृषक विक्रेताओं से आड़त, धर्मादा, करदा, एसोसिएशन शुल्क, गौशाला आदि अन्य नामों से नियमों के प्रतिकूल अनधिकृत वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा विभिन्न व्यापारी संगठनों की मांग व प्रतिवेदनों पर गत 5 वर्षों में कब-कब कितनी आढ़त की दर बढ़ाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों की कृषि उपज मण्डी समितियों में आढ़तियों द्वारा कृषक विक्रेताओं से आढ़त, धर्मादा, करदा, एसोसिएशन शुल्क, गौशाला आदि अन्य नामों से वसूली की जा रही है। सही स्थिति यह है कि आढ़त लागा आदि की कटौतियां आढ़तियों द्वारा क्रेता व्यापारियों से वसूल की जा रही हैं। धर्मादा अथवा करदा के नाम से कोई कटौती इन मण्डियों में नहीं की जा रही है। निर्धारित दर पर आढ़त की वसूली क्रेता से किया जाना राजस्थान कृषि उपज विप्पणी अधिनियम, 1961 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुरूप है। जहां तक लागा आदि का प्रश्न है इन कटौतियों का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु यह आढ़तियों तथा क्रेताओं की आपसी सहमति से किया जा रहा है। लागा के रूप में काटी गयी राशि का उपयोग व्यापार मण्डल द्वारा एसोसिएशन के व्यय गौशाला एवं शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने पर व्यय किया जाता है। इस संबंध में न्यायिक निर्णय भी हो चुका है, जिसके अनुसार आपसी सहमति से ये कटौतियां की जा सकती हैं। उपरोक्त परिस्थिति में आढ़तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं होता।

(2) गत 5 वर्षों में केवल एक बार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 9(4) कृषि ग्रुप-2/94 दि. 20.11.95 द्वारा फल, सब्जियों को छोड़कर अन्य घोषित कृषि जिन्सों पर आढ़त की दर 1.75 से बढ़ाकर 2 प्रतिशत की गई है।

जिला बीकानेर की हैरीटेज होटल्स को स्वीकृत ऋण/अनुदान

274. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) हैरीटेज होटल्स की परिभाषा क्या है ?

(2) जिला बीकानेर में राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किस हैरीटेज होटल को कितना-कितना ऋण व अनुदान अब तक स्वीकृत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 75 वर्ष पूर्व निर्मित भवन, किले, गढ़ व हवेलियां जिनमें होटल चल रहे हैं, हैरीटेज होटल की श्रेणी में आते हैं। उक्त परिभाषा भारत सरकार पर्यटन विभाग द्वारा परिभाषित है।

(2) जिला बीकानेर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किसी भी हैरीटेज होटल को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

तहसील खैरवाड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

275. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील खैरवाड़ा के कई गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन शेष गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए 33 के.वी. की डी.पी. ग्राम कनवई के आस-पास लगाना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एम. का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना पुस्तिका अनुसार खैरवाड़ा तहसील में कुल 242 ग्राम हैं। उनमें से माह फरवरी, 1997 तक 191 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। 51 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है। अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु योजना तैयार कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही उन्हें आगामी वर्षों में ग्रामों की विद्युतीकरण निर्धारित नीति एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विद्युतीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) खैरवाड़ा तहसील के शेष रहे अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु नई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में एक 33 के.वी. सब स्टेशन ग्राम कनवई में प्रस्तावित किया गया है। इस योजना की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त होने के पश्चात् उपलब्ध संसाधनों एवं 33 के.वी. वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव हो सकेगा।

(4) जी हां, खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में रिखबदेव पर 32 के.वी. जी.एस.एस. आगामी वर्ष 1997-98 में बनाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित निजी वीडियो कोच बसें

277. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वीडियो कोच बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी ?

(2) क्या इन बसों को चलने की अनुमति परिवहन विभाग द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो किन नियमों व शर्तों पर ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन शर्तों पर इन बसों को चलने की अनुमति दी गई थी उसकी अनुपालना नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1-2-3) निजी वीडियो कोच के रूप में वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाता है और न ही इस विशिष्ट के आधार पर अनुज्ञापत्र दिए जाते हैं। केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8), 88 (9) और 74 व 84 अन्तर्गत वाहनों को अखिल भारत /राज्य में संचालन हेतु संविदा अनुज्ञापत्र दिए जाते हैं और उक्त वाहन किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं। उक्त प्रकार के अनुज्ञापत्रों की शर्तों के विरुद्ध वाहनों का संचालन करने पर दोषी संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस वर्ष 96-97 (जनवरी, 97 तक) में ऐसे 1748 वाहनों के विरुद्ध चालान बनाए जाकर 33,01,059/- रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई है।

मण्डावरी (लालसोट) में भूखण्ड विक्रय प्रकरण

278. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : — क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा नीलामी से बेचे हुए भूखण्डों की पूर्ण राशि नियमानुसार खरीदने वालों द्वारा जमा करवा दी गई है ? यदि नहीं, तो किस-किस भूखण्ड की कितनी-कितनी राशि बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री परसादीलाल मीणा)

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों के पट्टे जारी कर दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि एक व्यक्ति ने भूखण्डों की नीलामी के खिलाफ न्यायालय में स्वयं का कब्जा होना बताकर रोक लगवाई थी जिसके कारण नीलामी में भूखण्ड लेने वालों को कब्जा नहीं दिया जा सका ? यदि हां, तो उक्त भूखण्डों की नीलामी के बाद रोक कब लगी एवं न्यायालय द्वारा कब और क्या निर्णय दिया गया ? न्यायालय के निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या न्यायालय के निर्णय के बाद नीलाम किए गए भूखण्डों का कब्जा सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा नीलामी से बेचे गये भूखण्डों की पूर्ण राशि नियमानुसार खरीदने वालों द्वारा जमा नहीं कराई गई है। 148 भूखण्डों की राशि बाकी है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए वसूली की जा रही है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत, मण्डावरी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(4) जी हां। एक व्यक्ति श्री रंगलाल पुत्र रामदेव मीणा निवासी मण्डावरी के एक भूखण्ड 100 X 100 का नीलामी के खिलाफ स्वयं का कब्जा होना बताकर माननीय उच्च न्यायालय से रोक लगवाई थी, इसी भूखण्ड का नीलामी की शर्तों के अनुसार राशि नहीं जमा कराने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है। उक्त भूखण्डों की नीलामी के बाद दिनांक 7.9.94 को रोक लगी व उच्च न्यायालय का फैसला दिनांक 13.12.94 व 28.3.95 द्वारा हुआ, फैसले भूखण्डों पर ग्राम पंचायत मण्डावरी के स्वामित्व का निर्णय दिया गया। निर्णय एवं रोक की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी, नहीं। क्योंकि न्यायालय द्वारा कब्जा देने पर रोक प्रभावी है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बून्दी का बागदा केचमेंट परियोजना क्षेत्र

279. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के बागरा केचमेंट परियोजना क्षेत्र में समतल एवं उपजाऊ भूमि पर केचमेंट कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किसकी मांग पर ?

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) उक्त केचमेंट में किस ग्राम के किस किसान को कितनी भूमि किस तारीख को लेकर कार्य करवाने के पश्चात् कब वापस संभलाई गई ? कृषकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केचमेंट में भूमि अधिग्रहण के पूर्व की तथा भूमि की वापस सम्भलाने के बाद की स्थिति का नक्शे में निर्धारण किया जाता है ? यदि हां, तो केचमेंट के पूर्व एवं पश्चात् की संयुक्त नकल नक्शा ट्रेस सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या केचमेंट क्षेत्र में सरकारी तथा रास्ते आदि की भूमि को सम्मिलित करने के उपरान्त भी किसानों को भूमि निर्धारित कटौती करके ही लौटाई गई है ? यदि हां, तो क्षेत्र में शेष रही सिवाय चक भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि खाल दर्रों की असमतल एवं अनउपजाऊ भूमि को कार्य योजना से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में केचमेंट से वंचित रही भूमि के खसरा नम्बर तथा रकबा सहित ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, भूमि में जल भराव एवं लवणीयता होने के कारण काश्तकारों की मांगों पर उनकी सहमति से कार्य कराया गया है तथा समय-समय पर काश्तकारों (केचमेन्ट कमेटी) की राय से कार्य सम्पादित किया गया है।

(2) केचमेन्ट बागदा की कृषक सूची ग्रामवाइज संलग्न है। (प्रपत्र -अ) जिसमें ग्राम, किसान का नाम, किसान की भूमि मय खसरा नं. (पूर्व एवं पश्चात्) दर्शायी हुई है। दिनांक 18.4.96 को अधिग्रहण कर माह जून में भूमि वापस सम्भलाई गई।

(3) जी हां, केचमेन्ट से पूर्व व पश्चात् का संयुक्त मूल नक्शा की छाया प्रति साथ संलग्न है। (प्रपत्र - ब)

(4) जी हां, केचमेन्ट के मापदण्डों के अनुसार ही भूमि में से धोरों एवं ड्रेनों की कटौती कर भूमि पुनः आवंटित की गई है। सिवाय चक भूमि की नम्बरवार सूची साथ में संलग्न है। (प्रपत्र-स)

(5) जी नहीं, केचमेन्ट का कार्य जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। इस केचमेन्ट में तीन ग्राम की 193 हैक्टेयर भूमि आई है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न प्रकार है।

1. दौलारा वितरणिका, 2. मोतीपुरा माईनर, 3. मातुन्दा से आलेड़ा का रास्ता, 4. उप मुख्य ड्रेन।

बागदा केचमेन्ट में किसी प्रकार की जमीन खाल दर्रा नहीं है और न ही कोई भूमि शेष है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विकलांगों हेतु शिक्षा व्यवस्था

280. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए त्रिभाषाई फार्मूले से पाठ्यक्रम में छूट देने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय तथा महाराष्ट्र सरकार के अनुसार राज्य में भी त्रिभाषाई फार्मूले में छूट देकर अगले शिक्षा सत्र से पाठ्यक्रम लागू किये जाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में एक भी विद्यालय विकलांगों की शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर का नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार अगले सत्र से माध्यमिक स्तर का विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कहां ?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के क्रमोन्नत हेतु कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार संभागीय स्तर पर विकलांग शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश में विकलांगों की शिक्षा के लिए आगामी सत्र से पाठ्यक्रम सरलीकरण तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 23.5.95 के द्वारा कक्षा - 1 से 8 तक के मूक-बधिर विद्यालयों में एकल भाषा की शिक्षण व्यवस्था की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कक्षा 9 से 10 में विकलांग बच्चों के लिए एकल भाषा की अनुमति की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। एक सीनियर माध्यमिक तथा एक माध्यमिक स्तर का विद्यालय संचालित है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों का विद्युतीकरण प्रकरण

281. **श्री हरिसिंह (महुआ) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति टोडाभीम के सभी गांवों का विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युतीकृत घोषित किये जाने के बावजूद भी कुछ गांवों में एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युतीकृत घोषित किये गये कुछ गांवों में विद्युत लाइन खींचें बिना ही उन्हें विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त घोषित गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले की पंचायत समिति, टोडाभीम में सभी ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। विद्युतीकृत घोषित ग्रामों को विद्युतीकृत तिथि की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) पंचायत समिति, टोडाभीम में विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से 19 ग्रामों में किसी भी श्रेणी का कनेक्शन विद्यमान नहीं है। सूची परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति, टोडाभीम में घोषित विद्युतीकृत ग्रामों में प्रायः विद्युत लाइनें खींच कर विद्युतीकरण किया गया है। लेकिन 19 ग्रामों में 11 के.वी. लाइन आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे गांवों के नाम उपरोक्त परिशिष्ट "ब" में अंकित हैं।

(4) उक्त ग्रामों में क्षतिग्रस्त लाइन पुनः खींची जाने हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित होने के पश्चात् ही उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप लाइन का कार्य पुनः किया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राजस्थान बीज निगम द्वारा बीज वितरण

282. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान बीज निगम द्वारा गत दो वर्षों में किस-किस जिन्स का कितना-कितना बीज राजस्थान में किसानों को किन दरों पर बेचा गया है ? निगम द्वारा उक्त जिन्स किन दरों पर क्रय की गई ?

(2) उक्त निगम गत दो वर्षों में हानि में रहा अथवा लाभ में ? इसमें कितना लाभ या हानि रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वितरण किये गये बीजों का विवरण परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है।

(2) कारपोरेशन गत दो वर्ष 1994-1995, 1995-96 में लाभ में रहा है। विवरण निम्नानुसार है : -

वर्ष	राशि रुपयों में
1994-95	132.67 लाख
1995-96	400.23 लाख

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जिला बीकानेर में अल्पभाषाई शिक्षा विस्तार अधिकारी का पदस्थापन

283. **श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के अधीन

(श्री हबीबुर्रहमान)

एसडीआई., उर्दू के स्थान पर एसडीआई. सामान्य भाषा नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको अल्प भाषा उर्दू का ज्ञान है ? यदि नहीं, तो सरकार इनके स्थान पर उर्दू के एसडीआई. कब तक लगाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही हैं कि शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में अल्पभाषा सैल कार्यरत है ? यदि हां, तो इसमें कितने अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन्हें अल्पभाषा जैसे उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, गुजराती आदि का ज्ञान प्राप्त है ? यदि नहीं, तो ये कार्य का निरीक्षण किस प्रकार करते हैं ?

(3) राज्य में जहां-जहां उर्दू भाषा चलती है क्या वहां शिक्षा विस्तार अधिकारी पदस्थापित हैं ? यदि नहीं, तो कब तक इनका पदस्थापन कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। एसडीआई. अल्पभाषा के नाम से पद सृजित नहीं होने के कारण उर्दू विषय (अल्पभाषा) का एसडीआई. पदस्थापित नहीं किया हुआ है।

(2) जी हां। भाषाई अल्पसंख्यक अनुभाग में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का एक अधिकारी दो कनिष्ठ लिपिक तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, इन्हें अल्पभाषा का ज्ञान नहीं है। निरीक्षण का कार्य जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(3) जी नहीं। शिक्षा विस्तार अधिकारी के नाम से कोई पद सृजित नहीं है। अतः पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में पंचायत समितियों के अधीन संचालित विद्यालय

285. **श्री रामरिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भीलवाड़ा जिले में विभिन्न पंचायत समितियों में कितने-कितने विद्यालय हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 70 छात्रों की संख्या के विद्यालयों में वर्तमान में केवल एक शिक्षक ही नियुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में और शिक्षकों के पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) गत वर्षों में भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सुवाणा में कितने विद्यालय अध्यापकों के अनुपस्थित रहने के कारण कितने दिनों तक बंद रहे ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में विभिन्न पंचायत समितियों के विद्यालयों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिले की पंचायत समितियों के विद्यालयों में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है,

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

जहां पर 70 छात्रों पर एक ही शिक्षक कार्यरत है।

(3) जी हां। गत वर्षों में इस पंचायत समिति में मात्र एक विद्यालय कानपुरा एक माह बन्द रहा है। उस अध्यापक को निलम्बित किया जाकर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी है। वर्तमान में विद्यालय चालू है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर मण्डल के कर्मियों का स्थानान्तरण प्रकरण

286. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण, पदोन्नति एवं पदस्थापन के क्या नियम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर मण्डल में मंत्रालयिक कर्मचारियों को शहरी/ग्रामीण ठहराव की वरीयता सूची बनाई जाती है ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण प्रक्रिया में उक्त वरीयता सूचियों का पालन किया गया ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान कितने मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण वरीयता सूची के विरुद्ध किये गये ? सत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें। क्या वरीयता सूची के विपरीत कार्य करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993-94 से 1995-96 में अजमेर सम्भाग में बिना स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र एवं शिकायत के आधार पर मंत्रालयिक कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरणों की सूची सत्रवार सदन की मेज पर रखें। शिकायतों के संबंध में विभाग को नियमानुसार प्राप्त शपथ-पत्र की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1957 के उप नियमों के तहत की जाकर उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाता है। स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में कोई नियम/नीति नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ही मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। ग्रामीण एवं शहरी ठहराव की वरीयता के आधार पर मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए ही मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाते हैं। स्थानान्तरण सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के मध्य 24 मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण शिकायत एवं प्रशासनिक आधार पर किये गये, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। विभाग के अधिकारी

(शिक्षा मंत्री)

(यथा शाला प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी आदि) के द्वारा किसी कर्मचारी के विरुद्ध उच्च अधिकारी को शिकायत करने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विद्युत मण्डल द्वारा परिसम्पत्तियों का विक्रय प्रकरण

287. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा विगत तीन वर्षों में अपनी परिसम्पत्तियों का विक्रय किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी, कहां-कहां और कितनी-कितनी राशि में विक्रय की गई ? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बेची गई परिसम्पत्तियों को पुनः विद्युत मण्डल द्वारा लीज पर लिया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस से और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परिसम्पत्तियों को लीज पर लेने के एवज में मण्डल को कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष अलग-अलग परिसम्पत्ति पर देनी होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त परि सम्पत्तियों को बेचने के उद्देश्य क्या थे ? इससे सरकार को क्या क्या लाभ हुए?

(5) क्या मंडल का अपने हित में उक्त प्रकार की परिसम्पत्तियों को और भी बेचने का विचार/प्रस्ताव है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने मार्च, 1995 से सितम्बर, 1996 की अवधि में अपनी कुछ परिसम्पत्तियों को विक्रय-लीज प्रणाली के तहत लीज पर वापस प्राप्त किया है। विक्रय कर पुनः लीज पर ली गई परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है : -

माह	100% ह्रास योग्य परिसम्पत्तियां	25 % ह्रास योग्य परिसम्पत्तियां
मार्च, 1995	रु. 355.47 करोड़	रु
सितम्बर, 1995	रु. 63.61 करोड़	रु. 959.67 करोड़
मार्च, 1996	रु. 96.46 करोड़	रु. 34.12 करोड़
सितम्बर, 1996	रु. 61.63 करोड़	रु. 245.22 करोड़
योग	रु. 577.17	रु. 1239.01

परिसम्पत्तियों को विक्रय लीज प्रणाली के तहत क्रेताओं से लीज पर वापस प्राप्त करने के पीछे मण्डल का उद्देश्य यह था कि मण्डल को केन्दीय सरकार के लीजिंग सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सके। साथ ही परिसम्पत्तियों की उपलब्धता भी यथावत बनी रहे। दूसरे शब्दों में लीजिंग के माध्यम से जहां विक्रय किया गया है परन्तु वास्तव में

(ऊर्जा मंत्री)

यथा स्थिति है तथा कोई सम्पत्ति हमारे हाथों से किसी अन्य के हाथों भौतिक रूप में स्थानान्तरित नहीं हुई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त परिसम्पत्तियों को लीज पर लेने के एवज में विद्युत मण्डल द्वारा प्रति वर्ष देय लीज राशि निम्नानुसार है : –

वर्ष	राशि करोड़ में
1994-95	4.58
1995-96	114.31
1996-97	292.93
1997-98	288.61
1998-99	260.76
1999-2000	233.15
2000-2001	227.32
2001-2002	102.36
2002-2003	59.26
2003-2004	3.77
2004-2005	1.35
2005-2006	1.06

(4) इस अवधि में खुले बाजार से ऋण प्राप्ति की दरें लगभग 17 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। मण्डल की विकट वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह संभव नहीं था कि खुले बाजार से ऋण लिया जा सके, अतः ऐसी परिसम्पत्तियों में मण्डल को वित्तीय तरलता की स्थिति सुधारने और आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु उक्त परिसम्पत्तियों को "बेचान एवं लीज" प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने की प्रक्रिया को अपनाया गया। उक्त वित्त के अतिरिक्त संसाधन से मुख्य-मुख्य निम्न लाभ हुये : -

(अ) कोयले के लदान में 15 % सरचार्ज की अदायगी नहीं करने से	वर्ष 1995-96 के दौरान रु. 29.27 करोड़ की बचत वर्ष 1996-97 में बचत की राशि लगभग 30 करोड़ रुपये।
(ब) बिजली खरीदने के तुरन्त भुगतान करने से -	वर्ष 1994-95 में रुपये 14.19 करोड़ व वर्ष 1995-96 में रुपये 17.72 करोड़ की बचत।
(स) आपूर्ति कर्ताओं को तुरन्त भुगतान से प्राप्त छूट	वर्ष 1995-96 में रुपये 2.31 करोड़ -

उक्त प्रणाली के माध्यम से कम ब्याज दर पर मण्डल ने माह मार्च, 1995 से सितम्बर, 1996 की अवधि में रुपये 1186.15 करोड़ में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाये हैं।

(5) हां, प्रस्ताव विचाराधीन है। विस्तृत विवरण देना अभी संभव नहीं है क्योंकि अनुबन्धों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

288. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री भीखाभाई)

क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में डूंगरपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में 24 प्राथमिक शालाएं खोली गई। शाला खोलने का वर्षवार विवरण निम्न है : -

वर्ष 1994-95	10
वर्ष 1995-96	14
योग	24

राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों/व्याख्याताओं के रिक्त पद

289. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) प्रदेश में कुल कितने अध्यापकों, व्याख्याताओं एवं प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं ? श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार सभी को समान शिक्षा के अवसर सुलभ कराने तथा इस शताब्दी के अन्त तक राज्य को सम्पूर्ण साक्षर करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के 163 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय को अनार्थिक घोषित कर उन्हें बन्द करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों व अध्यापन के साधनों की कमी रहती है तथा भवनों का भी अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त संकायों के प्रति विद्यार्थियों में अभिरूचि पैदा करने के संबंध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में श्रेणीवार अध्यापकों, व्याख्याताओं तथा प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है : -

क्र.सं.	पद नाम	संख्या
1.	प्रधानाचार्य	161
2.	उप प्रधानाचार्य	42
3.	प्रधानाध्यापिका (मा.वि.)	271
4.	व्याख्याता	1585
5.	वरिष्ठ अध्यापक	774
6.	अध्यापक (तृ.वे. श्रृंखला)	466

(2) इस शताब्दी के अन्त तक 6-14 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने तथा 15-35 आयु वर्ग के समस्त वयस्कों को साक्षर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी हां, प्रदेश के 163 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों को इन विद्यालयों में छात्र संख्या न्यूनतम अर्थात् 5 या इससे कम होने के कारण संकाय बन्द करने का निर्णय लिया गया।

(4) सामान्य रूप से यह स्वीकार किया

(शिक्षा मंत्री)

जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में जितने भौतिक संसाधन होने चाहिए वे राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण अब तक पूर्ण रूपेण प्रदान नहीं किये जा सके हैं। किन्तु यह मानने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। कि प्रश्न के भाग 3 में उक्त विद्यालय में संकाय अनार्थिक होने के कारण संसाधनों की कमी थी।

विद्युत दुरुपयोग पर नियंत्रण

290. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार शादी-विवाह एवं अन्य अनेकों पार्टियों में सजावट के तौर पर अनावश्यक रूप से किये जा रहे बिजली के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस किस प्रकार ?

उत्तर

नगरों में स्थित ऐसे स्थायी परिसर जो कि अधिकतर शादी-विवाह इत्यादि के लिये किराये पर या अन्यथा प्रयोग में लिये जाते हैं वहां पर स्थायी विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इस प्रकार के परिसरों को अस्थायी कनेक्शन देना बन्द कर दिया गया है। इससे अस्थायी कनेक्शन लेकर सजावट इत्यादि के लिये विद्युत के दुरुपयोग में काफी सीमा तक कमी आयेगी।

बिजली की सजावट में अनावश्यक अपव्यय पर रोक वांछनीय है परन्तु सामाजिक कार्यों में नियमों में पाबंदी लगाने के बजाय उचित वातावरण बनाना अधिक युक्ति संगत होता है अन्यथा ऐसे रोक के प्रावधानों का दुरुपयोग होता है और उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ सकती है।

पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदस्थापन

291. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :** क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं तथा उनमें कितने कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवश्यक कनिष्ठ अभियन्ता नहीं होने से पंचायतों के कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हर पंचायत समिति में 2 से 3 कनिष्ठ अभियन्ताओं को रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 237 पंचायत समितियां हैं तथा उनमें 207 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं, परन्तु और प्रभावी तकनीकी नियंत्रण हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक और अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता का पद, बजट उपलब्धता अनुसार, वर्ष 1997-98 तक सृजित करने का विचार है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वित्त निगम का विज्ञापन प्रकरण

422. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कौन-कौन से समाचार पत्रों को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ?

(2) उक्त अवधि में कौन-कौन सी स्मारिका को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये ?

(3) विज्ञापन देने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) विज्ञापन देने का आदेश देने के लिये निगम के किस अधिकारी को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं ? उक्त विज्ञापन देने में उक्त अधिकार का कहां तक उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान वित्त निगम द्वारा अपने कार्य व्यापार से संबंधित दिये गये विज्ञापनों का ब्यौरा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 (माह दिसम्बर, 96 तक) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है (राजस्थान वित्त निगम अधिग्रहीत इकाइयों की निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता है और इस पर होने वाला व्यय वित्त निगम के विज्ञापन मद में नहीं आता है इस पर पर होने वाला व्यय संबंधित इकाई के खाते में डाल दिया जाता है)।

(2) इस अवधि के दौरान विभिन्न स्मारिकाओं को दिये गये विज्ञापनों का ब्यौरा परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान वित्त निगम द्वारा विज्ञापन संबंधी प्रक्रिया के लिये बनाये गये नियमों/आदेशों की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) विज्ञापन देने संबंधी कार्यालय आदेश परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है, उसमें निर्धारित नीति का निगम द्वारा पालन किया जाता है।

(ब्यौरा एवं आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रीको क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) का मुआवजा प्रकरण

423. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा किशनगढ़ (अजमेर) में मार्बल एरिया के चतुर्थ फेज के लिये काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि अवाप्त की गई ? अवाप्त भूमि के बदले कुल कितनी राशि का काश्तकारों को मुआवजे का चुकारा किया जाना था तथा अब तक कुल कितनी राशि का चुकारा कब-कब और किन-किन व्यक्तियों को

(श्री विष्णु मोदी)

कितनी-कितनी राशि का किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रीको द्वारा चुकारा किये गये मुआवजे की राशि का भुगतान विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से दूसरे व्यक्तियों को हो जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 1966 बीघा 03 बिस्वा 03 विश्वांसी निजी खातेदारी भूमि अवाप्त की गई। अवाप्त भूमि के बदले 19,65,80,594/- रुपयों की राशि का काश्तकारों को मुआवजा चुकारा किया जाना था। इसके विरुद्ध दिनांक 20.2.97 तक रीको द्वारा 16,11,97,595.10 रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। रीको द्वारा बैंक चैक के माध्यम से किये गये भुगतान की राशि का व्यक्ति के नाम सहित दिनांकवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अवैध रूप से दूसरे व्यक्तियों को मुआवजा राशि का भुगतान विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से करने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 424

(स्थगित)

उद्योग विभाग में रिक्त पद

425. **श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग विभाग के अधीन कितने कार्यालय राज्य सरकार तथा गैर राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं ? उद्योग विभाग के अधीन आने वाले एवं गैर सरकारी विभाग के अधीन आने वाले विभागों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में कितने -कितने पद कौन-कौन सी श्रेणी के कब से रिक्त हैं ? जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर एवं सवाईमाधोपुर जिलों में उद्योग विभाग के अधीन एवं कारपोरेशन एवं लिमिटेड विभागों में रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार वित्तीय वर्ष 1997-98 में उक्त जिलों के रिक्त पद अब कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग के अधीन सरकारी कार्यालय एवं स्वायत्तशासी कार्यालयों की सूचना निम्नानुसार है :—

सरकारी विभाग :

1. कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।

गैर सरकारी विभाग ; (स्वायत्तशासी संस्था)

(उद्योग मंत्री)

1. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम
2. राजस्थान लघु उद्योग निगम
3. राजस्थान वित्त निगम
4. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम
5. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
6. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ
7. ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी (रूडा)
8. ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन
9. उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर
10. आर्टीजन डवलपमेंट सोसायटी, अलवर
11. एन्टर प्रिन्योरियल एवं मैनेजमैंट डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट जयपुर

(2) सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों की सूची विभागवार परिशिष्ट "अ" पर है।

जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर एवं सवाईमाधोपुर जिलों में उद्योग विभाग में रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट "ब" संलग्न है। स्वायत्तशासी संस्थानों में रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(3) आवश्यकता एवं वित्तीय साधनों को ध्यान में रखकर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर संभाग में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

426. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वन विभाग के अन्तर्गत उदयपुर सम्भाग में कौन-कौन सी योजनाएं राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्व खाद्य संगठन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से संचालित की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित योजनाओं में विगत 5 वर्षों में कुल कितनी राशि उदयपुर सम्भाग के लिए आबंटित की गई एवं उसमें से कितनी राशि का उपयोग किन कार्यों पर किया गया ? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर सम्भाग में वर्तमान में कितनी भूमि पर वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है ? जिलेवार वन क्षेत्र सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन विभाग के अन्तर्गत उदयपुर सम्भाग में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्व खाद्य संगठन तथा पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(2) उक्त संचालित योजनाओं में विगत 5 वर्षों में उदयपुर सम्भाग के लिए योजनावार आबंटित की गई राशि एवं उसके उपयोग का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार है।

(वन मंत्री)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि से वृक्षारोपण, मृदा एवं जल संरक्षण, विभागीय तथा विकेन्द्रीकृत पौधशालाओं के माध्यम से विभागीय वृक्षारोपण तथा वितरण हेतु पौध तैयारी, वन विकास कार्यों का संधारण, उन्नत शवदाह गृह निर्माण एनीकट एवं भवन निर्माण आदि कार्य कराये गये हैं।

(3) उदयपुर सम्भाग में वर्तमान में 9551.98 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। जिलेवार वन क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट "ग" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नीलगाय व जंगली सूअरों से फसलों को क्षति प्रकरण

427. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा के फलस्वरूप गत कुछ वर्षों में प्रदेश के कुछ सम्भागों में नील गाय व जंगली सूअरों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने जहां नीलगाय को मारने की अनुमति देने के लिये उन वन संरक्षकों को अधिकृत कर दिया है, वहीं जंगली सूअर के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देने का विचार रखती है ?

(3) जंगली सूअर से किसानों की फसल को नष्ट होने से बचाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले "रोजड़ों" को राज्य के इस समस्या से ग्रस्त 19 जिलों में मारने के अधिकार वन अधिकारियों को दिये गये हैं। जंगली सूअरों की समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान की जा रही है तदुपरान्त आवश्कतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) राज्य में जंगली सूअरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले क्षेत्रों की पहचान कर यदि आवश्यकता हुई तो कार्यवाही की जायेगी।

वन कर्मियों का वेतन निर्धारण प्रकरण

428. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वन संरक्षक परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन विभाग, जयपुर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनको वेतनमान का 18 एवं 27 वर्ष का लाभ तथा उनकी पदोन्नति कर उनका, वेतनमान का निर्धारण कर एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? क्या सरकार इन कर्मचारियों को वेतनमान एवं पदोन्नति कर एरियर का भुगतान दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग

(श्री मदन मोहन)

में इस परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान में 18 वर्ष का लाभ तो प्रदान कर दिया गया है लेकिन उनको अभी तक भी एरियर का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ? इनको अब कब तक एरियर का भुगतान कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) वन संरक्षक परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन जयपुर के 7 कर्मचारियों को 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है। इन कर्मचारियों के चयनित वेतनमान स्वीकृति के प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं। इन प्रकरणों का नियमान्तर्गत शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

(2) उक्त कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत 5 कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत 18 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप देय एरियर के भुगतान की कार्यवाही अति शीघ्र की जा रही है।

नवीन मंडी प्रागणों में दुकानों का आबंटन

429. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नवीन मंडी प्रांगणों में निर्मित छोटी फुटकर दुकानों के आबंटन में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, कृषि स्नातक, राज्य सेवा की अवधि में मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के लिए आरक्षण किया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को कितना-कितना ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश निरस्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख को ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व के आदेश को बहाल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10 (6) कृषि/ग्रुप-2/83 दिनांक 6.8.83 एवं समय-समय पर संशोधित आदेश जो परिशिष्ट अ-1 एवं अ-2 पर संलग्न है, के द्वारा नवीन मण्डी प्रांगणों में निर्मित छोटी फुटकर दुकानों के आबंटन में विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार प्रावधान रखा गया था : -

1. अनुसूचित जाति	7%
2. अनुसूचित जनजाति	5%
3. भूतपूर्व सैनिक	2%
4. विकलांग	2%
5. कृषि स्नातक	2%
6. राज्य सेवा की अवधि में मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित पुरुष	2%

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प9 (22) कृषि/ग्रुप-2/94 दिनांक 7.10.95 के द्वारा उक्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट -"ब" पर संलग्न है।

(५५)

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) जी नहीं। राज्य सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं समझती।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के किसानों को स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान

430. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 1993-94 से 1996-97 में किसानों को सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट पर कितना-कितना अनुदान दिया गया ? विवरण मय नाम, ग्राम, बैंकवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में जिला सवाईमाधोपुर की सभी पंचायत समितियों में अलग-अलग, कितना-कितना अनुदान दिया गया ? विवरण मय पंचायत समिति नाम, अनुदान की राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्प्रिंकलर सैट की गत वर्ष 1995-96 में निश्चित दरों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार ने स्प्रिंकलर सैट की यूनिट कीमत की गत सत्र में भी वृद्धि की है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) विवरण मय नाम ग्राम, बैंकवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) गत वर्ष 95-96 में स्प्रिंकलर संयंत्र की दरों में वृद्धि नहीं हुई है। राज्य सरकार स्प्रिंकलर सैट की इकाई लागत निर्धारित नहीं करती है। विभिन्न स्प्रिंकलर निर्माता अपनी इकाई लागत का निर्धारण करते हैं। ऋण के मामले में इकाई लागत का निर्धारण नाबार्ड द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाता है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर में जल ग्रहण विकास सर्वे

431. **श्री रिछपालसिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग नागौर द्वारा जिले में भूमि का टोपोग्राफिकल सर्वे कब-कब किया गया ?

(2) क्या वर्ष 1996-97 में नागौर जिले में उक्त विभाग द्वारा भूमि का टोपो- ग्राफिकल सर्वे किया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में यह सर्वे देरी से शुरू किया गया था, जिसकी वजह से विभाग के कार्य प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो सर्वे में देरी के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में जलग्रहण विकास एवं

(राज्य मंत्री, कृषि)

भू-संरक्षण विभाग द्वारा टोपोग्राफिकल सर्वे का कार्य वर्ष 1991-92 से किया जा रहा है।

(2) वर्ष 1996-97 में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा बेरोजगार अभियंताओं के माध्यम से 14 जलग्रहण क्षेत्रों में जहां सर्वे का कार्य तकनीकी रूप से आवश्यक था, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 16,416 हैक्टेयर क्षेत्रफल में टोपोग्राफिकल सर्वे का कार्य प्रगति में है जिसकी सूची परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1996-97 में सर्वे का कार्य विलम्ब से शुरू नहीं किया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जल ग्रहण/भू-संरक्षण कार्यों से लाभ

432. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो नागौर जिले में यह कार्यक्रम कहां-कहां पर चलाया जा रहा है? इन पर कितनी-कितनी लागत आयेगी व इससे कितना क्षेत्र व जनसंख्या लाभान्वित होगी ?

(2) जिन गांवों में यह योजना चलाई जा रही है, उसमें क्या-क्या कार्यक्रम किस प्रकार से चलाये जा रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना से क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या लाभ मिलेगा ?

उत्तर

(1) हां। नागौर जिले में 17 जलग्रहण क्षेत्र/कलस्टर में कार्य कराया जा रहा है। परिशिष्ट -1 में सूची संलग्न है। इन पर कुल 6.36 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इससे 23087 हैक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित किया जायेगा जिससे 75371 लोग लाभान्वित होंगे।

(2) नागौर जिले में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम, मरू विकास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत, मृदा एवं जल संरक्षण, नाला उपचार, पशुपालन एवं सामाजिक वानिकी के कार्य करवाये जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि में सी.वी.एच. अर्दन चेक डैम, गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। अकृषि योग्य भूमि में नाड़ियों की हिसिल्टिंग, गली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया जाता है। ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के अन्तर्गत बैंक स्टैबलाइजेशन, संकन पोंड, डग आउट पोंड एनीकट के निर्माण के कार्य करवाये जाते हैं। ये समस्त कार्य यूजर्स कमेटियों के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। किये जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट - 2 पर संलग्न है। सरकार द्वारा इस संबंध में दिये गये दिशा-निर्देश परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(3) इस योजना से क्षेत्र के लागों को

(राज्य मंत्री, कृषि)

कृषि भूमि की मृदा, जल संरक्षण, पशुओं का नस्ल सुधार, पीने के पानी की आपूर्ति व रोजगार की व्यवस्था आदि लाभ होंगे। सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चक 3 एस.एल. एम. में खाला निर्माण प्रकरण

433. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि चक 3 एस. एम.एल. का पक्का खाला अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ?

(2) उपरोक्त चक की कितनी भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है तथा उसके लिए समुचित सिंचाई व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) चक 3 एस.एल.एम. का पक्का खाला अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

(2) चक 3 एस.एल.एम. के पुराने सर्वेक्षण के अनुसार उक्त चक में 129 हैक्टेयर भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है, जिसके लिये कच्चे खाले से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।

टोडाभीम (सवाईमाधोपुर) के विद्यालय का क्रमोन्नयन

434. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की क्या नीति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार तहसील टोडाभीम जिला सवाईमाधोपुर की कंजोली राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1995-96 में सरकार द्वारा कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मापदण्ड की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1996-97 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंजोली तहसील टोडाभीम को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सीमित वित्तीय प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जिला सवाई माधोपुर में 1995-96 में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट -11 देखें)

जिला बून्दी के विद्यालयों में कमरों का निर्माण

435. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला बून्दी के उच्च प्राथमिक विद्यालय बटावती, लाम्बाबरडा, बालापुरा, ग्राम पंचायत सीसोला, रायथल, माणी, खजूरी, कालानला, खैरूणा एवं रजवास में विद्यार्थियों तथा स्टाफ के लिए निर्धारित नीति के अनुसार कमरे नहीं हैं ? यदि हां, तो किस विद्यालय में कितने कमरे कम हैं ? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से माडा क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों में कमरों का निर्माण जनजाति विकास विभाग, विशिष्ट योजना संगठन तथा विभाग के माध्यम से करवाया जाता है ? यदि हां, तो वांछित मात्रा में कमरा निर्माण के लिए, प्रस्ताव कब तक तैयार कर लिये जायेंगे ?

(3) क्या उक्त विद्यालयों में निर्धारित नीति के मुताबिक कमरे निर्मित करवाये जाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो अब कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालयवार विवरण निम्न प्रकार है : –

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	उपलब्ध कमरे
1.	राउप्रावि. बटावती	02
2.	राउप्रावि. लाम्बाबरड़ा	05
3.	" " बालापुरा	03
4.	" " रायथल	05
5.	" " माणी	03
6.	" " खजूरी	04
7.	" " कालानला	02
8.	" " रजवास	04

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्ष 8, प्रधानाध्यापक का एक कमरा, एक स्टोर और एक प्याऊ होना अपेक्षित है। खैरूणा विद्यालय पंचायत समिति के अधीन संचालित है।

(2) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रवार एवं आवश्यकतानुसार विद्यालयों के कमरों का निर्माण कराया जाता है एवं जन सहयोग का भी विद्यालयों के कमरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के अनुसार।

मांगरोल (बारां) के विद्यालयों में रिक्त पद

436. **श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बारां की राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांगरोल व सीनियर

(श्री रामगोपाल बैरवा)

सैकण्डरी विद्यालय बालिका, मांगरोल में वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, मांगरोल तथा राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय मांगरोल, जिला बारां में रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आरक्षित सूची भिजवाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सहायक कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रिक्त पद पर लगा हुआ प्रतिबन्ध हटने पर ही पूर्ति किया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय

437. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सरकार के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र, कोटपूतली के ग्राम कल्याणपुरा, खुर्द, चतुर्भुज, पूर्णनगर, हाशियावास, बीठलोदा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि हो, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्यालय क्रमोन्नत हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं : -

	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. गांव की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1 से 5 तक की छात्र संख्या	100	75
4. फीडर विद्यालय की संख्या	2	2

5. 2 किलोमीटर की परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खुले।

उपरोक्त मापदण्ड के अतिरिक्त -

1. वित्तीय प्रावधान
2. विद्यालय भवन
3. क्षेत्र की आवश्यकता
4. गुणावगुण

(शिक्षा मंत्री)

(2) नहीं। ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, चतुर्भुज, पीठ लौंदा, हाशियावास में ही उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध है तथा पूर्णनगर प्राथमिक विद्यालय निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है क्योंकि विद्यालय की कुल छात्र संख्या 135 तथा कक्षा-5 की संख्या मात्र 4 ही है तथा गांव की जनसंख्या 653 है।

प्रश्न संख्या : 438

(स्थगित)

साबला (डूंगरपुर) राजकीय सैकेण्डरी कन्या विद्यालय का क्रमोन्नयन

439. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में महिला/बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में जिला उदयपुर एवं डूंगरपुर में विगत तीन वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय सैकेण्डरी कन्या विद्यालय साबला तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, उदयपुर एवं डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्रों की महिला/बालिकाओं की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना, सरस्वती योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपराचारात्मक शिक्षण योजना पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान छात्राओं ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर तथा शिविर में चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति आदि योजनाएं संचालित हैं।

(2) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। आगामी वर्ष में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, साबला तहसील आसपुर के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

पंचायत समिति भीम व देवगढ़ के अविद्युतीकृत ग्राम

440. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजसमन्द जिले में भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के कौन-कौन से ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युतीकृत किये गये ग्रामों में से किस-किस ग्राम में अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रांसफार्मर अब कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जनगणना निर्देशिका 1981 के अनुसार राजसमंद जिले की भीम तहसील शत प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित है। एक गांव अण्टाली कोड संख्या 21-1-91 पूर्व में विद्युतीकृत घोषित है परन्तु इस गांव में कोई भी कनेक्शन नहीं हुये हैं। पंचायत समिति, देवगढ़ में 9 गांव अविद्युतीकृत हैं एवं एक गांव रत्नागुढ़ा कोड संख्या 20-2-110 पूर्व में विद्युतीकृत घोषित है लेकिन रत्नागुढ़ा में भी कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है। पंचायत समिति देवगढ़ में निम्नांकित 9 गांव अविद्युतीकृत हैं : -

1.	चक कालागुन	20/2/7
2.	सुलिया	20/2/107
3.	बेरावास	20/2/78
4.	लालजी का खेड़ा	20/2/74
5.	ज्वारजी का खेड़ा	20/2/127
6.	सुरजीका खेड़ा	20/2/111
7.	डोडिया खेड़ा	20/2/112
8.	सांगावास	20/2/43
9.	हिराकीबस्ती	20/2/52

(2) वर्तमान में विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से 18 ग्रामों में ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) कनेक्शन की मांग आने तथा मांग-पत्र की राशि जमा होने पर ट्रान्सफार्मर लगा दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

उदयपुर संभाग की विद्युत व्यवस्था हेतु विद्युत कर्मियों की नियुक्ति

441. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) उदयपुर संभाग में हुए विद्युतीकरण की व्यवस्था के संचालन हेतु कितने-कितने पदों की मानदण्डानुसार आवश्यकता है जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संभाग में निर्धारित मानदण्डानुसार कितने कर्मियों की आवश्यकता है ? क्या विभाग मानदण्डानुसार विद्युत कर्मियों की भर्ती करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पदों के सृजन के मानदण्ड वर्ष 1969 में बनाये गये थे जो अब के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया अव्यवहारिक हो चुके हैं तथा इनमें भारी परिवर्तन की आवश्यकता है मुख्यतः कम्प्यूटरीकरण के कारण भी पुराने मानदण्ड वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रसंगहीन हो चुके हैं और उनको लागू किया जाना समीचीन नहीं है। बदली परिस्थितियों में कई पदों की आवश्यकता नहीं रही है। उदयपुर संभाग में हुए विद्युतीकरण की व्यवस्था के संचालन हेतु जितने पदों की आवश्यकता है उतने पद पूर्व में स्वीकृत हैं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार पद स्वीकृत भी किए जाते हैं। यह आवश्यक है कि कुछ बड़े नगरों में कर्मचारी आवश्यकता से अधिक लग जाते हैं जबकि दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में कमी बनी

(ऊर्जा मंत्री)

रहती है। कर्मचारी प्रायः दूर गांवों से बड़े शहरों में स्थानान्तरण कराने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहते हैं जिससे कई बार व्यवस्था बिगड़ जाती है।

(2) चूंकि पुराने मानदण्ड बदली परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रसंगहीन हो चुके हैं और इनमें महत्ती संशोधन की आवश्यकता है। अतः उक्त मानदण्ड के अनुसार विद्युत कर्मियों की आवश्यकता का आंकलन किया जाना उचित नहीं है। मण्डल की वर्तमान आर्थिक स्थिति के मध्य नजर नये पदों का सृजन कर उन पर भर्ती कर संस्थापन व्यय में बढ़ोतरी किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नये विद्युत कर्मियों की भर्ती का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कार्य भार के अनुरूप जिन पदों का सृजन आवश्यक समझा जाता है उनका सृजन भी मण्डल द्वारा समय-समय पर किया गया है। कार्य की आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानों से विद्युत श्रमिक लगाकर या कार्य को ठेके पर देकर विद्युत व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

442. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत सभी ग्राम, मजरे एवं डिस्मेंटल लाइन वाले ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो कब?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत सभी स्वीकृत 372 ग्रामों में से 329 ग्रामों को माह फरवरी, 1997 तक विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है, जिनमें से आंधी-तूफान से क्षतिग्रस्त 3 ग्रामों की लाइनों का कार्य पूरा किया जाना शेष है। उक्त विद्युतीकृत गांवों में 16 गैर आबाद वाले ग्राम जो विद्युत तन्त्र से घिरे हुये हैं, उनमें मांग आने पर मण्डल द्वारा विद्युत लाइन खींच कर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। पर्याप्त बजट प्रावधान की भी इसमें विशेष भूमिका होती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को विद्युत कनेक्शन

443. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) गत तीन वर्षों में राजस्थान में कृषकों को कुल कितने विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ?

(2) उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को कितने कनेक्शन उपलब्ध कराये गये ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कनेक्शन किस-किस योजना में उपलब्ध कराये गये हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि में क्रमशः 25429,

(ऊर्जा मंत्री)

25208 व 25001 यानि कुल 75638 कृषि कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

(2) विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को 9460 कृषि कनेक्शन दिये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। पिछले दो वर्षों में लक्ष्य मुख्य रूप से संख्या पर आधारित नहीं होकर तिथि पर आधारित रहे हैं। मोटे रूप में अधिकांश जिलों में सामान्य श्रेणी में मार्च, 1983 तक के कनेक्शन इस वर्ष दिये जा रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मार्च, 1995 तक के कनेक्शन इस वित्तीय वर्ष में दे दिये जायेंगे। इस प्रकार मोटे रूप में आरक्षित श्रेणी के कनेक्शन करीब 12 वर्ष आगे चल रहे हैं।

सामान्य श्रेणी में जहां मार्च-96 तक 2,57,028 प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे वहां अनुसूचित जाति के 4099 प्रार्थना-पत्र ही विचाराधीन थे। लम्बित प्रार्थना-पत्रों की दृष्टि से इन दोनों वर्षों में जहां सामान्य श्रेणी में लगभग 18% को कनेक्शन दिये गये हैं वहीं अनुसूचित जाति के लगभग 70 प्रतिशत को कनेक्शन देने के आदेश दिये गये हैं।

(3) वर्ष 1993-94 में केवल सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं जबकि वर्ष 1994-95 व 1995-96 में सामान्य श्रेणी के अलावा नर्सरी श्रेणी में भी कनेक्शन दिये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल नगर (भरतपुर) के मृत अभियंता के आश्रितों का नियुक्ति प्रकरण

444. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में अपनी सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा व किसी अन्य आश्रित को मंडल की सेवा में लेने के नियम/आदेश है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मृतक कर्मचारी की विधवा को मंडल की सेवा में लेते समय विधवा की शैक्षणिक योग्यता इत्यादि का ध्यान भी रखा जाता है अथवा उसे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर ही नियुक्त दी जाती है ?

(3) क्या श्री के.के. शर्मा जो मंडल के सहायक अभियंता (प्रावि. निगम) नगर (भरतपुर) के कार्यालय में इलेक्ट्रीशियन तृतीय के पद पर कार्यरत थे, की मृत्यु दिनांक 9.4.1984 को हो गई थी ?

(4) क्या उक्त श्री शर्मा की मृत्यु पर उनकी विधवा श्रीमती सुनीता शर्मा जो एक आयुर्वेद रत्न (जिनकी मान्यता ग्रेजुएट के बराबर है) पास थी मंडल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही नियुक्ति दी गई, जबकि श्रीमती शर्मा कनिष्ठ लिपिक की, नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता रखती थी ?

(5) क्या मंडल श्रीमती शर्मा को कनिष्ठ लिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से नियुक्ति देने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आदेश दिनांक 22/24-1-1975 की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, शैक्षणिक योग्यता एवं रिक्त पदों की उपलब्धता दोनों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति दी जाती है। इन्हें कनिष्ठ लिपिक के पद पर भी काफी संख्या में लगाया गया है।

(3) जी हां।

(4) श्रीमती सुनीता शर्मा ने अधिमानता के आधार पर जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अनुत्तीर्ण अंकित की गई थी। अतः श्रीमती शर्मा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही नियुक्ति प्रदान की गई जो नियमानुसार थी।

(5) श्रीमती शर्मा को आदेश दिनांक 20.10.84 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर अधिमानता के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। सहायक अभियन्ता (वितरण-प्रथम) राराविमं., भरतपुर के कार्यालय में उपलब्ध उनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार श्रीमती शर्मा ने हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 1986 में मण्डल में नियुक्ति लेने के बाद उत्तीर्ण की थी। सामान्यतया एक बार नियुक्ति के पश्चात् शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्वतः ही पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु विधवा की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कनिष्ठ लिपिक के पद पर लगाने के बारे में विचार किया जाएगा।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

पाली जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति बेड़ा का बकाया वसूली प्रकरण

445. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति शाखा बैंक के अधिकारियों द्वारा एक कृषक महिला द्वारा बीज के लिए लिये गये ऋण की फर्जी बकाया निकाल कर उसके फार्म हाउस की कथित कुर्की करने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उक्त कृषक महिला द्वारा वास्तव में कितना ऋण लिया गया और उस पर कितनी राशि शेष रही ?

(2) क्या यह सही है कि कृषक राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण ने उक्त प्रकरण की जांच के लिए उप रजिस्ट्रार पाली को निर्देश दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि उप रजिस्ट्रार पाली ने अपने निर्णय में बैंक अधिकारियों को दोषी मानते हुये उक्त राशि बैंक अधिकारियों से वसूली करने के भी निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि बैंक अधिकारियों द्वारा जमा करवा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कृषक राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण के निर्णय के बावजूद उक्त महिला को अपनी जमीन नहीं मिल पाई है और उस द्वारा कथित

(श्री विष्णु मोदी)

कुर्की की कार्यवाही के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील भी दायर की गई है ? यदि हां, तो क्या बैंक अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय को इस सम्बन्ध में वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 8.6.93 द्वारा उप रजिस्ट्रार, पाली को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) माननीय सहकारी न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 8.6.93 द्वारा उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली को रिमाण्ड किये गये केस पर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली ने दिनांक 17.4.95 को पुनः निर्णय पारित किया, जिसमें श्रीमती इन्द्रा देवी को उत्तरदायी ठहराया गया। तत्पश्चात् केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिनांक 1.7.95 को श्रीमती इन्द्रा देवी की भूमि नीलाम कर दी गई। उक्त महिला द्वारा कुर्की की कार्यवाही के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के कोई अपील की गई हो, इसकी सूचना विभाग में अब तक प्राप्त नहीं हुई है। बैंक में भी उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से संबंधित कोई सूचना अब तक उपलब्ध नहीं हुई है इसलिये उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं। श्रीमती इन्द्रा देवी द्वारा न्यायालय शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 128 के अन्तर्गत निगरानी याचिका दायर की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है। राज्य सरकार की ओर से किसी भी अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

पंचायत समिति टोडाभीम (सवाई माधोपुर) के रिक्त पद प्रकरण

446. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति टोडाभीम में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 60 पद रिक्त हैं और जिला परिषद सवाईमाधोपुर शिक्षकों के चयन के लिए विज्ञप्ति निकालता है, पर नियुक्ति नहीं देता ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार पूरे राज्य में आवेदन करने की एक मेरिट बनाने विचार रखती है और जब तक समस्त बेरोजगारों को रोजगार न मिले तब तक क्या सरकार नई विज्ञप्ति नहीं निकालने का भी विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति टोडाभीम में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के मात्र 13 पद रिक्त हैं। जिला परिषद द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती रही है। वर्ष 1994-95 में जारी की गई विज्ञप्ति में से चयन सूची के क्रमांक 476 तक के आशार्थियों को पंचायत समिति में नियुक्ति हेतु आवंटन किया गया तथा उपस्थित हुए सभी आशार्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी हैं। वर्ष 1995-96 में रिक्त हुए पदों के विरुद्ध विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। मेरिट सूची बनाई जाकर शीघ्र नियुक्ति दे दी जायेगी।

(2) जी नहीं।

जिला परिषदों/पंचायत समितियों में नियुक्ति हेतु फर्जी दस्तावेजात प्रकरण

447. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में वर्ष 1992-93 से 1996-97 के माह नवम्बर, 1996 तक पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में फर्जी डिग्री/फर्जी दस्तोवज के आधार पर अध्यापक/अध्यापिका की नौकरी प्राप्त करने वाले कितने मामले जांच के उपरान्त पाये गये ? जिलेवार पंचायत समिति व अध्यापक/अध्यापिका का नाम मय स्थायी पता विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 1992-93 से 1996-97 के माह नवम्बर, 1996 तक पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में फर्जी डिग्री/फर्जी दस्तावेजात के आधार पर जांच के उपरान्त पकड़े गये कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं की विभागीय कार्यवाही के दौरान सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई ? अध्यापक/अध्यापिका का नाम मय स्थायी पता के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में वर्ष 1992-93 से 1996-97 के माह नवम्बर, 1996 तक पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के फर्जी डिग्री/फर्जी दस्तावेजात के आधार पर जांच के उपरान्त पकड़े गये कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध राज्य के पुलिस थानों में कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरान्त अनुसंधान का नतीजा क्या रहा ? जिलेवार, पुलिस थानावार, अभियुक्त का नाम, गिरफ्तारी का दिनांक, अभियुक्त का स्थानीय पता, नतीजा सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1992-93 से 1996-97 के माह नवम्बर, 1996 तक पंचायत समितियां एवं जिला परिषदों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर कुल 602 मामले जांच के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के नौकरी प्राप्त करने हेतु पकड़ में आये। जिलेवार, पंचायत समितिवार अध्यापक/अध्यापिका नाम मय स्थायी पता के विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(58)

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

(2) राज्य में वर्ष 1992-93 से 1996-97 के माह नवम्बर, 1996 तक पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में फर्जी डिग्री/फर्जी दस्तावेजात के आधार पर जांच के उपरान्त कुल 498 अध्यापक/अध्यापिका की विभागीय कार्यवाही के दौरान सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गई। अध्यापक/अध्यापिका का नाम मय स्थायी पता के विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) राज्य में वर्ष 1992-93 से वर्ष 1996-97 के माह नवम्बर, 1996 तक पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में फर्जी डिग्री/फर्जी दस्तावेज के आधार पर जांच के उपरान्त पकड़े गये कुल 433 अध्यापक/अध्यापिकाओं के विरुद्ध राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई। अनुसंधान का नतीजा जिलेवार पुलिस थानावार अभियुक्त का नाम, गिरफ्तारी का दिनांक, स्थानीय पता संबंधी विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु निर्धारित मानदण्ड

448. **श्री रूपाराम (मकराना)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सचिव पद (ग्राम सेवक) की प्रतियोगिता हेतु कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला नागौर में पंचायत सचिव, ग्राम सेवक के पद हेतु जिले के मूल निवासी वंचित रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिला नागौर में ग्राम सेवकों के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में कितने पद थे व कितने अभ्यर्थियों द्वारा फार्म भरे गये उसमें से नागौर के कितने अभ्यार्थी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम सेवक एवं सचिव ग्राम पंचायत के पदों पर भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का पंचायती राज अधिनियम, 1994 में प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) नागौर जिले में 116 रिक्त पद विज्ञापित किये गये थे, जिसके विरुद्ध कुल 17569 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 8467 आवेदन-पत्र नागौर जिले के अभ्यर्थियों के हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति दौसा के अध्यापकों का नियुक्ति प्रकरण

449. **श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)** :

(श्री हरिसिंह)

क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दौसा में कुछ ऐसे अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जिन्होंने राजस्थान से बाहर के विश्वविद्यालयों से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण की है ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इस प्रकार की कितनी नियुक्तियां दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाहर के विश्वविद्यालयों से बी.एड. की डिग्रीधारी अध्यापकों की डिग्रियों का संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापन करवाया जाता है? यदि हां, तो क्या पंचायत समिति दौसा में नियुक्त अध्यापकों की बी.एड. की डिग्रियों का सत्यापन करवा लिया गया है ? यदि हां, तो प्रमाणित सत्यापनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अभी भी कुछ अध्यापकों की डिग्रियों की जांच चल रही है ? यदि हां, तो जांच किये जा रहे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान से बाहर के विश्वविद्यालयों से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण 26 अध्यापकों को नियुक्ति दी गई। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। पंचायत समिति, दौसा में नियुक्त 15 अध्यापकों की बी.एड. डिग्रियों का सत्यापन करवा लिया गया है, शेष के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को लिखा जा चुका है एवं उनसे सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज संस्थाओं के सूचना के अधिकार हेतु गठित समिति प्रकरण

450. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 5 अप्रेल, 1995 को पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर विकास व्यय के दस्तावेजों की फोटो प्रति शुल्क देकर पाने के जनता के अधिकार संबंधी कोई घोषणा के व्यवहारिक उपाय सुझाने के लिये जून, 1996 से एक समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो उस समिति के कौन-कौन सदस्य थे ?

(2) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक पेश कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 5.4.95 को राजस्थान विधान सभा

58

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

में यह घोषणा की थी कि विकास कार्यों में हो रही गड़बड़ी की जानकारी आम जनता को हो सके तथा यदि कोई जानकारी लेना चाहे तो फोटो कापी कीमत देकर प्राप्त कर सकता है। माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा की अनुपालना में दिनांक 6 अप्रेल, 1996 को निर्देश जारी किये गये तथा व्यवहारिक उपाय सुझाने के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य थे :-

1. अति. मुख्य सचिव, अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त, सदस्य
3. निदेशक आइडी एस, सदस्य
4. सचिव, विशिष्ट योजना संगठन विभाग, सदस्य
5. जिला प्रमुख पाली, सदस्य
6. निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सदस्य सचिव

(2) जी हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को 20.8.96 को दे दी है। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समितियों में अध्यापकों/ग्राम सेवकों के रिक्त पद

451. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में अध्यापकों व ग्राम सेवकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने पद कब-कब से ? जिलेवार व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने लम्बे समय तक पद खाली रहने के क्या कारण हैं तथा इन्हें अब कब तक भर दिया जायेगा और आईन्दा पद खाली नहीं रहे, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अध्यापकों के शिक्षा विभाग में चले जाने एवं सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण पद रिक्त हो जाते हैं। वर्ष 1996-97 की रिक्तियों के लिए राज्य की जिला परिषदों में विज्ञापन जारी किये हुए हैं तथा चयन सूची बनाई जाकर नियमानुसार शीघ्र नियुक्तियां कर दी जायेगी। ग्राम सेवकों के सेवानिवृत्त एवं पदोन्नति के कारण पद रिक्त होते हैं। पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र नियमानुसार पद भर दिये जाते हैं। पद रिक्त होने पर समय-समय पर नियमानुसार नियुक्तियां कर दी जाती हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्ति

452. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वित्तीय वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक सहायता पेंशन, प्रसूति सहायता योजना, ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना तथा राष्ट्रीय या पोषाहार कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया गया ? लाभान्वित एवं लाभ से वंचित व्यक्तियों के नाम, पते मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य के प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय

453. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996-97 में कुल कितने नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य था और उनमें से कितने खोले जा चुके हैं ? बकाया विद्यालय कब तक खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितिवार वर्ष 1996-97 में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1996-97 में कुल 500 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक 417 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

जिला नागौर की पेइंग गेस्ट योजना

454. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नागौर जिले में पेइंग गेस्ट योजना लागू की गई है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है? योजना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना को किस प्रकार कब से लागू की जायेगी तथा विभाग की इसमें क्या भूमिका होगी ?

(3) राज्य में किस-किस स्थान पर यह योजना कब -कब से लागू है तथा इसका उद्देश्य क्या है तथा उद्देश्य में सफलता किस सीमा तक प्राप्त हुई है ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई आदेश जारी किए हैं ? यदि हां, तो

(श्री हरजीराम बुरडक)

उक्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को सस्ते एवं स्वच्छ आवास उपलब्ध कराना है। यह एक स्वैच्छिक सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं पर्यटकों को घर जैसी आवास सुविधा उपलब्ध कराने की पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना है, योजना की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत कोई भी मकान मालिक निश्चित शर्तों/ दिशा निर्देशों की पालना करने में सहमत होने पर अपने आवास का पंजीकरण हेतु निर्धारित फार्म भरकर प्रस्तुत करते हैं एवं मकान का निरीक्षण कर इस हेतु गठित समिति की सिफारिश पर पंजीकरण किया जाता है। परिशिष्ट "क" पर दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध है।

पर्यटकों की सुविधा के लिए विभाग ऐसे पंजीकृत आवासों की सूची तैयार कर पर्यटकों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है।

(3) (1991) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर (1992) बीकानेर, चित्तौड़गढ़, आबू पर्वत, अजमेर, पुष्कर, जैसलमेर (1995) बून्दी, कोटा, भरतपुर, अलवर (1996) बाड़मेर, (1997) झुन्झुनूं, नागौर। इस योजना के उद्देश्यों का उल्लेख प्रश्न सं. 1 के उत्तर में दिया जा चुका है तथा इस योजना से पर्यटकों की आवास समस्या सुलझाने में काफी सफलता मिली है और स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं।

(4) जी हां। दिशा निर्देशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा पंजीकृत समाचार पत्र

455. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जन सम्पर्क निदेशालय की मान्यता सूची में प्रदेश व बाहर के कितने समाचार पत्र पंजीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कितनी राशि के विज्ञापन बाहरी व प्रदेश के समाचार पत्रों को दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त अवधि में कितने समाचार पत्रों की मान्यता किस आधार पर समाप्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विज्ञापन नियम, 1962 का विधेयक पास किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ? राज-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य के कितने समाचार पत्रों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दर्ज हुये ? पी.आर.बी.एक्ट होने के बावजूद उक्त मुकदमे क्यों दर्ज किये गये ?

(6) समाचार पत्रों को श्रेणीबद्ध किस आधार पर किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) जिले से निकलने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाने के आधार क्या हैं ? क्या एक जिले से प्रकाशित समाचार पत्रों को दूसरे जिले के विज्ञापन दिये जाते हैं? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(8) क्या सरकार छोटे व मंझोले समाचार पत्रों के उत्थान के लिए कोई नई नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त पत्रों की सूची परिशिष्ट - 1 पर है। प्रदेश के बाहर के पत्रों को विज्ञापन हेतु मान्यता नहीं दी जाती है, अपितु आवश्यकतानुसार डी.ए.वी.पी. के मान्यता प्राप्त पत्रों को विज्ञापन जारी किये जाते हैं। इनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों का विवरण परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा जिन समाचार पत्रों की विज्ञापन हेतु मान्यता निरस्त की गयी है। उनकी सूची परिशिष्ट-4 पर कारणों सहित संलग्न है।

(4) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन नियम बनाये गये हैं।

(5) विभाग द्वारा 3 दैनिक समाचार पत्रों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। गलत प्रसार दावा घोषित कर धोखाधड़ी से विज्ञापन प्राप्त कर राजकोष को हानि पहुंचाने के कारण भा. द.सं. के तहत प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।

(6) समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापन नियम-1962 के तहत श्रेणीबद्ध किया जाता है। जिनकी प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(7) जिले से निकलने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापन का उद्देश्य, एरिया तथा कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुये विज्ञापन दिये जाते हैं। रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित विज्ञापन सीमा पूरी हो जाने के पश्चात् या अधिक प्रचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये निकटवर्ती जिले व दूसरे जिले के समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं।

(8) जी हां। विज्ञापन नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम खटवा (लालसोट) की परिवहन व्यवस्था

456. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार लालसोट तहसील के आदर्श गांव को ध्यान में रखते हुये पंचायत

(श्री हीरालाल मीणा)

मुख्यालय को निगम परिवहन बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम खटवा को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या निर्णय रहा ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न में लालसोट तहसील के आदर्श ग्राम का नाम अंकित नहीं है तथापि निगम द्वारा तहसीलदार, लालसोट से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि वर्ष 1996-97 के लिए लालसोट तहसील क्षेत्र में आदर्श गांव के रूप में राजोली ग्राम चयनित किया गया है। उक्त ग्राम लालसोट कस्बे की सीमा के साथ ही जुड़ा हुआ है जो लालसोट बस स्टेण्ड से मात्र 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। उक्त ग्राम के यात्री लालसोट बस स्टेण्ड से ही विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं। लालसोट कस्बा निगम की निम्न मार्गों की बस सेवाओं से पूर्व से ही जुड़ा हुआ है : -

1. जयपुर-गंगापुर वाया दौसा-लालसोट
2. जयपुर-सवाईमाधोपुर वाया दौसा - लालसोट
3. जयपुर-बस्सी-तुंगा-लालसोट

(2) ग्राम खटवा को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 2.3.94 को सर्वे कराया गया था जिसकी प्रति परिशिष्ट - "क" पर उपलब्ध है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने दिनांक 16.3.96 को तुंगा से लालसोट मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को जारी अनुज्ञापत्रों पर लालसोट से खटवा ग्राम 10 किमी. की वृद्धि स्वीकार करते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अपनी बसें ग्राम खटवा तक चलाने के निर्देश प्रदान किये हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को तुंगा से लालसोट मार्ग हेतु जारी अनुज्ञापत्र संख्या 387, 388, 389, 468 तथा 469 में दिनांक 27.3.96 को लालसोट से खटवा ग्राम तक सेवा प्रदान करने हेतु वृद्धिकरण का इन्द्राज किया गया।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

प्रदेश में अवैध वाहन संचालन से निगम को क्षति

457. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज संचालन व लाभ क्षेत्र देश में प्रथम है ? यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों के लाभ का विवरण, पूंजी निवेश, स्टाफिंग, पैटर्न आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1996 में रोडवेज किराये में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और उससे एक वर्ष में आय में

(श्री रामपाल उपाध्याय)

कितनी वृद्धि होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रदेश में प्रतिदिन अवैध परिवहन होता है ? यदि हां, तो इससे राज्य को कितने राजस्व की क्षति होती है ? क्या सरकार इसे नियमित किये जाने या रोके जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस तरह और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम लाभ के क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में देश में प्रथम और वर्ष 1993-94 एवं 1995-96 में द्वितीय स्थान पर रहा है। लाभ में रहने के मुख्य कारण निम्न हैं : -

1. अवैध बस संचालन पर प्रभावी कार्यवाही।

2. निगम की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन कर त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था करना।

3. आगार स्तर को लाभ की इकाई माना जाना।

4. आगारों के लिए प्रत्येक माह के लाभ हानि के लक्ष्यों का निर्धारण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास।

5. कार्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित योजना जुलाई, 1991 से प्रारम्भ।

6. राज्य सरकार एवं आगार स्तर पर लक्ष्य का निष्पादन।

गत तीन वर्षों का लाभ व संचालन का विवरण निम्नानुसार है : -

वर्ष	1993-94	1994-95	1995-96
1) लाभ (लाख रुपयों में)	2380.16	2339.36	882.85
2) संचालन (लाख कि.मी.में)	4164.79	4597.68	4953.30

(2) विगत तीन वर्षों के लाभ का विवरण, पूंजी निवेश स्टाफिंग पैटर्न का ब्यौरा परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिनांक 21.11.96 से निगम द्वारा किराये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि लगभग 18% है। इस किराया वृद्धि से निगम को लगभग 70 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होगा। जिससे ईंधन, टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य संसाधनों की बढ़ी हुई दरों की प्रतिपूर्ति हो सकेगी।

(4) जी हां। वाहनों के अवैध संचालन से होने वाली क्षति गणनीय नहीं है, क्योंकि अवैध वाहनों का कोई मार्ग व समय निश्चित नहीं होता है, फिर भी अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा अवैध वाहनों के संचालन को रोकने बाबत समय-समय पर चैकिंग की जाती है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

हिण्डौन डिपों की बसों का पुनर्संचालन प्रकरण

458. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला सवाईमाधोपुर में निगम के

(64)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कुल कितने डिपो हैं, उक्त डिपो में कितनी बसें हैं, उनमें से कितनी चालू हालत में व कितनी बन्द हैं ? बन्द पड़ी गाड़ियों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(2) निगम के हिण्डौन डिपो की कौन-कौन सी बसें कहां-कहां जाती हैं ? वर्ष 1994 से 1996 तक कितनी बसें चली तथा कितनी बन्द कर दी गई ? क्या सरकार बन्द की गई बसों को पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में निगम का एक ही आगार-हिण्डौन में कार्यरत है। वर्तमान में उक्त आगार में 100 वाहनें हैं, जिनमें से 8 वाहनें आगार कार्यशाला में सामयिक मरम्मत हेतु एवं 5 वाहनें केन्द्रीय कार्यशाला में भारी मरम्मत हेतु ऑफरोड हैं। शेष 87 वाहनें चालू हालत में हैं।

(2) निगम के हिण्डौन आगार द्वारा आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, देहली, मेरठ, मथुरा, सौरोंजी, ग्वालियर, सोनागिरी, अलीगढ़, सहारनपुर, अन्तरराज्यीय मार्गों तथा भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, पदमपुरा, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, नाकोड़ा, लाडनूं, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, तिजारा, अन्तर आगारीय मार्गों पर एवं महावीरजी, करौली, कैलादेवी, महुआ, टोडाभीम, गंगापुर, मासलपुर, बालाजी, बामनवास, सपोटरा, राजगढ़, जगर, बयाना, वजीरपुर, रामपुरा, नगर मोठियापुर, खेड़ली, भुसावर, वैर, बागौर, गुढ़ाचन्द्रजी, नादौती, मण्डावर, सुरोठ, मूंडिया आदि आगारीय मार्गों पर वाहन संचालित की जा रही हैं।

हिण्डौन आगार द्वारा संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्ष 1994 से 1996 तक निम्न मार्गों की बस सेवाएं उनके आगे अंकित कारणों से बन्द की गई थीं : -

1. हिण्डौन -गंगापुर -बांदीकुई

पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण अलवर आगार द्वारा इस मार्ग पर उपलब्ध यात्रीभार के अनुरूप 4 बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

2. हिण्डौन-मूंडिया

इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन वर्षाकाल में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण माह जून, 1996 से बन्द कर दिया गया था, जिस पर दिनांक 27.1.97 से पुनः वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

3. बालाजी-टोंक

इस मार्ग पर वर्षाकाल में मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बस सेवा का संचालन जुलाई, 94 से सितम्बर, 94 तक तथा अगस्त, 95 से 15 दिसम्बर, 95 तक बन्द रहा था तथा फरवरी, 96 से आय कम आने के कारण संचालन बन्द किया गया था। दि. 15.1.97 से इस सेवा का संचालन पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

शेष मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन यथावत जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर में निगम बसों का संचालन

459. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के रोडवेज डिपो में बसों की कमी है ? यदि हां, तो कितनी बसों की ?

(2) क्या सरकार बसों की कमी को दूर करने के लिए निजी बसों को अनुबन्धित किए जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिन मार्गों पर वर्षों से रोडवेज की बसें संचालित होती थीं, उन्हें बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) जी हां। डूंगरपुर आगार में तीन वाहनों की कमी है। दो निजी अनुबन्धित वाहने आगार में पूर्व से संचालित हैं। निजी वाहनों का अनुबन्ध हेतु विकल्प निगम में खुला हुआ है।

(3) जी नहीं।

जिला नागौर के राष्ट्रीयकृत मार्ग

460. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला नागौर में कौन-कौन से मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं ? क्या बोरावड़ से तरनाऊ वाया बड़ी खाटूमार्ग राष्ट्रीयकृत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व सरकार इस मार्ग को कब तक राष्ट्रीयकृत करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या पुष्कर से तरनाऊ वाया डेगाना सांजू रोड राष्ट्रीयकृत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी वाहनों को अस्थायी परमिट देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

(4) क्या यह सही है कि अस्थायी परमिट में यात्रियों की सूची, पता, समय, मार्ग व समयावधि का अंकन किया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि स्थायी रूट परमिट की बसों को भी अस्थायी परमिट लेने पर उनके नियमित ट्रिप के रद्द कर देने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या नागौर जिले की परबतसर तहसील व जिले में स्थायी रूट परमिट से चलने वाली बसों को अस्थायी परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसके आधार क्या रहे ?

(6) परबतसर नागौर वाया खाटू तरनाऊ एवं मकराना नागौर वाया खाटू तरनाऊ एवं वाया कुचेरा मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा कितने निजी वाहनों एवं निगम वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं तथा वहां कितने वाहन संचालित हो रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त मार्गों पर निजी वाहनों परमिटों के अनुरूप

(श्री राकेश मेघवाल)

ही संचालित हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में निम्न राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं : -

1. नागौर से सीकर वाया डीडवाना
2. नागौर से जयपुर वाया डीडवाना कुचामन नावां
3. नागौर से अजमेर वाया मेड़ता
4. नागौर से जोधपुर
5. नागौर से बीकानेर
6. नागौर से फलौदी वाया चाड़ी

बोरावड़ से तरनाऊ वाया बड़ी खाटू मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। निगम के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने का विचार नहीं रखती।

(2) पुष्कर से तरनाऊ वाया डेगाना सांजू रोड राष्ट्रीयकृत नहीं है। निगम के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने का विचार नहीं रखती।

(3 व 4) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1), 88 (7) और 88 (8) में वाहनों को अस्थायी अनुज्ञापत्र दिये जाने का प्रावधान है। धारा 88 (8) के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले स्पेशल/अस्थायी अनुज्ञापत्रों में यात्रा मार्ग का अंकन किया जाकर यात्री सूची एवं यात्रा कार्यक्रम का विवरण संलग्न किया जाता है।

(5) स्थायी रूट परमिट की बसों द्वारा अस्थायी परमिट लेने पर उनके नियमित ट्रिप रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। नागौर जिले की परबतसर तहसील व जिले में स्थायी रूट परमिट पर चलने वाली बसों को मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत वैवाहिक और पर्यटन दलों की यात्रा हेतु अस्थायी परमिट दिए गए हैं।

(6) इन मार्गों पर जारी परमिट और संचालित वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

मार्ग	रा.रा.प. परि निगम को		निजी वाहनों	
	जारी परमिट	संचालित वाहन	जारी परमिट	संचालित वाहन
1. परबतसर-नागौर वाया खाटू, तरनाऊ	-	-	5	5
2. मकराना से नागौर-वाया खाटू तरनाऊ	-	-	7	7
3. मकराना-नागौर वाया कुचेरा मार्ग	3	संचालित नहीं	11	11

(7) उपर्युक्त मार्गों पर वाहन अनुज्ञापत्र के अनुरूप संचालित हो रहे हैं, तथापि अनुज्ञापत्रों की शर्तों के उल्लंघन के कारण वर्ष 1995-96 और 1996-97 में दोषी संचालकों के विरुद्ध क्रमशः 7 और 15 चालान बनाए गये हैं।

पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के निर्माण कार्य

461. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 1991 से 1996 तक कितने और कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये नाम, स्थान, व्यय की गई राशि, अवधि, सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग के पास निर्माण कार्यों के प्रस्तावों की कोई सूची विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य ? प्रस्तावित राशि, स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इस सूची में बोराज के पास ब्राह्मणी नदी पर पुलिया निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी अब क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ के माध्यम से वर्ष 1991-96 तक 16 कार्य पूर्ण कराए गए, एक कार्य प्रगति पर है तथा शेष 7 हैण्डपम्प निर्माण कार्यों का बेंधन विभाग की रिंग से नहीं हो पाया। स्थान का नाम, व्यय की गई राशि तथा अवधि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के दो प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए थे। जिनमें बोराव के पास ब्राह्मणी नदी पर पुलिया निर्माण करने के प्रस्ताव एवं पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में ही भूंकर तालाब निर्माण का भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। वित्तीय संसाधन के अभाव में अभी तक ये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के भवन विहीन औषधालय

462. **श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)** : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने आयुर्वेद औषधालय हैं और उनमें ऐसे कितने औषधालय हैं जहां भवन नहीं हैं ? क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन रहित आयुर्वेदिक औषधालयों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या कार्यरत आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाएं एवं अन्य आवश्यक सामान मुहैय्या करवाया जाता है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले के बामनवास विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में 24 आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत व संचालित हैं। इनमें से केवल एक औषधालय "सुकार" में अस्थायी भवन

(राज्य मंत्री आयुर्वेद)

व्यवस्था है, शेष सभी में पर्याप्त भवन व्यवस्था है।

सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) जी हां। भवन निर्माण हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को लिखा गया है।

(3) जी हां। औषधालयों को उनकी गत वर्ष की उपलब्ध रोगी संख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभागीय रसायनशालाओं से निर्मित एवं उपलब्ध औषधियां अनुपातिक आधार पर भेजी जाती हैं। फर्नीचर, सर्जीकल सामान व अन्य आवश्यक सामान, उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के अनुरूप औषधालयों को मुहैय्या करायी जाती हैं। वर्ष 1996-97 में सप्लाई की गयी औषधियों की राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

अता. प्रश्न सं. 463

(स्थगित)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : (1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर विकास न्यास में अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन नहीं होने के कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी एवं जिला दुग्ध संघों का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने सम्बन्धी अनुबन्ध पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोतीलाल खरेरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुआं सुधार योजना में कथित फर्जी भुगतानों की जांच करवाएं जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले के फलासिया, तहसील झाड़ोल एवं सायरा, तहसील गोगुन्दा में उप तहसील कार्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद चिकित्सक के पदों पर प्रदेश के आयुर्वेद स्नातकों को ही नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) डा. मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं के सेठ मोतीलाल कालेज में जीव विज्ञान शुरू करने एवं अनुदान राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

अब आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। दलीचन्दजी, आपको कुछ कहना है ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में गढ़ी थानान्तर्गत अर्थना चौकी के हैड कांस्टेबल ने वहां के एक आदिवासी व्यक्ति के साथ मारपीट करने और यातनाएं देने के बाद उस व्यक्ति को पेशाब पिलाया। उसके बाद उस आदमी के साथ मारपीट की। वह आदमी आज की तारीख में पागल हो गया है। इस मामले में बांसवाड़ा में बहुत तनाव फैला हुआ है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि उक्त थाने के सिपाही व हैड कांस्टेबल के विरुद्ध जांच, उच्च स्तर पर या कोई दल भेजकर करवाएं और दोषी हैड कांस्टेबल और सिपाहियों को तत्काल सस्पैण्ड कराने की व्यवस्था करें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना का वर्णन दानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है उस घटना की जानकारी मुझे मिल चुकी है और प्राथमिक जानकारी के अनुसार जिस तरह से इसको सनसनीखेज बताया गया है, वैसी घटना तो नहीं है लेकिन मैंने उस प्राथमिक जानकारी के बावजूद उदयपुर के डी.आई.जी. को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वह स्वयं जाकर सारी घटना की जांच करें, आवश्यक कार्यवाही करें, दण्डित करें और उसकी रिपोर्ट तुरन्त मुझे भिजवाएं।

श्री दलीचन्द : उदयपुर डी.आई.जी. का रिश्तेदार होने के नाते वह उस हैड कांस्टेबल को बचाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यह कल की रिपोर्ट है। मैं आज सुबह ही आया हूं वहां से। सारे के सारे उसे बचाने में लगे हुए हैं। इसलिये उदयपुर रेंज का आदमी न भेजकर जयपुर का कोई आदमी भेजकर उसकी जांच करवायी जाए। वह हैड कांस्टेबल डी.आई.जी. का रिश्तेदार है इसलिए वह निष्पक्ष जांच नहीं करेगा, वह भी उसको बचाएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, रिश्तेदार है वह।

श्री कैलाश मेघवाल : यह भी पता लगा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दहेज प्रकरण के बारे में बोलना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की रेखा नाम की लड़की वासुदेव सोनी की लड़की है। उसका विवाह 11 नवम्बर, 1995 को जयपुर निवासी कन्हैया लाल पुत्र श्री जानीमल के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह जयपुर में सम्पन्न हुआ। उस वासुदेव सोनी ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी लड़की का विवाह किया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसको सदन बड़े ध्यान से सुनेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लड़की के साथ कितना अन्याय हुआ, मैं आपको सारे चित्र बताऊंगी उसके। उसका ब्याह होने के पश्चात् उस लड़की के साथ इतना अत्याचार किया गया, उसको बुरी तरह से मारते पीटते मगर अपनी संस्कृति के हिसाब से उस लड़की ने अपने घर जाकर ऐसी कोई बात नहीं बतायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

चाहती हूं कि उस लड़की को बुरे तरीके से पीटा उसके ससुराल वालों ने, उसके देवर, उसके जेठ ने। फिर एक दिन ऐसी स्थिति आ गयी कि छह-सात सितम्बर, 1996 को रात्रि 2-3 बजे के बीच उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया और वह लड़की बाहर निकल गयी। उसे धक्के मारकर निकाला। लड़की रास्ते में चलती रही तो उसको रास्ते के अन्दर गश्त लगाते हुए सिपाही लोग मिले और लड़की को पूछा कि तुम अर्द्ध रात्रि में कहां जा रही हो ? जब उस लड़की ने उन सिपाहियों को अपनी सारी घटना से अवगत कराया, वह सिपाही थे- रामखिलाड़ी और सुरेश भट्ट, उस लड़की ने अपनी सारी दास्तान सुनायी, उसकी रिपोर्ट मानसरोवर थाने में रोजनामचे में दर्ज है, उन सिपाहियों ने उसकी बहन राधा के घर पहुंचाने की व्यवस्था की। फिर उसने अपने पिता के घर, जोधपुर इत्तला करवायी कि मेरे साथ यह दास्तान हुई है। उसके साथ जो कुछ हुआ उसका विवरण देना चाहूंगी। मैं ज्यादा विवरण नहीं दूंगी क्योंकि कोर्ट के अन्दर केस है। जो मुद्दे की बात है मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि उस लड़की के बिजली के करंट लगाये गये, उस लड़की के बाल नोंचे गये और उस लड़की से अश्लील पत्र लिखवाये गये और उसके श्वसुर ने नंगी बैठाकर करंट लगा दिया और टेप रिकार्ड में उसकी बातें टेप करवायी गयीं।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं, बताते हैं कि उसका श्वसुर जानीमल पुलिस का अधिकारी है वह वायरलैस में है या पता नहीं किस जगह पर है। जो रक्षक है वह भी अगर भक्षक हो जाए तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको अविलम्ब निलम्बित किया जाए। टेप रिकार्ड और जो पत्र हैं, उनको तुरन्त बरामद किया जाए। आदेश हैं फिर भी पुलिस इसके अन्दर कोताही बरत रही है इसलिए उनको तुरन्त जब्त करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अगर कानून का प्रहरी ही गलत काम करता है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर रक्षक ही भक्षक हैं तो यह निंदा की बात है और जघन्य अपराध है। ऐसे पुलिस अधिकारी चाहे थानेदार हो, चाहे कॉस्टेबल हो, चाहे कोई सी.आई. हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उसकी दास्तान बताऊंगी, आप देखिये, उसके साथ क्या क्या हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब वह आप गृह मंत्रीजी से बात कर लें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। मेरी इस मांग के अन्दर पूरा सदन मेरे साथ रहेगा, मेरी ऐसी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इसका जो हाल किया है वह आप देख सकते हैं, क्या हाल हुआ है। मां तो मैं भी हूं, मेरे भी तीन लड़कियां हैं, अगर मेरी लड़की के साथ इस तरह से हो तो मैं बरदाश्त नहीं कर सकती हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसके पहले की फोटो बताऊं, कितनी सुशील लड़की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है यह। मैं इसको बचपन से जानती हूं, इसके पूरे परिवार को जानती हूं और इतना खानदानी परिवार है कि कोई बात नहीं। मगर इस लड़की के ससुराल वालों ने इसके साथ यह किया है, अध्यक्ष महोदय, ऐसे करंट लगाये, देखिये आप इस बात के अन्दर काफी दम है। आप इसको देखिये और _

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय से कि गृह मंत्री जी इसका उत्तर दें और इस जानीमल को तुरन्त निलम्बित करें। मेरी यह मांग है और मेरी ही नहीं, यह पूरे सदन की मांग है। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करती हूं, मेरा दिल भर रहा है कि मां की दशा क्या होती होगी। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि आई सोरी डंडे जमारो सोरो, मगर इण तरीके रा ऐडा लोग मिल जावे, लड़कियां रो यो हाल करें। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से चाहूंगी कि यह अभी का अभी उत्तर दें कि कितने दिन में उनको निलम्बित करेंगे और वह जो टेप रिकार्ड और पत्र हैं वह भी तुरन्त_

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में यह पुलिस वाले जानते हैं कि केस को कैसे ठीक किया जाए इस लड़की को टार्चर कर करके, इसकी नग्न फिल्में उतारीं, इससे अश्लील पत्र लिखवाये और सारी कार्यवाही करके आधी रात को घर से बाहर निकाला है इसको। यह तो भला हो उन दो पुलिस वालों का, जिन्होंने उस लड़की को सही जगह पहुंचाया। नहीं तो यह भूखे भेड़िये जो असामाजिक तत्व हैं, उस रात को ही लड़की को पता नहीं कहां ठिकाने लगा देते। मैं भी गृह मंत्रीजी से इस मामले में निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसा पुलिस अफसर या थानेदार कौन है उसको तुरन्त निलम्बित करें और जो भी उसके खिलाफ कैसेट या पत्र वगैरह उसके ससुराल वालों ने बनाये हैं उनको भी जब्त करके उसकी मुकदमे में सहायता करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कानून का सख्ती से पालन किया जाए ताकि इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर कोई नहीं कर पाए। इस केस में निश्चित रूप से आप कदम उठाएंगे। मुझे यहां जवाब दें कि आप क्या करने वाले हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार यह कहना चाहती हूं कि जब जोधपुर के अन्दर हमने मांग की थी महिला थाना खोल दिया जाए, थाना खोल दिया इनकी बड़ी मेहरबानी है_

श्री अध्यक्ष : थाने से बात डाइल्यूट हो जाएगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बात कहां कहेगी लड़की।

श्री अध्यक्ष : बात डाइल्यूट हो जाएगी कि आप अपनी मांग रखने के लिये यह कर रही हैं। बिराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : थाने में महिला थानेदार नहीं है। मैं महिला थानेदार के बारे में कह रही हूं कि इसकी भी वहां व्यवस्था कीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह बाद की बात है। वह अलग बात है इसमें मत जोड़ो, सारी बात ही गड़बड़ हो जाएगी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में है तो संदेहपूर्ण मामला। मैं इसी के साथ दैनिक भास्कर में आज जो आया है, छात्राएं जो परीक्षा देने जा रही हैं, आज मैंने खुद भी उधर से जाते हुए देखा, महारानी कालेज के सामने असामाजिक तत्व, उनके लिए कहा जाता है कि महाराजा कालेज के लड़के हैं, खड़े रहते हैं। बच्चियों को तंग करते हैं। वह बच्ची जिसके पीछे वह पड़े जिसका आज के दैनिक भास्कर में पूरा विवरण दिया है, उस बच्ची से यह कहा कि अगर मेरे स्कूटर पर नहीं बैठेगी तो तेरे पिताजी को हम खतम कर देंगे। उसने अपने पिताजी को सारी दास्तान सुनायी। पिताजी ने कहा कि बेटी मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन उसने देखा कि मेरे पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी तो हो सकता है कि पिताजी को खतम कर दें। उसने तेल डाला अपने ऊपर और उसने अपने आपको जला लिया। एस.एम.एस. के अन्दर उसने सारा रिकार्ड मजिस्ट्रेट को और एस.डी.ओ. को सब को दिया है। इसकी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस लगा दी वह बात सही है लेकिन यह हमेशा होता है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटें और सख्ती करके कोई भी ऐसा लड़का अगर मिले तो उसको तुरन्त गिरफ्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को उनकी भावना कहने दें। आपकी सारी बात समझ गये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस घटना का वर्णन माननीय कन्हैयालालजी ने किया है, उसके बारे में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

जोधपुर से आने वाली माननीय विधायिका ने जो प्रकरण आपके सामने रखा है, बड़ा वीभत्स है, बड़ा जघन्य है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि एक तरफ पुलिस वाले पर ही आरोप है, दूसरी तरफ सिरोही से आने आने वाली माननीय विधायिका ने पुलिस वालों की तारीफ भी की है तो पुलिस में अच्छे लोग हैं यह हमको मानकर चलना चाहिए लेकिन जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया है, मैं इनसे पूरी जानकारी ले लूंगा। क्योंकि अचानक यह मसला मेरे सामने उठाया गया है, इस घटना क्रम की, वाकयात की पूरी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। मैं इनसे पूरी जानकारी ले लूंगा और मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्याओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और कोई किसी भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्तर का अधिकारी हो उसके साथ किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी। अपराधी को अपराधी के रूप में ही दण्डित करने का प्रयत्न किया जाएगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों की मृत्यु पर राजस्थान सरकार, उनके जो वार्डस होते हैं या उनके परिवार के जो लोग होते हैं, उनको नौकरी देती है। यही विद्युत विभाग में भी था, मण्डल भी देता था लेकिन अभी इन्होंने एक आदेश निकाल कर यह कर दिया कि हम महिला को नहीं लेंगे, अगर उसकी विधवा है तो उसको नहीं लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के विपरीत यह आदेश है। उसमें लिखा हुआ है कि लिंग या भाषा के आधार पर किसी को नौकरी नहीं दी जाए, यह नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने यह जो आदेश निकाला है, इस विद्युत मण्डल के आदेश के कारण जो हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक ब्रदी नारायण, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, हीदा की मोरी, रामगंज, जयपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापित था, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी को विद्युत विभाग में नियमानुसार नौकरी दी जानी चाहिए थी। उसकी चार लड़कियां हैं, एक भी लड़का नहीं है। परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। लगभग एक साल से वह महिला भटक रही है और जगह जगह लोगों के घरों पर काम करके अपनी चारों बच्चियों का गुजारा कर रही है तो मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं, ऊर्जा मंत्रीजी तो हैं नहीं, कम से कम मानवीय आधार पर उसे चपरासी बना दें, कोई काम दे दें तो वह अपनी चार बच्चियों का गुजारा कर सकेगी और भटकने से बचेगी।

एक और मैं आपसे निवेदन करूं जो आज ही अखबार में आया है, उदयपुर से टेलीफोन पर कहा गया है कि ट्रेजरी ने बिल पास करना बंद कर दिया है। प्राधिकरण के लोगों ने जो काम करा लिये हैं, डवलपमेंट का काम करा लिया उसके भी न तो चैक सिकर रहे हैं, न बिल बन रहे हैं और जो शिक्षक काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, निजी शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको मार्च में भी हमने चुकारा नहीं किया, ऐसे कई करोड़ रुपये के बिल उदयपुर में बाकी है। अखबार में जो न्यूज आई है वह तो 17 करोड़ की है लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं, गंगानगर से भी यही शिकायत है कि शिक्षकों के बिलों का पेमेंट नहीं हो रहा है जो निजी शिक्षण संस्थाओं में हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कई महीनों से जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके उनका मार्च में पेमेंट

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

करिये अन्यथा यह इंस्टीट्यूशन चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मीनाजी।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर में पुराने ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, पार्क हैं, हस्तकला है।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में क्या कहना चाहते हैं ? इसमें कोई अर्जेण्ट मैटर हो तो बात करें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं तो यही कहना चाह रही हूं कि शहर के अन्दर कम से कम बीस पर्यटन स्थान हैं, 15 स्थान शहर के पास हैं तो वहां एक तो विदेशी पर्यटक ज्यादातर सरिस्का से लौटकर चले जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : वह तो परसों भी कहा है आपने।

श्रीमती मीना अग्रवाल : दुबारा कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : बार बार नहीं होता है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि मैं माननीय मंत्रीजी को बराबर लिख रही हूं पर उनका कोई संतोषजनक जवाब मुझे मिल नहीं रहा है।

मैं यह चाहती हूं कि वह रुकें, टैक्सी वहां चलाई जाए जिससे वहां इनकम हो पर्यटन की। एक विश्राम गृह शुरू करें क्योंकि अलवर बड़ी लाइन होगी। अलवर फैक्ट्री एरिया है, काफी यात्री आते हैं। यात्रियों को सस्ता किराया चाहिए। घूमने के लिए वाहन चाहिए। वहां एक विश्राम गृह भी खोलें। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहती हूं। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंह जी।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) :अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम विधायकों के लिए आपने कुछ व्यवस्था कर रखी है विधायकपुरी के अन्दर वहां करीब 26 विधायक रहते हैं और हालत बहुत ख़राब है वहां की सड़कें टूटी हुई हैं, गन्दगी फैली हुई है। स्ट्रीट लाइट नहीं है और रातभर वहां आवारा कुत्तों का जोर रहता है। कृपा करके आप इस पर ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वरजी। (व्यवधान) ठीक है, बात ध्यान में आ गयी है। श्री जोगेश्वरजी।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : इस बात पर ध्यान दें। विधायकपुरी की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। सब विधायक जो वहां रहते हैं, इसका समर्थन करते हैं।

श्री पराक्रम सिंह : वहां मच्छर भी बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष : वहां शिवकिशोर जी बिराजते हैं वह विधायकपुरी है क्या ? (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कमरे में... (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : वह विधायकपुरी है जिसमें शिवकिशोर जी रहते हैं। हम 26 एमएलए. रहते हैं। हम सबने लिखकर दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि विधायक नगर में मच्छर मारने के लिए विशेष तौर पर स्प्रे करवा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वरजी। कृपया बोलने दें। समय जाया न करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा भी परिपत्र जारी किया जा चुका है कि किसी भी पाठ्यक्रम या किसी भी नौकरी में भर्ती के साथ यदि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई व्यक्ति इतनी बढ़िया परफार्मेंस रखता है कि वह जनरल मैरिट लिस्ट में स्टेण्ड करता है तो उसको जनरल में ही माना जाए, आरक्षित कोटे से नहीं माना जाएं। जरनल कोटा पूरा होने के बाद जो लोग हैं उन्हीं को आरक्षित वर्ग में माना जाए। ऐसा बहुत स्पष्ट सर्कूलर है लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो इसको नहीं मान रहे हैं, इसकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिये मेडिकल विभाग में पी.एम.टी. में इसकी पालना नहीं हो रही है। गत वर्ष इस बारे में बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ था। माननीय मंत्रीजी तक भी बात गयी थी, समाज कल्याण मंत्रीजी भी उसमें शामिल थे और एक नतीजे पर पहुंचे थे कि यह करना चाहिए पर उसके बाद प्रैक्टिकली यह अभी तक लागू नहीं हुआ। सालभर हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कि इसको शीघ्र अमल में लाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य ने अभी प्री मेडिकल टैस्ट के अन्दर जो छात्र सामान्य सूची में योग्यता के आधार पर आ जाते हैं, आरक्षण सूची में उनके नामों को सम्मिलित करके नहीं जोड़ा जाए, इसके बारे में चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार एक ज्ञापन माननीय सदस्य ने दिया था और उस पर कुछ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे। सरकार ने उस पर गम्भीरता से विचार किया और माननीय गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति बनी और समिति ने निश्चय कर लिया है कि आगामी वर्ष से जो छात्र पी.एम.टी. के अन्दर अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य सूची में आ जाते हैं और वह शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र हैं उनको सामान्य सूची में मान कर उनके स्थान पर जो दूसरे छात्र जिसको आना चाहिए। आरक्षण सूची में, उनको सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की अभी हमारी समिति बनी थी गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में उसमें निर्णय ले लिया गया है। उसका निश्चित तौर पर शीघ्र पालन किया जाएगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीरामजी जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, पांच नेशनल हाई-वे और कुछ स्टेट हाई-वे जयपुर शहर से बाहर गुजरते हैं। उन स्टेट हाई- वे के दोनों साइड में बहुत

(श्री गोपीराम जाट)

से मकान और दुकानें बनी हुई हैं। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि जयपुर की बढ़ती आबादी और बढ़ते हुए वाहनों की वजह से उनकी सीमा 160 फीट कर दी जाए। उसके अन्दर हजारों मकान और दुकानें जो आज के 40-40 सालों से पहले बन चुके हैं, उन सबको हटा कर नेशनल हाई-वे को चौड़ा किया जाता है तो गांव के लोगों को भारी नुकसान होगा। इस बात को लेकर गांव में काफी चिन्ता भी है, गांव में काफी आक्रोश भी है। हालांकि इस हाई-कोर्ट के निर्णय के खिलाफ स्टे होने की वजह से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा यह आग्रह है कि इन नेशनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे को चौड़ा किया जाता है तो उन किसानों को, दुकान मालिकों को और मकान मालिकों को निर्माण और जमीन का समुचित मुआवजा देकर ही इसको चौड़ा किया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ताराजी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : कानोता से लेकर महुआ तक जो तोड़ रहे हैं, पहले वास्तव में 90 फीट था आप 180 फीट करके तोड़ा जा रहा है। सारे मकानों का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तोड़ने से पहले कम से कम उनके मुआवजे या उनके रहने की व्यवस्था कर लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ताराजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अगर सरकार को जमीन चाहिए, जमीन ले लेकिन उनकी दुकानें और मकान तोड़ती है तो उनको दुकानें बना कर दें। किसी का भी आपाधापी में तोड़ देना कदापि उचित नहीं है। यही हाल बगराना, आगरा रोड का है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से महुआ तक देख कर आई हूं, बहुत बुरी हालत कर रखी है। इतना ही नहीं, जितना चाहिए उससे अधिक, गांव की गलियों तक तोड़ा है। यह कदापि उचित नहीं है। जो नुकसान करें उसको पूरा भर कर दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती ताराजी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गयी है। अभी त्राहि-त्राहि हो रही है। पिछले दो वर्षों में बरसात का पानी औसत से बहुत कम आया इसके कारण से इस गर्मियों में पानी की बहुत ज्यादा गम्भीर समस्या बन गयी है। जिनके घरों में कनेक्शन लगे हुए हैं वहां 6-6 महीने से पानी नहीं आया। कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, आप तो मुस्करा रहे हो। मैं फ्लोराइड के पानी की तो बात ही नहीं करूंगी। आप फ्लोराइड वाला दे रहे हो, फ्लोराइड वाला भी दें, लोगों की प्यास तो बुझे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक मशीन लगी हुई है जो हैण्ड पम्प नये कर रही है। एबण्डंड हैण्ड पम्प की जगह दूसरे हैण्ड पम्प देने की सरकार की योजना है और स्वीकृत भी है लेकिन वह खुदेंगे कब ? न तो हैण्ड पम्प खुद रहे हैं, न कुओं को ज्यादा गहरा कर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

रहे हैं और पानी की बहुत भयंकर समस्या है। हमें गर्मी में इसका सामना करना पड़ेगा।

मेरे यहां एक सवाल और है। एक तो गर्मी ऊपर से छुट्टियों में सारे प्रवासी जो राजस्थान के बाहर रहते हैं हमारे सिरोही जिले के सब घर आते हैं। और उस समय बम्बई मद्रास में रहे हुए लोग हमें लज्जित और करते हैं कि आपके यहां तो पानी ही नहीं है, कैसे आएं। इसलिये मेरी इस समस्या पर गम्भीरता से ध्यान देकर पानी की व्यवस्था सिरोही विधान सभा क्षेत्र में करवाएं।

श्री अध्यक्ष : उनको भी कहो न कुछ पैसा लगाएं।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह लगाते हैं, उनका समय पर काम नहीं करवाते हैं।

अपना गांव अपना काम योजना में हमारे लोगों ने पैसे जमा कराएं। पानी की टंकी के कराए, पाइप लाइन लगाने के करवाए। काम तो समय पर होता नहीं, कौन पैसा जमा करवाएगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं भाषण देकर आया हूं। मैं बाद में पूछूंगा आपसे क्या-क्या किया उन्होंने। श्री शिवकिशोर सनाढ्य। 295.

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं कह दूं साफ। आपके भाषण के बाद 60 लाख रुपये तो सिरोही हास्पिटल में लग रहे हैं जिसमें 30 लाख का शेयर गवर्नमेंट का है और 30 लाख सेठजी का है। दूसरे हास्पिटल में 26 लाख रुपये लग रहे हैं जिसमें 13 लाख आपका शेयर है, 13 लाख दानदाताओं का है। 15 ब्लड बैंक में ढाई लाख आपके और ढाई लाख सेठ साहब के हैं। खाली हास्पिटल -हास्पिटल में तो एक करोड़ रुपया लग रहा है, बहुत काम हो रहा है, परन्तु आप समय पर काम कीजिये तो लोग और पैसा लगाएंगे और आपकी तारीफ करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। माननीय शिवकिशोरजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नगर विकास न्यास उदयपुर में अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन न होने के कारण विकास कार्यों में बाधा

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में अध्यक्ष और सदस्यों के मनोनयन न होने के कारण विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की ओर मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में अध्यक्ष और अन्य जन-प्रतिनिधियों के स्थान एक लम्बे समय से रिक्त हैं। इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे नहीं पा रही है। परिणामस्वरूप वर्तमान में अध्यक्ष का कार्य जिला कलक्टर, उदयपुर, देख रहे हैं, जो अत्यधिक व्यस्तता और कामों के अत्यधिक दबाव के कारण भी पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं, यह स्पष्ट नहीं है। उदयपुर के आयोजित विकास में नगर परिषद एवं नगर विकास प्रन्यास की महत्वपूर्ण

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

भूमिका है। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण नगर परिषद की ओर से आए दिन प्रन्यास को पत्र लिखे जा रहे हैं। प्रन्यास भी परिषद् के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। अभी 24.1.97 को सभापति, नगर परिषद्, उदयपुर ने नगर परिषद् क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास द्वारा किये जा रहे हस्तेक्षप पर आक्रोश व्यक्त किया है। उदयपुर में प्रन्यास द्वारा बनायी हुई सड़कों के सुधार के लिए डामर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है। अभी कार्य रुके हुए हैं। प्रन्यास ने चौराहे के विकास के नाम पर व्यवसायियों को उन्हें गोद दे दिया है। लेकिन वे चौराहों का विकास मात्र अपने व्यापारिक गतिविधियों के प्रचार के लिये कर रहे हैं। और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्पराओं का उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण के रूप में पंचवटी उदयपुर के पार्क को हीरो होण्डा डीलर को रख-रखाव के लिए दिया गया, जिसमें उसने अवैध निर्माण कर लिया। देहली गेट स्थित चौराहे की छतरी पर व्यावसायिक बोर्ड लगा दिये हैं। सैक्टर-11 उदयपुर के चौराहे के पार्क को गोद दिया है, परन्तु वहा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है।

उदयपुर के आयोजित विकास के लिए नगर विकास प्रन्यास में अध्यक्ष और जन-प्रतिनिधियों का मनोनयन तुरन्त अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान को पत्र दिनांक 13.9.96 लिखा जिस पर अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक-मुम/4/प.19 /(1) नविआ/96/58 दिनांक 5.2.97 से इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रमुख शासन सचिव, नगर विकास एवं आवासन विभाग को भिजवाया है, लेकिन मुख्य मंत्री के इस पत्र पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही हुई हो, यह ज्ञात नहीं है। अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी चौधरी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट देंगे मुझे ?

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ रहे हैं। आप भी कह दो हां, मेरी भी सहमति है, बस खतम हुई बात।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण): मैं उनकी भावना से सहमत हूं। उदयपुर नगर परिषद् एरिया का कम से कम 75 प्रतिशत मेरा विधान सभा क्षेत्र है। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, वह जल्दी ही किसी जनप्रतिनिधि को यू.आई.टी. का चेयरमैन नियुक्त करें ताकि मेरे क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध हो रहा है, वह न हो और वहां की जनता का विकास हो सके।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे भीलवाड़ा में भी...

श्री अध्यक्ष : बिराजो-बिराजो।

श्री कालूलाल गूजर : यही समस्या वहां पर है।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजो। यह बात बाद में करना। श्री अमरारामजी।

डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध संघों का

प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने सम्बन्धी अनुबन्ध पर पुनर्विचार करने बाबत

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं जिला दुग्ध संघों का प्रबन्ध राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपने सम्बन्धी अनुबंध पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य फरवरी, 92 में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध व्यवस्था एक अलिखित समझौते के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पेशेवर प्रबन्ध के हाथों सौंपी गयी थी। उस समय डेयरी बोर्ड ने 3 वर्ष में डेयरी फैडरेशन व जिला दुग्ध संघों को घाटे से उबारने तथा उनके प्रबन्ध के दौरान हुए घाटे को वहन करने का वायदा किया था। डेयरी बोर्ड के पांच वर्ष के प्रबन्धन के दौरान विपरीत परिणाम सामने आए हैं, जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं : -

1. राज्य सरकार द्वारा डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध काल में 17 वर्षों में मात्र 29 करोड़ अर्थात् 1.70 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का औसत घाटा हुआ जबकि डेयरी बोर्ड ने मात्र 4 वर्षों में लगभग 39 करोड़ अर्थात् लगभग 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का घाटा दिया। वायदे के विपरीत आज तक घाटे के पेटे कोई धनराशि नहीं दी है। ये घाटे डेप्रीसिएशन छोड़ कर हैं।

2. राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रतिनियुक्ति अथवा सैटलमेंट पर 35 से अधिक अधिकारियों को मुख्य पदों पर लगाया गया है। जबकि डेयरी फैडरेशन में इनसे अधिक कुशल अधिकारी उपलब्ध हैं। आपरेशन फ्लड कार्यक्रम बन्द होने से डेयरी बोर्ड में सरप्लस अधिकारियों की बहुतायत है।

3. डेयरी बोर्ड के प्रबन्ध काल में कुल देनदारियां 12.98 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ तक पहुंच गयी हैं।

4. डेयरी बोर्ड का प्रयास है कि आर.सी.डी. एफ. के चुनाव भी नहीं हों।

5. डेयरी बोर्ड प्रबन्ध द्वारा दुग्ध उत्पादकों की सुविधाओं में कमी तथा दुग्ध मूल्य 1.50 से 2.00 रु. प्रति लीटर कम दिया जा रहा है। दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है।

6. राज्य सरकार के निर्णयों/निर्देशों की खुली अवहेलना करना तथा असत्य आंकड़ें प्रेषित कर राज्य सरकार को गुमराह करना।

7. आर.सी.डी.एफ. से डेयरी बोर्ड के मध्य लेखों का मिलान करने हेतु गठित समिति को असहयोग, जिसका एक मात्र कारण यह है कि उक्त समिति की रिपोर्ट के प्रथम चरण में ही जोधपुर एवं अजमेर डेयरी का राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के विरुद्ध करोड़ों रुपया निकलता है। अनुबंध के पूर्व यह स्थिति है तो अनुबंध के पश्चात् डेयरी फैडरेशन की अरबों रुपये की सम्पत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

8. डेयरी बोर्ड के अनेक उच्चाधिकारी

(श्री अमराराम चौधरी)

भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में जांच के दायरे में हैं। जैसे शीरे के पंच निर्णयों, मोनो कार्टून खरीद एवं घी बेचान आदि।

9. इनके प्रस्तावित अनुबंध में कर्मचारियों की छंटनी करने, दुग्ध संघों की सम्पत्तियां बेचकर डेयरी बोर्ड को पुनर्भुगतान करने, सरस के स्थान पर अन्य नाम से व्यवसाय करने, छोटे जिला दुग्ध संघों को साजिश रचकर बन्द करने, प्रबन्ध समिति में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का बहुमत रखने आदि अनेक शर्तें रखी गयी हैं। पशुपालकों एवं आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कराने की कृपा करें।

10. वर्तमान प्रबन्ध संचालक राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के हित में सुनियोजित ढंग से डेयरी फैडरेशन व दुग्ध संघों के ढांचे व मानव संसाधन को नष्ट कर रहे हैं।

अतः राज्य हित में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड को शीघ्र राजस्थान से हटाकर डेयरी फैडरेशन का प्रबन्ध चुने हुए संचालक मण्डलों को सौंपा जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल खरेरा (अनुपस्थित) । श्री महावीर भगोरा।

फलासियां एवं सायरा में उप तहसील की स्थापना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की तहसील झाड़ोल (क) का विधान सभा क्षेत्र का नाम फलासियां है जो पंचायत मुख्यालय है। फलासियां झाड़ोल तहसील का सबसे बड़ा ग्राम है एवं तहसील का मध्य स्थान है। झाड़ोल तहसील मुख्यालय एक तरफ आया हुआ है एवं तहसील मुख्यालय से डैया, अम्बारा, नालवा गरवास व सोम आदि पंचायत मुख्यालय सीधे 40 से 80 किलोमीटर दूर, सघन पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं एवं तहसील मुख्यालय तक आने के लिये सड़कों के अभाव में कोई सीधी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्हें कई किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है जिससे उस क्षेत्र के निवासियों का काफी समय व धन व्यय होता है। अगर फलासियां पंचायत मुख्यालय पर उप तहसील की स्थापना की जाती है तो उस क्षेत्र के निवासियों को काफी राहत मिलेगी। फलासियां में उप तहसील की स्थापना बाबत एक घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1991 में की थी।

उसी तरह तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर का पूर्व में तहसील मुख्यालय 'सायरा' था। पंचायत मुख्यालय सायरा गोगुन्दा का बड़ी आबादी का ग्राम होकर सभी सुविधाओं से युक्त है। यहां ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय है एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सायरा के आस-पास पंचायत समिति गोगुन्दा की 40 पंचायतों में से 17 पंचायतें अवस्थित हैं एवं अंतिम पंचायतों की दूरी वर्तमान तहसील मुख्यालय से 50 से 70 किलोमीटर है। यह क्षेत्र जनजाति उप योजना के 'माडा' योजना में सम्मिलित है। क्षेत्र की जनता की मांग भी है कि 'सायरा' में उप तहसील स्थापित की जाये।

(श्री महावीर भगोरा)

मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि तहसील झाड़ोल में 'फलासियां' एवं गोगुन्दा तहसील में 'सायरा' पंचायत मुख्यालयों पर उप तहसील स्थापित कर क्षेत्र की आदिवासी जनता को राहत दिलाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

आयुर्वेद विभाग में प्रदेश के ही चिकित्सकों की नियुक्ति

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : महोदय, प्रदेश में आयुर्वेद स्नातकों की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अन्य प्रान्त से आये आशार्थियों को भी नियुक्ति देता है जबकि हमारे प्रान्त के कितने ही स्नातक बेरोजगार घूम रहे हैं। अन्य प्रान्त जैसे हरियाणा आदि ने केवल अपने ही प्रान्त के स्नातकों को लाभ देने का निर्णय लिया हुआ है, हमें भी किसी प्रकार का निर्णय लेते हुए केवल अपने प्रान्त के स्नातकों को नियुक्ति दी जाये ताकि प्रदेश के बेरोजगार स्नातक रोजगार में लग सकें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक प्रतीक्षा सूची जारी की हुई है जिसमें लगभग 100 स्नातक अन्य प्रान्तों के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस प्रतीक्षा सूची को तुरन्त निरस्त किया जाये और नये आवेदन प्राप्त कर केवल प्रदेश के स्नातकों को ही उसमें शामिल किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 753 चिकित्सकों को पदोन्नति दी है और पदोन्नति से रिक्त हुए पदों को समाप्त किया जा रहा है। इन पदों को समाप्त नहीं किया जाये, नयी भर्ती द्वारा इन पदों को भरा जाये ताकि 753 नये लोगों को रोजगार मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिससे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। जो चिकित्सा पद्धति हजारों वर्षों से हमारे देशवासियों की सेवा करती आ रही है, उस अति प्राचीन पद्धति की उपेक्षा हमारे देश एवं देशवासियों के हित में नहीं है। इस वर्ष 1997-98 के बजट में भी आयुर्वेद चिकित्सा हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। नये आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाना अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐलोपैथिक चिकित्सा में नौकरी की सीमा 45 वर्ष है जबकि आयुर्वेद में 35 वर्ष है। ऐलोपैथिक में डाक्टर की नियुक्ति सीधे ही की जाती है, बाद में लोक सेवा आयोग से चयन करा लिया जाता है जबकि आयुर्वेद चिकित्सकों को पहले ही लोक सेवा आयोग से चयन होना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों चिकित्सा पद्धतियों के इस भेदभाव को भी समाप्त किया जाना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए उपरोक्त सारी कार्यवाही की जानी आवश्यक है और की जानी चाहिए। धन्यवाद।

झुंझुनूं के सेठ मोतीलाल कालेज में जीव विज्ञान विषय प्रारम्भ करने एवं अनुदान राशि में वृद्धि बाबत

श्री अध्यक्ष : डा. मूलसिंह जी।

डा. मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान झुंझुनूं के सेठ मोतीलाल कालेज की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, झुंझुनूं जिला मुख्यालय स्थित सेठ मोतीलाल कालेज, जो कि मुख्यालय का ही नहीं पूरे जिले का प्रमुख महाविद्यालय है, में आजादी के 50 वर्ष के बाद भी जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप शहर के विद्यार्थी इस शिक्षा से वंचित हैं। यही नहीं, विज्ञान संकाय के गणित विषय पर भी, 10 साल बाद भी अनुदान नहीं दिया जा रहा है, अतः उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति आगामी सत्र से विज्ञान संकाय के गणित विषय को भी बन्द करने पर विचार कर रही है। एक ओर जहां राज्य में विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रसार के लिये प्रयास किये जा रहे हैं वहीं इस विद्यालय को अनुदान से वंचित रख झुंझुनूं के प्रति राज्य सरकार उदासीनता दिखा रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि झुंझुनूं के सेठ मोतीलाल कालेज में जीव विज्ञान विषय की शिक्षा तुरन्त उपलब्ध करायी जाए तथा गणित विषय, जो अनुदान के अभाव में बन्द होने के कगार पर है, के लिए अनुदान प्रदान किया जाए। विज्ञान संकाय के उक्त दोनों विषयों के लिये राज्य सरकार अन्य अनुदानित विद्यालयों की भांति अनुदान प्रदान करे। साथ ही वर्तमान में जो अनुदान राशि इस विद्यालय को प्रदान की जा रही है उसमें उचित बढ़ोतरी की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा।

सदन की कार्यवाही

21 मार्च, 1997 की निर्धारित कार्य सूची के कार्य 20 मार्च 1997 को ही सम्पन्न करने विषयक, संशोधन प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बंटवारे के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 218 के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा के अष्टम सत्र की दिनांक 20 व 21 मार्च, 1997 की कार्यसूची में संशोधन की सूचना हेतु मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1997 व शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 1997

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

की जो कार्य सूची है उसको गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1997 को ही सम्पन्न किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गयी।

माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 31 वां वार्षिक (95-96) प्रतिवेदन

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1995-96) सदन की मेज पर रखता हूं।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक (1994-95) प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मंत्री।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (एक जुलाई, 1994 से जून, 1995 तक) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक (1995-96) प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर जी, पर्यटन राज्य मंत्री, राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 31 वां वार्षिक 1995-96 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसानों पर काश्तकारी कानून की आड़ में लगाये जा रहे प्रतिबन्ध से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जीतराम जी चौधरी, राजेन्द्र जी पारीक, हरजीराम जी बुरडक, खंगार सिंह जी चौधरी, भीमसेनजी चौधरी सदस्य, राजस्थान विधान सभा राज्य में काश्तकारी कानूनों की आड़ में किसानों पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगाये जा रहे प्रतिबन्ध से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। जीतराम जी।

श्री जीतराम (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव के जरिये माननीय सदस्यों ने मांग की है कि काश्तकारों को मालिकाना अधिकार प्रदान किये जाएं। काश्तकारों को भूमि के उपयोग बदलने, सालाना लीज राशि देने आदि से उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है। पेड़ काटने के सम्बन्ध में भी उन पर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। अतः काश्तकारों को तुरन्त मालिकाना हक दिये जाएं एवं उन पर लगाये गये तरह-तरह के प्रतिबन्ध हटाये जाएं।

राजस्थन काश्तकारी अधिनियम में वर्तमान में काश्तकारों को उनकी भूमि पर लगभग सभी अधिकार दिये गये हैं। वे अपनी भूमि का बेचान, दान एवं वसीयत आदि कर सकते हैं। भूमि को रहन रखने आदि के अधिकार भी दिये गये हैं। इस प्रकार वर्तमान कानून में काश्तकारों को वे सभी अधिकार दिये गये हैं जो कि मालिक के तौर पर एक काश्तकार के काम आते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध अवश्य किये गये हैं कि वे भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकते हैं। भू-राजस्व अधिनियम के तहत भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने में भी कुछ प्रतिबन्ध लगा रखे हैं।

इसी सम्बन्ध में यह निवेदन करना आवश्यक है कि वर्तमान में नया काश्तकारी विधेयक एवं भू-राजस्व विधेयक बनाया जा रहा है इन दोनों विधेयकों को गत विधान सभा सत्र में विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था एवं सदन ने इन्हें प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया था। प्रवर समिति इन विधेयकों पर विचार कर रही है।

श्री जीतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्तमान में काश्तकारों को उनकी भूमि पर लगभग सभी अधिकार दिये गये हैं। लगभग का क्या मतलब है ? अधिकार और मालिकाना हक, तो पूरे ही होने चाहिए। जिसकी जमीन है उस पर उसका पूरा मालिकाना हक होना चाहिए, जैसा कि पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। यहां राजस्थान में जो काश्तकार हैं, गांवों में अनपढ़ काश्तकार हैं, उन्हें अधिकारी, पटवारी और तहसीलदार बार-बार गांवों में जाकर तंग करते रहते हैं कि आपने यह बना लिया, आपने छोटा कुटीर उद्योग लगा लिया, पेड़ काट लिया। उनको मालिकाना हक नहीं है ? मैं यह चाहता हूं कि काश्तकारों की जिनकी कृषि भूमि है, उस पर उनका पूरा अधिकार होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, यह मांग मैंने बहुत पहले ही सदन में उठायी थी कि जो सदियों से और पीढ़ियों से काश्त कर रहे हैं जमीन पर उस व्यक्ति को कोटिनेन्ट ही माना जाता है, कृषक ही माना जाता है और उसको स्वामित्व का

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कुछ बाधाएं बतायी जाती हैं, जबकि वह बाधाएं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इन तीनों में अभी नहीं आ रही हैं। वहां मालिकाना हक दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने भी अभी हाल ही में मालिकाना हक दिया है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि यद्यपि राजस्थान सरकार ने भी वृक्षों के सम्बन्ध में अपने भवन रहने के लिए बनाने के सम्बन्ध में पूर्व एक्ट में प्रावधान रखा है और वृक्षों के लिए राजस्व अधिकारियों की अनुमति लिए जाने की बात कही है।

जहां तक कृषि का सवाल है कारण इसका रूप बदल रहा है। आजकल कृषक खेती ही नहीं, बागवानी की तरफ भी जा रहे हैं। ऐसे वृक्षों की तरफ जा रहे हैं जिससे व्यापारीकरण होगा, व्यापारियों को बेचे जाएंगे। कामर्शियल ट्रीज प्लांटेशन की योजनाएं में जा रहे हैं। वृक्षों के ऊपर यह पाबन्दी होने से भूमि का सिवाय कृषि के अन्य उपयोग में लेने के सारी जितनी पाबंदियां हैं सिर्फ मालिकाना हक देने से ही दूर हो सकती हैं। मैं मालपुरा से आए हुए माननीय

(12.50)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सदस्य की इस मांग का समर्थन करते हुए आग्रह करूंगा कि जो नया एक्ट बन रहा है, जो प्रारूप तैयार है, उसके अन्दर मालिकाना हक दिये जाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से खातेदारी और जमीन के उपयोग को बदलने का मामला यहां चल रहा है, मालिकाना हक की जो सबसे बड़ी लड़ाई है –

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है, इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री मदन मोहन : एक मिनट बोलने दें। नाम तो भंवरसिंह जी का भी नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के अधिनियम के अन्तर्गत जो अकृषि योग्य भूमि थी उसकी किस्म बदल गयी, उसका उपयोग बदल गया। अन्य राज्य सरकारें उनको मालिकाना हक दे रही हैं और राज्य सरकार ने यहां पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया। उन प्रतिबंधों को राज्य सरकार हटाए। राज्य के किसानों को राहत दिलाने के मकसद से उनको मालिकाना हक कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ? हां और ना में जवाब दें।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, यह काश्तकारों के हित की बात है। जैसे दूसरे प्रान्तों में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा के अन्दर काश्तकारों को अपना अधिकार देने हेतु खातेदारी में सरकार का जिस जगह खाना रखा गया है उसको वहां से हटाकर क़ाश्तकारों का ही नाम रखा गया है। इससे काश्तकारों को उनके हक की प्राप्ति है। हमारे लिए बीच में गवर्नमेंट एजेंसी आने की वजह से अगर हम मन बनाते हैं या कोई दूसरा हमारे यहां कुटीर उद्योग लगाता है अपनी खुद की खातेदारी की जमीन में, तो यह लोग रोड़े अटकाते

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

हैं। इसलिए इस कानून में चेंज करना अति आवश्यक है। मैं यह आशा करता हूं-

श्री उपाध्यक्ष : इस कानून में क्या चेंज चाहते हैं, आप तो यह बताएं ?

श्री खंगारसिंह चौधरी : मालिकाना हक। मालिकाना हक काश्तकार का खुद का होना चाहिए। खाने में जो सरकार लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाना चाहिए, यह मेरी मांग है।

इसके अलावा पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा यदि कोई भी काम काश्तकार खेत पर करना चाहता है, जैसे अपना आवासीय मकान भी बनवाना चाहता है तो कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। वे उनसे पैसे वसूल करते हैं और छोटा मोटा कुटीर उद्योग वह लगाए तो यह लगाने देना नहीं चाहते। जमीनों के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये, 25 बीघा जमीन के अन्दर 4-4 खातेदार हैं, वे वहां पर कोई भी छोटा मोटा उद्योग अपनी खेती के साथ में लगाना चाहते हैं तो वे लगाने नहीं देते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में कानून है उसी तरह से काश्तकार को मालिकाना हक खुद का होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषय नियम 131 के अन्तर्गत कवर ही नहीं होता है, ध्यान उसी सम्बन्ध में आकर्षित किया जाता है सरकार का, जिसमें पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के सम्बन्ध में यहां कोई प्रश्न हो तो उस सम्बन्ध में सरकार उत्तर दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया इसलिए आप इस पर कोई बात कहें।

श्री गंगाराम चौधरी : हां, मैं इसलिए ही कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि यह बिल अभी सलेक्ट कमेटी को सौंपा गया है, उस बिल के अन्दर काश्तकार को क्या अधिकार दिया जाये सलेक्ट कमेटी उस पर विचार कर रही है। सलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट जब तक हाउस के अन्दर पेश नहीं करती और उस सलेक्ट कमेटी के अन्दर क्या विचार हुआ, मेरी मजबूरी है, मैं सदन के सामने सारी बातें तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन माननीय सदस्यों की जो शंका इस सम्बन्ध में है, उसमें कुछ निवेदन मैं अवश्य करना चाहता हूं। सरकार ने यह नया बिल पेश किया उससे पहले भी बहुत अधिकार, बहुत सी बंदिशें किसानों के ऊपर से हटा दीं। राज्य सरकार ने सबसे पहले बारानी भूमि पर जो लगान लगता था उसकी माफी कर दी। राज्य सरकार ने फ्रेगमेंट के बेचान के ऊपर जो रोक लगी हुई थी वह रोक हटा दी। काश्तकार को यह अधिकार भी दे दिये कि अगर उसके खेत के अन्दर खान है तो वह खुद उस खान का उपयोग कर सकता है, खान विभाग से लाइसेंस लेकर खान निकाल सकता है नियमों के अन्तर्गत। वह चाहे तो उसकी खान का सरफेस लैण्ड लेकर के दूसरे को दे सकता है। इसके अलावा भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में ग्रामीण

(श्री गंगाराम चौधरी)

क्षेत्रों में राज्य सरकार ने 1992 में नियम बनाया। बहुत सरल नियम बना दिया भूमि रूपान्तरण का कि कृषि प्रयोजनार्थ जो भूमि उसके पास में है उसको अगर अकृषि काम में लेना चाहता है वाणिज्यिक, आवासीय औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिए, तो बहुत सस्ती रेट में एक रुपया आवासीय का होगा, छोटे गांव में एक रुपया प्रति वर्ग मीटर, चर्चा करके उसको छूट दे दी। और उसके अधिकार तहसीलदार, एस.डी.एम. तक को भी दे दिये। यह नियम बड़ा आसान बना दिया। उद्योग का तो यहां तक कर दिया कि अगर 30 दिन के अन्दर अधिकारी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण नहीं करता है। तो वह मानी जाएगी। बहुत आसान नियम राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही कर दिया है।

उपनिवेशन क्षेत्र में पहले बंदिश थी कि कलक्टर की परमीशन के बिना बेच नहीं सकता है, तो वह परमीशन भी हटा दी। फ्रेगमेंट की छूट से उपनिवेशन क्षेत्र में भी कुछ लाभ हुआ है। तो कई प्रकार की जो बंदिशें पहले इस टीनेन्सी एक्ट में थीं उसको हमने हटा भी दिया है। यह जो नया बिल पेश किया है यह सदन के सामने है, उस बिल को अगर आप देखेंगे तो आप उस बिल में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें बंदिशें हम हटा रहे हैं और सलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के अन्दर पुराना एक्ट बना हुआ है ब्रिटिश राज्य का। उसमें किसान को नहीं बल्कि खेती करने वाले आदमी को लैण्ड ओनर माना गया है। उपाध्यक्ष महोदय, वह टनेंट रख सकता था। तो जो पॉलिसी उस वक्त में थी, लैण्ड टू दी टिलर, जोतने वाले को भूमि की पॉलिसी के वह खिलाफ थी। राजस्थान ने इस नीति को अपनाया कि लैण्ड टूवी दी टिलर, भूमि जोतने वाले को दी जाएगी, जागीरदारी, बिस्वेदारी सारी खतम करके जो भूमि जोत रहीं थीं। उसको राजस्थान सरकार ने अधिकार दे दिये, खुद को खातेदारी अधिकार दे दिये। खुद ही वह उसका एक तरह से मालिक बन गया। उसको भूमि को बेचने का अधिकार दे दिया। उसको पूरी तरह से सक्सेशन का दे दिया। अभी हमने कानून में प्रावधान कर दिया, रिलीज का भी, अगर चाहे तो अपना हक सर्क ब्रह कर सकता है बहुत मामूली सा 100 रुपये के स्टाम्प पर 40 रुपये रजिस्ट्री फीस है। बहन बेटियों के झगड़े होते थे, रिलीज की भी, हमने उसमें छूट दे दी। राजस्थान ने जो नीति अपनायी थी उसमें और पंजाब की नीति में फर्क है। राजस्थान का किसान 5 साल से ज्यादा सब टिनेंट नहीं रख सकता, सबलेट नहीं कर सकता। राजस्थान का उद्देश्य यह था कि जो किसान के पास भूमि है वह खुद ही जोते। जो पर्सनल कल्टीवेशन की हमने उस पर बंदिश लगायी थी वह पर्सनल कल्टीवेशन की बंदिश इसलिए थी कि किसान वही है जो खुद जोते। हम जो भूमि आगे अलाटमेंट करना चाहते हैं वह भूमिहीन को करना चाहते थे। हम हरेक को भूमि नहीं देना चाहते थे इसलिए राजस्थान सरकार और पंजाब की नीति में बहुत बड़ा अन्तर है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

गुजरात का माननीय सदस्यों को शायद ख्याल नहीं है। गुजरात में बेचने का हर किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। वह

(13.00)

एग्रीकल्चरिस्ट खुद है तो केवल एग्रीकल्चरिस्ट को ही बेच सकता है और ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट को बेच सकता है जो आठ किलोमीटर के भीतर रहता है। इसके अलावा बेचने की छूट नहीं है। नॉन-एग्रीकल्चर यूज की वहां पर बहुत भारी बंदिश है।

माननीय सदस्य गुजरात का अगर एक्ट देखेंगे तो उनको मालूम होगा। लेकिन उसके उपरान्त हमने जो नया बिल पेश किया है, माननीय सदस्य उसको ठीक तरह से देखें तो हमने खातेदारों को भूमि कन्वर्शन के सम्बन्ध में पेड़ काटने के सम्बन्ध में काफी छूट दी है। पेड़ काटने के सम्बन्ध में इसी सरकार ने चार-पांच पेड़ काटने की पहले ही छूट दे रखी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने शीशम के काटने की छूट दे दी, हमने कीकर काटने की छूट दे दी, हमने बबूल और अंग्रेजी बबूल काटने की छूट दे दी, हमने यूकेलिप्टस काटने की छूट दे दी। हमने बहुत से पेड़ों को काटने की छूट जब से माननीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार बनी तब से दे दी हैं। राज्य सरकार तो पहले से ही नीति पर चल रही है और अब आगे क्या नीति अपनाएंगे, वह सलेक्ट कमेटी की राय के बाद में अर्ज कर सकूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय मंत्रीजी, रोहिड़ा के बारे में छूट दे दीजिए। खेतों में झाड़ी की तरह हो गया है, बहुत कठिनाई आती है इसलिए आप रोहिड़ा की छूट दे दीजिए। बाकी आपने जो दी है उसके लिए धन्यवाद।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं वकील भी हैं। अभी जो बिल पेश किया हाउस में, उसमें पेड़ काटने के जो प्रोविजन हैं मौजूदा, यों तो सलेक्ट कमेटी विचार कर रही है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कॉमर्शियल यूज का जो पेड़ होगा उसको काटने की छूट होगी। रोहिड़ा कॉमर्शियल यूज का पेड़ है, उसके काटने की छूट अपने आप हो जाएगी। माननीय सदस्य, देख लें।

श्री अमराराम चौधरी : धन्यवाद।

श्री जीतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छूट दी है, काश्तकारों को मालिकाना हक क्यों नहीं देते ? मंत्री महोदय कह रहे हैं हमने छूट दी है। सलेक्ट कमेटी में मैं भी कई बार जाता हूं मंत्रीजी के आफिस में, मंत्रीजी तो देना चाहते हैं परन्तु अधिकारी उनको गुमराह कर देते हैं। इसलिए मैं मंत्रीजी को कहता हूं (व्यवधान)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध न होने से हो रही परेशानी

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार

89

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उन्हें हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत मैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने से उन्हें हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल रूप से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वित्त विभाग से सम्बन्धित है परन्तु फिर भी आपने आज्ञा दे दी इसलिए मैं माननीय सदस्य की ओर पूर्णतः आकर्षित होकर इसका उत्तर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बजट पास हो गया और वित्त विभाग के अधिकार आपको आ रहे हैं धीरे-धीरे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 19.11.81 को योजना बनाई थी। इसके प्रावधानानुसार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आउटडोर/इनडोर चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार निःशुल्क दिये जाने की व्यवस्था है जिसकी सीमा 1500 रुपये वार्षिक है। साथ ही निःशुल्क दवाइयां एवं राजकीय चिकित्सालय में जहां पेंशनर का इलाज हो रहा है, उपलब्ध समस्त टैस्ट भी निःशुल्क किये जाने के लिए आदेश किये जा चुके हैं। जिनकी छाया प्रति संलग्न है व जिनकी पालना हो रही है। समस्त उपलब्ध दुनिया राजकीय चिकित्सालय द्वारा पेंशनर के अस्पताल में भर्ती होने पर दी जाती है।

पेंशनर को बहिरंग रोगी के रूप में एवं चिकित्सालय में भर्ती होने पर वही दवाइयां देय हैं जो सेवारत कर्मचारियों को देय हैं। देय दवाइयों की संख्या अधिक होने के कारण जो दवाइयां देय नहीं है, उन्हीं की सूची बनाई है।

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतरंग रोगी के रूप में इलाज कराने पर योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में सामान्यतः अनुपलब्ध एलोपैथिक औषधियां इत्यादि की व्यवस्था सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा सरकारी निधि से किये जाने का प्रावधान किया गया है।

राजकीय चिकित्सालय में भर्ती पेंशनर को चिकित्सालय द्वारा आपातकालीन या अवकाश के दिन दवाइयां उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। यदि किसी कारणवश कोई दवाई चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसी दवाइयां पेंशनर की मेडिकल डायरी में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा लिखे जाने पर उसे बहिरंग रोगी की भांति योजना के कोष से प्राधिकृत दवा की दुकान से उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अनुसार राज्य सरकार के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पेंशनर की चिकित्सा परिचर्या उपचार, दवाईयां एवं राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध समस्त टैस्टों को निःशुल्क प्रदाय किये जाने की व्यवस्था वर्तमान में हैं। बाजार से खरीदी गयी दवा की राशि का पुनर्भरण किये जाने का योजना के अंतर्गत प्रावधान वर्तमान में नहीं है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी जानकारी माननीय सदस्य ने प्रस्ताव के माध्यम से जो जाननी चाही है दे दी है।

श्री गोपीराम जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती हैं चिकित्सा के समय उनका वर्णन तो इसमें किया है लेकिन वहां जो व्यवस्था है, वह इस तरह से है कि वहां स्टोर 10 से 5 बजे खुलता है और उसमें भी व्यवस्था यह है कि वार्ड से इन्डेंट बनकर आता है तथा इन्डेंट पर सुपरिटेंडेट के दस्तखत होते हैं। वर्तमान में हमारे सुपरिटेंडेट महोदय सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, कई बार वे आपरेशन में होते हैं, कई बार समय निकल जाने पर घर चले जाते हैं तो शाम के समय किसी मरीज को दवाई की आवश्यकता पड़ती है तो उस इन्डेंट पर स्वीकृति के अभाव में दवाई के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि मेडिकल पेंशनर डायरी की व्यवस्था है, तो उस डायरी के अंदर सारी दवाइयां, जो पेशेंट को चाहिए, डाक्टर लिख दे और वह अधिकृत दुकान जहां भी उनकी हो, उस दुकान से उस तरह की दवाइयां रात में 10 बजे, 12 बजे, जब आवश्यकता पड़े, उस वक्त यदि मिल जाए तो निश्चित रूप से पेंशनर जो भी वहां भर्ती होता है उसको फायदा हो सकता है।

एक बात आपने निःशुल्क टैस्ट के बारे में कही। यह बात बिलकुल सही है कि वहां टैस्ट होते होंगे लेकिन कई बार उपकरण खराब होने के स्थिति में और रात्रि में अचानक जब पेशेंट को कोई जरूरत पड़ जाए तो वह व्यवस्था उसको वहां उपलब्ध नहीं हो सकती। जो दवाइयां दी जाती हैं, उनकी सूची बहुत कम है। कई तरह की बीमारियां हैं तो उन सभी तरह की बीमारियों की दवाइयों जो काम आती हैं उनकी सूची वहां प्रकाशित होनी चाहिए जो वहां पर ली जा सके। इतना मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना में जो कर्मचारी सेवा में रहते हैं, कुछ अंशदान सरकार को देते हैं और उस अंशदान के अनुसार जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्हें राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से दवा देने का प्रावधान है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा अंशदान जो कर्मचारियों के वेतन से कटता है, प्रति वर्ष काटने का प्रावधान है, उससे पूरी दवाइयां सेवानिवृत्त लोगों को दिया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है। इसी कारण से 1993-94 में सरकार ने विशेष तौर से 50 लाख रुपये का अनुदान दिया, 1994-95 में 200 लाख रुपये का और 1995-96 में 300 लाख रुपये का अनुदान दिया। इसके अलावा कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड)

इस तरह की दवाइयां हैं जो सरकारी चिकित्सालयों की अप्रूव्ड लिस्ट पर हैं, वहां के प्रभारी उनको तत्काल दे ही देते हैं लेकिन जो दवाइयां अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं हैं और जिनकी रोगी को आवश्यकता है उसके लिए इण्डेंट किया जाता है, बाहर से। अब माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि एक इस तरह की डायरी हो जाय जिस डायरी के अन्दर जो इण्डेंट की जाने वाली औषधि है, उस पर वह अधिकारी लिख दे और उसको वह बाहर से खरीद ले।

उपाध्यक्ष महोदय, कई तरह की विसंगतियां इस सम्बन्ध में पहले भी आई हैं। आउटडोर पेशेंट के लिए एक डायरी का प्रबन्ध कर रखा है, 1500 रुपये वार्षिक की दवाइयां उससे ले सकते हैं परन्तु कई बार कई तरह की शिकायतें आती हैं। उनकी डायरियां कई मेडिकल स्टोर्स पर मिलती हैं और वहां से लिखवा कर, जिस तरह इस कोष का सदुपयोग होना चाहिए उसका दुरुपयोग भी होता है । फिर भी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा । इस पूरे प्रकरण के अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग दोनों को मिलकर निर्णय लेना है। हमने सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की है और सुविधा बढ़ा भी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवाई देने के लिए व्यवस्था के बारे में जो चितां व्यक्त की है, आपकी चिंता में हम भी सम्मिलित हैं। हमने अंशदान भी लगातार बढ़ाया है। इसके साथ-साथ हमने परिपत्र जारी करके सरकारी चिकित्सालयों में जितने भी टैस्ट होते हैं, चाहे वे टैस्ट मेडिकल रिलीफ सोसायटी जो वर्तमान में कर रही है, तमाम तरह के टैस्ट भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त में उपलब्ध हों, इसकी भी व्यवस्था की है।

इसके अलावा और जो आपके रचनात्मक सुझाव हैं, उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री गोपीराम जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है-

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है।

श्री गोपीराम जाट : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है कि बजट में कमी है या इस तरह की जो बात कही है पेंशनर्स के लिए, तो मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा जो सेवानिवृत कर्मचारी जिस वक्त हास्पिटल में भर्ती रहते हैं, आपने बताया कि इनकी डायरी दुकानों पर पाई जाती हैं, 1500/- रु. के बारे में हेराफेरी होती है, मैं इस विषय पर न जाकर इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कर्मचारी अस्पताल में भर्ती रहता है उस वक्त जिन दवाइयों की आवश्यकता होती है, उन दवाइयों की पूर्ति होनी चाहिए। आपने कहा कि बजट की कमी है। इसमें जैसे टैस्ट हैं या एक्सरे की रेट बढ़ गयी ऐसी स्थिति में मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको आश्वासन दिया है। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न है। मंत्री महोदय, आपने कहा कि साल में कटता है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह वेतन के साथ हर माह कटता है।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर के श्री जी.के. जोशी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जब इसके अंतर्गत दवा नहीं दी गयी तो वे वहां के उपभोक्ता कोर्ट में गये। वहां से निर्णय हुआ कि राज्य कर्मचारी उपभोक्ता है, जो सेवानिवृत्त हैं। उसके बाद में सरकार हाई कोर्ट में चली गयी। हाई कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो गया कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं ये उपभोक्ता हैं और इनका जो अंशदान कटता है उससे ही सरकार इनको चिकित्सा की सुविधा देती है। लेकिन आज फिर राजस्थान सरकार पुनः डबल बैंच में जाना चाहती है, रिवीजन में जाना चाहती है। मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से और संपूर्ण राज्य सरकार से आग्रह है कि पेंशनर्स को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यहां जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको तो आप पूरी सुविधा दे रहे हैं लेकिन सेवानिवृत्त व्यक्ति, जिसको सबसे ज्यादा चिकित्सा की आवश्यकता है, वह सुविधा देने में आप कोताही बरत रहे हैं। आप चाहें तो एक-एक रुपया और राज्य कर्मचारियों से काट लें लेकिन उन लोगों को, जो इनडोर पेशेंट हैं या दूसरे पेशेंट हैं उनको राज्य कर्मचारियों की तरह से पूरी सुविधा दी जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका सुझाव है। इन्होंने प्रश्न नहीं किया, इन्होंने यहां पर सुझाव दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो इस योजना के अन्तर्गत दवाई दी जाती है उसका अंशदान सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारी की तनख्वाह से कटता है। यह प्रतिमाह तनख्वाह के हिसाब से अलग-अलग है। कहीं पांच रुपये हैं, कहीं आठ रुपये हैं, कहीं 15 रुपये है और अधिकतम 30 रुपये है। यह सारा पैसा जिला स्तर पर इकट्ठा होकर पी.डी. अकाउण्ट में जमा हो जाता है। जिला स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है जिसके जिला कलक्टर चेयरमैन हैं और तीन हजार रुपये की दवाइयों के पुनर्भरण का अधिकार जिला कलक्टर को है। इसके अलावा यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी गम्भीर रोग से पीड़ित हो जाए तो उसके इलाज में आने वाले खर्चे का 50 हजार रुपये या टोटल खर्चे का 80 फीसदी, जो भी कम हो, वह देने का काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कर्मचारी संघों से जुड़े हुए हैं। सनाढ्य साहब, जहां तक मुझे स्मरण है, यह योजना आपकी प्रेरणा से ही राजस्थान में प्रारम्भ हुई थी और उस समय सरकार के साथ जो आपकी बात हुई थी उसमें आपने कहा था जब हम सरकारी सेवा में है उस वक्त उस पैसे को हम अंशदान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रूप में देना चाहते हैं और अब सेवानिवृत्त हो जाए वृद्धावस्था में तब उस राशि का उपयोग हो। परंतु आपने इस बात की प्रशंसा नहीं की, जो उससे भी आगे बढ़कर सरकार ने उसमें अंशदान देने का काम किया है। 1995-96 में 300 लाख रुपया दिया है। आज तक राजस्थान में इतना बड़ा अंशदान सरकारी सेवाओं में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं दिया गया।

जिस प्रसंग के बारे में आपने कहा कि न्यायालय में विवाद चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं विभाग के अधिकारियों से चर्चा करूंगा तथा मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहता हूं कि सरकार जो भी योजनाएं लागू करे उन योजनाओं का लाभ उन लोगों के पास निश्चित तौर पर सही तरीके से पहुंचे। इसके लिए सनाढ्य साहब जैसे लोगों का रचनात्मक सुझाव आएगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा मैं आपके साथ और गोपीराम जी के साथ बैठ लूंगा और अधिकारियों के साथ चर्चा कर लेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी सुधार की आवश्यकता होगी वह निश्चित तौर पर किया जाएगा।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा का कार्य जो आपके तीन साल के कालखंड में हुआ है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। हम सब लोग इसकी तारीफ करते हैं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा, दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

जनजाति बहुल्य ग्राम नाल मौखी तक सड़क निर्माण बाबत

(1) जनजाति बहुल्य ग्राम नाल मौखी तक सड़क निर्माण बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

पंचायत समिति गोगुन्दा के ग्राम नाल में नोलियाधारा डैम का निर्माण कराने बाबत

(2) पंचायत समिति गोगुन्दा के ग्राम नाल में नोलियाधारा डैम का निर्माण कराने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित चार याचिकाएं उपस्थापित करता हूं -

मांडल जिला भीलवाड़ा के ग्रामों को डामर की पक्की सड़कों से जोड़ने बाबत

(1) तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा के कतिपय ग्रामों को डामर की पक्की सड़कों से जोड़े जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

मांडल जिला भीलवाड़ा के विभिन्न ग्रामों की स्कूलों को क्रमोन्नति करने बाबत

(2) तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा के

(श्री कालूलाल गूजर)

विभिन्न ग्रामों की स्कूलों को क्रमोन्नत करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

मांडल जिला भीलवाड़ा के ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं पी. एच. सी. करड़ा में गायनिक महिला चिकित्सक का पद सृजित करने बाबत

(3) तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं पी.एच.सी. करड़ा में गायनिक महिला चिकित्सक का पद सृजित करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

मांडल जिला भीलवाड़ा के ग्रामों को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से जोड़ने बाबत

(4) तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा के कतिपय ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त पानी होने से उक्त ग्रामों को मीठे पानी के क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं से जोड़े जाने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरपतसिंह राजवी, सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 का सातवां प्रतिवेदन

श्री नरपतसिंह राजवी (सभापति, प्राक्कलन समिति "क") : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1996-97 ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से सम्बन्धित समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति 1996-97 का तृतीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 1996-97 समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 1996-97 समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या - 3) विधेयक, 1997

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

श्री हरिशंकर भामड़ा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या - 3) विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान दास डोसी। (अनुपस्थित)।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। जो बजट प्रस्तुत हुआ है उस बजट के माध्यम से

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जनता को मैक्सीमम सुविधाएं उनकी आवश्यकता के अनुसार कैसे उपलब्ध कराई जाएं, सरकार ऐसे कौन से तरीके अपनाए जिससे राजस्व का अर्जन ज्यादा से ज्यादा हो सके और किस तरह मितव्ययी तौर-तरीके अपनाकर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, इसका प्रयास किया गया है।

मैं सबसे पहले राजसमंद के खनिज व्यवसाय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, जो सिर्फ राजस्थान के नक्शे पर ही नहीं अपितु मार्बल व्यवसाय की दृष्टि से पूरे देश में और यदि मैं यह कहूं, कि पूरे विश्व में अपना स्थान रखता है तो गलत नहीं होगा। सरकार का यह ध्येय है कि इस मार्बल व्यवसाय से ज्यादा से ज्यादा टैक्स के रूप में राजस्व अर्जित हो यह बिलकुल सही बात है। पिछले दिनों विभाग द्वारा मार्बल व्यवसाय से प्राप्त होने वाली रायल्टी को ठेके पर देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। हमने माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया कि यदि इसको ठेके पर दे दिया जाएगा तो वहां पर कई तरह की अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी।

ठेके पर देने से यह तय है कि जो वर्तमान में राशि मिल रही है उससे ज्यादा राशि अर्जित हो सकती है लेकिन ठेकेदार उसको रिकार्ड पर कभी नहीं लेगा और यदि वह रिकार्ड पर नहीं लेगा तो आपको टैक्स का नुकसान होगा यदि वह सैल्स टैक्स नहीं देगा तो भारत सरकार के जो एक्साइज टैक्स और इनकम टैक्स हैं उनमें भी यह मुद्दा शरीक नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ठेके पर देने से राजस्व अर्जित होने के बजाय नुकसान होने के चांसेज हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि यदि आप इसको ठेके पर नहीं दिलाना चाहते हो तो इसमें इनकम बढ़ाने की बात करो। तो मैंने कहा कि यह तो अधिकारीगण काम करते हैं और अधिकारीगण अपने स्तर पर इस तरह की व्यवस्था करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्जित हो, टैक्स का इवेजन नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय खनिज मंत्रीजी ने हमारे निवेदन को मान लिया और जो प्रक्रिया रायल्टी के ठेके के बारे में प्रारम्भ की थी उसको स्थगित कर दिया। हम इस बात के लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें टैक्स इवेजन किस ढंग से हो रहा था इसके बारे में भी हमने जानकारी दी। व्यवसायियों से तो पूरा का पूरा टैक्स वसूल किया जा रहा था। लेकिन सारा टैक्स राजकीय खजाने में जमा नहीं हो पा रहा था। उसमें से खेरा जमा हो रहा था और उसका मेजर अंश कर्मचारियों और अधिकारियों की जेब में जा रहा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि आप अपने तरीके से किस ढंग से बढ़ा सकते हो तो हमने वहां पर कुछ व्यवसायियों के सहयोग से, खान मालिकों के सहयोग से, अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध करने के बाद, मैंने और हमारे जो विधायक साथीगण हैं, इन सब ने मिलकर वहां की इनकम के लिए प्रयास किया और यह लगभग डेढ़ गुणा हो गयी है जो मुख्य मंत्रीजी को हमने निवेदन किया था।

इसमें जो ठेकेदारी से देने का मामला था उसमें इंटरस्टेड कौन थे वह एक विचित्र

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इंटरेस्टेड वे लोग थे जो इसमें टैक्स इवेजन किस ढंग से हो रहा है उस टैक्स का फायदा ठेका लेकर किस ढंग से उठा सकते थे। उन्होंने सीधा सादा एक काम किया, कॉमर्शियल एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारीगण हैं और जो वहां की पोल के बारे में जानते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके स्वयं के परिजन हैं और इसी तरह जो खनन विभाग में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके रिश्तेदार हैं इन विभागों ने उनको बताया कि यदि वास्तव में आप ठेका ले लोगे तो इसमें इतनी इनकम की सम्भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यही है कि यदि वास्तव में इस सारे टैक्सेशन को रिकार्ड पर लेना चाहते हैं, टैक्स इवेजन से बचना चाहते हैं तो हमें हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे तो डेढ़ गुणा की बात तो छोड़िये तीन गुणा इनकम भी की जा सकती है। इससे राजस्थासन के टैक्सेशन में वृद्धि होगी और विकास के काम कराने में हमें सुविधा होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी उद्योग विभाग की ओर से एक विचित्र सर्क्यूलर निकला है कि मार्बल व्यवसाय के कारण जो मार्बल स्लरी सड़क के किनारे डाली जाती है उससे प्रदूषण फैलता है। वहां पर लगने वाली फैक्ट्रीज गोदाम और मार्बल से सम्बन्धित जो अन्य व्यवसाय हैं, आपकी उद्योग नीति है उसमें तो यह है कि 75 फीट नेशनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे से दूर छोड़कर इस तरह के व्यवसाय के लिए जमीन अलाट की जाए या मालिकाना हक है तो उसको व्यवसाय के लिए कन्वर्ट की जाए, आपकी नीति में तो इस तरह है लेकिन अभी उद्योग विभाग ने एक सर्क्यूलर निकाला कि 500 मीटर तक ऐसे व्यवसाय के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी प्रशासनिक शिथिलता का खामियाजा हमारे व्यवसायी भुगतें, इस बात को तो सहन नहीं किया जा सकता। यह तो वही बात हुई कि आपको खेती इसलिए नहीं बोनी चाहिए कि चिड़िया चुग जाएगी। चिड़िया चुग जाएगी तो उस चिड़िया को उड़ाने की आप व्यवस्था करिये। आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करिये, मजबूत करिये और सख्ती से उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देश दीजिए। कई उद्योगपतियों ने वहां पर जमीन खरीद ली है, उनके लिए मशीनें खरीद ली हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह की आवश्यकता होती है, धन की व्यवस्था की है, अब किसी व्यक्ति की अपनी जमीन है वहां पर और उसको उद्योग लगाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है उप मुख्य मंत्रीजी से, जो कि उद्योग विभाग का काम देख रहे हैं, कि इसमें मार्बल स्लरी से प्रदूषण फैलता है तो इस प्रदूषण से बचने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, निश्चित तौर पर करनी चाहिए, उन व्यवसायियों को पाबंद करिये कि वे ऐसे निर्धारित स्थल हैं वहीं पर अपनी स्लरी डालें और सड़क के किनारे डालकर प्रदूषण नहीं

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

फैलाएं। जो उद्योग विभाग ने सर्क्यूलर निकाला कि 500 मीटर सड़क के किनारे से दूर तक इजाजत नहीं दी जाए, वह 75 फीट छोड़कर इजाजत देने की व्यवस्था की जाए ताकि व्यवसाय पनपे। व्यवसाय पनपेगा तो उससे इनकम होगी और स्टेट की बहूबदी बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं समझता हूं कि इस पर राजस्थान सरकार और विशेष तौर से हमारे सम्बन्धित मंत्रीगण ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और स्टेट की इनकम भी बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं जो आप स्टेट की इनकम बढ़ाने की बात करते हैं मैं आबकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि हमारा अनुमान है कि हमारी अगले वर्ष आबकारी विभाग के माध्यम से लगभग एक हजार करोड़ रुपये की इनकम होगी। मैं तो इस बात के विरुद्ध हूं। प्राहिबिशन लागू हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रदेश की माली हालत को देखते हुए प्राहिबिशन लागू करने की स्थिति में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इसको सही ढंग से संचालित करिये, आप तो एक हजार की बात करते हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इससे 1300 करोड़ रुपये की इनकम हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, वह 1300 करोड़ रुपये की इनकम किस तरह हो सकती है ? आज हमारी नीति इस तरह की डिफेक्टिव है कि उस नीति के कारण लगभग 200 करोड़ रुपये पुलिस विभाग के कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक को रिश्वत के रूप में अपना व्यवसाय चलाने के लिए देना पड़ता है। तो इसमें कहीं न कहीं कमेटी का गठन करके इसमें कुछ तय करना चाहिए कि जो पैसा अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में जा रहा है उस पैसे को सरकारी कोष में किस तरह से लाया जाए। यदि इस बारे में चिन्तन किया जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की इनकम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और निश्चित तौर से वर्तमान में जो आकलन है आबकारी मंत्रीजी का उस आकलन से 20 प्रतिशत के लगभग इनकम बढ़ सकती है। इस नीति के बारे में आपको चिन्तन करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि व्यवसायियों की जेब से इस व्यवसाय को संचालन करने के लिए जो पैसा जा रहा है उस पैसे को कैसे रोका जाय और उनकी होनी वाली इनकम को सरकारी कोष में कैसे लाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कुछ पैसा सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। निश्चित तौर से उन सुविधाओं के माध्यम से राज्य सरकार अपना राजस्व बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो सकती है। अब मैं निवेदन करूं कि रेलमगरा जो तहसील मुख्यालय है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां भारत सरकार का हिन्दुस्तान जिंक का प्रतिष्ठान है, वहां पर डाक बंगले की सुविधा नहीं है। डाक बंगले में मुश्किल से 4-5 लाख रुपये खर्च होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय भी उसी तहसील को

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

रिप्रजेंट करते हैं, मैं भी उसी तहसील को रिप्रजेंट करता हूं। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए 6-7 साल हो गये लेकिन डाक बंगले के अभाव में अधिकारियों और कर्मचारियों को तो छोड़िये, जो वहां पर काम-काज करने के लिए आता है वह आकर चला जाता है हम भी आज दिन तक वहां पर रात्रि विश्राम इसलिए नहीं कर पाए कि वहां पर डाक बंगले की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिये कि यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी वहां पर जब इंस्पेक्शन की दृष्टि से आए तो वह एक घंटा जाकर वापस चला आएगा, मात्र फार्मेलिटी करके चला जाएगा। क्या आप यह समझते हैं कि वहां के प्रशासनिक कामकाज की, राजस्व अर्जन करने की एजेंसी है, उसको अपना कामकाज देखने के लिए, वहां के बारे में अध्ययन करने के लिए इतना समय मिलेगा ? मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से अनुरोध है कि रेलमगरा में एक डाक बंगले का निर्माण तत्काल कराया जाए। ताकि वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज करके जो रात्रि विश्राम करना पड़ता है उसकी सुविधाएं मिल जाए। यहीं नहीं, राजसमन्द जिला मुख्यालय की स्थिति भी ऐसी है। जहां तक डाक बंगला और सर्कट हाउस का प्रश्न है। राजसमन्द जिला मुख्यालय जब सृजित हुआ था, उसके साथ-साथ बारां जिला भी बना है और दौसा जिला भी बना है, इन दोनों स्थानों पर अभी सर्कट हाउस तैयार हो चुके हैं लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि राजसमन्द जिला मुख्यालय पर अभी तक सर्कट हाउस तैयार नहीं हुआ है। मेरी मान्यता ऐसी है कि वहां पर चाहे कमिश्नर इंस्पेक्शन के लिए आये चाहे कोई सेक्रेटरी इंस्पेक्शन के लिए आये चाहे डी. जी. इंस्पेक्शन के लिए आए, वहां जिला मुख्यालय पर रहने की जगह के अभाव में वे सिर्फ आकर उदयपुर चले जाते हैं। आप यह समझते हैं कि वे अपने इंस्पेक्शन में तल्लीनता से अपना काम कर पायेंगे ? मेरी ऐसी मान्यता है कि वे वहां पर सिर्फ फार्मेलिटी के नाते पेपर्स पर हस्ताक्षर करके अपना दायित्व निर्वहन कर देते हैं सिर्फ कागजी तौर-तरीकों से, वह उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त तो तभी होगा कि आप इन अधिकारियों और कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों के लिए मंत्रीगण के लिए सर्किट हाउस बनवा दें। अभी मात्र 50 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, इसमें 50 लाख रुपये की और आवश्यकता है। मेरा वित्त मंत्रीजी से अनुरोध है कि सर्कट हाउस के निर्माण को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपये अतिरिक्त और दिये जाएं ताकि तत्काल इस कार्य का समापन कराया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी परसों माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने अपने भाषण में विभाग की डिमांड के उत्तर में फरमाया था कि इस वर्ष सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की रेलमगरा तहसील में पीपली डोडियान एक ऐसा स्थान है जिसको अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। मैंने एक प्रस्ताव दिया था विभाग को कि बनेड़िया से पीपली डोडियान होते हुए ओरा तक सड़क

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

का निर्माण करा दिया जाता है तो उससे जो उस क्षेत्र की जनता को जिला मुख्यालय पर अपने आवश्यक कामकाज निपटाने के लिए जाना पड़ता है, उनकी दूरी 30 कि. मी. कम हो जाएगी और इससे तीन पंचायत मुख्यालय स्वतः ही सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसके बारे में भी यदि इस ढंग से निर्णय लें कि उसके आसपास के गांव जैसे फूंकिया, भामाखेड़ा, ये छोटे-छोटे गांव हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 800 से भी ज्यादा है और आपकी नीति में भी आ रहे हैं कि आने वाले दो साल बाद भी जिस गांव की जनसंख्या 750 से ज्यादा है, उनको सड़क मार्ग से जोड़ना है तो आटोमेटिकली ये छोटे-छोटे गांव जो नीति के अन्तर्गत भी आपको सड़क मार्ग से जोड़ने हैं वे स्वतः ही जुड़ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपने राजसमन्द को जिला बना दिया, जिला बनाने के बाद में इसको जिला चिकित्सालय का दर्जा भी दिया गया। अब जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया लेकिन अभी तक सामुदायिक चिकित्सा भवन जो पुराना था, वहां मैं समझता हूं कि 30 के लगभग डाक्टर्स हैं, पेशेंट की तो बात ही छोड़ो, डाक्टर्स के बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी तक जिला चिकित्सालय भवन निर्माण कराने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, उसमें सरकार को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और वर्तमान में जो भवन उपलब्ध है उसका उपयोग भी हो जाएगा। जो पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, वह कलेक्ट्रेट बिल्डिंग इतनी बड़ी है और जो वर्तमान अस्पताल है, उसके बहुत नजदीक है। वहां से कलेक्ट्रेट नयी बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है, वहां पर जो न्यायालय चलते थे वे भी अपने न्यायालय परिसर में शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पर जिला परिषद का कार्यालय संचालनरत है, जिला परिषद का भवन भी तैयार हो चुका है। तो वह बिल्डिंग लगभग रिक्त हो चुकी है। मेरा सुझाव है कि उस बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले और उस भवन को अस्पताल के लिए चिन्हित करके उसमें आवश्यक एडिशन-आल्टरेशन जो भी करने हों, एडिशन-आल्टरेशन करके उस भवन का उपयोग राजकीय जिला चिकित्सालय के लिए किया जाए। मैं समझता हूं कि इससे राज को बहुत भारी राशि के रूप में बचत होगी और साथ ही वहां पर जनता को जिला चिकित्सालय के माध्यम से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सुविधाएं भी मिल जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चिकित्सा सेवाओं का प्रश्न है, पिछले वर्ष चिकित्सा की दृष्टि से बहुत से सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं, सब सेन्टर्स खोले गये जितना मैं समझता हूँ कि भाज.पा. के शासन में चिकित्सा सुविधाओं का जितना एक्सपांशन हुआ है, इतना पिछले 40 साल के अरसे में कांग्रेस राज में भी नहीं हो सका है। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं छोटी-मोटी गड़बड़ है। मैं आपको रेलमगरा तहसील के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। रेलमगरा तहसील में जनसंख्या की दृष्टि से तो पर्याप्त संख्या में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र भी हैं, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र भी हैं लेकिन राजनीतिक कंसिडरेशंस के कारण कांग्रेस राज से सिर्फ उसके आधे भू-भाग को ही वह

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

सुविधाएं मिल पा रही हैं। इसके क्षेत्रीय बैलेंस के बारे में ध्यान बिलकुल नहीं रखा गया है और जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय का विधान सभा क्षेत्र है, उसका एक प्रमुख स्थान भी आता है। मेरा निवेदन है कि रेलमगरा तहसील के शेष बचे हुए आधे भू-भाग, जहां पर घनी आबादी है, को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए चराना चौराहा पर चिकित्सा केन्द्र खोल दिया जाता है तो इसके साथ-साथ वहां पर आठ पंचायत और इसके ईर्द-गिर्द के आने वाले गांवों के लोगों को इसकी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वायदा करता हूं इस सदन के माध्यम से कि वहां पर जब तक कोई भवन का निर्माण नहीं हो जाए, तब तक मैं बिना किसी किराये के भवन उपलब्ध करा दूंगा। मैंने माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को इसके बारे में निवेदन भी किया था, उन्होंने इस बात का अहसास भी किया था कि वहां पर आधी तहसील में यह सुविधा नहीं है, यह सुविधा मिलनी चाहिए और साथ ही मैंने ऐसे दानदाताओं को भी तैयार किया है जो 25 लाख रुपये खर्च करके भवन का निर्माण भी करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा सुविधा सभी लोगों को, पूरी तहसील के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है कि चिकित्सा विभाग तत्काल एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र चराना चौराहा पर खोले और वहां के लोगों को जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें तो आपकी महती कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण वाला मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार को हर वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं परिवार कल्याण के लिए परन्तु परिवार कल्याण के कामकाज की सफलता राजस्थान की दृष्टि से अभी तक संदिग्ध है, आंकड़ों की दृष्टि से चाह अपन कुछ भी कह लें कि हमने यह कर लिया, वह कर लिया। मेरा इसमें अनुरोध है कि परिवार कल्याण विभाग को समाप्त कर देना चाहिए और परिवार कल्याण विभाग के स्थान पर जितनी राशि उस पर खर्च की जाती है, यदि वह सारा पैसा शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा प्राथमिक शिक्षा को कम्पलसरी करके हर व्यक्ति को कम्पलसरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य कर दिया जाता है तो उनमें स्वतः ही जागरुकता आ जाएगी और जागरुकता के साथ-साथ परिवार कल्याण के तौर-तरीकों को भी अपनाएंगे क्योंकि वे खूब समझते हैं कि एक बड़े परिवार का लालन-पालन-पोषण करने के लिए कितनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है आय के स्रोत सीमित होते हैं और सीमित स्रोत में यह कैसे सम्भव है कि परिवार को मेन्टेन करें। तो यह जन जागृति पैदा करना और शिक्षा का प्रसार करना, दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यदि परिवार कल्याण विभाग बन्द करके सीधा शिक्षा विभाग को पैसा स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं उचित रहेगा नहीं तो आप हर साल कभी 100 करोड़ रुपये, कभी 200

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

करोड़ रुपये और कभी 300 करोड़ रुपये खर्च करते रहेंगे। मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि यह सारा का सारा पैसा शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया जाता है शिक्षा प्रसार की दृष्टि से तो आने वाले 10 साल बाद आपको परिवार कल्याण के लिए अलग से ऐसी मोटी राशि और इतने लम्बे चौड़े लवाजमे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलमगरा मेरे विधान सभा क्षेत्र का तहसील मुख्यालय है। वहां पर हर वर्ष पेयजल का संकट होता है और ताबड़तोड़ में विभाग कभी बीस लाख रुपये खर्च करता है, कभी पच्चीस लाख रुपये खर्च करता है। मजबूरी होती है विभाग की और सरकार की, और सरकार का दायित्व है कि किसी न किसी रूप से रेलमगरा को पेयजल उपलब्ध कराया जाए। कभी-कभी तो वहां पर गर्मी में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दस दिन में एक टाइम आधे घंटे के लिए पानी मुहैया हो पाता है। मैंने अनुरोध किया था माननीय पीएचईडी. मंत्रीजी से वहां का स्थायी निदान करने के लिए कुछ न कुछ काम करें। इसके लिए मेरे दो सुझाव हैं। एक तो जो भूमिगत जल वहां पर हिन्दुस्तान जिंक की खदानें बहुत गहरी होने के कारण है नहीं, भूमिगत जल का प्रवाह पैदा करने के लिए जो अभी कूरज में अधूरा एनीकट बना हुआ है बनास नदी पर उस ऐनीकट को पूरा कर दिया जाता है तो भूमिगत जल का प्रवाह हो जाएगा और वहां का पेयजल का संकट समाप्त हो जाएगा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि रेलमगरा के लिए जो वर्तमान में कुएं खुदे हुए हैं उन कुओं के पानी की जांच करा कर उनको टंकियों से कनेक्ट कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं इससे उस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।

एक मुद्दा और है, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी स्टेट की आय से रिलेट करता है। राजसमंद की उप तहसील कुंवारिया, जिसका दोसाल पहले कुंवारिया मुख्यालय था, बहुत बड़े भू-भाग को कवर करती है। जिला कलक्टर ने प्रशासनिक आदेश जारी करके उसका नाम तो कुंवारिया उप तहसील रखा और उसका मुख्यालय राजसमंद कर दिया। इससे वहां के किसानों को बड़ी परेशानी होती है। वह परेशान इस कदर हो रहे हैं कि बहुत से गरीब लोग तो तहसील के दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। पांच दिन मजदूरी करेंगे तब तहसील मुख्यालय पर जा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि उप तहसील का मुख्यालय राजसमंद के बजाय पुनः कुंवारिया में कर दिया जाता है तो वहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी।

जहां तक जमीनों की खरीद-फरोख्त के रजिस्ट्रेशन का प्रश्न है, प्रदेश मुख्यालय से बराबर सर्क्यूलर जाते हैं कि आप कुछ रेश्यो बढ़ाइये, रजिस्ट्रेशन की दर बढ़ाइये। तो कभी बीस हजार बीघे के हिसाब से, अगले छह महीने बाद तीस हजार के हिसाब से, अगले दो साल के बाद में चालीस हजार पर बीघा के हिसाब से रजिस्ट्री करने के निर्देश आते हैं। यह नीति अच्छी नहीं है।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इससे टैक्स इवेजन होता है। किसान लोग जमीन की खरीद फरोख्त तो करते हैं कि पर वास्तविक मूल्य उतना नहीं होता सिर्फ आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह करते हैं यह अच्छी बात नहीं है। इनकम तो यदि आपकी रजिस्ट्रेशन की पर बीघा दर सामान्य होगी तो स्वतः ही अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति स्वेच्छा से जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा और सरकार को इस रजिस्ट्रेशन के रूप में जो धन प्राप्त होता है वह देना चाहेगा। ऐसी स्थिति में इस पर भी चिंतन की आवश्यकता है और यदि इस पर चिंतन नहीं किया गया तो आने वाले समय में आपके कई तरह के जमीनों के डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे और उन डिस्प्यूट्स के कारण किसान वर्ग बहुत दुःखी हो जाएगा। बहुत परेशान हो जाएगा। आपकी स्थिति भी यह है कि जो वास्तविक दर पर है जमीन की, उससे कई गुना ऊंची दर पर वहां रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है। तो इसके बारे में भी मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी चिंतन करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। 27.3.95 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां अपने बजट भाषण में यह घोषणा की "कच्ची ऊन को विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपभोग करने पर पूर्णतः कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।" वूलन यार्न, एक ब्रोड है टर्म है यह शब्द। वूलन यार्न किसी में भी काम आए, चाहे उसका कारपेट बनाओ, चाहे उसका गलीचा बनाओ। यह निटिंग यार्न नहीं है, यह वूलन यार्न है, कच्चा धागा है। 1994-95, 95-96 में सारे अधिकारियों ने असेसमेंट कर लिया। वूलन यार्न की बीकानेर मण्डी, उसके बाद में ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, मेड़ता आदि कई मण्डियां हैं, सब के असेसमेंट हो गये पर कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि सेल्स टैक्स विभाग वाले स्क्रूटनी में निकालते हैं जिसका असेसमेंट स्वयं सी.टी.ओ. करता है। इस प्रकार के दो-तीन मण्डियों में केसेज रहे। सी.टी.ओ. के पास गये, सी.टी. ओ. ने कहा कि वूलन यार्न, 90 से पहले से ही वूलन कारपेट यार्न के नाम से ही बिल कटता था और उसी प्रकार असेसमेंट होता था इस पर सी.टी. ओ. अड़ गया। सी.टी.ओ. साहब ने कहा कि नहीं, यह तो कारपेट वूलन यार्न है। उन्होंने बहुत समझाया, वहां की एसोसिएशन ने सरकार को लिखा, कमिश्नर को लिखा। 19 फरवरी, 96 को उन्होंने पत्र दिया यहां से। सरकार की ओर से 2.8.96 को वापस पत्र आया और पत्र में अतिरिक्त आयुक्त (कर) ने यह लिखा है उपरोक्त विषय के अन्तर्गत लेख है कि वूलन कारपेट यार्न एवं वूलन यार्न अलग अलग वस्तुएं

(श्री उगमराज मेहता)

हैं। वूलन कारपेट यार्न के विनिर्माण हेतु खरीदी जाने वाली कच्ची ऊन पर अधिसूचना सच एण्ड सच, दिनांक 27.6.90 के अन्तर्गत डेढ़ प्रतिशत की दर से कर देय होगा। अधिसूचना क्रमांक 44/28/एसटी /ग्रुप-4/94-ए, दिनांक 13.6.94 के अन्तर्गत वूलन यार्न के विनिर्माण हेतु खरीदी जाने वाली कच्ची ऊन पर कर दर 27.3.95 से शून्य प्रतिशत है जो कारपेट वूलन यार्न के विनिर्माण के लिए लागू नहीं होती है। हमने राज्य सरकार से निवेदन किया, बार-बार डेपुटेशन आए कि जब व्यापारियों ने सेल्स टैक्स ही वसूल नहीं किया, वूलन यार्न के नाम से माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उसको कर मुक्ति मिल गयी, उसके उपरांत यह टैक्स लगाने के लिए आमादा हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बात सुनी, उन्होंने एफ.एस. से बात की, एफ.एस. से हम भी मिले, एफ.एस. ने उसको स्टे किया। उसके बाद में तीन बार लगातार वहां के डेपुटेशन आते रहे और वह स्टे होता गया कि बजट सैशन में जिस प्रकार से घोषणा हो गयी हम उसकी छूट देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में हमने यह मांग की थी कि उसको कारपेट वूलन यार्न जिस प्रकार से आप इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उसको जोड़ दिया जाए और पिछले जो नोटिफिकेशन में है, उसमें यह शब्द लिखा जाए। अब इस बजट में माननीय भाभड़ा साहब ने कहा है राज्य में कच्ची ऊन को कच्चे माल के रूप में वूलन यार्न विनिर्माण हेतु कर मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है जबकि राज्य में बहुतायत से बनाये जा रहे वूलन कारपेट यार्न के सम्बन्ध में यह सुविधा अभी प्राप्त नहीं है। मैं अब वूलन कारपेट यार्न के राज्य में विनिर्माण हेतु प्रयुक्त कच्ची ऊन को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं"। कारपेट वूलन यार्न और वूलन यार्न कोई अलग-अलग चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं, यह वूलन यार्न है, यही आती है कारपेट यार्न में, वूलन यही बनती है। यह देखिये आप, यह टूटती है, यही काम में लिया जाता है। निटिंग यार्न नहीं है यह। जो परिभाषा कर रहे हैं, वह निटिंग यार्न है। यह वूलन यार्न वही है और इसी से कारपेट बनता है, इसी से गलीचा बनता है हाथ से। कोई किसी पावरलूम या हैण्डलूम से नहीं, हाथ से बनाये होते हैं और यह ज्यादातर यहां से वूलन यार्न भदोई जाता है जहां पर सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार से घर पर यह काम लिया जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, अब कारपेट वूलन यार्न और वूलन यार्न को अलग-अलग मानकर अधिसूचना जारी करना गलत है। दिनांक 13.6.94 वाली अधिसूचना में ही कारपेट वूलन यार्न शब्द और जोड़ा जाए, यह मैं मांग करता हूं। इससे वहां के व्यापारियों को , वहां के भेड़पालकों को, सबको फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा कि अब सारी मण्डियों में पिछले साल, जिनका असेसमेंट हो गया है उनके केसेज रि-ओपन किये जाएंगे। वित्त मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन को जो इस बजट भाषण में है, वह पहले वाला भी उसी तरह से किया जाए कि कारपेट यार्न और वूलन यार्न,

(श्री उगमराज मेहता)

ये सब हैं। इन पर उसी प्रकार से उनको राहत दिलवायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मोटर पार्टस के ऊपर टैक्स 12 % से 6 % किया था। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट भाषण में आइटम नम्बर 1 से 90 तक के बाद 91 नम्बर पर वापस 12 % कर दिया । बी. एम. को अलग कर दिया। मोटर पार्ट्स के ऊपर आपने एक साल एक्सपेरीमेंट किया है, लोगों ने मिल से माल लाना चालू किया है। किसी इंस्पेक्टर ने दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं समझी। इसको कम से कम एक साल, दो साल और देखें कि किस प्रकार से हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है। आज कई जगह रेवेन्यू बढ़ी है इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि जो मोटर पार्ट्स पर 12 % किया है उसको वापस 6 % रखा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत बजट भाषण में माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने अजमेर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा की थी।

मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट भाषण में उसकी व्यवस्था कराएं और अजमेर में इंजीनियरिंग कालेज खोला जाए। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर राजस्थान के मध्य में है और वहां विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह है वहीं पुष्कर में देश का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर तीर्थ भी तीर्थ गुरु कहलाता है। यहां देश-विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं और यहां आस-पास में बहुत बड़ी-बड़ी मण्डियां हैं। संगमरमर की मण्डियां हैं। अजमेर के पास हवाई अड्डे के लिए जो जगह निश्चित की है उसमें जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करके हवाई अड्डा स्थापित करने की मैं मांग करता हूं। जल्दी से जल्दी उन भ्रांतियों को दूर करके वहां हवाई अड्डा बनाने की योजना हाथ में ली जाये।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भिनाय क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और भिनाय में मुन्सिफ कोर्ट की बहुत जरूरत है। तो वहां मुन्सिफ कोर्ट की भी स्थापना करायी जाए। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूदयल बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में विनियोग विधेयक, 1997 पर चर्चा की जा रही है। मैं भी अपने-आपको इस चर्चा में सम्मिलित करना चाहता हूं। मेरे पूर्व वक्ता ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक उगमराज जी मेहता ने वूलन यार्न के बारे चर्चा की जो राज्य सरकार से सन् 1995 में कर मुक्त था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वूलन यार्न पर राजस्थान से कर हटा दिया था और इसकी 13.6.94 को अधिसूचना जारी हो गयी थी लेकिन इस अधिसूचना का गलत अर्थ लगाया और इस वूलन यार्न की व्याख्या करने में कारपेट यार्न को अलग कर दिया। इसी सन्दर्भ में केकड़ी, ब्यावर और बीकानेर के व्यापारियों ने कच्ची ऊन विक्रय पर आज तक विक्रय कर नहीं लिया।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

उनका असेसमेंट भी हो गया परन्तु आज यहां दुबारा केस खोले जा रहे हैं। इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी ने कारपेट यार्न और समस्त वूलन यार्न को कर मुक्त किया है, यह बधाई का विषय है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि —

श्री उपाध्यक्ष : परिभाषा समझने का अन्तर है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : जी हां, अन्तर है। सन् 1994 में जब अधिसूचना जारी हुई एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण दिनांक 23.3.95 में वूलन यार्न को समस्त राजस्थान में कर मुक्त किया पर इस नोटिफिकेशन की गलत परिभाषा की गयी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज करीब 5-6 रोज से केकड़ी के , ब्यावर के और बीकानेर के व्यापारी बन्धु, वूलन मर्चेन्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी विशिष्ट दर्शक दीर्घा में बिराज रहे हैं और सुबह मुख्य मंत्री से भी उनका डेलीगेशन मेरे और ब्यावर के विधायकजी के साथ मिला, वित्त मंत्री जी एवं उप मुख्य मंत्रीजी से भी आज उनका प्रतिनिधि मंडल मिला, उन्होंने आश्वस्त किया कि आज दोपहर बाद इस पर निर्णय करवा दिया जाएगा। सौभाग्य से आज वित्त सचिव भी यहां बिराजे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन में केवल संशोधन मात्र की आवश्यकता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे राजस्थान के ऊन व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसमें वूलन यार्न पर जब कर समाप्त किया है तो वूलन यार्न अपने-आप में बहुत-बड़ा शब्द है जिसमें वर्स्टेड यार्न भी आ जाता है, कारपेट यार्न भी आ जाता है, सेमी-वर्स्टेड यार्न भी आ जाता है और निटिंग भी आ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें संशोधन कर भूतकाल से सन् 1994 से इसको प्रभावित किया जाए। आज सन् 1997-98 के विनयोग विधेयक पर चर्चा की जा रही है और माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने गरीब को गणेश मानकर राजस्थान के सर्वांगीण विकास की कल्पना करते हुए जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए राजस्थान को इस वर्ष 1997-98 का बजट दिया है वह सर्वोत्कृष्ट है। इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जहां सर्वांगीण विकास होगा वहीं व्यापारी और उद्योगों को भी बहुत बड़ा लाभ प्रदान किया गया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा मंत्री की घोषणा के मुताबिक सम्भागीय स्तर पर इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रावधान रखा गया है। मैं अजमेर जिले से चुनकर आता हूं इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अजमेर जो विश्व प्रसिद्ध है ख्वाजा साहब की दरगाह की वजह से, तीर्थराज पुष्कर की वजह से पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र है वहां सम्भागीय स्तर पर एक हवाई अड्डे का प्रावधान पूर्व में किया गया है, जमीन का

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

प्रस्ताव भी रखा गया है लेकिन अभी तक वह मामला अधरझूल में पड़ा हुआ है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि माननीय मुख्य मंत्री जी , वित्त मंत्रीजी मिल कर के इस अजमेर के हवाई अड्डे का जो प्रावधान रखा हुआ है वह कार्यवाही करवा करके इसको विकसित करने का श्रम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज चिकित्सा क्षेत्र का बजट में प्रावधान रखा हुआ है। मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी से कि केकड़ी उपखंड स्तर का हमारा जे सामुदायिक चिकित्सालय है वह बहुत छोटा पड़ता है। वहां केकड़ी भिनाय और आस-पास के 30 किलोमीटर के रोगी आते हैं और चूंकि वह अस्पताल 60 शैय्याओं का है इसलिए छोटा पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि एक पुराना हॉस्पिटल जिसको आज केवल चिकित्सकों का आवासगृह बना रखा है उसको यदि आक्शन कर दिया जाए तो 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को उससे मिलेगी। वहां की हास्पिटल डवलपमेंट कमेटी ने जिसने निर्णय लिया है 25 बीघा जमीन जिला कलक्टर, अजमेर से आबंटित करवा ली और नया हस्पिटल बनाने के लिए चिकित्सा मंत्रीजी से, दानदाताओं को भी हमने राजी किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पूर्व विधान सभा सत्र में आश्वस्त किया था कि केकड़ी को सौ शैय्याओं का हास्पिटल देंगे यदि वहां दानदाता तैयार हों। मेरा निवेदन है कि दानदाता भी सहमत हैं, 25 बीघा जमीन भी आबंटित करवा ली गयी है और जो पुराना हॉस्पिटल केकड़ी में है वह चिकित्सकों का आवास है, उसका कोई उपयोग नहीं है उसको नीलाम करके राज्य सरकार पचास लाख से लेकर एक करोड़ रुपये की राशि ले वह हमारा जो नया अस्पताल बने उसमें उपयोग में आ सकती है।

(14.00)

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। केकड़ी उपखण्ड की केकड़ी, भिनाय और सरवाड़ तहसीलों का सारा न्याय सम्बन्धी भार जो है उसके लिए वहां केवल एडीजे. कोर्ट का कैम्प कोर्ट लगता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर ने भी सिफारिश की है कि अजमेर जिले का केवल एक केकड़ी उपखण्ड बाकी है, बाकी किशनगढ़ और ब्यावर में एडीजे. कोर्ट खुल गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पधार गये हैं, केकड़ी को एडीजे. कोर्ट प्रदान कर दिया जाए ताकि यह 85 किलोमीटर की दूरी के जो गरीब किसान, मजदूर न्याय लेने के लिए अजमेर पधारते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो और जो राज्य सरकार की नीति है, सस्ता, सुन्दर, सुलभ न्याय मिले वह एक तरह से साकार साबित हो। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी, भिनाय और सरवाड़ तहसीलों को आम काश्तकारों को न्याय प्राप्त करने में जो दिक्कतें आती हैं, उनको सस्ता सुन्दर न्याय देने के

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

लिए राज्य सरकार एडीजे. कोर्ट की केकड़ी में स्थापना करे।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र में हमारा जो बस स्टेण्ड है वह बहुत ही छोटा है। हमने पिछले 2-3 महीने में प्रयास करे प्राइवेट बसों के लिए स्टेण्ड अलग ब्यावर रोड पर भेजने का प्रस्ताव रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यातायात मंत्रीजी से हमने पूर्व में पत्र व्यवहार भी किया है, सैकड़ों बसों का आवागमन केकड़ी से होता है और सैकड़ों बसें वहां रात्रि विश्राम करती हैं, मैं चाहता हूं कि इस बस स्टेण्ड को अजमेर रोड पर ले जाकर एक सब डिपो का वहां निर्माण कराएं। मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री से निवेदन करूंगा कि केकड़ी में सब -डिपो यदि खुल जाता है तो वहां आसपास के इलाके से जो रात्रि बसें विश्राम करके निकलती हैं उनका संचालन भी सुविधाजनक होगा और आसपास के लोगों को यातायात की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केकड़ी नगर की एक बहुत बड़ी समस्या जो पिछले समय अतिक्रमण हटाने के दौरान -

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, इधर उधर न घूमें।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से वाया केकड़ी होते हुए भीलवाड़ा का जो मार्ग है, स्टेट हाईवे, इसका बाईपास निकालने के लिए हमने अनुरोध किया था क्योंकि अभी तक सारी बसें केकड़ी नगर में होकर जाती हैं जहां प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सालय, पोस्ट आफिस, सीनियर बालिका विद्यालय, सीनियर ब्वायज विद्यालय, ये सारे उस रोड पर हैं और कई बार दुर्घटनाएं भी उस रोड पर हो जाती हैं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से है कि हमारे यहां बीसलपुर का एक सिंगल बाईपास बना हुआ है उसको सार्वजनिक निर्माण अधिगृहीत कर विभाग लें माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी हमने निवेदन किया है कि केकड़ी का यह जो हाईवे शहर में होकर जाता है, अब सुविधाजनक नहीं है, यह दुर्घटनाओं का केन्द्र बन गया है। इसलिए जयपुर केकड़ी रोड से सीधा जो बीसलपुर का बाईपास निकला हुआ है उसे अधिगृहीत करके अजमेर रोड पर जोड़ दिया जाए तो केकड़ी के लिए ही नहीं, शाहपुरा, भीलवाड़ा में माननीय गृह मंत्री के इलाके में भी, जो वाहनों का आवागमन होता है उनके लिए भी सुविधाजनक होगा। माननीय गृह मंत्री को भी इस असुविधा का ध्यान है।

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : आप हां कह रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : हां।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : इसी प्रकार सहायता मंत्रीजी के इलाके से भी आवागमन इसी रास्ते से निकलता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने वहां के शिष्टमण्डल के सामने यह निवेदन किया है कि केकड़ी का यह बाईपास बनाना बहुत जरूरी है।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में एक निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1992 में बाढ़ के दौरान जूनिया के पास अम्बापुरा बांध क्षतिग्रस्त हो गया था और तत्कालीन सिंचाई मंत्री, माननीय कैलाश जी मेघवाल हुआ करते थे, माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय बाढ़ आने के बाद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वहां पधारे थे। उस समय आपने घोषणा की थी कि जो भी इस बांध बनाने में दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। उसकी जांच भी हो गयी थी। इस अम्बापुरा बांध का पुनर्निर्माण कार्य अभी भी बाकी है इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एवं सिंचाई मंत्री से है कि इस अम्बापुरा बांध का पुनर्निर्माण करवाया जाए।

एक और समस्या हमारे पावरलूम उद्योग के सामने आ गयी है जो ग्रे क्लाथ पर टैक्स लगाया गया है इससे राजस्थान में चल रहे पावरलूम उद्योगों को अन्य प्रदेशों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना पड़ेगा। यहां के काफी स्थानीय मजदूर पावरलूम उद्योग में कार्यरत हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्रे क्लाथ पर लगाया गया टैक्स हटाया जाए। इस उद्योग के माध्यम से बगरू, सांगानेर और पाली का छपाई उद्योग निर्भर करता है, इन लोगों को भी इस उद्योग के संकट में आ जाने से हानि उठानी पड़ेगी। मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अन्य से राज्यों से प्रतिस्पर्धा में इस उद्योग को पनपाने के लिए ग्रे क्लाथ पर जो टैक्स लगाया गया है उसे माननीय मुख्य मंत्रीजी समाप्त कराएं और इन्हें राहत प्रदान करें।

मुझे आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर अपने विचार रखने से पूर्व सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जब से इन्होंने राजस्थान की बागडोर अपने हाथ में ली तो राजस्थान का विकास किस प्रकार हो, उसके लिए अनेक प्रकार की नीतियां बनायी। ये नीति बनाने से कम से कम एक दिशा तय हुई कि हमें कौन-सी सीमा में आवश्यक चीज को किस समय पर करना चाहिए। परन्तु मैं कुछ विभागों के अन्दर नीति बनाना उचित नहीं समझता और उस विषय के अन्दर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

सर्वप्रथम तो मैं वित्त मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने हाल ही में व्हीकल्स के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। मुझे याद है कि दो वर्ष पूर्व हमने इन पर टैक्स घटाये थे और घटाने का कारण यह था कि पड़ौसी राज्यों के अन्दर जहां टैक्स कम थे, लोग वहां से मोटर खरीद कर लाते थे और राजस्थान को जो आय होनी चाहिए थी कर के रूप में, वह नहीं हो रही थी। जब से हमने कर हटाया था तब से राजस्थान के अन्दर ही लोग गाड़ियां खरीदने लगे और विभाग को आमदनी हुई परन्तु इस वर्ष समझ में नहीं आता, वित्त मंत्रीजी ने तर्क भी दिया कि हमने स्लेब सिस्टम बनाया है और

(श्री पराक्रम सिंह)

स्लेब-सिस्टम के अन्दर जो सस्ती गाड़ियां हैं उन पर हमने कम टैक्स रखा है और महंगी गाड़ियों पर टैक्स ज्यादा रखा है, मैं उनसे यहां पूछना चाहूंगा कि अमीर होना कोई गुनाह है ? समानान्तर रूप से टैक्स प्लांनिंग होनी चाहिए और इस विषय के अन्दर अड़ोस-पड़ोस के जो राज्य हैं उनमें भी तालमेल होना चाहिए। 19-20 का फर्क तो चल सकता है बाकी इतना लम्बा चौड़ा फर्क निश्चित रूप से राजस्थान की आय में कमी लाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी नगरपालिकाओं के सदस्यों, अध्यक्षों के लिए भत्ते बढ़ाये गये। मैं उसका स्वागत करता हूं जिस प्रकार से उनके भत्ते बढ़ाये गये, टेलीफोन, मीटिंग अटेण्ड करने के, मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति के सदस्यों के जिला परिषद् के सदस्यों के भत्ते क्यों नहीं बढ़ाये गये जबकि उनका क्षेत्र लम्बा है ? जिला परिषद् का सदस्य एक चौथाई विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और एक पंचायत समिति का सदस्य कम से कम तीन पंचायतों का प्रतिनिधित्व पंचायत समिति में करता है। तो उनकी दूरी ज्यादा है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इनका भी ध्यान रखें और इनके लिए भी कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाए ताकि पंचायती राज सुचारू रूप से चल सके, नहीं तो भ्रष्टाचार के काफी रास्ते खुलते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व चर्चा चल रही थी और अनेक विभागों के बारे में खोईवाल जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याएं रखीं । मैं भी यहां कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक चिकित्सा का सवाल है, इस वर्ष चिकित्सा के लिए जितनी मात्रा में बजट होना चाहिए, उतना हो नहीं पाया और इसकी वजह काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी अकाल राहत के टाइम, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने इतने सब-सेंटर्स खोले। सब-सेंटरर्स खोले हुए तो वर्षों हो गये थे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक सब -सेंटर्स खोले हुए 30 वर्ष हो गये परन्तु उसकी आज तक बिल्डिग नहीं थी। बिल्डिग नहीं होने के कारण जिस ए.एन.एम. की वहां पोस्टिंग होती है वह यह कहती है कि मुझे वहां आवास की सुविधा नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकती। इस प्रकार की जो समस्याएं थीं उन समस्याओं का समाधान करने के लिये सरकार ने और चिकित्सा विभाग ने प्रयास किया है उसके लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 26 सब-सेंटर्स की बिल्डिग के लिए पैसा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कार्य भी हुआ है परन्तु मैं यहां चिकित्सा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आपने जो राशि दी वह कम है। हमने वह कार्य अकाल राहत में प्रारम्भ किये। कुछ सब-सेंटर्स तो हमारे बन गये और कुछ सब-सेंटर्स अधूरे रह गये। डिपार्टमेंट के 1,25,000 रुपये आपने दिये थे वह लगने के बाद आज तक भी वह बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। अगर उन बिल्डिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वह अधूरी बिल्डिंग धीरे-धीरे खराब हो जायेगी। इसलिए चिकित्सा

(श्री पराक्रम सिंह)

विभाग इस ओर ध्यान देकर इसका बजट बढ़ाये या अन्य कोई व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : यह 1,25,000 है या 2,25,000 ?

श्री पराक्रम सिंह : 1,25,000 डिपार्टमेंट के लिए है और 1,25,000 अकाल राहत के अन्दर। अकाल राहत में सीमा नहीं थी अगर आप इस समय बनाते । मेरे तो कम से कम 3 अकाल राहत में बन गये, डिपार्टमेंट का एक पैसा ही नहीं लगा। उसमें भी उन्होंने अधूरा रखा है। उसमें लेबर रूम नहीं बनाने को कहा था पर मैंने तो लेबर रूम भी बनवा दिया अकाल राहत में।

उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए काफी कठोर कदम निश्चित रूप से उठाने चाहिए। हमने पंचायत संस्था के सदस्यों के चुनावों के लिए और नगरपालिका के सदस्यों के चुनाव के लिए दो से अधिक संतानों की रोक रखी, मैं चाहूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेकर इसमें और कठोर कदम उठाने चाहिए। सरकारी नौकरी में हो, विधान सभा सदस्य के लिए हो, लोक सभा सदस्य के लिए भी हो। इस प्रकार जब तक हम इस कार्यक्रम को सख्ती से हाथ में नहीं लेंगे, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जागरूकता जरूर आई है जनता में परिवार कल्याण के प्रति परन्तु चूंकि आपने यह कानून सिर्फ पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए बनाया है तो इससे एक भेदभाव पूर्ण वातावरण हुआ है। चाहे लोक सभा सदस्य हो, चाहे विधान सभा सदस्य हो या जितनी भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जिसमें चुनाव होते हैं, उनमें और खासकर सरकारी नौकरी के अन्दर भी इसमें पाबन्दी लगनी चाहिए। मैं समझता हूं यह राजस्थान का ही विषय नहीं होगा अगर माननीय शेखावत साहब इसको सेंटर तक लें तो निश्चित रूप से परिवार कल्याण के प्रति एक बहुत अच्छा कदम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नीति बनाने की बात कही थी और नीति बनाने में मैंने सरकार की प्रशंसा भी की परन्तु कहीं कहीं यह नीति हमें नुकसान भी दे रही है। सड़क नीति बनी। सड़क नीति में इन्होंने जनसंख्या का एक आधार रख दिया। जनसंख्या का आधार रखने के कारण ऐसे कितने ही गांव हैं जो सड़क से जुड़ जाने चाहिए, वह जुड़ नहीं पाएंगे। हमने अभी चर्चा की थी कि कुछ सड़कें जो नीति के अन्तर्गत नहीं आती हैं उन्हें हम कृषि मंडी के मार्फत बनाएं। कृषि मंडी की सड़कों में भी वही नीति आड़े आ जाती है। मैं समझता हूं कि इस नीति में कुछ परिवर्तन लाया जाए और परिवर्तन लाकर इसको सुचारू रूप से लागू करें वास्तव में ऐसे जरूरी गांव हैं जो बिलकुल हाई-वे से जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी दूरी ज्यादा है, अप्रोच रोड एक किलोमीटर, दो किलोमीटर को जोड़ने में विभाग कोई संकोच नहीं करता है। परन्तु ऐसे भी गांव हैं जो चार किलोमीटर हैं, नीति में नहीं आते हैं, उनकी जनसंख्या नहीं है अतः इसमें परिवर्तन लाना चाहिए।

अब पानी की समस्या राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, यहां मुझे दुःखी मन से कहना पड़ रहा है कि भीलवाड़ा जिले में 8 विधान सभा क्षेत्र

(श्री पराक्रम सिंह)

हैं और 8 विधान सभा क्षेत्रों में मेरा ही विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा है जहां इन योजनाओं की अनदेखी की गयी है। 3 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और अभी 2 दिन पूर्व मुझे जानकारी यह दी कि आपके यहां एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई है परन्तु कल मुझे जानकारी मिली है कि मात्र 3 योजनाएं मेरे यहां स्वीकृत हुई हैं। इसमें भी नीति आड़े आ जाती है। इसमें जनसंख्या को रख दिया गया है। विडम्बना की बात तो यह है कि जिस गांव में पानी उपलब्ध है और गांव वाले आज से नहीं, हजारों वर्षों से वही पानी पीते आ रहे हैं वहां विभाग कहता है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए हम इस पानी को सप्लाई नहीं कर सकते, नया स्रोत खोलेंगे। फ्लोराइड की भी समस्या आती है। मैंने विभाग को बोला, जब तक आप नई स्कीम चालू नहीं करेंगे तब तक पानी पीएंगे कहां से ? यही पानी पी रहे हैं। वहां तो जो पानी उपलब्ध है उसको योजना बनाकर आप दे सकते हैं। इस प्रकार की कठिनाई पी.एच.ई.डी. में आती है। इसमें भी जनसंख्या का आधार लगा रखा है। इसमें भी सोच विचार कर इसको बदलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. का जिक्र करता हूं। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हमें काफी पैसा मिला हाई-वे को चौड़ा करने का । मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का घोटाला पी. डब्ल्यू. डी. में रोड को लेकर हुआ, यह एक सोचने की बात है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा, नसीराबाद बाई-पास का अजमेर से लेकर भीलवाड़ा चित्तौड़ तक बहुत अच्छी सड़क बनी। पर बाई-पास की हालत यह है कि एक वर्षा में बाई-पास का सफाया हो गया। डिपार्टमेंट ने उन ठेकेदारों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की और वह बाई-पास लगभग 3 महीने तक बंद रहा। इसी प्रकार भिवाड़ी, करौली स्टेट हाई-वे के ऊपर विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से सड़क बनायी गयी है। हम एस्टीमेट कमेटी के लोग वहां देखने गये थे, वहां भी यही हाल था कि सड़क बनी और सड़क एक बारिश में ही साफ हो गयी। ठेकेदारों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से यह सड़क उखड़ गयी क्योंकि जो हमको सड़क बनानी थी वह पुरानी सड़क के ऊपर ही हमको सड़क बनानी थी। हमने वहां जाकर पूछा कि पुरानी सड़क तो बताइये यदि नई सड़क उड़ गयी आपकी पानी की वजह से। गांव वालों ने वहां बताया कि बारिश का कोई लेना-देना नहीं है, न ही ऐसी कोई बाढ़ आई और न ही पानी से खराब हुई। हम हमारी कमेटी के माध्यम से तो आगे लिखेंगे पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें। कर्जा लेकर, विदेशी आर्थिक सहयोग से हम यह सड़कें बना रहे हैं, यह पैसा हमें एक दिन वापस लौटाना पड़ेगा इस पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं हो तो यह राजस्थान के लिए भार बढ़ता जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी का सवाल है, पीने के पानी की दिन पर दिन कमी होती जा रही है। हमें वाटर मैनेजमेंट के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पुराने सोर्सेज किन्हीं कारण से नष्ट हो गये हैं।

(112)

(श्री पराक्रम सिंह)

उदाहरण के तौर पर आज आना सागर देखिये, कहने को तो वह आना सागर है अजमेर के अन्दर, अभी आप पधारे और उस आना सागर के ऊपर ही अपनी एक मीटिंग हो रही थी, आना सागर एक टापू बनकर रह गया है। उस पर चारों तरफ अतिक्रमण हो गया। उसके पानी के जितने तालाब हैं, सोर्सेज थे, वहां मकान बन गये, कालोनियां बन गयीं, आज हम उन कालोनियों को हटा नहीं सकते। परन्तु जो गलती हो गयी कम से कम उससे सबक सीखें। जिस प्रकार वाटर लेबल नीचे जा रहा है, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, किसी वर्ष तो बहुत अधिक हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है और किसी वर्ष बिलकुल अकाल पड़ जाता है। तो कम से कम अब इस ओर विशेष ध्यान दें कि ऐसे जो पीने के पानी के हमारे सोर्सेज हैं, हम आगे चलकर पानी सप्लाई करेंगे, उस क्षेत्र के अन्दर उनके कैचमेंट एरिया के अन्दर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो और जहां कहीं कोई ऐसा अतिक्रमण हो, जिसको हटाने में दिक्कत नहीं आए। तो सरकार को प्रयास करके हटाना चाहिए।

मैं यहां मेजा बांध का जिक्र करता हूं। सिंचाई के लिए बनाया गया था, काश्तकारों ने लाखों रुपये लगाकर के जमीनें सुधारीं पर ज्यों-ज्यों भीलवाड़ा की जनसंख्या बढ़ती गयी, मेजा बांध का पानी सिंचाई के बजाय पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए रोक दिया गया। मैं मानता हूं कि यह जरूरी है, इसलिए हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जिस प्रकार उस मेजा बांध के कैचमेंट एरिया के अन्दर राजनीतिक भावनाओं से जो एनीकट बनाए गये, वे आज उस बांध को भरने में अवरोध हैं। अब पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और इन एनीकटों का कोई उपयोग नहीं है, राजनीतिक आधार पर वोट लेने के लिए वे बनाए गये, आज सिल्टेज की वजह से वे आधे भर भी गये हैं, क्यों न एक कमेटी बनाकर, वास्तव में अगर वे मेजा बांध के कैचमेंट एरिया के अन्दर हैं और उसके भराव की क्षमता में रोक लगाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं तो आज यह समय आ गया है कि मेजा बांध का पानी भीलवाड़ा को पिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमें विचार करना होगा कि भीलवाड़ा के पीने के पानी के लिए और प्रबन्ध किए जाएं।

यहां मैं पी. एच. ई. डी. को कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ सिंचाई विभाग के पानी पर निर्भर क्यों रहते हैं। क्यों नहीं आप, जिस तरह से फास्ट डवलपमेंट कालोनियों का करते आ रहे हैं, आप कालोनियां बसाने से पहले, जो कि आज सबसे जरूरी चीज है, पीने का पानी, उसकी व्यवस्था करें। उसकी व्यवस्था होने के बाद ही आपको नई कालोनियां बनाने की इजाजत देनी चाहिए। चाहे यू. आई. टी. हो, चाहे नगरपालिका हो, सब जमीन से पैसा कमाने के लिए, कालोनियां बसाने के लिए पट्टे काट देते हैं। फिर पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होती है। तो जिन लोगों को सुचारु रूप से पानी मिलता है उनका पानी भी कट जाता है। तो न इनको पर्याप्त पानी मिलता है और न कालोनियों के अन्दर पानी पहुंचता है और सरकार के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। राजस्थान के अन्दर ऐसे कई

(श्री पराक्रम सिंह)

शहर हैं जिनमें इन समस्याओं के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए।

बीसलपुर योजना करीब-करीब पूरी हो चुकी है। यह बीसलपुर योजना जयपुर तक पानी पहुंचाने के लिए बनायी गयी थी, आवश्यकता भी थी। अजमेर, ब्यावर को भी वर्षों से पानी की बड़ी दिक्कत है इसलिए बनायी गयी थी। परन्तु इस योजना से अब भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमन्द इन जिलों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। अब बीसलपुर योजना लगभग पूरी हो चुकी है परन्तु फिर भी इस ऊपरी क्षेत्र के अन्दर किसी प्रकार के छोट-मोटे तालाब के निर्माण करने पर रोक लगी हुई है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को एक बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने छोटे-छोटे एनीकट की स्वीकृति पिछले वर्ष दी पर इन छोटे एनीकटों से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। आपने जयपुर को पानी पिलाने के लिए तो बीसलपुर योजना बनायी है। लेकिन आप इन पांच जिलों को प्यासा रखने की योजना साथ-साथ बना रहे हैं। इस ओर भी आपको विशेष ध्यान देकर, अगर आपकी यह योजना पूरी हो गयी है, जो ये रेस्ट्रिक्शन आपने ऊपर लगा रखे हैं, इनको शीघ्र हटाने का प्रयास करें। रेस्ट्रिक्शन हटाने के बाद भी —

(14.25)

(श्री रमाकान्त, सभापति, पदासीन)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, मैं जानकारी देने के लिए इंटरवीन कर रहा हूं जिससे कि सब माननीय सदस्यों की जानकारी में यह आ जाए कि एक तो हमने दो वर्ष पूर्व ही 2 मीटर तक की छूट दे दी। बीसलपुर कैचमेंट एरिया में और उसके बाद में जो अधूरे बांध पड़े थे जिसमें लाखों रुपये, कहीं 20 लाख, 40 लाख एवं 75 लाख रुपये लगे हुए थे, हमने उन सबकी स्वीकृति भी जारी कर दी । इसके बावजूद भी माननीय सदस्यों के और कोई भी सुझाव आएंगे तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र का ध्यान रख कर उसके लिए विचार करेंगे।

श्री पराक्रम सिंह : माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपके विभाग की जब मांग चल रही थी तब मैंने मांग की थी मेरे झांथल टेंक की, मैं समझता हूं कि अब यह अवरोध हट गया है और इसी वर्ष आप मेरे तालाब की सेंक्शन दे देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

सिंचाई विभाग को मेंटीनेंस के लिए भी वित्त का प्रबन्ध करना चाहिए। सभापति महोदय, कल ग्रामीण विकास की डिमाण्ड पर चर्चा थी, ग्रामीणों के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इस विभाग के अन्दर दो योजनाएं ऐसी हैं जिसके अन्दर विधायक का भी शेयर होता है, अनटाइड फण्ड और तीस जिले तीस काम, इन दो योजनाओं के अन्दर पैसा काफी होता है। जनता के प्रतिनिधि विधायक होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं जबकि इस राशि को खर्च करने का अधिकार कलक्टर को होता है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं की

(श्री पराक्रम सिंह)

राशि बगैर विधायकों की अनुमति से वह खर्च नहीं करें। हमारी स्वीकृति के साथ इस फण्ड का उपयोग होना चाहिए । क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। इस कारण हमारे सामने ये समस्याएं खड़ी होती हैं। हम वोट मांगने जाते हैं लोगों के वोट लेने के लिए हम उन्हें आश्वासन देकर के आते हैं कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपका यह कार्य पूरा करेंगे। अब चूंकि हमारा सीमित पैसा है, 5 लाख के अन्दर हम पूरा कार्य नहीं कर सकते हैं, कहीं कलक्टर साहब गये और जो कार्य हम नहीं कराना चाह रहे हैं उनको स्वीकृत करके आ गये तो जो हमारी प्राथमिकताएं थीं कि ये कार्य पहले होने चाहिए वह कार्य तो नीचे रह गये। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी और जन-प्रतिनिधियों के बीच एक लड़ाई सी छिड़ जाती है। मैं समझता हूं कि इस बात को खतम करना चाहिए। जिस तरह से आज ब्यूरोक्रेसी और जन-प्रतिनिधियों के अन्दर तकरार सी चली आ रही है, इस समस्या को भी हमें विशेष ध्यान देकर खतम करना चाहिए। जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी और बढ़ाई जाए क्योंकि सरकार हम चलाते हैं, कानून हम बनाते हैं, इसकी जो क्रियान्विति है वह अधिकारियों के मार्फत होती है । उसके अन्दर भी जन-प्रतिनिधियों का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भगवानदास डोसी।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : सभापति महोदय, बजट की चर्चा में इस बार अकाल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। छह जिलों में अकाल है। मेरी तहसील में, वैसे बाड़मेर जिले में बारह आना 75 पैसा, गांवों में अकाल है और चौहटन तहसील पूरी अकाल से ग्रस्त है। 75 प्रतिशत अकाल की स्थिति है, बहुत ही भंयकर अकाल है। इस वर्ष अभी तक 1078 गांव अकाल से ग्रस्त हैं और अकाल पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि इस वर्ष मेरे यहां पर चारे का भी भयंकर अकाल है। 150 रुपये क्विंटल कुत्तर भी नहीं मिलती है। पानी का संकट आने वाला है अभी भी थोड़ा बहुत संकट है और गर्मियों में पानी का बहुत ही संकट आएगा। अकाल राहत कार्य पहले दिसम्बर, जनवरी में चालू होते थे, अभी तक चालू नहीं हुए हैं। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम 1.4 को चालू करेंगे। तो अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी चालू हो जाने चाहिए, नहीं तो लोगबाग गांव, घर छोड़-छोड़कर पलायन कर रहे हैं। पीने के पानी का संकट है। अकाल राहत कार्य जो पहले मंजूर होते थे, राज्य सरकार के मंत्रीगण ही करते थे, अब यह कलक्टर करते हैं । तो वह थोड़े-थोड़े करते हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा ही कुछ इलाकों में सड़क बनवायी जाए ताकि सड़कों की पूर्ति हो। अभी हमारे इलाके में पन्द्रह बीस ग्राम पंचायतें हैडक्वार्टर से जुड़ी हुई नहीं हैं। अकाल राहत कार्यों में एक तो सड़कें बनें और उसके साथ ही साथ लोगों को मजदूरी मिले।

सम्वत् 2043 में अकाल के समय बाड़मेर जिले में छह हजार कुएं निजी सिंचाई के बने

(श्री भगवानदास डोसी)

थे, उसमें कुछ अधूरे रह गये, उसमें से तीन हजार कुए सिर्फ चौहटन तहसील में बने थे। इसी कारण उस अकाल का मुकाबला करने में काफी मदद मिली है। बहुत कुछ उस वर्ष अधूरे रहे, किसी गरीब आदमी को सीमेंट नहीं मिली टाइम पर तो अधूरों को पूरे करते गये। अभी भी तीन-चार सौ कुए अधूरे हैं। गत साल एक भी कुआ पास नहीं किया। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अकाल के समय जो निजी कुए सिंचाई के लिये लोगों के हैं, वे थोड़े-थोड़े अधूरे रहे हैं, उनको भी पूरे करवाएं। नये लें तो और भी अच्छा है लेकिन उनको तो पूरा करवाएं जो पिछड़े रहे हैं, वे गरीब ही रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके ही रहे हैं, उनको पूरे करवाने चाहिए।

दूसरा निवेदन है कि बजट में दो टैक्स मेरे को ठीक नहीं लगे। एक तो चार पहिया पर जो टैक्स लगाया है –

श्री सभापति : माननीय श्री भगोरा जी, कृपया शांत रहें, भाषण सुनें।

श्री भगवानदास डोसी : चार पहियों के वाहन पर जो टैक्स लगा है, उसमें निश्चित रूप से सरकार को आय कम होगी । एक जीप पर 25-25 हजार रुपये बढ़ गये टैक्स में। पहले भी कोई मध्य प्रदेश से जीपें लाते थे, गाड़ियां लाते थे, गुजरात से लाते थे, वैसे ही अभी पड़ोसी राज्यों से गाड़ियां खरीद कर लाएंगे और उलटे राज्य सरकार को इसमें टैक्स में नुकसान होगा। दूसरा, जो आयल मिल पर 2 पर्सेन्ट के बजाय 4 परसेंट लगाया गया है, इससे भी किसानों पर भार पड़ेगा । आयल मिलें सभी घाटे में चलती हैं और फिर चार परसेंट हो गया तो किसान उस माल को बिना टैक्स के दूसरे प्रान्त में भेज सकता है और आयल मिलें बन्द होंगी। यह टैक्स भी कम किया जाना चाहिए। दो परसेंट कम करें लेकिन दो परसेंट से तो ज्यादा ठीक नहीं है। ग्रे क्लाथ पर भी जो दो परसेंट लगाया है, यह भी उचित नहीं है, इससे भी फैक्ट्रीज को नुकसान होगा।इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस टैक्स को कम करें नहीं तो गये साल की तरह यथावत रखें।

दूसरा, हमारे क्षेत्र में वैसे आश्वासित योजना जो है, है तो केन्द्र सरकार की लेकिन इसमें 20 परसेंट सड़कों पर, 10 परसेंट स्कूलों पर, 20 परसेंट सिंचाई पर और 50 परसेंट भू-संरक्षण पर है। तो इसमें गये साल तो छूट ली गयी, सरकार को भारत सरकार से छूट लेनी चाहिए क्योंकि हमारे क्षेत्र में न तो कोई सिंचाई का काम है और भू-संरक्षण के अन्दर भी घपले होते हैं। पता नहीं, यह क्लस्टर योजना ऐसी बन गयी है जो लोग, अधिकारी भी कहते तो यह हैं कि नेता लोग चोर हैं, मुकदमे बनाते हैं पर अधिकारी भी ऐसे ही आदमियों को देख कर देते हैं, जो चोर इलाके में होते हैं। उनके पैसे मिल जाएं, वैसे आदमियों को क्लस्टर योजना में फिट करते हैं। राजनीति के बारे में बहुत ही स्तर गिर गया। विरोधी चाहते हैं, किसी भी तरह से हम राज करें। देश में भी यही हालत है, राज आना चाहिए चाहे अंधा हो, चाहे सूंघा हो।

जब इनका बहुमत नहीं था तब भी इन्होंने उद्दण्ड किया, विधान सभा की कार्यवाही

(श्री भगवानदास डोसी)

खराब की, अब देखते हैं कि देश का स्तर गिर रहा है तो यह चाहिए कि अगर अच्छा राज कोई विरोधी पार्टी भी करती है तो हमारी बेगार मिटी; अच्छा करने दो, लेकिन येन-केन-प्रकारेण राज हमको मिलना चाहिए। अच्छा तो वह है। स्तर गिरता जा रहा है। देख रहे हैं देश के हालात ।

मेरा आपसे निवेदन है कि विशेष तौर से अकाल के बारे में सरकार ध्यान दे। 31 जिलों में काफी जिले अच्छे लेकिन हमारा जिला बहुत ही खराब है, इसलिए पूरी-पूरी सहायता करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस साल का बजट गरीबों को अन्त्योदय के लिए समर्पित किया। एक साल का बजट शिक्षा को समर्पित किया था, एक साल का बजट पेयजल के लिए समर्पित था, एक साल का बजट स्वास्थ्य के लिए समर्पित था और इस साल जिस मन और टीस के गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनीं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में गांवों में रहने वाले काश्तकार, मजदूर, नागरिक आर्थिक दृष्टि से अन्य राज्यों से पिछड़े हुए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इस बार नये वर्ष में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नये स्वरूप में चयनित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। पिछली बार यह प्रक्रिया राष्ट्रपति शासन के समय प्रारम्भ की थी और जो चयनित परिवार लिये गये, उसमें बड़ा असन्तोष था। इस बार क्योंकि चुनी हुई सरकार है, जन-प्रतिनिधि है, सरपंच, वार्ड मैम्बर, पंचायत समिति, जिला प्रमुख, जिला-परिषद स्तर पर जन-प्रतिनिधि मौजूद है, तो गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को चयनित करने में निश्चित रूप से सुविधा होगी और वे सब परिवार आ जाएंगे जो गरीब हैं, जिनकी एप्रोच नहीं हैं, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन लोगों को भी चयनित करके लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसके साथ-साथ केवल गरीब नागरिकों या गरीब परिवार के उत्थान के लिए ही नहीं, मूक-बधिर, अस्ति एवं दृष्टिबाधित बच्चों, विकलांग बच्चों, जिनके लिए न समाज में कोई स्थान है,न कोई सुनने वाला है, जिनको विकास के लिए, उत्थान के लिए आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन इस बार इस बजट में जिस प्रकार से उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनी हैं और उनकी तरफ ध्यान दिया गया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, इस आने वाले वर्ष के बजट में एक बात चिन्हित हो रही है। वह यह है कि राज्य विकास परिषद् ने 2011 में राजस्थान के परिदृश्य की परिकल्पना की है, इसके लिए दस्तावेज तैयार भी किया गया और यह तय किया गया कि राजस्थान 2011 में विकास की दृष्टि से कहां पहुंचेगा, उस विकास के बिन्दु को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या साधनों की आवश्यकता पड़ेगी और क्या-क्या सुविधाएं रखनी पड़ेंगी।

यह बात सही है कि किसी राज्य के विकास के लिए, किसी देश के विकास के

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

लिए एक तो परिवार नियोजन, जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है, दूसरा है घरेलू उत्पादन वृद्धि। जब तक घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ेगा आर्थिक दृष्टि से मजबूती होना संभव नहीं है। सन् 2011 तक प्रदेश की जनसंख्या साढ़े सात करोड़ तक सीमित रखने के लिए परिवार कल्याण की योजना है। इसके साथ-साथ बच्चों को, महिलाओं को , पुरुषों को शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की दृष्टि से जो परिकल्पना की है वह आने वाले समय में निश्चित रूप से अपने देश के नक्शे में राजस्थान को उन प्राथमिक एवं विकसित राज्यों की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करने की योजना बनी है।

सभापति महोदय, परिवार नियोजन की बात है। विकास के लिए हम कितनी ही सड़कें बनाएं, स्कूल खोलें, पानी की व्यवस्था करें लेकिन अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले परिवार कल्याण के लिए ध्यान देना पड़ेगा। राज्य सरकार भी इस ओर मुस्तैदी से ध्यान दे रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो व्यवस्था की है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

इसके साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए दूसरा बिन्दु घरेलू उत्पादन है। कृषि उत्पादन, उद्योग धन्धों का उत्पादन, कुटीर उद्योग, छोटे-छोटे धन्धों के उत्पादन पर प्रायोरिटी से ध्यान देंगे तभी राजस्थान की, अपने राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं को हाथ में लेना होगा। काश्तकार को, किसान बंधु को अपनी उपज के लिए, खेती के लिए आकर्षित करने के लिए उसकी उपज का उचित मूल्य भी मिले और उसको बिजली की, पानी की सुविधाएं सुलभ हों। बिजली पानी सुलभ होगा और खाद, बीज मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान में जितनी कृषि भूमि है, अगर उस पर उत्पादन हो तो हिन्दुस्तान को खाद्यान्न इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जो सारे देश के खाद्यान्न की पूर्ति कर सकता है। तो इसके लिए अपने को प्रयत्न करना चाहिए।

(14.41)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अजमेर जिले में एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है मुस्लिम सम्प्रदाय का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, अजमेर में देश-विदेश के पर्यटक आते हैं। इसके साथ-साथ पृथ्वीराज चौहान का राज स्थल रहा है। इसके साथ-साथ हिन्दु धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ राज पुष्कर यहां है, यहां भी देश-विदेश से सैलानी आते हैं। लेकिन अजमेर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। जिससे उस क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही अजमेर जिले से विदेश में जाने वालों की अलग से लाइन लगती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर देख लीजिए, दुबई जाने वाले हों, चाहे खाड़ी देशों में जाने वाले हों, अजमेर जिले की अलग से लाइन लगती है। इसलिए अजमेर जिले में एक एयरपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 31.1.1997 को सर्वे भी कराया और नीतिगत रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि यहां पर एयरपोर्ट बनाना चाहिए पर इसके साथ-साथ उन्होंने एक शर्त लगायी कि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। लगभग

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

साढ़े ग्यारह सौ बीघा जमीन चाहिए। लगभग साढ़े तीन सौ बीघा जमीन तो राज्य सरकार की सिवाय चक, चरागाह जमीन है यहां उन्होंने सर्वे किया लेकिन साथ-साथ लगभग 770 बीघा जमीन प्राइवेट है या सिंचित है या काश्तकारों की है। अब इसको प्राप्त करने के लिए लगभग 6-7 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने कमिट किया है कि हम जमीन उपलब्ध करायेंगे और केन्द्र सरकार इसको बनाने के लिए सारी व्यवस्था करेगी, बजट देगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि अजमेर जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर एयरपोर्ट बनाया जाए।

इसके साथ-साथ मेरा यह आग्रह है कि राजस्थान में जितने डिवीजन हैं उनमें अजमेर डिवीजन को छोड़कर सब जगह इंजीनियरिंग कालेज हैं। अजमेर एक ऐसा स्थान है जिसकी सारे हिन्दुस्तान में शिक्षा की एक अलग पहचान है। मेयो कालेज है, सोफिया कालेज है, यहां तक कि नेपाल और विदेशी महाराजाओं के बच्चे और अन्य-अन्य लोगों के बच्चे भी यहां पढ़ने आते हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र है। यहां महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी है जिसके अन्तर्गत लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट के कालेज आते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि यहां पर इंजीनियरिंग कालेज की बहुत आवश्यकता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय जब भी अजमेर आते थे या अजमेर संभाग में कहीं भी जाते थे तो उनके भाषण में होता था कि इस साल इंजीनियरिंग कालेज खुलेगा। बजट में इंजीनियरिंग कालेज नहीं है इसके लिए मुझे कष्ट है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इंजीनियरिंग कालेज खोलने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां भिनाय एक बहुत बड़ी पंचायत है। यहां के लोगों को 70-80 किलोमीटर केकड़ी जाना पड़ता है न्याय के लिए। इससे पहले विजयनगर जाते थे। अगर भिनाय में मुंसिफ कोर्ट खोल दिया जाए तो वहां के रहने वाले नागरिकों को न्याय सुलभ मिलेगा। और उनको आने जाने की समस्या भी कम होगी और तुरन्त न्याय मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में इस बार वर्षा कम हुई है। औसत से भी बहुत कम हुई है और पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है। गर्मी में पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है और हैण्ड पम्प चलाते हैं तो 60 प्रतिशत हैण्ड पंपों में पानी नहीं निकलता है। मेरा निवेदन है कि बीसलपुर योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी है, 635 गांवों के लिए, पूरे जिले के लिए, उसमें लास्ट स्टेशन होता है मसूदा विधान सभा क्षेत्र, इसको पानी पहुंचाने के लिए भिनाय, नसीराबाद, केकड़ी को पानी देते हुए विजयनगर और मसूदा आना पड़ेगा। विजयनगर म्यूनिसिपल एरिया में भी ट्यूबवैल के सिवाय पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पास में औद्योगिक क्षेत्र गुलाबपुरा पड़ता है और गुलाबपुरा के पास बड़ी इंडस्ट्रीज है, पानी की बड़ी समस्या होती है। तो मैं आपके माध्यम से पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। वैसे तो बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, जब से माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री, भंवरलालजी शर्मा ने यह विभाग संभाला है, मेरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पहले से सुधरी है। जहां 10 दिन में, पांच दिन में पानी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

आता था, मसूदा में 15 दिन में पानी आता था, वहां दूसरे दिन पानी आने लगा है। विजयनगर में 120 घंटे में पानी आता था वह 36 घंटे में आता है लेकिन यह नियमित रूप से पर्याप्त बरसात हो तो है, नहीं तो पानी की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो मेरा यह आग्रह है कि पानी सबसे आवश्यक है, इसके लिए योजना बने और जो योजना बनी है उसको क्रियान्वित करें।

शिक्षा के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। मसूदा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है जहां दस-दस, बीस-बीस घरों के टीबे बसे हुए हैं और बाड़े बसे हुए हैं। वहां शिक्षा की कमी है। बहुत-सी जगह हैं जहां प्राथमिक शालाएं हैं, बच्चे भी 300 हैं लेकिन टीचर एक है और बहुत से रूट पर प्राथमिक शाला हैं वहां टीचर सात-सात लगे हैं और स्टूडेंट 50 हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि लगता तो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर लेकिन उसका मसूदा और जवाजा क्षेत्र है, वह आदिवासी क्षेत्र से भी पिछड़ा हुआ है।

पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कोई काम-धन्धा नहीं है। वहां पर रहने वाले लोग गरीब हैं। तो कम से कम शिक्षा की ठीक से व्यवस्था हो और स्ट्रिक्टनैस हो, बच्चों के आधार पर टीचर हों। वैसे पंचायत राज विभाग ने हर विद्यालय में दो-दो टीचर लगाये हैं लेकिन मैं आज भी कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि आप मेरे क्षेत्र में चल कर देखो, 60 प्रतिशत विद्यालयों में अभी भी एक टीचर है और वह भी उनकी इच्छा हो तो आते हैं, नहीं तो तीन-तीन दिन स्कूल ही नहीं खुलता है। अब अपना आधार ही शिक्षा है, आप सारे राजस्थान में साक्षरता का अभियान चला रहे हैं और उसके साथ-साथ अजमेर जिला नोर्थ इण्डिया में प्रथम साक्षर जिला बना है। लेकिन यह स्थायी रूप से आगे बढ़े, मेरा यह निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचायत समिति है उसका हमने सर्वे कराया। वहां 400 बालिकाएं हैं उसमें से 398 बालिकाओं को छैली चराने या खेत पर भेज देते हैं। बच्चियों के लिए वहां वातावरण नहीं है। बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है। जहां 500 घर हैं, 250 घर हैं लेकिन रेवेन्यू विलेज नहीं है तो स्कूलें नहीं खुल सकतीं। अब वह बच्चियां बड़ी होंगी, वह परिवार में शादी होकर जाएगी तो वह परिवार भी कैसा होगा? वह परिवार भी अनपढ़ होगा और उनके बच्चे भी अनपढ़ होगे। मेरा यह आग्रह है कि वैसे तो अजमेर जिला फारवर्ड है, आगे बढ़ा हुआ है और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत है लेकिन अजमेर जिले में जवाजा और मसूदा, यह जो दोनों ब्लॉक हैं, उसके लिए अलग से योजना बनाएं और वहां खास कर शिक्षा का विकास हो, यह मेरा आग्रह है।

इसके साथ-साथ वहां पहाड़ी क्षेत्र होने से चिकित्सा की भी समस्या है। नार्म्स तो अजमेर जिले के हिसाब से बने हैं लेकिन अधिकांश आबादी पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। बिखरी हुई आबादी है। जिस प्रकार से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो नियम और व्यवस्था है वही नियम और व्यवस्था जवाजा और मसूदा पंचायत समिति के गांवों में हो। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अपनी

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने के लिये दूर नहीं जा सकते, और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको जो सुविधाएं मिल नहीं पाती, दूर रहने से एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी पर जाएं या सब-सैण्टर पर जाने में दिक्कत होती है, मैं यह आग्रह करूंगा कि यह योजना उस क्षेत्र में लागू हो। वहां रहने वाले व्यक्तियों को, वहां के नागरिकों को राज्य सरकार की जो नीति है कि किसी न किसी योजना से स्वास्थ्य की दृष्टि से कवर किया जायेगा, उसके अनुरूप लाभान्वित किया जाए। जो अभी मेरे क्षेत्र में नहीं है। मैं इस बात के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ से आग्रह करूंगा कि एक बार मेरे क्षेत्र का सर्वे कराएं जो परिस्थिति बांसवाड़ा और डूंगरपुर एरिया में है, आदिवासी क्षेत्र में है वही मसूदा और जवाजा में है और वही के वही नार्म्स लगेंगे तो निश्चित रूप से वहां की जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : वहां का एरिया दिखाओ इनको।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां, मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक बार मेरे क्षेत्र में पधारें। इसी प्रकार से सड़कों की समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब नियम तो बने हुए हैं कि इस साल पंचायत मुख्यालय जुड़ेंगे। नियम तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर बने हुए हैं कि 1000 की जनसंख्या हो। एक जहाज पंचायत है उसमें 52 बाड़ियां हैं। जहाज पंचायत समिति का जो मुख्यालय है उसकी पापुलेशन तो 500 है और रेवेन्यू विलेज झाक है उसके 52 बाड़ियों की पापुलेशन है सात हजार। कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 लेकिन वह रेवेन्यू विलेज भी नहीं हैं। अब रेवेन्यू विलेज नहीं होने से उनको कोई सुविधा नहीं मिल सकती। कुछ ऐसे स्थान हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां अधिकांश खदानें हैं, पत्थर तोड़कर लाते हैं, पट्टियां निकालते हैं, लेकिन वहां सड़कें नहीं हैं, बैलगाड़ी से पट्टियों को लाना पड़ता है, पत्थरों को लाना पड़ता है, कहीं ऊंचाई है, कहीं निचाई है, उनके जानवर कभी बैठ जाते हैं, उनकी गाड़ियों के पहिये भी टूट जाते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए सड़कों के निर्माण के लिए जो नीति बनी है, उसमें भी रिलेक्सेशन दें ताकि उस क्षेत्र में राहत मिले और राजस्थान में जो विकास की गंगा बह रही है , वह पिछड़ा क्षेत्र है वह भी आगे बढ़े। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को कि उसमें रिलेक्सेशन दें और वहां निश्चित रूप से काम करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विजयनगर की कुछ समस्याएं रख रहा हूं। विजयनगर भौगोलिक दृष्टि से अजमेर और भीलवाड़ा के सेण्टर में पड़ता है। अजमेर और चित्तौड़ के बीच में स्टेट हाई-वे अभी वर्ल्ड बैंक से बना है। वहां ट्रेफिक इतना अधिक है कि हर मिनट में एक ट्रक निकलता है। वहां आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और विजयनगर से अजमेर या जयपुर ले जाना पड़ता है। इससे एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को बड़ी परेशानी होती है। हालांकि अस्पताल

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

में एम्बुलेंस है, वहां हास्पिटल 50 बैडेड है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने वहां सुधार किया और वार्ड वगैरह भी बनाए। लेकिन वहां से जयपुर और अजमेर जाने में अधिकांश पेशेण्ट इतने सीरियस होते हैं कि उनकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है, मेरा यह आग्रह है कि विजयनगर हास्पिटल को हण्ड्रेड बैडेड बनाएं और उसको सुविधा मुहैया कराएं। उसके साथ-साथ वहां ब्लड बैंक हो। एक्सीडेंट वालों को इमरजेंसी में कोई सुविधा मिले तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। दूदू में और दौसा के पास जैसा हास्पिटल बना वैसा विजयनगर में बनना चाहिए। आज भीलवाड़ा में एक्सीडेंट होता है या भीलवाड़ा के पास एक्सीडेंट होता है तो उसको जयपुर ले जाने के लिए तीन-चार घण्टे चाहिए। आज ट्रेफिक भी बढ़ गया है, सुविधाएं भी बढ़ गयी हैं, साधन भी बढ़ गये हैं लेकिन उसके जो ड्रा-बैक हैं उनके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वह आपके सामने हैं। हर रोज दो एक्सीडेंट होते हैं, तीन एक्सीडेंट होते हैं तो उसके लिये सुविधा मुहैया करायी जाये।

इसके साथ-साथ एक निवेदन यह करूंगा कि जो विजयनगर का थाना है वह गांव के किनारे पर है, शहर से हटकर रेलवे फाटक से निकलकर आगे है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई झगड़ा-टंटा होता है, ट्रक वालों को विजयनगर जाने के लिए रेलवे फाटक पार करके जाना पड़ता है। मेरा यह आग्रह है आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कि विजयनगर के थाने की जो सिचुएशन है, वह सन् 1952 में ठीक रही होगी लेकिन आज की स्थिति में ठीक नहीं है, वह मैन रोड पर स्थापित हो जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो लगने वाला एरिया है, लगभग सात पंचायतें हैं और विजयनगर के एरिया में एक्सीडेंट की सूचनाएं भी आसानी से पहुंच जाएं, उनको राहत मिले। यह मेरा आग्रह है।

मेरा एक और आग्रह है। इन दिनों चोरियां बहुत हो रही हैं पूरे क्षेत्र में। इसका एक ही कारण है, मैं जहां तक समझता हूं, आर्थिक परिस्थितिवश, बारिश नहीं होने से या अन्य कारणों से वहां चोरियां हो रही हैं। इसके साथ-साथ राजस्थान के बाहर से जो लोग आते हैं, यू.पी., बिहार और बंगाल से निकाले हुए एलीमेंट्स राजस्थान में आते हैं और भीलवाड़ा और गुलाबपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया है, वहां मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है इस बहाने आ जाते हैं, आने के बाद पहले तो अपना स्थान बनाते हैं, स्थान बनाने के बाद फिर चोरी करते हैं, धमकी देते हैं, लैटर लिखते हैं कि तीस हजार रुपये इस तारीख तक दे दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की हत्या कर देंगे। ऐसे एक-दो किस्से हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विजयनगर में आसन में ऐसा केस दो महीने पहले हुआ। पहले एक चिट्ठी दी एक बिहारी ने महावीर प्रसाद को कि आप तीस हजार रुपये फलां तारीख को सात दिन के अंदर-अंदर इस पेड़ के बांध दीजिये, नहीं तो आपके बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में लोग भोले-भाले हैं, कभी ऐसा काम पड़ा नहीं, उन्होंने नहीं दिया और सात दिन

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

बाद उनका बच्चा गायब और पास में कुए में मारकर डाल दिया। अब पता लगा कि यह बिहारी लोग बाहर से आए हैं। यू.पी. के एलीमेंट्स हैं। मेरा यह आग्रह है कि भीलवाड़ा व गुलाबपुरा के इस बैल्ट में जो बाहर के लोग आये हुए हैं। उनके आइडेंटिटी कार्ड बनें, उनकी पहचान हो, उनकी गारण्टी हो कि यह कहां से आए, किस स्टेशन से आए। ऐसे परिचय पत्र हो जाएं तो निश्चित रूप से जो बैड-एलीमेंट्स हैं, जो क्राइम पर्सन हैं, वह कम से कम उस एरिया में आने से बचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पीसफुल है। सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां शांति है। राजस्थान के बाहर जो प्रवासी राजस्थानी उद्योग-धन्धे, व्यापार के लिये गये, चाहे आसाम में गये हों, चाहे तमिलनाडू में गये हों, चाहे करेल में गये हों, चाहे हैदराबाद में गये हों, अब वे भी राजस्थान में आना चाहते हैं क्योंकि वह यहां अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं और उद्योग-धन्धों के लिए भी वातावरण बना है। राज्य सरकार ने भी उनको सब सुविधाएं एक ही टेबिल पर देने की व्यवस्था की और वह आने भी लगे हैं। अब प्रारम्भिक तौर पर ही यह वातावरण हाई-लाईट हुआ तो निश्चित रूप से राजस्थान में उद्योग-धन्धे लगने और पूंजी निवेश का जो वातावरण बना है, उसको ठेस पहुंचेगी। मेरा यह निवेदन है कि अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में बाहर से आए हैं, मेरे क्षेत्र में बांगलादेश से आए हुए मौलवी हैं, लगभग 200-250 मौलवी हैं, वे अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। उनको चैक करने की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके परिणाम क्या होंगे वह बाद में आपको पता लगेंगे। सबको पता है कि मुल्ला-मौलवियों ने इस क्षेत्र में पनाह ले रखी है। हर गांव में ठहरे हुए हैं। आप इसको चैक करिये। उनको रोकने की व्यवस्था करिये और उनको संदिग्ध अवस्था में पकड़ें तो निश्चित रूप से वापस अपने देश में भेजना चाहिए।

राजस्थान का बोर्डर पाकिस्तान से अड़ता हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, चुपचाप रात को घुसकर आ जाते हैं फिर अपना स्थान बनाते हैं और यही नहीं, यह जो ड्रग्स हैं, नशीली दवाइयां हैं, एक अन्तरराष्ट्रीय षड्यन्त्र है, यह राजस्थान के बोर्डर से होकर आते हैं, राजस्थान में घुसने के बाद पूरे हिन्दुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते है। उनकी एजेन्सी है, एजेण्ट हैं, उनकी पूरी व्यवस्था है और एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के नागरिकों का जीवन और बच्चों की जवानी को खतम करने का षड्यन्त्र है। इनकी अन्तरराष्ट्रीय योजना है।

राजस्थान के बोर्डर पर जितनी भी ड्रग्स पकड़ी गयीं, वह अन्य स्टेट पंजाब और गुजरात से भी ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि अपने प्रशासन में कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं चौकसी में कमी है, कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था में कमी है जिससे उन लोगों को रास्ता मिलता है। वे चुपचाप घुसते जाते हैं। उनके कुछ ठिकाने ऐसे बने

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

हुए हैं जो कि उनको पनाह देते हैं। अभी एक जासूस पकड़ा गया। वह अजमेर का

(15.00)

रहने वाला है। पालनपुर में विदेशी हथियार पकड़े गये उसमें एक अजमेर का आदमी निकला, उसको पकड़ा गया। उसकी सारी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अजमेर का रहने वाला नागरिक उसमें कैसे इन्वाल्व हुआ और हुआ तो अन्य कौन-कौन हैं और केवल अजमेर में ही है या राजस्थान के अन्य बड़े शहरों में हैं ? उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या व्यवस्था है उसकी भी जांच होनी चाहिए। केवल पकड़ लिया या उसकी जांच कर ली या उसे पकड़ कर पालनपुर गुजरात भेज दिया, उसकी तहकीकात कर ली कि यही है और इसने पहचान कर ली अपने साथियों की, इतना ही पर्याप्त नहीं है। राजस्थान शांतिप्रिय राज्य है इसके लिए यह जो छोटी-मोटी एक्टीविटीज हैं इन पर विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके लिए हमको गृह विभाग में गोपनीय सूचनाएं मिलने की व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। आज हम अखबार में पढ़ने के बाद यह पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। हमें तो यह चाहिए कि सूचना मिले कि यह कल होने वाला है तब तो प्रशासन एक्टिव, जनता वहां की सुरक्षित, वहां के उद्योग धन्धे सुरक्षित, वहां के किसान और काश्तकार सुरक्षित रह सकते हैं और हमको सूचना घटना के बाद मिलती है, तो लाभ नहीं है। अब जयपुर में अपहरण हो गया बच्चे का और बच्ची का धूलेश्वर गार्डन में, उसके बाद पता लगा तो मेरा यह आग्रह है कि अपनी सब एजेन्सीज गृह विभाग की, खुफिया विभाग की इतनी मजबूत हों कि सारी घटनाओं की अपने को जानकारी हो और ऐसे व्यक्तियों, ऐसे एलीमेंट्स को चिह्नित किया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो उनको राजस्थान से बाहर किया जाए।

मेरा यह निवेदन इसलिए है कि उद्योग धंधे जैसे-जैसे बढ़ेंगे वैसे ही श्रमिकों में भी असंतोष होगा और आंदोलन भी होंगे और किसानों के लिए भी कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, अभी केन्द्र सरकार ने इंदिरा गांधी नहर योजना के लिए अस्सी करोड़ रुपये स्वीकृत किये, राज्य सरकार ने भी 65 करोड़ के लगभग स्वीकृत किये हैं तो यह क्षेत्र बढ़ेगा, अब सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो उस पर भी व्यवस्थित ढंग से काम हो और समय पर काम पूरा हो और उसके बाद किसानों को भी संतोष हो और उत्पादन क्षेत्र भी बढ़े, इसकी मानीटरिंग, इसकी व्यवस्था भी ठीक ढंग से हो, यह निश्चित रूप से होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक, 1997 पर आज चर्चा हो रही है, मैं इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने जिस तरह से नगरपालिका, नगर परिषदों में पार्षदों व चेयरमैन सभी के लिए भत्ते, टेलीफोन और स्टेशनरी वगैरह के लिए राशि दी है, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्री महोदय

(124)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी पंचायतों के अन्दर सरपंच, पंच, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको भी इसी प्रकार से बैठकों में भत्ते मिलने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर के अन्दर तो जो पार्षद हैं उसको कहीं बाहर दस बीस किलोमीटर जाना नहीं पड़ता और ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनको चालीस-चालीस, पचास-पचास किलोमीटर जाना पड़ता है और जिले में बैठकें होती हैं तब तो 100-100, 150 किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी पंचायत विभाग में जिला परिषद के सदस्यों, सरपंचों को भत्ते दें और कितना देना है, क्या करना वह आप हमारी राय लेंगे तो हम बता देंगे और राय नहीं लेंगे तो आप अपने विवेक से जितना उचित हो उतना भत्ता दें।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनका एस्टीमेट पी.डब्ल्यू.डी. से ठीक आधा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो पंचायतों में निर्माण कार्य वैसे ही घटिया होते हैं और ऊपर से एस्टीमेट भी आधा, तो आप स्वयं अन्दाजा लगा लें कि निर्माण कार्य कैसे होंगे। तो इसमें भी पी.डब्ल्यू.डी. के समान एस्टीमेट ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सामग्री और श्रम का जो अनुपात है अभी बजट के अन्दर पचास-पचास पर्सेण्ट का प्रावधान है, यह सराहनीय है। पूर्व में तो यह तीस पर्सेण्ट तो निर्माण के कार्यों पर और साठ पर्सेण्ट श्रम पर था और पक्के कामों के लिए चालीस पर्सेण्ट निर्माण कार्यों के लिए था उसमें तो बड़ी ही धांधली थी। सरपंच को बहुत ही ज्यादा फर्जीवाड़ा करना पड़ता था, फर्जी मस्टर-रोल भरने पड़ते थे। इसलिए पचास-पचास पर्सेण्ट करने से सुधार तो हुआ है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि इसमें जब तक तीस पर्सेण्ट श्रम और 70 पर्सेण्ट निर्माण कार्य पर खर्च करने का प्रावधान नहीं होगा तब तक इस काम में सरपंचों को मजबूरी में बेईमानी करनी पड़ेगी। तो मेरा सरकार से यह आग्रह है कि श्रम और निर्माण कार्य की यह जो राशि है इसमें तीस पर्सेण्ट श्रम और 70 पर्सेण्ट पक्के निर्माण कार्यों पर खर्च होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों में जो सचिव हैं, काफी पंचायतें अभी तक ऐसी हैं जिनमें अध्यापकों को सचिव का चार्ज दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापक को क्या पता है कि किस तरह से निर्माण कार्य करवाये जाते हैं, किस तरह से ईंट खरीदी जाती है, किस तरह से अच्छे किस्म का लोहा खरीदा जाता है, सीमेंट खरीदी जाती है। इससे पढ़ाई के कार्य में भी बाधा पहुंचती है। उपाध्यक्ष महोदय, कई गांवों में तो अध्यापक हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें कहां फंसा दिया इस बीमारी में, हमें कुछ अनुभव ही नहीं है इस काम का। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों में सचिवों के जो पद रिक्त पड़े हैं उन्हें शीघ्र भरा जाए। समय-समय निर्माण कार्य करवाए जाने बाबत पंचायत के इन सचिवों को वर्ष में एक बार कोई न कोई ट्रेनिंग दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति में जो इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर, जे. ईएन. हैं उनके भी काम करने का जो तरीका है वह सही नहीं है। यहां वर्षों से एक परम्परा बनी हुई है इसमें कुछ तो माननीय मंत्रीजी ने सुधार किया है परन्तु अभी तक सुधार हुआ नहीं है। इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है सरपंच जे. ईएन. से जाकर मिले और उसको जब तक यह नहीं कह दे कि आपको चाय-बीड़ी वाला कुछ हम कर देंगे तब तक वह एस्टीमेट ही नहीं बनाता। जो सरपंच जाकर जे. ईएन. से अप्रोच करता है उसका एस्टीमेट पहले बनता है और जो नहीं करता है उसका एस्टीमेट नहीं बनता है और वह सरपंच काम करवा ही नहीं सकता। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति के अन्दर जो जे. ईएन. हैं, इन पर भी अंकुश लगाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत विभाग के अधीन जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं इनके अन्दर पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। गांवों में अध्यापकों का यह हाल है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर बीडीओ. और प्रधान स्थानान्तरण कर दे तो वह अपनी यूनियन के दबाव से वापस स्थानान्तरण कैन्सिल करवा लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई गांवों में तो यहां तक देखा है कि पूरा गांव एक तरफ टीचर की शिकायत कर रहा है कि समय पर यह स्कूल में नहीं आते, बच्चों को पढ़ाते नहीं और दिन भर ताश खेलते हैं परन्तु गांव के लोगों को सुनने को यह मिलता है पंचायत समिति में प्रधानजी के श्रीमुख से और बी. डी. ओ. के मुख से कि क्या करें, इनकी तो यूनियन बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यूनियन कोई सारे गांव के लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बनी हुई है।

अध्यापकों की यूनियन होनी चाहिए परन्तु वह किसी को परेशान करने के लिए नहीं हो वह अपने हितों की रक्षा करे, अपने हितों पर कहीं कुठारघात हो रहा हो तो यूनियन का प्रयोग करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यापकों की यूनियन के पदाधिकारियों से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी इन अध्यापकों को कोई बैठक बुलाकर या पत्र के द्वारा जरूर पाबन्द करें कि आप समय पर स्कूल जाएं और स्कूल के समय में बच्चों को शिक्षा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने एक दृश्य और भी देखा है कि एक प्राथमिक पाठशाला में सौ बच्चे हैं वहां तो छह-छह, सात-सात अध्यापक हैं और जहां दो सौ, ढाई सौ बच्चे हैं वहां एक अध्यापक है। आप स्वयं अन्दाज लगाएं, एक अध्यापक ढाई सौ बच्चों पर होगा, वह तो दिन भर बच्चों को पानी पीने और पेशाब करने के लिए छुट्टी देने में लगा रहेगा । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों के पद स्थापित किये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव सड़क से जुड़े हुए हैं, जहां आवागमन के साधन हैं, वहां अध्यापक येन-केन प्रकारेण स्थानान्तरण करवा ही लेते हैं। मेरे क्षेत्र में सिंगपुरा एक गांव है जहां बच्चों की संख्या 80-90 है और अध्यापक मैंने मेरी आंखों से देखे हैं छह । अब इस तरह से साठ-साठ बच्चों पर पांच-पांच, छह-छह अध्यापक अप्रोच करके अपना स्थानान्तरण करवा लेते हैं वहां पढ़ाई का स्तर कैसे सुधरेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सैंक्शंड पोस्ट होंगी, पोस्ट स्वीकृत हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, वह सारा ही एप्रोच से होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल या शून्यकाल में , मैं बाहर बैठा था, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, एक प्रश्न आज उठा था कि शिक्षाकर्मी योजना के तहत जो विद्यालय खोले जा रहे हैं, यह विदेशी षड्यंत्र है। माननीय सदस्य श्री रमाकान्तजी ने यह शब्द कहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो डिग्रीधारी अध्यापक हैं इनके बनिस्पत शिक्षाकर्मी योजना के तहत जो अध्यापक लगेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा में सुधार आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में दूर-दराज के गांव और ढाणियों के अन्दर शिक्षा का स्तर सुधरेगा। उस अध्यापक को हर वर्ष अपनी नौकरी की चिंता रहेगी—

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, चालू कर दीजिए फिर वहां प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है ? क्यों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं प्रशिक्षण के अन्दर ?क्यों बी. एड. और एस. टी. सी. बना रहे हैं ? सारे स्कूलों के अन्दर ऐसा ही कर दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : वह आपकी सोच है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह मानना है, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात कही है, वह बिलकुल सही है कि शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। और यह बात प्राथमिक शालाओं में लगे हुए अध्यापकों के गले नहीं उतर रही है। मेरे से भी कई अध्यापक मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस मामले पर विधान सभा में बोलें और इस तरह से शिक्षाकर्मी योजना के तहत विद्यालय खुलेंगे तो हमारे विद्यालयों की तो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैंने उनको मना कर दिया कि शिक्षा में कोई न कोई काम्पीटिशन होना चाहिए।

जब विद्यार्थियों की परीक्षा होगी तो उनके रिजल्ट से स्वतः ही पता लग जाएगा कि शिक्षाकर्मी योजना अच्छी है या पंचायत राज के अधीन जो विद्यालय चल रहे हैं उनकी शिक्षा अच्छी है। रिजल्ट अच्छा है तो वह तो अपने आप ही पता चल जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में कई विद्यालयों में तो फर्नीचर और टाट पट्टियां तक भी नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के विद्यालयों में फर्नीचर और टाट पट्टियों की व्यवस्था करवायी जाए। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कि जो भवन रहित शालाएं थी,वहीं करीब-करीब सब जगह सरकार ने भवनों का निर्माण करवा दिया।

इसके अलावा प्राथमिक शालाओं में जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको समय-समय पर दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। उनकी एक यह भी परेशानी है, जो असलियत है उसको स्वीकारूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कभी तो उनकी ड्यूटी कार्ड बनाने में लग जाती है, कभी वोटिंग में, कभी साक्षरता में, कभी पोलियों की दवा पिलाने में, कभी कार्ड बांटने में, कभी कार्ड बनाने में तो इससे शिक्षा कार्य में बाधा पहुंचती है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जब तक अध्यापकों को रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं करवा दिया जाता तब तक वह गांव में रुकेंगे भी नहीं, यह भी एक बीमारी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना बन सके, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक वर्ष में आप सभी जगह, गांवों में अध्यापकों के रेजीडेंस का निर्माण करवा दें परन्तु कुछ शुरूआत करें, दस गांव, बीस गांव में हर क्षेत्र में अध्यापकों के रहने के लिए भवनों का निर्माण सरकार करवाए।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि जिस तरह से विकास अधिकारी और प्रधान को विद्यालय चैक करने की पावर है, उसी तर अगर जनप्रतिनिधि जैसे एम. एल. ए., एम. पी. हैं, उनको भी सरकार अगर गैर-हाजिरी लगाने की या कोई और शिकायत सुनने की पावर दें तो इससे भी शिक्षा में कुछ सुधार होगा। मैं अभी मेरे क्षेत्र में गया था। मेरे साथ बी. डी. ओ. और प्रधान जी थे। एक बी. बी. एच. है वहां पर तीन महिलाएं अध्यापक थीं। हम लोगों ने पाठशाला के अन्दर प्रोग्राम रखा तो गांव के लोग वहां नहीं आए। हमने गांव में जाने के बाद के लोगों ने यह शिकायत की कि हम तो इस विद्यालय की चारदीवारी के अन्दर पैर ही नहीं रख सकते। एक दो बार गांव के लोगों ने कहा कि आप समय पर शाला में आते नहीं हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो तो उन महिला अध्यापिकाओं ने उनके ऊपर गाली गलौच करने का आरोप लगाया। तो इस तरह की भी व्यवस्था है। हमने मौके पर जाकर एक-एक बच्चे से सवाल पूछे, सवाल पूछने पर पता लगा कि जो बच्चे पांचवीं क्लास में है वह दूसरी क्लास के मुकाबले के भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डी. आर. डी. ए. जो निर्माण कार्य करवाता है, डी. आर. डी. ए. का अध्यक्ष जिला कलक्टर होता है परन्तु इसके अन्दर एक कमी है, जिला कलक्टर अपनी मर्जी से जो निर्माण कार्य सैंक्शन करते हैं इससे ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य जनप्रतिनिधियों की राय से तो जनप्रतिनिधियों को इस बात का पता रहता है कि कौनसे गांव के अन्दर शाला का भवन बनाया है,

128

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कौनसे गांव में सामुदायिक केन्द्र की आवश्यकता है, कैनसे गांव में अध्यापकों के रेजीडेंस बनाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि डी. आर. डी. ए. कामों में जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जाए ओर उपयुक्त सुझाव हो उसको माना जाए, सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करे।

श्री उपाध्यक्ष : गवनिंग कौन्सिल की मीटिंग में आप भी सदस्य हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्निंग कौन्सिल की मीटिंग में हम गये हैं। हमने सुझाव भी दिये हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूं तो उचित रहेगा। मैंने उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन कर दिया है, हकीकत में मैं जो बात कह रहा हूं वह मैं माननीय उप मुख्य मंत्री से अलग ही बैठ कर निवेदन कर दूंगा तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : एक मिनट कह दूं, साहब । गवर्निंग कौन्सिल के अन्दर सिर्फ अनुमोदन करना होता है, स्वीकृतियां तय हो जाती हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्निंग कौन्सिल में तो सारा तैयार माल आता है। हम को तो खाली मोहर लगानी होती है, कोई सुझाव नहीं लिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वहां आपको डिस्कस करने का पूरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : हम तो यह भी लिखवाते हैं कि इसमें हमारी है, तो भी वे वही करते हैं जो वे चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेरी सहमति नहीं है, यह भी लिखवाते हैं हम तो। लेकिन वे अपनी मनमर्जी से करते हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यही बात तो मैं हाउस में निवेदन कर चुका हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक मिनट अपनी मनमर्जी से स्वीकृत करके योजनाएं केवल गवर्निंग कौन्सिल में पुष्टि करवाते हैं इसके अलावा कोई सुझाव नहीं लिये जाते हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पीलीबंगा में एक तहसील है, कोई उप तहसील नहीं है। गोलूवाला एक कस्बा है वहां उप तहसील नयी खोलने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पीलीबंगा तहसील के अन्दर दो थाने हैं, एक पीलीबंगा और गोलूवाला। गोलूवाला में मैंने उप तहसील की मांग की है, वहां थाना अलग से है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, मण्डी भी है, कृषि उपज मण्डी का दफ्तर भी वहां है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं जिक्र कर रहा था कि मेरे पीलीबंगा तहसील के अन्दर दो थाने हैं उनका डी. एस. पी. सर्कल 60-70 किलोमीटर दूर संगरिया तहसील के अन्दर है और बीच में हनुमानगढ जिला भी पड़ता है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हनुमानगढ़ जिले में डी. एस. पी. सर्कल है जो वहां से 25 किलोमीटर दूर है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक थाना तो हनुमानगढ़ डी. एस. पी. के नीचे कर भी दिया परन्तु एक थाना आज भी संगरिया के नीचे है। तो पब्लिक को इससे बहुत परेशानी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे थाने को भी हनुमानगढ़ डी. एस. पी. के नीचे किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर एक बहुत बड़ी परेशानी और है। मैं कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा दें तब तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो आर. एम. पी. डाक्टर हैं उनको काम करने दिया जाए। आज जिस तरह से उन पर रोक लगायी हुई है, पुलिस उनके पीछे-पीछे भाग रही है। जब भी हम गांवों में जाते हैं तो हमें यह सुनने को मिलता है कि आपने जो हमारी थोड़ी बहुत व्यवस्था थी उसको चौपट करके रख दी, आपने कोई चिकित्सा सुविधा हमें उपलब्ध करायी नहीं है। छोटे-मोटे इलाज के लिए 40-40, 50-50 किलोमीटर शहर के अन्दर जाना पड़ता है। किसी के चोट लग गयी, किसी को पट्टी करवानी है, जुकाम हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह के ट्रीटमेंट लेने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, गांव का आदमी शहर नहीं जाता है। चाहे वह कितना ही बीमार हो जाए, कुछ भी करना पड़े, उसको फिटकरी खानी पड़ी, चाहे कोई नीम की पत्ती खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े पर वह मलेरिया बुखार के लिए शहर नहीं जाता। उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आर. एम. पी. डाक्टर उपलब्ध करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से सरकार ने रोक लगायी है तब से सुधार भी हुआ है। लोग डरते हैं, थोड़ी-बहुत भी कोई बीमारी हो जाए, तो उपाध्यक्ष महोदय, वह स्वयं लेकर शहर मरीज के साथ जाते हैं, उसको भर्ती करवाते हैं और उसके टैस्ट वगैरह करवाने में भी सहयोग करते हैं। इनमें से कुछ लोग, एक दो प्रतिशत ऐसे हो सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर आज सुबह-सुबह मेरे चोट लगी थी, मैं घूमने निकला रोड पर आगे किनारे खड्डे में पग चला गया और मैं गिर गया तो मेरे हाथ के अन्दर चोट लग गयी और एक पत्थर चुभ गया हाथ में छोटा सा। तो दो-तीन घंटे तक कोई ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां आया विधान सभा में आते ही डाक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत गम्भीर मामला है, आपके हाथ में तो पत्थर चुभ गया आपको तो टिटनेस का टीका लगाना पड़ेगा और यह पत्थर हम निकालेंगे। तो उन्होंने पत्थर निकाला और मेरे एक सुई भी लगायी, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्पोजल सुई लेकर के। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी चोट लगने के बाद इतना ट्रटमेंट हम लोगों को तो मिल जाता है, शहर में जो लोग निवास करते हैं उनको मिल सकता है पर गांव के अन्दर जो आदमी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रहता है उसको तो पत्थर क्या, उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो अंगुलियां कट जाती हैं तो वह मिट्टी में अंगुली दबा कर पट्टी कर लेता है या ऊपर पेशाब कर लेता है या कोई और पानी की पट्टी कर लेता है और कोई आर. एम. पी. डाक्टर गांव में मिल जाए तो पट्टी वगैरह कुछ करवा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि यह जितनी बीमारियां हो रही हैं यह सब आर. एम. पी. डाक्टरों के मत्थे मांडना उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि गांवों में कैम्प लगते हैं और कैम्प लगते हैं उस टाइम जैसे परिवार कल्याण नियोजन के कैम्प लगते हैं, मैंने स्वयं आंखों से देखा है,एक-एक सिरिंज से, उपाध्यक्ष महोदय, 20-20, 30-30 सुई लगा दी जाती हैं महिलाओं के । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और भी जैसे आंखों का आपरेशन है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। सभी लोग गलती तो करते हैं। परन्तु उनके पास लाइसेंस है उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट नर्सिंग होम के अन्दर सारे के सारे लोग कम्पाउण्डर हैं जो डाक्टरों की बिना देखरेख के मरीजों के ग्लूकोज की बोतल भी लगाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, सभी तरह का इलाज करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि जब तक सरकार वहां कुछ करे तब तक गांवों में आर. एम. पी. डाक्टर हैं उनकी छह महीने की कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। 10-10, 15-15, 20-20 साल से यह लोग काम कर रहे हैं तो यह ट्रेंड भी जल्दी हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इनको ट्रेनिंग दिलाए छह महीने की। मैं यह नहीं कहता हूं कि हर आदमी को मारने की छूट दे दो पर सरकार का कोई न कोई टैस्ट के रूप में जो योग्य व्यक्ति हैं उसको चुनने का तरीका होना चाहिए, उनको चुन कर के ट्रेनिंग देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्राइवेट नर्सिंग होम में काम जो करते हैं वे 2-4 साल काम करके फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं सीखने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, कहावत आपने सुनी है "पढै जाट को सीखे नाई को" पहले जो नाई कटिंग करता है वह गांव के आदमी से सीखता है शहर में नहीं आता। तो सर्वप्रथम ये लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से ही डाक्टर बनते हैं। मैं इससे सहमत हूं। मोटे रूप में मेरा यही निवेदन है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाए।—

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दाई तो कई काम सिखाती है। एक ही काम का कैसे उदाहरण दे रहे हैं। दाई बिना तो कोई उद्धार ही को हो सके नी।

श्री रामप्रताप कासनियां : मृत्यु में, जीने में, मरने में हर जगह नाई और ब्राह्मण के बिना हमारी मुक्ति ही नहीं हो सकती है। मैं सहमत हूं इस बात से ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन ट्रेनिंग शहर में होनी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : ट्रेनिंग आप शहर में कराएं या गांव में कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेडिसिन के अन्दर जिनकी ट्रेनिंग ली हुई है जो

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मेडिकल स्टोर कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हैं, वे लोग स्वयं काम नहीं करते हैं, वे अपना लाइसेंस किराये पर देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 70 पर्सेण्ट लोग जो मेडिकल स्टोर करते हैं उनको बिलकुल अनुभव नहीं है। उन्होंने लाइसेंस किराये पर ले रखा है। लाइसेंस वाला तो गंगानगर है और मेडिकल स्टोर जयपुर में चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के लोग दवाई देते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। ट्रेनिंग तो उनकी भी की हुई नहीं होती है ज्यादातर लाइसेंस किराये पर होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रमाण पत्र आर. एम. पी. डाक्टर को दिये हुए हैं, सरकार से निर्धारित मान्यता प्राप्त जो संस्था है उसने दिया है। आज जो गांवों में आर. एम. पी. डाक्टर हैं उनके पास उपाधि आयुर्वेद रत्न की है उनको नोटिस दिये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि उनके साथ जो व्यक्ति थे। उनमें से 71 व्यक्तियों को एक दफा नौकरी ग्रामीण क्षेत्र के औषधालय में दी और 17 व्यक्तियों को एक बार नियुक्ति दी है। यह भी वही लोग हैं उनके समान ही डिग्रीधारी हैं। तो इस तरह से सरकार एक तरफ तो उनको नौकरी में औषधालय में भर्ती कर रही है। —

श्री अचलाराम मेघवाल : अभी लीजिए सर, अगर समय है तो मैं एक मिनट में ही बता दूं। (व्यवधान) कौन से सन् में की है? (व्यवधान) आप बाद में बता देना ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे बोलें। आप विवाद में क्यों फंसते हैं ?

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, जो 71 सदस्यों को नियुक्ति दी है यह दिनांक 16.7.1980 को पत्र क्रमांक प्रति-3/नियुक्ति/180/21770 द्वारा दी है। इसके साथ 13 व्यक्तियों को दिनांक 20.2.78 को पत्र क्रमांक प्रति-3/नियुक्ति/78/2729-63 द्वारा नियुक्ति दी है। ये नियुक्तियां आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर के निदेशक महोदय ने विभिन्न गांवों में स्थायी तौर पर दी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन आर. एम. पी. डाक्टरों को अमान्य क्यों घोषित किया जा रहा है। जबकि वही डिग्री इनके पास है? इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हर दुकान में तरह-तरह की गोलियां भी बेची जाती हैं।अगर हम इन पर प्रतिबंध लगा देंगे तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानें हैं, जो तरह-तरह की गोलियां रखती है, वे भी तो बेचती हैं, उन पर हम कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग में जो महिला कार्यकर्ता हैं वे भी दवाई देने का काम करती हैं, सरकार की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है जबकि उनको इस तरह का अनुभव नहीं होता है। उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि एक तो बीस साल से जो आदमी काम कर रहे हैं और एक दो-चार दिन की ट्रेनिंग लेकर यह कहे कि यह गोली दे दो, यह ट्रीटमेंट कर दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ने भी देखा होगा डाक्टर अपने हाथ से सुई नहीं लगाता। वह तो सिर्फ स्लिप पर लिखता है और सुई लगाने का काम 70 पर्सेण्ट वही लोग करते हैं जो कम्पाउण्डर या आर. एम. पी. डाक्टर के नाम से जाने जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में जो लगा रखे हैं वे तो ट्रेंड हैं, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम में सारा स्टाफ अनट्रेंड हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी का ध्यान एक मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हनुमानगढ़ डी. एफ. ओ. रेंज के अंदर 6 रेंजर हैं। वहां वर्षों से वनों की कटाई हो रही है। वन तो नहीं हैं, लेकिन नहर के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, जिनमें शीशम है, कीकर है अभी फरवरी माह में एक जोरारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, वहां मैं स्वयं गया था। वहां पर एक टाली, जिसकी कीमत लगभग 15 हजार रुपये है, उसकी आर. डी. भी है। मैं आपको निवेदन करूं.. (व्यवधान) खैर, छोड़िये। जोरारपुरा वितरिका में 20-25 पेड़ शीशम के काटे गये, जिनकी कीमत दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये है। इसी तरह एक कल्याणावाली माइनर है, जिसमें 200 शीशम के पेड़ कटे हैं। इसके अलावा जे. डब्ल्यू. डी. की लिंक है जहां पर सैकड़ों टालियां काटी गयीं। इसके अलावा जी. डी. सी. एक नहर है उसमें कम से कम 200 टालियां काटी गयीं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वन विभाग का काम हरियाली करना है। हमारे यहां जो रेंजर लगे हुए हैं ये पिछले कई वर्षों से हनुमानगढ़ या गंगानगर रेंज में आ जाते हैं या दूसरी रेंज में पारस्परिक स्थानान्तरण करा कर चले जाते हैं। मोटे तौर पर वे हनुमानगढ़ या गंगानगर को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, लखूवाली गांव में एक आरा मशीन है और वह आरा मशीन नसीम अली नाम के व्यक्ति की है, वहां अगर आज ही छापा मारा जाए तो वहां लाखों रुपये की लकड़ियां वन विभाग को बरामद हो सकती हैं। यह जो आरा मशीन लगी हुई है इसका उसके पास लाइसेंस नहीं है। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं बल्कि यह वर्षों की परम्परा है।

अभी एक डी. एफ. ओ. हनुमानगढ़ में लगे हुए थे। उन्होंने इन रेंजर्स की जांच की। उनका नाम हरिसिंह है उन्होंने जो पेड़ कटे हुए हैं उसकी फाइल में एंट्री की, जांच की, लेकिन जब उनके खिलाफ कार्यवाही अंतिम स्टेज में आई तो उन रेंजर्स व फोरेस्टर्स ने मिलकर उस डी. एफ. ओ. का स्थानान्तरण मंत्री महोदय से करा दिया। इसी डी. एफ. ओ. के लिए मंत्री जी ने, जब ये वन मण्डल, बारां में थे तब लिखा-

"श्री हरिसिंह, सहायक वन संरक्षक, गश्ती दल, बारां एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। वन मण्डल, बारां में पिछले दो वर्ष से सरकारी राशि और सामान आदि में जो भारी घपले हुए हैं, उनमें ये अधिकारी सम्मिलित नहीं है। गंभीर आरोप -युक्त अनेक शिकायतें होने से निदेशक-सतर्कता, वन विभाग, जयपुर और राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर व कोटा तत्कालीन डी. एफ. ओ. व रेंजर्स के विरुद्ध जाँच चल रही

(श्री रामप्रताप कासनियां)

है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों ने षड्यंत्र रचकर श्री हरिसिंह, सहायक वन संरक्षक, गश्ती दल, बारां का स्थानान्तरण ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर में कराया है। यह कार्य बहुत ही खेदजनक व. निंदनीय है। नैतिकता के अनुसार जिन भ्रष्ट अधिकारियों के बारां से बाहर स्थानान्तरण होने चाहिए थे उनके स्थानान्तरण न करके एक कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि____। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मतलब स्थानान्तरण की बांत नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि जो काम करने वाला अधिकारी है उसको इस प्रकार की सजा नहीं मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तथा सूरतगढ़ और नौहर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं जो विद्युतीकरण के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर सबसे कम गांवों का विद्युतीकरण हुआ है तो वे सूरतगढ़ और पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं। आप रिकार्ड से जानकारी कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ...

श्री किशनाराम नाई : मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कमेटी बनी हुई है। 25 लाख रुपये ये लोग कमेटी बनाकर खर्च कर रहे हैं। ये अपने आप ही जाकर उसका उद्घाटन करते हैं, उसकी कार्यवाही भी खुद ही लिखते हैं, जो एजेन्ट इन्होंने गांवों में नियुक्त कर रखे हैं उनकी मार्फत ही करते हैं। कहां पैसा लगता है, क्या करते हैं, यह किसी को पता नहीं है। इसका न जन-प्रतिनिधि को पता है, न ही गांव के लोगों को पता है। आप कितनी बार इसको बंद करा देंगे या कितनी बार बोल लेंगे ?

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस वर्ष में जो 700 गांव लिये थे। उसमें 31 मार्च से पहले-पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 3-4 गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए। आगामी वर्ष का सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसमें जितने गांव जिस क्षेत्र में हैं उसके अनुपात में विद्युतीकरण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हनुमानगढ़ में एक भी गांव विद्युतीकरण के बिना नहीं है । इसी प्रकार संगरिया, गंगानगर व करणपुर के क्षेत्रों में आवश्यकता नहीं है जहां पूर्णतः विद्युतीकरण हो गया । मेरा सरकार से यही निवेदन है कि गांवों के अनुपात में विद्युतीकरण होना चाहिए तथा सरकार ने जो आगामी वर्ष का लक्ष्य रखा है उस हिसाब से होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। खाद डीजल व पेस्टीसाइड्स पर सरकार ने जो कर लगा रखा है। वह हरियाणा और पंजाब की भांति लगना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ने के साथ-साथ सरकार को

(श्री रामप्रताप कासनियां)

टैक्स भी ज्यादा आएगा। हरियाणा व पंजाब की तरह से टैक्स लगाया जाता है तो सरकार को ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने भी चर्चा की, हर वर्ष काश्तकारों पर रजिस्ट्री का चार्ज 15 पर्सेंट बढ़ाया जाता है यह उचित नहीं है। एक तरफ तो काश्तकार को उचित मूल्य नहीं मिलता और दूसरी तरफ हर वर्ष रजिस्ट्री पर 15 पर्सेंट स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, यह उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्री पर जो 15 पर्सेंट की बढ़ोरी की जा रही है इसको रोका जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अवैध वाहनों की मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूंगा। आए दिन इनके कारण से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जयपुर से गंगानगर रोड का मुझे ज्ञान है, जिसमें मैंने मेरी आंखों से देखा है, वही बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। यहां पर सैकड़ों प्राइवेट बसें रोज दिन में निकलती हैं और जो जीप-टैक्सी चलती हैं, इनकी बहुत तेज गति होती है प्राइवेट बस वालों की चाहे बस का नुकसान हो जाए, उसकी चिन्ता नहीं है, जो ड्राइवर कम समय में जयपुर से गंगानगर बसें लगाता है, उसको ये नौकरी देते हैं, चाहे बस टूट जाए, फूट जाए, चाहे आदमी मर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका बीमा फुल होता है। कम समय में जो ड्राइवर गंगानगर या जयपुर पहुंचाता है, उस ड्राइवर को ये नियुक्ति देते हैं और तेज गति से चलने के कारण आए दिन सैकड़ों आदमी मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इन अवैध वाहनों पर किसी न किसी तरह से रोक लगनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, कारपेट और वूलन की यहां पर बात चली थी, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रमाकान्त जी। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : कितने समय में समाप्त करूं, उपाध्यक्ष महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जब वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ था तो चर्चा मैंने प्रारम्भ की थी और मैंने निवेदन किया था कि इस वर्ष का संशोधित और अगले वर्ष का जो बजट बनाया गया है वह राजस्थान के सर्वांगीण विकास का है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, खास तौर से गरीब, पिछड़े लोगों का ध्यान रखा गया है और एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का एक नक्शा है। मैं इस बात को पुनः रीट्रेट करता हूं कि जो बजट बनाया गया है उसमें बहुत भारी सोच है, उसमें विकास के बारे में कल्पना है। परन्तु एक बात के बारे में मैं उस समय नहीं बोल पाया, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है कि जो हम ऋण ले रहे हैं, उसका ब्याज चुकती करना है, वह ब्याज बहुत बढ़ता गया है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे रेश्यो खराब हो रहे हैं इसलिए

(श्री रमाकान्त शर्मा)

एक निधि कायम की जाए, एक प्रकार से रिजर्व बैंक के अन्दर कुछ रुपया प्रति वर्ष डिपाजिट किया जाए। और उसके ब्याज से जो ऋण लिया जा रहा है उसका ब्याज दिया जाएगा, यह आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। मैं अपने पैसे को बैंक के अन्दर एफ.डी. में इसलिए डिपाजिट कराता हूं कि मेरे पास में कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है। मुझे मिलता है 12 प्रतिशत और बैंक वाला किसी एन्टरप्रिन्योर को देता है 20 प्रतिशत के अन्दर, 8 प्रतिशत बैंक कमाता है। वह पैसा किसी एन्टरप्रिन्योर को, उद्योगपति को मिलता है, उद्योगपति उससे 30 प्रतिशत कमाता है तो उसी धनराशि से जो उद्योगपति है, जो एन्टरप्रिन्योर है, वह रीयल में कमा रहा है। लेकिन मैं या बैंक दोनों के पास में स्वयं को नियोजन करने के लिए कोई आल्टरनेटिव नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है इसलिए मैं पैसा कम कर रहा हूं। परन्तु सरकार इस तरह का काम करे तो यह बात उचित नहीं है। सरकार स्वयं एक एन्टरप्रिन्योरिंग है, सरकार स्वयं एक प्रकार से सरकार चलाना चाहती है, उसके सामने बहुत सारे आल्टरनेटिव हैं, उसके सामने बहुत सारे क्षेत्र हैं। यदि सरकार अपने व्यय को, ब्याज के व्यय को उत्पादित क्षेत्रों के अन्दर ज्यादा जोर से लगाए। उन उत्पादित क्षेत्रों में लगाने के कारण से जो सकल घरेलू उत्पादन बढ़ता है, उस सकल घरेलू उत्पादन का जो ऊंचे लेवल के, ऊंचे स्तर के लोग-बाग हैं, लाभ उठाते हैं, उनसे करों के अन्दर ढांचा ठीक करके पैसा प्राप्त किया जाए, उससे ब्याज दिया जाना चाहिए, न कि एफ.डी. में जमा कराकर आप ब्याज दीजिए। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई प्रपोजल्स नहीं है, हमारे पास में उत्पादन के कोई प्रस्ताव नहीं हैं, हमारे पास में इस तरह के क्षेत्र नहीं हैं कि हम दूसरे कामों में लगाएं या इसका मतलब यह है कि हमने जो ऋण लिया है वह अनुत्पादित कार्यों के अन्दर खर्च कर दिया गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि ऐसा काम किया गया है तो भविष्य में हम उनको अनुत्पादित कामों में खर्च नहीं करें और इसी प्रकार से उत्पादित कामों में खर्च करें जिससे सकल घरेलू उत्पादन हमारा बढ़े। सकल घरेलू उत्पादन ही तो वह चीज है जिससे हम एक प्रकार से हमारे राजकोषीय घाटे के बारे में चर्चा करते हैं और वही एक चीज है जिसके द्वारा हम करों के अन्दर ज्यादा कर प्राप्त करते हैं जो हमने आज तक उत्पादित कामों में खर्च किया है उसी का कारण है कि जिसकी वजह से हम बराबर बढ़ते जा रहे हैं और हमारे बजट की जो धनराशि है, वह एकदम दुगुनी-चौगुनी होती चली जा रही है। यदि हमने अपने सकल घरेलू उत्पादन को नहीं बढ़ाया होता तो आज जो स्थिति आई है वह नहीं आ पाती। इसलिए इसमें और आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने व्ययों को इन कामों में लगाएं।

एक बात आई यहां पर चर्चा के अन्दर, वह बजट के डाकूमेंट में भी है कि सिंचाई पर इतने करोड़ों-अरबों रुपये खर्च हो गये हैं और उससे प्राप्त जो धनराशि है वह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रख-रखाव के लिए भी काफी नहीं है। यदि हम किसानों के बारे में चर्चा करते हैं तो पुनः वही बात कहूंगा सकल घरेलू उत्पादन की कृषि क्षेत्र के अन्दर सकल घरेलू उत्पादन की भागीदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, किसकी वजह से ? यह सिंचाई की वजह से है। यदि हम सिंचाई के अन्दर यह सोचेंगे कि इन किसानों से ज्यादा पैसा ले लें तो हमारा जो लक्ष्य है , हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सिंचाई के ऊपर तो और व्यय होना चाहिए और अब तक जो लेते हैं वह भी नहीं लेना चाहिए। किसान के पास में है क्या ? आज मुश्किल से 13-14 प्रतिशत तो सारी नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, 25 प्रतिशत जो सिंचाई हो रही है उसके अन्दर ज्यादातार लोगों के जो घरेलू कुएं हैं उनकी वजह से हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को या तो एनीकट से पानी पहुंचाएं, कुएं भी आप खोदिये, बिजली भी उनके अन्दर आप ही लगाइये और उससे जो आपका उत्पादन होगा, उससे जो आप कर प्राप्त करेंगे सैकण्डरी स्टेज के अन्दर, उससे जो बहबूदी प्राप्त होगी वह बहुत बड़ी है। इसलिए संकुचित धारणा से नहीं सोचें कि हम सिंचाई विभाग के ऊपर खर्च कम करें और किसान पर हम कुछ कर लगाना शुरू कर दें। यह जो हमारी पालिसी है, सही नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हम वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं, अभी बने नहीं हैं, इच्छा है, उधर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं वेलफेयर स्टेट के लिए इसलिए यदि हम अच्छे तरीके से एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य (व्यवधान) संकल्पना है, उधर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, परन्तु एक वेलफेयर स्टेट जो दूसरे देशों के अन्दर है वहां पर पूरे तौर-तरीके से प्रत्येक नागरिक पर, छोटे से छोटे नागरिक के ऊपर यदि 10 लाख का व्यय हो, 20 लाख का व्यय हो, जो कुछ उसको पूरे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है, वह सारा का सारा सरकार देती है। शिक्षा सैकण्डरी एजूकेशन तक टोटली फ्री है, खाना भी फ्री है, कपड़े भी उसको मिलते हैं, स्लेट-पैंसिल जो कुछ भी स्कूल के अन्दर आवश्यकता होती है, वह सारा का सारा सरकार से मिलता है। हम इतना तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम हमको इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए, खास कर चिकित्सा के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में जो प्रावधान हैं वह बहुत कम हैं, बहुत कुछ बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हम हमारे देश के लोगों को एक गलत बात बोल रहे हैं कि 2000 तक हम सभी लोगों को चिकित्सा के अन्दर कवर कर देंगे। और क्या बोल रहे हैं हम। हमारी बातों के अन्दर कि हमने प्रत्येक 5000 की आबादी के ऊपर एक सब-सेन्टर बना दिया है और उसको भी हमने चिकित्सा का माध्यम बना दिया है। वह तो एएनएम. है वहां पर, जो परिवार नियोजन के लिए रहती है। वह दवाई नहीं दे सकती, न वह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दवाई को जानती है, न दवाई से उसका कोई मतलब है। इसलिए चिकित्सा की श्रेणी के अन्दर हम यह बात कह कर बैठ जाएं कि हमने 5000 की आबादी को भी चिकित्सा के अन्दर कवर कर रखा है तो यह हमारी भूल होगी और यह हम लोगों को भी गुमराह करेंगे इस तरह की बात करके। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पांच-पांच हजार की आबादी के आधार पर वहां पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र होने चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए और इसी तरह जिला स्तर पर हमको स्पेशलिटीज की आवश्यकता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए यदि अभी से हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ बहबूदी हो जाएगी और हम इस क्षेत्र के अन्दर बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे तथा हम अपने आपको एक अच्छा वेलफेयर स्टेट नहीं बना पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बिराज रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हमको जितना भी सड़कों पर व्यय करना है, टोटल बजट हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जाना चाहिए। जो स्टेट लेवल की सड़कें हैं, जिन बाइपास की हम बात कर रहे हैं, शहरों की इनके ऊपर तो लोगों की, करोड़पतियों की कारें दौड़ती हैं, इन पर बड़े-बड़े ट्रक दौड़ते हैं, उनसे आपको अच्छी आय हो सकती है तो आप सारा का सारा उन पर कर लगाएं। बाइपास की बात करते हैं, स्टेट हाई-वेज की बात करते हैं, स्टेट हाइ-वेज को चौड़ा करने की बात करते हैं, बड़े-बड़े ब्रिजेज की बात करते हैं, ये सेल्फ पेइंग स्कीम होनी चाहिए। यह सारा का सारा पैसा जितना उसके ऊपर जिस तरह का ट्रेफिक है और ट्रेफिक के आधार पर इसको चौड़ा करने का है, यह ट्रेफिक रिलेटेड हैं तो ट्रेफिक को कर से रिलेटेड करके जो बड़े व्यवसायी हैं या उद्योगपति हैं या जिनके पास में अफोर्ड करने के लिये पैसा है... उनसे पैसा लीजिए, ये सेल्फ पेइंग स्कीम कीजिए और जो आपके पास में धनराशि है वह सारी ग्रामीण सड़कों पर खर्च कीजिये।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा राज्य सरकार को। हम बराबर देख रहे हैं कि बजट के ऊपर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और आलोचनाएं भी हो रही हैं कि हमारा राजस्व व्यय निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ गया, इस बार भी बहुत ज्यादा बढ़ना आवश्यक भी था क्योंकि प्लान समाप्त हुआ। प्लान के अन्दर जो कमिटेड लाइबिलिटी थी वह नॉन प्लान में आ गयी और नॉन प्लान में आ गयी तो एकदम बड़े विस्तार से जहां जो 62% खर्चा होता था वह 66% खर्चा हो गया। ठीक है यह तो होगा परन्तु हम यदि इस बारे में थोड़ा-सा केयरफुल होते, थोड़ी सी यह बात देखते कि कोई जरूरी नहीं है कि प्लान के अन्दर हमने उस वक्त में जल्दी काम कराने के लिये कुछ अधिकारी लगा दिये हैं, कुछ कर्मचारी लगा दिये हैं तो हमारी टोटल एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितनी परमीसिबल है। कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाता है तो उसमें वह एक प्रकार से रेश्यो छांटता है कि मुझे रॉ-मैटीरियल पर कितना खर्च करना है, मुझे बिजली-पानी पर कितना खर्च करना है, मुझे

(श्री रमाकान्त शर्मा)

फिक्स्ड पर कितना खर्च करना है, वेरियेबल पर कितना खर्च करना है। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट तो फैक्ट्री टू फैक्ट्री निश्चित है। उसी प्रकार से राज्य सरकार की भी निश्चित है। यदि राज्य सरकार अपनी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को मनमाने तरीके से बढ़ाती चली जाएगी तो हमारी यही हालत होगी। हमारा नॉन डवलपमेंट एक्सपेंडीचर बढ़ता चला जाएगा और साथ ही साथ हमारा राजस्व व्यय भी बढ़ता चला जाएगा और हम इस तरह से प्लान के द्वारा विकास करने की जो कल्पना किये हुए हैं वह विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें अत्यन्त आवश्यक है अभी से और यह केजुअल काम करने की आवश्यकता नहीं है, कभी किसी मंत्री के, कभी किसी अधिकारी के साथ मितव्ययता की कमेटियां बना दी जाती हैं और वह एक औपचारिकता चलती रहती हैं। न उनके द्वारा बताई हुई बात पर कोई अमल करने के लिए उद्दत है क्योंकि सब लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। कई प्रकार के इंटरेस्ट इसमें होते हैं। एक अच्छा आयोग बनाया जाए, आयोग बनाकर वह निर्धारित करे कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हमारी इन-इन में नहीं बढ़नी चाहिए।

मैं उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक टाइम के अन्दर आवश्यकता थी, कृषि विभाग के अन्दर इतने सारे डबल एओज. के इतने सारे असिस्टेंट डाइरेक्टर्स के पद क्रियेट कर दिये गये। आज गांव के अन्दर लोगों में अपने आप में इतनी जागरूकता पैदा हो गयी है कि उन्हें हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक हैं वे कुछ राय नहीं दे सकते। उसमें तो इतनी हीनभावना है कि वह किसान के पास पहुंच ही नहीं पाता, जा भी नहीं पाता, क्योंकि किसान उससे ज्यादा जानता है। इसलिए यदि हमने क्रियेट कर दी तो समय की आवश्यकता के अनुसार आज हमें अनुसंधान की ज्यादा आवश्यकता है। आज कृषि के अन्दर अनुसंधान को बहुत बढ़ाइयेगा। उस किसान के पास प्रेस्प इतना अच्छा हो गया है कि वह ज्ञानी हो गया है, वह आपसे प्राप्त कर लेगा परन्तु जो फील्ड लेबर पर इतना बड़ा स्टाफ क्रियेट कर दिया है प्लान के आधार पर, उसे कंटीन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मैंने उदाहरण दिया है। प्रत्येक विभाग में इस तरह की स्थिति है। जो इतना स्टाफ बढ़ा लिया गया है उस स्टाफ पर यदि हमने खर्चा कम नहीं किया तो हम ठीक प्रकार से अपनी विकास योजनाओं को आगे नहीं चला सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहां पर आ रहे हैं, बाहर के लोग यहां विनियोजन करना चाहते हैं, नियोजन करना चाहते हैं, उनके साथ में काम्पीट करना है और उनको ज्यादा अट्रेक्ट करना है तो हमको सारा का सारा ढांचा है, जो आज बहुत पुराने तरीके का प्रशासनिक तौर-तरीका है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं तो हम न विदेशियों को यहां पर इन्वाइट कर सकेंगे इस बात के लिए कि वे ज्यादा हमारे यहां पर पैसा खर्च करें और न ही हम अपनी विकास योजनाओं को ढंग से चला सकेंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कि हमारे इस प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको कंप्यूटरीकरण पर ला देना चाहिए। आज क्या जरूरत है ? ई-मेल आ गया और न जाने कितने तरीके की संचार व्यवस्थाएं पैदा हो गयीं और हमारे यहां पर अभी भी डिस्पेच रजिस्टर लिये हुए बैठा है एक आदमी और चार दिन लगा देता है। अत्यंत आवश्यक सैंक्शन निकलती हैं, चार दिन तक वह डिस्पेच रजिस्टर से नहीं निकल पाती हैं। तो हमें ग्राम लेवल पर सब जगह पर कंप्यूटरीकरण करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में दो-चार बातें निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है यह देश की एक तरीके से मूलभूत आवश्यकता है। आजादी 1947 के अन्दर आई थी उस समय हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा के ऊपर अच्छी तरह ध्यान दिया होता और उस समय नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व को समझने की शिक्षा उनको देते। आज जो समाज के अन्दर इतनी गड़बड़ी फैली हुई है जो उस वक्त में पढ़ रहे आज वे 60 वर्ष के हो गये, 65 वर्ष के हो गये और यह समाज में जो सारी कुव्यवस्था और अव्यवस्था हो रही है, यह इसलिए है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हमने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। केवल दो दूना चार और चार और दो छः जोड़ दिये या कुछ क,ख,ग,घ सिखा दिया और हमारी इतिश्री हो गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे देशों में जाकर के देखें, आज इंग्लैंड के अन्दर प्राथमिक शिक्षा के बच्चे को कह देते हैं कि इतिहास, भूगोल, जोड़-बाकी, गुणा-भाग तू अपने आप सीख ले। हमारे पोस्ट आफिस कैसे काम करते हैं, हमारे रेल्वेज कैसे काम करते हैं, हमारा बिजली विभाग कैसे काम करता है, कलक्टर क्या चीज है, जो सामाजिक व्यवस्था है यह बातें उस स्तर पर चार वर्ष के बच्चे को, 6 वर्ष के बच्चे को सिखाई जाती हैं। हमें अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व ही नहीं, प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा और प्राथमिक शिक्षा के अन्दर जो व्यक्तिगत लोग-बाग आ रहे हैं, जो व्यक्तिगत तरीके से गांव-गांव के अन्दर प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट कर रहे हैं वह डिस्टार्शन है उसे समाप्त करना होगा। प्राथमिक शिक्षा पर पूर्णतः सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के बाद में जो माध्यमिक शिक्षा है उस माध्यमिक शिक्षा के अन्दर यदि कोई मर्जी से निजी क्षेत्र से लोग-बाग आते हैं तो चूंकि हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है इसलिए हमको उनका स्वागत करना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए। परन्तु जो कालेज शिक्षा है, कालेज शिक्षा के लिए हमें यह दृढ़ कदम उठाने होंगे कि वह सैल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए, सैल्फ पेइंग होनी चाहिए। कालेज के अन्दर जो भीड़ भरी हुई है, दस-दस हजार, एक-एक हजार लोगों की, पांच-पांच हजार लोगों की, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, इसी तरह की चीजें चल रही हैं और उसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, कालेज शिक्षा के अन्दर जो पढ़ना चाहता है उसे : He must pay from his pocket. उस मामले के अन्दर हमको ध्यान देना होगा।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक कानकरेंट सब्जेक्ट है कांस्टीट्यूशन के अन्दर। इसमें राज्य भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि भारत सरकार महत्व रखती है। दोनों के समान तरीके के क्षेत्र हैं यह। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत सरकार के पास में यह है तो भारत सरकार इस प्रकार के रोड़े खड़े कर दे, इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दे कि आप यहां पर जो टैक्नीकल एजूकेशन, मैनेजमेंट एजूकेशन चलाना चाहते हैं उस टैक्नीकल और मैनेजमेंट एजूकेशन के बीच के अंन्दर परेशानी आ जाए। भारत सरकार ने एक आल इण्डिया कौन्सिल ऑफ

(15.59)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति पदासीन)

टेक्नीकल एजूकेशन कायम की है। आल इण्डिया कौन्सिल ही तय करेगी कि फलां इंजीनियरिंग कालेज खुलेगा नहीं, फलां मेडिकल कालेज खुलेगा नहीं, फलां मैनेजमेंट कालेज खुलेगा नहीं। यदि आल इण्डिया कौन्सिल यह बात तय करेगी तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वे जिनकी स्वायत्तता है, जिनका एक कर्तव्य है, वे यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी ? या तो मतलब यह हुआ कि यूनिवर्सिटीज अपने आप में सक्षम नहीं हैं कि वे अपना शिक्षा का एकेडेमिक स्टैण्डर्ड मेंटेन करें या फिर उनके अन्दर गड़बड़ियां हैं। यदि डिग्री एक यूनिवर्सिटी दे रही है, यूनिवर्सिटी की अपनी स्वायत्तता है, एक यूनिवर्सिटी अपने-आप में एफिलिएट करती है तो यह भारत सरकार की जो आल इण्डिया कौन्सिल आफ टेक्नीकल एजूकेशन है उसमें उसका क्या लेना-देना ? और वह लेना-देना यह है कि जिस प्रकार का आदमी वहां जाकर के बैठ जाता है, मुझे यह एस्पर्शन्स यहां पर नहीं करने चाहिए परन्तु एक प्रदेश के अन्दर पचासों कालेज खुल गये और एक प्रदेश के अन्दर कोई कालेज आता ही नहीं, है क्योंकि वहां पर उनको परवाह नहीं है उस चीज की। तो जहां जो शिक्षा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं हो, कोई इस प्रकार का कालेज खोलना चाहे और वह ही डिप्लोमा देना चाहे तो वह आल इण्डिया कौन्सिल आफ टेक्नीकल एजूकेशन उसमें हस्तक्षेप करती है परन्तु यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के अन्दर यदि हस्तक्षेप करती है तो हमारे प्रान्तों के अन्दर जिस प्रकार से टेक्नीकल एजूकेशन का प्रचार-प्रसार होना चाहिए उसमें रुकावट आ जाएगी, रुकावट आ रही है और राजस्थान प्रदेश है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां पर इस प्रकार की आल इण्डिया कौन्सिल आफ टेक्नीकल एजूकेशन हो, चाहे शिक्षक परिषद हो वह कह देते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी जो बी. एड. कालेज चला रही है वह उसे नहीं चलाना चाहिए, वह बंद कर देना चाहिए। तो शिक्षक परिषद का क्या लेना-देना है ? इसमें यूनिवर्सिटी के बीच में वह इन्टरफियर करेगा। मैं पुनः इस बात को कहना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के जो महाविद्यालय हैं, वे जो काम करना चाहते हैं उनमें हस्तक्षेप हैं। कानकरेंट लिस्ट में है यह उसका अर्थ यह नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह भारत सरकार से इस बारे में दृढ़ता के साथ

(16.00)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बात करें। अन्यथा होगा यह, जैसा हमारे वन विभाग के अन्दर सर्वनाश सा हो रहा है। वन जहां बढ़ने चाहिए उनके इंटरफियरेंस के कारण बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनमें सैकड़ों जगहों पर रोड़ियां, ही रोड़ियां पत्थर ही पत्थर पड़े हैं उसको वन विभाग बना रखा है और जहां वन वास्तव में लगाये जा सकते हैं वहां वन लग नहीं पा रहे हैं। यह पहले राज्य सरकार का विभाग था, राज्य सरकार के अन्तर्गत था परन्तु कानकरेंट लिस्ट में ले लिया गया तो वन विभाग की, राजस्थान सरकार की या किसी भी राज्य सरकार की स्वायत्तता थी, जो अपने प्रोग्राम थे, वे रह गये । खनिजों की भी यही व्यवस्था हो गयी। खनिज भी कानकरेंट लिस्ट के अन्दर हैं। खनिज के अन्दर वह चाहे तो बढ़ा दें, वह चाहे तो नहीं बढ़ाएं, वह चाहें तो यह चलेगा, वह चाहें तो यह नहीं चलेगा। एक राजस्थान सरकार, एक बिहार सरकार, यह कुछ ऐसी सरकारें हैं जो खनिज के आधार पर अपने विकास को बहुत कुछ आगे ले जा सकती हैं और बहुत त्वरित गति से विकास कर सकती है। उसके अन्दर भारत सरकार का जो होना चाहिए कॉनकरेंट लिस्ट के नाते हमारा सहयोग, हमें ज्यादा पैसा देने की बात वह नहीं होकर हमारे कामों के अन्दर बाधा आती है। कोई बात नहीं यदि खनिज या वन के अन्दर आ गयी परन्तु शिक्षा के अन्दर जो प्रवृत्ति हो रही है भारत सरकार की जगह-जगह रोड़ा अटकाने की, तो हम जो पिछड़े प्रांत हैं और पिछड़ जाएंगे।

अभी किसी अखबार के अन्दर पढ़ा कि साहब, यह जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अन्दर बहुत सारे लोग-बाग जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्योंकि वहां अंग्रेजी प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है। इसलिए सरकारी जितने स्कूल हैं उनमें पहली क्लास से ही अंग्रेजी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सोच करे तो मुझे थोड़ा-सा कष्ट है। हम तो चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे प्रशासन के अन्दर अंग्रेजी शब्द भीतर आएं ही नहीं बिल्कुल भी। हमें वह गौरव प्राप्त हो इस तरह का कि हम अपनी हिन्दी के आधार पर इंजीनियरिंग की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा, सब प्रकार की शिक्षा देवें और सारा का सारा काम, हमारा प्रशासन का कार्य हिन्दी के अन्दर हो और यह जो, व्यापारी हैं, इन्होंने अंग्रेजी चला रखी है वहां पर भी हिन्दी में सारी की सारी बातें हों पर हम उल्टी बात करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी हम पहली क्लास के अन्दर पढ़ाएंगे। अब कुछ लोग, हमारे व्यापारी हैं, वे फ्रांस से बात करेंगे तो प्राथमिक शाला के अन्दर फ्रेंच भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर वहां पर जर्मन भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। जिसे अंग्रेजी की आवश्यकता होगी, जिसे कुछ इंटरनेशनल व्यापार करना होगा तो पढ़ लेगा। यदि हमारे राजस्थान के आई.ए.एस. आफिसर को तमिल कैडर मिल जाता है तो वह दो महीने के अन्दर बहुत अच्छी तमिल बोलने लगता है जो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल बात है। अंग्रेजी ऐसी कौन-सी चीज है जिसके लिए हम प्राइमरी स्कूल से उस बच्चे को परेशान करेंगे। जिसको अंग्रेजी पढ़नी होगी, दो महीने पढ़ने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

चला जायेगा। चार-छह महीने के अन्दर फ्रेंच, जर्मन और रशियन आ सकती है । तो अंग्रेजी को ऐसा हौव्वा बनाने की क्या आवश्यकता है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि यह स्टेप बहुत रिट्रोग्रेड होगा। यह देश के गौरव के प्रति खिलाफत वाली बात होगी और बच्चों के लिए बड़ा परेशानी का विषय हो जाएगा। बच्चे बहुत गलत काम्पीटिशन के अन्दर आकर न हिन्दी सीख सकेंगे, न अंग्रेजी सीख सकेंगे। इसलिए इस व्यवस्था के हित के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई सोच है तो वह सोच नहीं होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदया, कहने का मतलब थोड़ा व्यावहारिक होना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके तो सूत्र ही बहुत हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : अच्छा समाप्त कर दूं। अच्छा, मेरी उन चीजों से कुछ आपको दर्द हो गया इसलिए मैं अपनी सारी बात को समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़, (अनुपस्थित) । श्री कन्हैयालाल मीणा, (अनुपस्थित)। श्री राकेश मेघवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मेरा नाम आप बोलो, माननीय सदस्या, उजला अरोड़ा।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीया सभापति महोदया, मैं भी बोलूंगा ।

श्री सभापति : बोलने दीजिए। आप विराजें। आप अपनी मर्जी से बैठ गये। अब क्या बोलोगे ? अब जिनका नाम है वे बोलेंगे ।

श्री राकेश मेघवाल : आपने रोका है मुझे ।

श्री सभापति : मैंने तो आपको नहीं रोका, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं। बैठिये।

श्री राकेश मेघवाल : नहीं, मर्जी से नहीं बैठा ।

श्री सभापति : अब शिवकिशोर जी बोलेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदया, जो बजट अभी रखा गया है, राजस्थान के मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में भाभड़ा जी की तथा जो हमारा वित्तीय प्रबन्धन है उसकी सारे देश में सराहना हुई है। जितने भी विशेषज्ञ हैं, अगर हम आज के अखबार देखें जो बजट के बाद में आए हैं, तो जिनको केवल विरोध के लिए विरोध करना था उन लोगों ने तो हमारे बजट की आलोचना की है बाकी सब लोगों ने सराहना की है। मैं भी आप सब की तरफ से धन्यवाद देते हुए एक संकेत करना चाहूंगा, राजस्थान सरकार का ध्यान उस संकट की ओर दिलाना चाहता हूं जो राजस्थान के वनवासी क्षेत्र में आने वाला है। 1992 में उदारीकरण के नाम पर और नीचे के तबके के लोगों को उठाने के लिए, गरीब लोगों के उत्थान की दृष्टि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से भारत सरकार ने सिगरेट उत्पादक कम्पनियों को मिनी सिगरेट बनाने के लाइसेंस जारी किये। उन्होंने 1.3.94 से मिनी सिगरेट पर उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दे दी गयी। परिणाम यह हुआ कि बीड़ी और मिनी सिगरेट की कीमत लगभग समान सी हो गयी है और इसके परिणामस्वरूप 60 लाख निर्धन बीड़ी मजदूर जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के हैं, और 40 लाख तेंदू पत्ता मजदूर, जो कि सभी वनवासी हैं, इस प्रकार कुल एक करोड़ लोगों के बेरोजगार हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान के भी लगभग 10 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा।

मैं इस विषय से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 1995 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा है। क्योंकि इन सबका असर कहीं पड़ने वाला है तो उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात पर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जिस तरीके से भारत सरकार को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है कि यह समाप्त किया जाए और तेंदू पत्ते में लगे हुए लोग हैं उनका रोजगार बन्द नहीं हो जाए, इसी तरह मैं राजस्थान सरकार से चाहता हूं कि वह भी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की तरह से एक प्रस्ताव पास करके उनको भेजें।

माननीया सभापति महोदया, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा हमको जो डाकूमेंट दिया गया है। उस डाकूमेंट को देखने के बाद में यह पता लगा कि राज्य योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता संस्थागत वित्त और केन्द्रीय प्रवर्तित जो धनराशि जनजाति विकास विभाग को मिली उसमें यह 20,09,021 रु. खर्च कर सके। इन तीन महीनों में इन्होंने कुछ और भी खर्चा किया होगा लेकिन यह सम्पूर्ण योजना का जो पैसा है वह उसमें खर्च होना चाहिए। अगर यह नहीं हुआ है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका रि-आर्गेनाइजेशन कराने की कृपा करें।

यह एक बदनामी का कारण होता रहा है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर की वजह से राजस्थान सरकार की बदनामी होती रही है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। मैंने इसका केवल एक कारण पाया कि इसका जो वर्तमान संचालक मण्डल है इसमें लगभग 17 बड़े-बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। इसमें बहुत बड़ा अमला राज्य कर्मचारियों का हैं वह भी है और इतने लोग संचालक मण्डल में हैं। एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है और जब जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो ऊपर उनके खिलाफ कौन बोलेगा ? यह तो सब सर-सर कहकर उस बात को स्वीकार करते चले जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसे रि-आर्गेनाइजेशन कराने की कृपा करें।

मैं इसी के साथ, शिक्षा मंत्रीजी से राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का वातावरण बना है उसके सन्दर्भ में कहना

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

चाहता हूं। आर.के. पटेल को कृषि विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर बनाया तो राजस्थान में जो सैंकड़ों ऐसे खाली पद पड़े हुए थे कृषि विश्वविद्यालय में, उन्होंने उनको भर दिया। उसी तरीके से डा. पी.एल.चतुर्वेदी को दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर में वाइस-चांसलर बनाकर भेजा। उन्होंने वहां पर फार्म से लेकर सम्पूर्ण काम हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में जो वाइस-चांसलर वर्तमान में लगे हुए हैं आप कम से कम उन्हें स्थायी तो कर दें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सन्दर्भ में इतनी चर्चा इस विधान सभा में हुई लेकिन उसके बाद भी आज तक वही सारे गलत काम होते चले जा रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज का जिस तरीके का शैक्षणिक वातावरण राजस्थान में बना है उसको खराब नहीं होने दें और इसमें देखें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक आई.पी.एस., एक आर.ए.एस., एक आई.एफ. एस.; एक बार आर.पी.एस.सी. को फेस करता है। एक बार वह आर.पी.एस.सी. को फेस करने के बाद आता है तो उसके सम्पूर्ण प्रमोशन लिंक से होते चले जाते हैं। राजस्थान एजूकेशन सर्विस में वह आर.पी.एस.सी. को फेस करता है सैकण्डरी के हैडमास्टर के रूप में और फिर उसके प्रमोशन होते चले जाते थे एडिशनल डायरेक्टर तक। लेकिन हमारे युवा शिक्षा मंत्रीजी को, जो अधिकारी डी.ई.ओज लगते हैं वे पसन्द नहीं आए। 10 साल तक डी.पी.सी. नहीं हुई शिक्षा विभाग में और राजस्थान की सरकार सोई रही। अगर डी.पी.सी. कर ली होती तो ऐसे लोग नहीं लगते जो ज्यादा उम्र के थे। आज डी.पी.सी. से जो लोग आ रहे हैं सलेक्शन में, वह 10-10, 12-12 साल तक डी.ई.ओज. रहने वाले हैं। लेकिन 50 पर्सेंट का एक आदेश निकाल कर इन सर्विसेज में फ्रस्ट्रेशन पैदा किया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरीके से शिक्षा विभाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। आर.पी.एस.सी. एक बार फेस की जाए। बार-बार आर.पी.एस.सी. के लिए भेजा जाए, यह उचित नहीं होगा। यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सभापति महोदया, एक मिनट और। यह जो पशुपालन विभाग है, मैंने इस पशुपालन विभाग को देखा है, एक बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता है। हमारे यहां एक वेटरिनरी कॉलेज होने की वजह से जितने पद खाली थे, अगर आप रिकार्ड उठाकर देखें तो राजस्थान के बाहर के जितने डाक्टर थे उन सबको हमने वहां एम्प्लायमेंट दिया। लेकिन हमारे यहां के जो भी डाक्टर निकलते हैं, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि राजस्थान के इन युवाओं के लिए क्या होगा ?

फिशरीज की दृष्टि से अगर देखें तो 1992 में केवल डेढ़ करोड़ रुपये फिशरीज

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

से राजस्थान सरकार को आमदनी होती थी, आज लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये हो रही है। लेकिन "ए" केटेगरी के जो तालाब हैं उनको तीन साल के लिए दिया जाता है और "बी", "सी" और "डी" केटेगरी के जो तालाब हैं उनको केवल एक साल के लिए दिया जाता है। कोई ठेकेदार उसमें काम नहीं करेगा। इसलिए मैं पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनको कम से कम पांच साल के लिए ठेके पर दें तो जो ठेकेदार ठेका लेगा वह ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन करेगा। उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ेगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्रीजी ने, सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने जो यहां बजट रखा था और आज विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, उस सम्बन्ध में मैंने यहां अर्थशास्त्रियों से बातचीत की। उन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। निश्चित रूप से बजट बहुत अच्छा रहा है और आपने सभी विषयों को देखकर बातचीत की है तथा प्रावधान किये हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी रह गयीं जिनकी तरफ ध्यान दिलाना मैं नितान्त आवश्यक समझती हूं।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि रोजगार के सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उनकी उपलब्धियां देखें, मैं खुद निदेशालय गयी थी, मालूम पड़ा है कि अभी तक 1982 के प्रार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिली हैं। उनके प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। इस स्थिति को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। युवा वर्ग में काफी असन्तोष है। युवा वर्ग में मैं आपको दोनों वर्ग बताती हूं, महिला और पुरुष दोनों ही हैं। पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसकी ओर देखेंगे। जब हमने उम्र बढ़ायी थी, पहले 33 वर्ष की फिर 35 वर्ष की, 1982 से लेकर आज तक देखें, उनकी उम्र सीमा को पार कर रही है। 35 वर्ष भी कम रह गये हैं। आप नियुक्तियों की आयु सीमा को और बढ़ाएं जिससे कि जो लोग इसके लिए प्रतीक्षारत हैं उनको उनका हक मिल सके।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगी, पिछले दिनों कई बार चर्चा की थी सरकार ने उस समय कहा था कि जिन लोगों को हमने जनगणना में रखा है उनको समायोजित कर लिया जाएगा। कुछ लोग रहे गये हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। आप यह देखेंगे कि यह बहुत जरूरी है।

मैं यह कहना चाहूंगी, गत वर्ष हमने महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत पुलिस में और 20 प्रतिशत सामान्य सेवाओं में नियुक्तियां देने की जो चर्चा की थी और जो तय किया था उसका मूल्यांकन करवाएं, दिखवाएं। नियुक्तियों की स्थिति पूरी प्राप्त नहीं हुई है। यह एक खेदजनक बात है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे विभाग एक खर्चा बढ़ा रहे हैं, वह खर्चा यह है कि अंग्रेजी के सारे सब्जेक्ट को कम्प्यूटराइज्ड करने के लिए कम्प्यूटर खरीदे जा रहे हैं, यह बड़ी चिन्ताजनक बात है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अगर हम पर अंग्रेजी इस माध्यम से थोपी गयी तो यह मैं उचित नहीं समझती हूं। "हमारे पास उपलब्ध नहीं है," ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करके हिन्दी के न लेते हुए अंग्रेजी के ले रहे हैं और इनके पास जो टाइपराइटर थे, वे भी अंग्रेजी के लिये जा रहे हैं। आप पूरे विभागों में दिखवाइए और इस स्थिति को परिवर्तन करने के लिए निश्चित रूप से आप कार्य करेंगे। हिन्दी को बढ़ावा देना जरूरी है। हमारे स्वयं के लिए सम्मानजनक स्थिति तब प्राप्त होगी जब हम हिन्दी का सम्मान करेंगे।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि बच्चों को स्कूल भेज देना ही काफी नहीं है। घर में मां-बाप को भी चिंता करनी चाहिए कि पढ़ता है या नहीं, उदण्डता करता है या नहीं। यही बात मैं कहना चाहूंगी नागरिकों के लिए। हम स्वास्थ्य केन्द्र खोलते हैं, दूसरी ओर शराब बेचने की बात करते हैं। शराब को बंद किया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे दूसरी ओर से जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर अंकुश लग पाएगा।

मान्यवर, बच्चों के खेलने के खिलौने प्लास्टिक के, मिट्टी के, एल्यूमिनियम के, मैं आपको थोड़ा सा नमूना बता दूं, बुरा मत मानिएगा, यह देखिए आप झुन्झुना।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप वरिष्ठ सदस्या हैं, अपने सुझाव दें और बात को पूरी करें। अभी झुन्झुना आपके हाथ में शोभा नहीं देता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको गंभीर रहने के लिए कहूंगी। मेरा निवेदन है कि सभी प्रकार के खिलौनों पर जो 50 रुपये तक के थे, मिट्टी के, पीतल के, लड्डूगोपालजी तक पर टैक्स लग जाए, बहुत बुरी बात रहेगी। सभी तरह के खिलौनों पर पूर्व की स्थिति रखी जाए, चाहे धातु के हों, चाहे प्लास्टिक के हों, चाहे लोहे के हों। क्या बताऊं आपको ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह छोटी चौपड़ नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कह रही हूं कि यह मेलों में ही बिकते हैं इन पर आपको टैक्स मिलेगा ही नहीं। आप ऐसी स्थिति क्यों ला रहे हैं। आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि यह टैक्स समाप्त कर देंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि चाय के खुदरा व्यापार की स्थिति में चार पर्सेंट का कर था–

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो-तीन बातें कह कर मेरी बात समाप्त करती हूं। (व्यवधान) सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि खुदरा व्यापार पर चार पर्सेंट टैक्स की बात थी। जो कीमती चाय थी उस पर से टैक्स कम कर दिया और जो खुली चाय हमारे जैसे गरीब लोग पीते हैं उन पर बराबर कर दिया, गया मैं समझती हूं, यह उचित नहीं है।

(16.19)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)*

मोटी चाय पर, 'लाखों' के खिलौनों पर कर लगाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप सामान्य आदमी को राहत देंगे, आपसे मुझे यह पूरी-पूरी आशा है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मान्यवर, देवस्थान के बारे में मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि उनके मामलात तय नहीं किये गये और देवस्थान विभाग के मंत्री महोदय ने देरी खुद की। उनसे कह दिया आपकी किरायेदारी समाप्त कर देंगे। अगर किरायेदारी समाप्त कर देंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। पुनः निर्णय लें। आपकी ही सम्पत्ति रहने वाली है। उनकी मरम्मत के लिए, उनके किवाड़ आदि ठीक करने के लिए आप तय करेंगे, यह बहुत जरूरी है।

मैं दवाओं के बारे में यह कहना चाहूंगी, आपने कहा कि लोकल टैक्स जो एक्स्ट्रा लगता है उसमें अपनी संचित राशि ले लेंगे। लेकिन, मान्यवर, दवाओं की कीमत महंगी हो जाएगी, आप इसको दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष : अब तो समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें से आप जरूर यह कर वापस ले लेंगे। एक बात और कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आपकी सब बातें नोट हो गयी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आयुर्वेद में एक भी अस्पताल खोलने की बात नहीं कही गयी, यह स्थिति अच्छी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्रीजी को जवाब देने दें आप। बहुत हो गया। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी हो जाने दें। (व्यवधान) मान्यवर, एक असंतुलित विकास की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का निर्माण 1977 में हुआ था तब से लेकर अब तक एक सेटेलाइट अस्पताल भी मेरे इलाके में नहीं खोला गया। मंत्री महोदय को मैंने ध्यान दिलाया है, वे बहुत सहृदय हैं। सारे अस्पताल किशनपोल क्षेत्र में खोलते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब आप बिराजने की कृपा करें। माननीय मंत्रीजी, भाभड़ा साहब।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करती हूं। आशा है, मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्यमंत्री) : आप इज्जत के साथ बैठतीं तो मैं आपकी बात पर जरूर ध्यान देता ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक, राजस्थान विनियोग विधेयक, राजस्थान वित्त विधेयक के पारित होने तक और पूरी कार्यवाही होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

सदन का समय कार्य-सूची पूरी होने तक और अन्य कार्य पूरे होने तक बढ़ाया जाता है।

राजस्थान विनियोग (संख्या -3) विधेयक पर विचार

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज विनियोग विधेयक पर माननीय सदस्यों ने अपने मुक्त विचार प्रस्तुत किये, जिसमें बजट से सम्बन्धित कुछ बातें थीं और कुछ अलग-अलग विभागों की कार्य प्रणाली के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में थीं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष के बजट पर बहुत गम्भीरता से अपनी नजर दौड़ाई है और वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आम तौर पर इस बजट का सभी जगह स्वागत हुआ है।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बजट आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हम लाये हैं और इसलिए इस बजट की सोच के पीछे हमारी जो आजादी का सोच था, हमने जो स्वप्न संजोये थे, इन 50 वर्षों में हमने कितने पूरे कर लिये और राजस्थान में अभी कितने बाकी हैं, इसको भी हमने ध्यान में रखा है। इसलिए यह बजट बनाते समय हमने राजस्थान के सन् 2011 के परिदृश्य की कल्पना की है और कुछ निर्णय लिये हैं। पचास वर्षों में जो भी रहा और जो भी कमी रही लेकिन हम सन् 2011 तक राजस्थान को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे कि राजस्थान पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा बल्कि उनके समकक्ष रहेगा। इसलिए सब तरह के बजटरी कंस्ट्रेंट होते हुए, सब तरह से आज हम वित्तीय दृष्टि से बंधे हुए हैं उसके बावजूद भी राजस्थान का हित और खास तौर से जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनके हित की अवहेलना हम नहीं कर सकते। चाहे हमको अपने वित्तीय प्रबंधन में कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, हम जनता पर भार भी नहीं डालना चाहते लेकिन हम इस वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से इस कमजोर वर्ग को जो सहायता मिल रही है, उनका हम विकास करना चाहते हैं। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए, इसलिए हमने इस बजट को कमजोर वर्ग को समर्पित किया है। आपने देखा होगा कि जिन-जिन विभागों की मांगों पर यहां बहस हुई, खास तौर से समाज कल्याण, जनजाति और इसमें जो कार्यक्रमों की विस्तार से सदन के सामने व्याख्या सम्बन्धित मंत्रीजी ने रखी कि हमने जो बजट में सोच तय किया था उस सोच के अनुरूप ही हमने उन विभागों के लिए धन की व्यवस्था की है। हम इस बजट को कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम में लाना चाहते हैं। हमारी इस मंशा पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा सकता ।

मान्यवर, यह वर्ष हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। 25 हजार करोड़ रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना हम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नवीं पंचवर्षीय योजना तो छोड़िये कांग्रेस के काल की गत तीन पांचवीं, छठी, सातवीं

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

योजनाओं के सम्मिलित आकार से हमारी एक आठवीं योजना ही बहुत बड़ी है, उनसे लगभग दुगुनी है। वह भी इन्फ्लेशन रेट बाद देकर दुगुनी है वरना दुगुनी से भी ज्यादा है। यदि हम नवीं पंचवर्षीय योजना को जोड़ें तो उसका तो हिसाब ही नहीं है मुझे लगता है कि सारी पंचवर्षीय योजनाओं को जोड़े लें तो अकेली नवीं पंचवर्षीय योजना में ही उनकी सारी समाहित हो जाएगी, भले ही उसमें आप इन्फ्रलेशन रेट बाद में दे दें। तो इस दृष्टि से भी 25 हजार करोड़ की महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम हमारे वित्तीय प्रबन्धन को दृढ़ करें और हमारा राजकीय कोष मजबूत हो और उसमें हमें किसी भी तरह से जाकर वित्तीय संकट में राज्य को नहीं पड़ना पड़े, इसका भी हम ध्यान रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमको वित्तीय प्रबन्धन में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रशासनिक खर्चे कम हों, अनुत्पादक खर्चे कम हों। इसीलिए हमने इस बात की व्यवस्था इस बजट में की है कि हम अधिक से अधिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करें और जैसा कि मैंने पिछली बार आकंड़े देकर बताया था, माननीय चन्दनमलजी बैद ने यह आलोचना की थी कि इस बजट में पिछला जो आपका विकास रेट 66 प्रतिशत था, उससे घटकर 62 प्रतिशत हो गया है, उसका भी कारण यही था कि हमने अब अधिक से अधिक पैसा परिसम्पत्तियों के निर्माण में लगाना शुरू किया है। राजस्थान की स्थायी सम्पत्ति भी बढ़े, इस बारे में भी इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है।

मान्यवर, राज्य के वित्तीय अनुशासन को कायम रखने के लिए इस बार हमने गैर आयोजना राजस्व घाटे को तो लगभग पूरा कर दिया और पूरा करने के बाद उसमें अधिशेष 1997-98 में 16.47 करोड़ का है। एक उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली जो सामान्यत : अन्य प्रदेशों में बल्कि केन्द्र में भी आपको नहीं मिलेगी। हमने समग्र राजस्व घाटे पर भी अंकुश लगाया है। जो घाटा 701 करोड़ रुपये का था उसको हमने हमारे पर अतिरिक्त भार आने के बावजूद, केन्द्र सरकार ने बोनस में, ग्रेचुएटी में वृद्धि की, हमको भी करनी पड़ी, जो कि अनपेक्षित थी, हमने उस भार को भी वहन किया, बाढ़ आई, बाढ़ कार्यों में भी हमने पूरा पैसा खर्च किया जो अनपेक्षित थीं, उसके बावजूद हम इस 701 करोड़ रुपये को घटाकर इस साल 157.51 करोड़ रुपये पर ले आए। अगले साल, जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसको 31 करोड़ तक ले जाकर नेक्स्ट ईयर का बजट समग्र राजस्व घाटे को संतुलित करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। यह जो हमारा घाटा है, इसकी पर्सेंटेज देखी जाए तो है 0.31 समग्र राजस्व घाटे की। अब इसकी तुलना में आप केन्द्र सरकार की हालत देखिये। केन्द्र सरकार का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पादन के अनुपात में तीन प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। वे कोशिश कर रहे हैं कि उसको तीन प्रतिशत तक लाएं जबकि हम तो पहले से ही एक प्रतिशत से भी नीचे 0.31 पर हैं। इसलिए

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इस बारे में भी राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है। राजकोषीय घाटे, जिसकी चर्चा बराबर हमारे प्रतिपक्ष के नेता चन्दनमलजी बैद करते रहते हैं, उस पर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। इसलिए इस घाटे को भी हम इस साल के अन्त तक 4.54 प्रतिशत तक ले आएंगे जो कि इनके राज में आठ प्रतिशत था। उसको घटाकर के हम 4.54 प्रतिशत पर लाकर उसको छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे राजकीय घाटे को भी हम निरन्तर कम करते जा रहे हैं और राजस्थान की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।

मान्यवर, एक सवाल बार बार आता है, ऋण का। मैंने अपने बजट के उत्तर में आपको ऋण की सारी सूचनाएं विस्तार से दी थी कि कितना हमारा केन्द्र का ऋण है, कितना हमारा बाजार का है, कितना हमारा पब्लिक अकाउण्ट्स का इस बारे में हम सजग हैं और इसलिए जो भी पैसा हम ऋण में लेते हैं, उस पैसे को हम अनुत्पादक कार्यों में खर्च नहीं करते। हम उसको कार्यों में ही खर्च करते हैं और यह ऋण अधिक नहीं बढ़े और हमारी ब्याज की देनदारियां नहीं बढ़ें, इसके प्रति भी हम सजग हैं।

अभी थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह जो सिंकिंग फण्ड हमने बनाया है, वह तो इस बात का घोतक है कि आपके पास पैसा सही जगह खर्च करने की जगह नहीं है, आप उसको उठाकर ब्याज में देना चाहते हैं और ब्याज की कमाई करना चाहते हो इससे तो अच्छा है कि वह रुपया उत्पादक कार्यों में लगे, यह उन्होंने कहा। मान्यवर, मैं उनकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि सकल घरेलू उत्पादन का करों से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। जब तक हमारी लिंकेज सकल घरेलू उत्पादन से करों की नहीं होगी तब तक समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं होगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत जो हम प्राप्त कर रहे हैं, कर के नाते, आज के इस बजट के अन्त में जब मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा तो वह 0.1 होगा, अभी उसका है सात प्रतिशत। इस बजट के पहले सकल घरेलू उत्पादन का लिंकेज करों से सात प्रतिशत है लेकिन इस बजट के बाद में यह 0.1 प्रतिशत हो जाएगा। अब सकल घरेलू उत्पादन 44,800 से बढ़कर 50,700 तक जाएगा यानि सकल घरेलू बढ़ रहा है, यह बात सही है लेकिन उसमें जो राज्य सरकार का हिस्सा है, वह हमको नहीं मिल रहा है और जब भी हम हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं तो माननीय सदस्य और लोग भी आवाज उठाते हैं, कर लगा दिये, कर लगा दिये, बहुत टैक्स लगा दिये। अब यह बड़े आश्चर्य की बात है जब जमाना ऐसा आ गया है, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करें। अभी तो हम आपकी सब इच्छाओं को मान रहे हैं लेकिन अधिक समय तक इच्छाएं मानी नहीं जा सकतीं और यह अनुभव कोई मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। यह अनुभव, स्वर्गीय श्री हरिदेवजी जोशी ने 1987-88 का जो अपना बजट भाषण दिया था तब करों के बारे में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जो विचार व्यक्त किये, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा, मैंने अपने आपको असमंजस की स्थिति में पाया जबकि मैं इस समस्या पर विचार कर रहा था कि मैं किस प्रकार 1987-88 की वार्षिक योजना के लिये निश्चित धनराशि व उपलब्ध साधनों के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक राशि जुटाऊं।

वह तो बहुत छोटी योजना थी जिसमें वे कह रहे हैं, "मेरे सम्मुख दो ही विकल्प थे, एक तो यह कि योजना के आकार को घटाया जाए जो तभी सम्भव था जबकि प्रदेश की प्रगति के लिए प्रस्तावित कुछ अति महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट व योजनाओं के लिए आबंटित की गयी राशि को कम कर दिया जाए या फिर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जाएं। यह दोनों ही बातें समान रूप से अप्रिय है और अनिच्छापूर्वक मैंने राज्य की संतुलित प्रगति के हित में उत्तरवर्ती विकल्प को चुना है, अर्थात् वित्तीय संसाधन जुटाने को चुना है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अच्छे कल के लिए आज का बलिदान करना अधिक उचित नीति है। दुर्भाग्यवश हमारी अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने की क्षमता कुछ तो संवैधानिक प्रतिबंधों एवं कुछ प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों से काफी सीमित है।"

आज भी यह सोच बरकरार है। हमको सोचना पड़ेगा कि यदि हम चाहते हैं कि राजस्थान को हम सन् 2000 तक हमारी परिकल्पना के मुताबिक उस स्थान पर ले जाएं तो हमें उन लोगों को त्याग करने के लिए कहना पड़ेगा जिनको इस पचास वर्ष में कुछ प्राप्तियां हो रही हैं, जो उसका फायदा उठा रहे हैं। उनको कुछ त्याग करना पड़ेगा, उन लोगों के लिए जो आज बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर हैं। उनको हमारे बराबर लाने के लिए आज जो हम ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा हमको देना पड़ेगा ताकि हम राजस्थान में आर्थिक समानता बनाए रखें और राजस्थान में कोई गरीब नहीं रहे, कोई कमजोर नहीं रहे, कोई कमजोर वर्ग नहीं रहे। यह तभी सम्भव है जब कि जो लोग कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, वे उन सुविधाओं के शुल्क के रूप में कुछ न कुछ राज्य सरकार को दें। और जो सकल घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है, इस उत्पादन के साथ -साथ राज्य में करों की मात्रा भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वह सहनीय है। आज आप करोड़पति पर थोड़ा-सा टैक्स लगाओगे तो वह भी आवाज उठाएगा। वह दे सकता है लेकिन आवाज जरूर उठाएगा। मनुष्य की सामान्य यह प्रवृत्ति है लेकिन जब हम वास्तविकता में आते हैं तो हमको गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा।

मान्यवर, अभी हमारी इसी सदन की पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और बड़े जोरदार शब्दों में इस बात की वकालत ही नहीं की, सही बात की, मैं उसका स्वागत करता हूं, उसने कहा कि जो हमारी सुविधा है या जो हम भुगत रहे हैं उसके लिए हमको यथोचित शुल्क देना चाहिए। उसको देने की मानसिक तैयारी करनी चाहिए। हम कब तक आपको घाटा देकर पानी पिलाते रहेंगे ? हम कब तक आपको घाटा खाकर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सिंचाई के लिए पानी देते रहेंगे ? हम कब तक घाटा खाकर आपको बिजली देते रहेंगे ? आप सुविधाएं भोग रहे हैं तो उनका शुल्क भी देना चाहिए। यदि आप टेलीफोन यूज में लेते हैं तो टेलीफोन का खर्चा आपको देना पड़ेगा। यदि आप देने में सक्षम नहीं हैं तो टेलीफोन मत लगाइये। लेकिन जो हम सुविधाएं भोग रहे हैं, उन सुविधाओं का शुल्क देना चाहिए, यह आज के समय की मांग है। यह किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं है और यह कोई तानाशाही भी नहीं है। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबका सहयोग इस राजस्थान के विकास में हो, खास तौर से उन वर्गों का जो आज इस राज में है, जो आज इन सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, उनको इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। पी.ए.सी. की जो रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसको पढ़ेंगे। उसने बहुत ही सुदृढ़ आधारों पर तर्क सहित इस बात को कहा है। अब पी.ए.सी. तो कोई सरकार है नहीं और न उसको कोई मंत्रालय, कोई विभाग चलाना है। निष्पक्ष रूप से जांच करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राजस्थान में इन सुविधाओं को भोगने वालों पर शुल्क जहां-जहां भी कम हैं, वे शुल्क बढ़ाये जाएं। अब इसके लिये मानसिक रूप से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार टैक्स तो कभी भी लगा सकती है लेकिन झिझकती है। इस बात को लेकर झिझकती है कि यह प्रजातंत्र है और इसलिए कई बार प्रजातंत्र में हमें अपना घाटा सहन करके भी प्रजा की बातों को मानना पड़ता है। यद्यपि उसमें हमको कष्ट होगा लेकिन चूंकि मांग है, लोगों की इच्छा है, हमारे माननीय सदस्य बहुत सी मांगें करते हैं, अब उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा के सामने हमको झुकना पड़ता है, हम झुकेंगे। लेकिन इस पर हम गम्भीरता से विचार करें कि कब तक यह स्थिति चलती रहेगी। इसलिए जहां तक ऋण का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह जो हम सिंकिंग फण्ड बना रहे हैं, यह एडिशनल है। हमारे उत्पादन में कहीं कमी नहीं आ रही है या जहां पर भी हम उत्पादकता पर व्यय कर सकते हैं उसमें कहीं कमी नहीं कर रहे हैं। वह तो हम उतना करेंगे ही करेंगे लेकिन उसके साथ-साथ में आज की जो स्थिति है, जो हमको भविष्य में दिखाई दे रही है और इस बजट के बाद जो संकट हमारे ऊपर आने वाले हैं, जिस संकट से हम गुजरने वाले हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए यह आवश्यकता है कि हम यह अतिरिक्त व्यवस्था करके रखें ताकि किसी की भी सरकार हो, राजस्थान की सरकार राजस्थान का राजकोषीय घाटा जो है, उस पर किसी प्रकार का इतना भार नहीं छोड़ना चाहती कि जिससे लोग यह कहें कि साहब, अब कुछ नहीं रहा। आर्थिक स्थिति राजस्थान की मजबूत रहे, इसलिए यह अतिरिक्त ब्याज अर्जन करने के लिए हमने यह सिंकिंग कोष की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा के अन्दर आप लोगों ने तो भाग लिया ही लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं रहे, बीच में हमारे (व्यवधान) सदन में कह रहा हूं। मैं सदन की बात कह रहा हूं, सदन में, यह हमारा बीच दुनिया में भी हो सकता है और हमारे घर में भी हो सकता है और सदन में भी। सदन में कह रहा हूं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हमने उनकी सारी प्रतिक्रियाओं को सुना भी है और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, वे भले ही इस बात को मानें या न मानें, हमने उनके सुझावों पर भी गम्भीरता से विचार किया है और हमने उस पर निर्णय भी लिया है। कुछ बातों का मैं पिछली बार जवाब दे चुका हूं इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, जो भी उन्होंने आपत्तियां उठाई, कुछ बातें और हैं जिनका एकाध का तो अभी प्रसंगवश जब आएगा, उसका जवाब तब मैं आपको दूंगा।

मान्यवर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस बजट के बाद जो हमारा सकल घरेलू उत्पादन में कर का लिकेज 0.1 पर्सेंट है यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पास 1982-83, 1983-84 और 1984-85 इन तीनों के आंकड़े हैं, जिसमें चन्दनमलजी ने 1982-83 में बजट पेश किया था उस समय 0.93 पर्सेंट था, बृजसुन्दरजी शर्मा ने 1983-84 में पेश किया तब 0.23 पर्सेंट था, उनके जमाने में वह कम था और जब हरिदेवजी जोशी ने पेश किया तब 1.09 पर्सेंट था। आज हम इसको 0.1 पर ले आए हैं जो राजस्थान में पहले कभी नहीं था मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे बैदजी ने कहा कि इतना कर राजस्थान में कभी नहीं लगा। उस समय उनको लगा लेकिन आज का परिदृश्य है कि राजस्थान में इतना कम कर कभी लगा ही नहीं जितना इस बार लगा है। यह भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना जनता पर अतिरिक्त भार डाले इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का हमारा संकल्प और सन् 2011 का हमारा एक परिदृश्य है। यह जो हमारी महत्वाकांक्षी सोच है जिसको हम प्रत्यक्ष में पूरा करना चाहते हैं इसमें हमें समय-समय पर सदन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आज तो मैं बहुत सी बातों को मान लेता हूं लेकिन भविष्य में शायद न मान पाऊं क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि आने वाले वर्ष में वेतन आयोग की सिफारिशें भी आएंगी और अतिरिक्त भार भी आएगा, इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उस समय वो हमारी मदद करें। हम अनावश्यक रूप से आपके पास पैसा लेने नहीं आयेंगे जब अति आवश्यक होगा और केवल राजस्थान के हित में होगा, राजस्थान के विकास के हित में होगा तभी हम आपके पास आयेंगे, फिजूलखर्ची के लिए नहीं आएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस बार आप मदद करिये, अगली बार हम आपकी मदद कर देंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रमाकान्त जी ने एक और बात कही थी कि नौकरियों में, प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। यह बात सही है और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले सालभर से राजस्थान की सरकार सब प्रकार के आन्दोलन का सामना करने के बावजूद भी पद समाप्त कर रही है, नयी भर्ती पर रोक लगा रही है और बहुत सी मुश्किलात में, बहुत ही जरूरी होता है तब यह करते हैं, नहीं तो कोशिश कर रहे हैं हम कि अपने प्रशासनिक

(154)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

व्यय को कम करें। मान्यवर, इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि हमने यह जो 701 करोड़ रुपये का घाटा पूरा किया है इसमें हमारे कर उगाहने के साथ-साथ जो हमने प्रशासनिक खर्चे में कमी की है उससे जो हमने अर्जित किया है उससे हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला है।

जहां तक करवंचकों का प्रश्न है, उस पर भी हमने बड़ा प्रयास किया है, और पहली बार राजस्थान में 644 करोड़ रुपये के कर हमने अतिरिक्त उगाहे हैं 90 प्रतिशत जो भी अपने आप में एक रिकार्ड है। तो इस तरह से जिन दो बातों पर बार बार आप सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं सरकार उस पर काम कर रही है। एक ओर अपने प्रशासनिक खर्चे कम रही है और हमारे मुख्य मंत्रीजी तो इस मामले में, लोग कहते हैं -बड़े कंजूस हैं, यह तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। मुझे मालूम है बहुत से लोग कई बार अपनी छोटी सी बात कहें तो बोले, नहीं यह फालतू खर्चा हो रहा है। मैं समझता हूं, यह सही चिंतन है। हमें छोटे-छोटे खर्चों से यह रोकना पड़ेगा। फालतू खर्चा कहीं भी होता है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। हमें अपने खर्चों पर रोक लगानी पड़ेगी। मैं तो मंत्रिमण्डल के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी इस बारे में चिंतन करें और जहां तक, जितना कम हो सकता है हम कम से कम खर्चा करें। राज चलाने के लिए जो जरूरी है वह तो करना पड़ेगा लेकिन उसमें कहीं पर अतिरिक्तता नहीं हो, कहीं अनावश्यक खर्चा नहीं हो। इस बारे में बार-बार मुख्य मंत्रीजी हमें कहते ही रहते हैं। इस तरह से कभी-कभी तो ऐसे आदेश जारी कर देते हैं, रविवार के दिन कोई मंत्री मोटर काम में नहीं लेगा। नहीं लेंगे। अब यह लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि यह क्या मजाक है लेकिन उसका असर पड़ता है। यह एक सोच है हमारा, यह हमारे सोच का द्योतक है कि हम किस हद तक जा सकते हैं खर्चा कम करने के लिए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में जागरुक है अपने खर्चे कम करने के लिए और हमारे करों को इकट्ठा करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह मांग बड़ी जोरों से की थी कि कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और मुहैया करायी जायें। यद्यपि हमारे बजट पर बहुत भार है, कहीं भी गुंजाइश नहीं है लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों की इच्छा थी और बहुत जोर दिया, इसमें आम जनता का भी हित है और राजस्थान के विकास की ओर एक कदम और बढ़ाऐंगे, इन सारी बातों को सोच कर यह निर्णय लिया है कि आगामी वर्षों में चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के संवर्धन हेतु बजट में दिये गये प्रावधान के अतिरिक्त 8.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें अभी तक आपने 150 सब सेंटर किये हैं हमने 100 और बढ़ा दिये हैं , यह 250 सब सेंटर होंगे जिसके कारण राजस्थान की कोई पंचायत अब बिना सब-सेंटर के नहीं रहेगी, इसको ध्यान में रखकर हमने यह किया है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : सब-सेंटर चूरू में ज्यादा नहीं खोलें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हमने 15 उप स्वास्थ्य केन्द्र और बनाने की इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जाएगा ताकि उनको भी काम में लिया जाए।

मान्यवर, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने मुख्य मंत्रीजी को बहुत ही नम्र शब्दों में कहना चाहिए बल्कि...

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : मार्मिक शब्दों में। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रोते हुए, रोते हुए। अत्यन्त भावुक होकर यह निवेदन किया था इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने उनकी इस बात को मान लिया। महिला शिक्षा को गति देने को राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, इसको भी हमने ध्यान में रखा। इस दिशा में राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था के क्रम में 24 जिला मुख्यालयों पर महिला महाविद्यालय खुल चुके हैं, शेष सात जिला मुख्यालयों में महिला शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने को दृष्टि में रखते हुए एक तो हमने नागौर में महिला विद्यालय की घोषणा की है, उसके साथ-साथ सिरोही के लिए भी रुपये 36 लाख का प्रावधान करते हुये महिला महाविद्यालय खोलने का तय किया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी तरह से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और वहां की जनता की इस बात की बड़ी मांग थी कि चूंकि सभी संभागीय स्थानों पर इंजीनियरिंग कालेज है, अजमेर में नहीं है और यह होना चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक संभाग में एक इंजीनियरिंग कालेज है, अजमेर में नहीं है और यह होना चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक संभाग में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। इसलिये उस दिशा में जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में तो इंजीनियरिंग कालेज पहले से ही खुले हुए हैं, गत वर्ष उदयपुर में मल्टीफैकल्टी इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया गया। अब अजमेर में इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता और उसकी तीव्र मांग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 1997-1998 में अजमेर में इंजीनियरिंग कालेज खोला जाएगा। इसके लिए 50 लाख का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार यह संशोधन जो कि तत्काल लागू किया जाना अपेक्षित है, के साथ मैं सदन के सम्मुख वर्ष 1997-1998 के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय को अपेक्षित राशि अधिकृत करने के लिए प्रस्तुत किये गये विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पर माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये विचारों एवं सुझावों पर उनका आभार प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): दवाइयों वाला।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सदन में चर्चा के दौरान और सदन के बाहर बहुत भारी मात्रा में सभी वर्ग के लोग हम से मिले और भिन्न-भिन्न टैक्स जो हमने लगाये थे, उनके बारे में... (व्यवधान)सब लोगों की मांग यह थी, यद्यपि जैसाकि मैंने आपसे निवेदन किया हमने बहुत ध्यान रखा और इसलिए माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आम जनता में जो मांग हुई है उसको ध्यान में रखते हुए कर में राहत देने के जो प्रस्ताव है, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

गत 12 मार्च, 1997 को सदन में वित्तीय वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् सदन के माननीय सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर व्यवसायी वर्ग द्वारा दर्शायी गयी वाजिब कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त तथा जन सामान्य को समुचित राहत प्रदान करने की दृष्टि से और राज्य के समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार राहत प्रदान कर रहा हूं :-

(1) ग्रे क्लाथ के विनिर्माण में राज्य का देश में अग्रणी स्थान है इसलिए ग्रे-क्लाथ को भूतलक्षी प्रभाव से 11 मार्च, 1997 तक की अवधि के लिए पूर्णतः कर मुक्त किया गया था। श्रमिक प्रधान इस उद्योग को और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तथा कपड़ा उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं ग्रे-क्लाथ को 31 मार्च, 1998 तक के लिये पूर्णतः कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

(2) उत्तर क्षेत्र में कर दर की समानीकरण की नीति के अनुरूप मोटर वाहनों की कर दर को इस बजट में चार प्रतिशत से बढ़ाकर बारह प्रतिशत किया गया था। उत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों द्वारा तदनुसार कर दर अभी तक संशोधित नहीं करने के कारण तथा राज्य के इस व्यवसाय को अन्य राज्यों में होने वाले संभावित ट्रेड डाइवर्शन को रोकने की दृष्टि से तथा उपभोक्ताओं को यथासंभव राहत प्रदान करने के लिए अब मैं दुपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की कर दर बारह प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत कर रहा हूं। दुपहिया वाहन पूर्ववत छह प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे।

(3) राज्य में कच्चे माल के रूप में बहुतायत से उपलब्ध ग्वार गम पर आधारित औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने एवं इन्हें घोषणा-पत्रों से मुक्ति प्रदान करने के लिए तथा राज्य के कृषकों को उनके इस उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मैं ग्वार गम की वर्तमान कर दर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं।

(4) तिलहन की प्रथम बिन्दु की कर देयता के कारण तेज विनिर्माताओं को तिलहन सामान्यता कर चुकी मिलती है। इस कारण से बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ लेने वाली इकाइयों को तिलहन पर दो प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर का सेट-ऑफ लेने में आने वाली कठिनाइयों को

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

दूर करने की दृष्टि से मैं बजट पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए तिलहन को अन्तिम बिन्दु पर कर योग्य कर रहा हूं। चूंकि एक ही व्यवहारी से सम्पूर्ण वर्ष के लिए क्रय माल हेतु एक ही घोषणा-पत्र की व्यवस्था कर दी गयी है, अतः अन्तिम बिन्दु कर की व्यवस्था से व्यवहारियों को भी अब कठिनाई नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राज्य से तिलहन के अन्य राज्यों को होने वाले अनधिकृत निकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से सघन जांच अभियान चलाया जाएगा जिससे कि राज्य के उद्योगों को तिलहन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।

सोलवेंट एक्सटेक्टेड आयल की खाद्य अथवा अखाद्य प्रकृति के सम्बन्ध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सोलवेंट थोड़ा मैं इसको समझा दूं। हमारे यहां जो तेल बनता है वह एक तो एक्सपेलर से, एक सोलवेंट प्लांट से बनता है। एक्पेलर से जो तेल निकलता है वह खाद्य है, उसको खाया जा सकता है। लेकिन अब तक स्थिति यह थी कि सोलवेंट प्लांट से जो तेल निकलता है उसको अखाद्य माना गया है क्योंकि उसमें कुछ कैमिकल्स एडीशन होते हैं जो पोइजनिस होते हैं। इसलिए उनको खाने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इस बात को लेकर उद्योगपतियों और कर विभाग का मामला न्यायालय में गया और अभी तक वह मामला न्यायालय में पैंडिंग है। अब इसमें जो भी निर्णय न्यायालय कर देगा, राज्य सरकार उसी अनुरूप उसको स्वीकार करेगी।

(5) कच्ची ऊन को राज्य में कारपेट, ऊनी धागा बनाने के लिए इस बजट में 12 मार्च, 1997 से कर मुक्त किया गया है जबकि ऊनी धागा बनाने हेतु यह सुविधा 15 जून, 1994 से ही उपलब्ध है। इस उद्योग के समक्ष न्यायिक निर्वचन होने के फलस्वरूप आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से मैं कच्ची ऊन को, कारपेट ऊनी धागा बनाने के लिए 15 जून, 1994 से 11 मार्च, 1997 की अवधि के लिए भी व्यवहारियों द्वारा संगृहीत राज्य कोष में जमा कराने अथवा ऐसे विनिर्मित माल का अन्तरराज्यीय अथवा राज्य में विक्रय किये जाने की शर्त पर कर मुक्त करता हूं।

(6) कर ढांचे को सुसंगत बनाने के क्रम में खुली तथा पैकेट चाय की विसंगति को दूर करते हुए चाय की एक समान कर दर आठ प्रतिशत की गयी थी। चाय के व्यापक प्रयोग को देखते हुए मैं इस क्रम में आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए इस कर दर को आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं। मेरा विश्वास है कि इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे।

(7) वर्तमान समय में एड्स जैसी जान लेवा बीमारियों के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए डिस्पोजल सीरिंज का विशेष महत्व बन जाता है, अतः मैं इसकी कर दर को आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार एक्स-रे की

(158)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कर दर को भी आठ प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत किया जा रहा है।

(8) राज्य में चमड़ा-जूता उद्योग के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, अतः इनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से जूतों पर बिक्री कर की दर को बारह प्रतिशत से घटाकर 31 मार्च, 1998 तक दस प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं।

(9) समीपवर्ती कुछ राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में घी तथा मक्खन की कर दर कुछ अधिक होने से राज्य के इस व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य के इस व्यवसाय को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दृष्टि से मैं इनकी कर दर को छह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर रहा हूं। इससे उपभोक्ताओं को भी काफी राहत मिलेगी।

(10) मैं ग्रामीणों में बहुतायात से प्रयुक्त होने वाली लकड़ी, मिट्टी तथा प्लास्टर आफ पेरिस के बने हुए खिलौनों को पूर्णतया कर मुक्त करने की घोषणा करता हूं।

दवाइयों की अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ स्थानीय कर अतिरिक्त अंकित होने से कुछ खुदरा दवा विक्रेता ग्राहकों से अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूल कर लेते हैं जिससे यह भ्रान्ति उत्पन्न होती है कि यह अतिरिक्त राशि बिक्री कर के रूप में ली जा रही है और दवाइयों पर बिक्री कर की दर छह प्रतिशत से आठ प्रतिशत होने से दवाइयों की कीमतों में वृद्धि होगी। खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि बिक्री कर की एवज में वसूल नहीं की जा सकती। राज्य सरकार कड़ाई से सुनिश्चित करेगी कि बढ़ी हुई बिक्री कर की राशि विक्रेताओं द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य के अतिरिक्त ग्राहकों से वसूल नहीं की जाए।

अध्यक्ष महोदय, दवाओं की कीमत तय करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ड्रग-प्राइस कण्ट्रोल एक्ट बन हुआ है और केन्द्र सरकार उसकी मैक्सिमम प्राइस तय करती है। उसके बाद उस पर प्रथम बिन्दु पर टैक्स लगता है और इसलिए जितनी भी दवाएं हैं जिन पर यह लिखा हुआ है अधिकतम मूल्य और लोकल टैक्स एक्स्ट्रा है मान्यवर, लोकल टैक्स की परिभाषा में सेल्स टैक्स नहीं आता है। सेल्स टैक्स राज्य टैक्स है। वह लोकल टैक्स नहीं है। लोकल टैक्स में नगर परिषद का टैक्स आता है, पंचायत का टैक्स आता है या और जो बाडीज हैं उनके द्वारा लगाया हुआ टैक्स आता है। इसलिए यह जो टैक्स दवाइयों पर है यह आम उपभोक्ता पर इसका भार नहीं है बल्कि जो होल सेलर हैं, उनके कमीशन में कमी आयेगी क्योंकि रेट तो मैन्यूफैक्चर्स की फैक्ट्री से जब माल बाहर निकलता है तो उस समय उसकी अधिकतम रेट तय हो जाती है और उससे ज्यादा रेट वह ले नहीं सकते । रेट तय करने में उनका कमीशन, प्रोफिट भी 17 पर्सेंट और उससे ज्यादा तय कर देते हैं इसलिए इतना मार्जिन उनके पास है, उस मार्जिन में यह पैसा होगा। कोई भी रिटेलर इस टैक्स को अलग से अपने बिल में वसूल नहीं कर सकता और इस बात की हम कड़ाई से जांच करेंगे कि

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उपभोक्ता से एक भी पैसा इस टैक्स के नाम पर वसूल नहीं किया जाए। आज जो अधिकतम दरें हैं, इन्ही दरों में ही उनको अपनी दवाइयां बेचनी पड़ेंगी।

इसके अतिरिक्त जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जीवन रक्षक औषधियां हैं उनको हमने पहले से ही कर मुक्त कर रखा है और उसमें आवश्यकता पड़ी कुछ दवाइयों के नाम जोड़ने की, तो हम और जोड़ देंगे और उनको हम कर मुक्त रखेंगे ताकि उससे भी जनता को परेशानी नहीं हो।

मान्यवर, टैण्ट व्यवसायी आन्दोलन कर रहे हैं। टैण्ट व्यवसायियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। आप सब इस बात को जानते हैं, आन्दोलन तो कोई भी करें, आज टैण्ट व्यवसाय इतना समृद्ध है, यदि आप में से किसी ने अपने यहां टैण्ट लगवाया होगा शादी में या किसी फंक्शन में, मुझे तो

(17.00)

विधान सभा का पता है कि यहां आप लोगों के लिये, भोजन के लिये केवल टैण्ट लगाया था थोड़ी देर के लिए तो उसके लिये भी उन्होंने चालीस हजार रुपया हमसे चार्ज किया था कुछ घंटों का और शादियों में तो बताया गया कि कहीं एक लाख, कहीं दो लाख, जहां जैसा बनता है, उससे कम पैसा होता ही नहीं है और साल में इस तरह के आकेजन्स 60-70 से कम नहीं आते क्योंकि आजकल केवल शादियां ही नहीं होतीं, शादियों की वर्ष गांठ भी होती हैं। पचास साल के कपल भी अपनी वर्षगांठ मनाते हैं। बाकी और भी बहुत फंक्शंस होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने तो चुपचाप ही मना ली, साहब, बुलाया ही नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें जो करोड़ों की आमदनी हो रही है उसमें वह सरकार को कुछ नहीं देना चाहें या यह कहें कि आप तो 2500 रुपया हम से ले लो या पांच सौ रुपया ले लो, मैं समझता हूं, फिर हमारा जो घाटा है वह पूरा कैसे होगा। जो कमा रहे हैं और सब देख रहे हैं कि कमा रहे हैं तो उनको उसमें से कुछ न कुछ हिस्सा देना चाहिए। एक उनका दर्द था कि हम हिसाब किताब नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि अब केन्द्र सरकार ने सर्विसेज पर शुल्क लगा दिया है और इन पर भी शुल्क लगा दिया है तो हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा। जब हिसाब-किताब रखना पड़ेगा तो फिर अच्छी बात है कि जो गरीब है उस पर कम लगे और जो ज्यादा कमाता है उस पर ज्यादा लगे तो उसके लिये प्रतिशत लगाना आवश्यक है वरना यह होगा कि जिसने लाखों कमाये हैं उस पर भी पच्चीस हजार और जिसने हजारों कमाये हैं उस पर भी पच्चीस हजार। यह तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए उसको रेशनलाइज करने के लिऐ टैन्ट व्यवसायियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से मैं इनके लीजिंग टैक्स की वर्तमान दर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत किये जाने की घोषणा करता हूं। लेकिन इसके साथ हमने एक विकल्प भी दिया है यदि इस पर कोई जिद ही करें कि

(160)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हम तो लम्प-सम ही देंगे, हमको कोई हिसाब रखना ही नहीं है तो उनको भी हमने आप्शन दिया है। इसके साथ ही इस व्यवसाय की लेखा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से मैं टैन्ट डीलर्स के लिए एक मुश्त वार्षिक कम्पोजीशन फीस एक लाख रुपया जमा कराने का विकल्प भी दे रहा हूं। वह एक लाख रुपया जमा करा दें फिर हमको कोई मतलब नहीं है, दो पर्सेंट लेने से ही मतलब है। इसलिए यह विकल्प भी हमने उनको दिया है। इनमें से जो भी विकल्प वह चाहें, उस विकल्प को वे अपना सकते हैं।

मान्यवर, लग्जरी टैक्स आन होटल्स एण्ड लीजिंग । इसमें हमारे पास एक शिकायत आई, कि साहब, कमरे एडवांस बुकिंग हो जाते हैं अर्थात् अभी जून-जुलाई-अगस्त तक के कमरे बुक हो गये। अब जो कमरे बुक हो गये, वहां पर ज्यादा पैसा ले नहीं सकते। जिस रेट में बुक हुए हैं वही लेंगे। इसलिए एक तो यह मांग आई कि इस टैक्स को कुछ आगे से लगाया जाए ताकि नयी बुकिंग पर यह लागू हो।

श्रीमती उज्ला अरोड़ा : इसमें एक विचार और कर लिया जाए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती । एक तो ऐसे टैन्ट वाले हैं जो एक शादी का बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं और परमानेंट फिक्सचर कर लेते हैं लेकिन गांवों में कुछ ऐसे छोटे-छोटे हैं उन पर भी अगर एक लाख हुआ—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिनका टर्न ओवर नहीं है उनको तो देना ही नहीं पड़ेगा। जो सेल्स टैक्स में टर्न ओवर में नहीं आते उनको तो देना ही नहीं पड़ेगा। वह तो वही आयेंगे जो टर्न ओवर से ऊपर की सीमा में जाएंगे।

श्रीमती उज्ला अरोड़ा : ठीक है। यही बात मैं कहना चाह रही थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लग्जरी टैक्स आन होटल्स एण्ड लीजिंग में मैंने यह संशोधन किया है कि 12 मार्च, 1997 को वर्ष 1997-98 का बजट प्रस्तुत करते समय 1200 रुपये या इससे अधिक रुपये प्रतिदिन प्रति कक्ष के प्रभार वाले होटल्स एवं लीजिंग हाउसेज पर राज्य में प्रथम बार दस प्रतिशत की दर से लग्जरी टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। यह पहली बार कर रहे हैं। हमारे यहां चूंकि पर्यटन में विकास हो रहा है, होटल और बनेंगे, अभी गुंजाइश बहुत ज्यादा है इसलिए इस सबको ध्यान में रखकर और होटल व्यवसाय से जुड़े संगठनों ने भी कतिपय कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, अतः होटल व्यवसाइयों की कठिनाइयों को तथा राज्य में पर्यटन विहित संभावनाओं के अग्रिम विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं पूर्व में प्रस्तावित टैक्स की दर दस प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूं। साथ ही पूर्व में हो चुके बुकिंग कान्ट्रेक्टस को ध्यान में रखते हुए राज्य में अब लग्जरी टैक्स एक सितम्बर, 1997 से प्रभावी करने को प्रस्तावित करता हूं।

भूमि एवं भवन कर। मान्यवर, मैंने अपने बजट भाषण में 01 अप्रेल, 1997 के बाजार मूल्य पर भूमि एवं भवन कर का पुनर्निर्धारण

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करने की कानूनी बाध्यता से सदन को अवगत कराया था। इस सन्दर्भ में उत्पन्न शंकाओं के समाधान हेतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुराने प्रकरणों में जहां कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रिटर्न प्रस्तुत कर दिये गये हैं, 01 अप्रेल, 1997 से पूर्व की अवधि का कर निर्धारण तत्समय लागू मूल्यांकन दरों पर ही किया जाएगा। मैंने यह भी कहा था कि जिन कर दाताओं द्वारा 31 मार्च,1997 तक एकमुश्त कर का भुगतान कर दिया जाएगा, उनका 01, अप्रेल, 1997 के बाजार मूल्य पर पुनः कर निर्धारण नहीं किया जाएगा। अब मैं करदाताओं की सुविधा के लिये वर्तमान दरों पर एकमुश्त कर जमा कराने की यह अवधि 30 जून, 1997 तक बढ़ा रहा हूं। 30 जून, 1997 तक एकमुश्त कर जमा न कराने वाले करदाताओं का 01, अप्रेल, 1997 के बाजार मूल्य के आधार पर पुनः कर निर्धारण किया जायेगा जिसके बारे में अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विहित अधिसूचना इस दौरान जारी कर दी जाएगी। यहां यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि एकमुश्त कर जमा कराने के बाद भवन का विस्तार करने पर केवल अतिरिक्त निर्मित भाग पर कर देय होगा और ऐसे पूरे भवन का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में समय-समय पर इस कर से छूट की मूल्य सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जा चुकी है। अब मैं आवासीय भवनों के मामले में छूट की इस सीमा को 01, अप्रेल, 1997 के बाजार मूल्य पर पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये की भी घोषणा करता हूं।

यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि किसी आवासीय भवन का बाजार मूल्य ग्यारह लाख रुपये होगा तो कर केवल दस लाख रुपये से ऊपर भी अर्थात् एक लाख रुपये की राशि पर ही लगेगा। 01 अप्रेल, 1997 के बाजार मूल्य पर निर्धारित कर राशि वर्तमान करदाताओं के मामले में उनके द्वारा चुकाये जा रहे वार्षिक कर के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी और छूट सीमा में आई हुई जिन भूमि एवं भवनों का कर दायित्व पुनर्मूल्यांकन के कारण 01 अप्रेल, 1997 से उत्पन्न होगा, उसकी भी अधिकतम सीमा निश्चित की जायेगी। यह सुविधा जनहित में प्रदान की जाए। किसी भी हालत में जो पुराने मकान हैं उनका पुनर्मूल्यांकन होने पर भी यदि किसी मकान की वेल्यूएशन में पांच सौ रुपये कर के बनते हैं और वह पिछली बार सौ रुपये दे रहा है तो हम उसके डेढ़ सौ रुपये से ज्यादा नहीं लेंगे। पांच सौ रुपये होने के बावजूद भी हमने यह सीमा बना दी है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स उससे नहीं लिया जाएगा। यह भी इसमें शामिल है।

बजट में प्रस्तुत मूल कर प्रस्तावों को कुल मिलाकर 118 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान था। आज घोषित रियासतों के माध्यम से 118 करोड़ रुपयों में से 70 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गयी है। जिसकी व्यवस्था वर्ष के दौरान करावंचक पर अंकुश लगाकर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

तथा बेहतर राजस्व वसूली प्रबन्ध के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया जायेगा। इसके साथ ही मैं फिर से सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा।

राजस्थान वित्त विधेयक, 1997

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त आवश्यक प्रस्ताव है। इसको लें उससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 20 जनवरी, 1997 को यहां पर जो घटना हुई थी—

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1997 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

अब फरमाएं

समिति का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

20 जनवरी, 97 की घटना के सम्बन्ध में प्राप्त दो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर 20 जनवरी, 1997 को जो घटना हुई थी उसके सम्बन्ध में दो विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के समक्ष थे। उनके प्रतिवेदन अभी तक पूरे नहीं हो पाये हैं, इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं परन्तु मैं आपसे वायदा करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगले सत्र के प्रथम दिन जो दो प्रस्ताव हैं, उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दूंगा इसलिए उस समय तक की अवधि बढ़ाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रमाकान्तजी विधायक ने विशेषाधिकार समिति के सभापति के नाते जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

उनकी मांग स्वीकार की गयी और अगले सत्र के प्रथम दिन, जब भी हो उस दिन वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। अब फरमाएं आप।

राजस्थान वित्त विधेयक 1997

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, इंजीनियरिंग कालेज सभी संभागीय स्तर पर खोले जा रहे हैं। तीन जगह कॉलेज पहले भी खुल चुके हैं और प्रथम वर्ष में मात्र एक करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता रहती है तब तक भूमि भवन बन जाए इसलिए एक संभाग को बाहर क्यों रखा है। थोड़ा अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बीकानेर को और कंसीडर कर लिया जाए तो उपयुक्त रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : विचार करेंगे।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, इस बजट के प्रारूप के बनने से पूर्व मैंने लिखित में निवेदन किया था और बजट भाषण के समय भी प्रार्थना की थी कि किसानों के

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

खेती करने के यंत्रों में ट्रैक्टर, पानी निकालने की मशीनें, पम्प और उसके बाद किसानों की खेती में उपयोग आने वाले इनपुट्स, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां हैं, इनके ऊपर जो कर लगे हुए हैं उनमें राहत देने की कृपा करें। अभी जो श्रीमान् उप मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणाएं की उसमें एक में भी राहत नहीं मिली है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राहत दी जाए।

विधेयकों का पारण

राजस्थान वित्त विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1997 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या - 3) विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या -3) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या -3) विधेयक, 1997 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1997 को पारित किया गया।

निलम्बन-निरस्तीकरण

श्री जगदीप धनखड़, श्री अमराराम (धोद), श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) श्री जुबेर खान एवं श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य का निलम्बन-निरस्तीकरण प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रतिपक्ष अनुपस्थित है। अपन सब देख रहे हैं । कुछ घटनाएं घटी हैं और हम सब चाहते थे कि प्रतिपक्ष इस सारी बहस में भाग लेता और भाग लेकर जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करता। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी के, माननीय उप मुख्य मंत्री जी के, आपके, संसदीय कार्य मंत्रीजी के, मुख्य सचेतक जी के, उपाध्यक्ष महोदय के, हमारे सबके प्रयत्नों के बावजूद यह संभव नहीं हो सका। संसदीय प्रजातंत्र में, विशेष कर यह जो सदन है इस सदन में हम किसी बहुत बड़े धनपति के नाते यहां उपस्थित नहीं हैं। इस सदन में कोई बहुत बड़े जागीरदार, जमींदार, कोई बहुत बड़े साहित्यकार, कवि के नाते नहीं हैं। हम जन-प्रतिनिधि के नाते इस सदन में हैं और हमारे क्षेत्र की जनता का सम्मान इस सदन में निहित है। इसमें हमारा सारा आचरण, जो होगा वह जनता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए है। इसलिए इस सदन के सामने अपने किये गये कार्यों पर पश्चाताप करना और खेद व्यक्त करना संसदीय प्रजातंत्र

164

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की स्वस्थ परम्पराओं के रूप में होता, अगर विपक्ष इस बात को स्वीकार करता। सत्ता पक्ष के माननीय नेता महोदय, उप नेता महोदय और अध्यक्ष महोदय, आप, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान के सदन का इतिहास 1952 से लेकर आज तक कुछेक घटनाओं को छोड़कर गरिमामय और स्वाभिमान करने लायक इतिहास रहा है और इसको बनाने में 1952 से लेकर आज तक, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप इस बात के गवाह हैं कि 1952 से लेकर, श्री नरोत्तम लाल जी जोशी जब अध्यक्ष बने थे, तब से लेकर आज तक इस सदन में जो परम्पराएं पड़ी हैं, जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, जिस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है उसमें आपकी बहुत महती भूमिका रही है।

इसलिए कुछ बातों के साथ आज यहां निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि वह घटनाएं संसदीय प्रजातंत्र के लिए ठीक थीं। कोई यह नहीं कह सकता कि उन घटनाओं पर खेद व्यक्त नहीं करना चाहिए और उन घटनाओं को जिन माननीय सदस्यों ने उठाया, एक-एक करके उन्होंने इस बात को मान लिया। सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस इतिहास में नहीं जाना चाहता लेकिन पिछली बार जब 20 जनवरी से यह सदन आहूत होने वाला था उसके पहले कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय को लिख कर दिया था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है इसलिए सदन का सत्र आहूत किया जाए। राज्यपाल महोदय ने कहा था कि सदन का सत्र आहूत हो गया है और सदन बैठने वाला है इसलिए आप अपना बहुमत वहां पर प्रमाणित करें। हमने सत्र के आहूत होने से पहले प्रेस में बार-बार इस बात का निवेदन किया था कि किसी को अगर बहुमत के बारे में शंका हो, अविश्वास प्रस्ताव लाए, हमारे से विश्वास मत की मांग करें। हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी करने के लिए तैयार थे और विश्वास मत का सामना करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन किसी भी प्रकार से, क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं था, विपक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव लाने में समर्थ नहीं था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर विभाजन हुआ और विभाजन में 115 सदस्य सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दिये। इससे यह प्रमाणित हो गया कि राजस्थान की विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और ऐसा बहुमत प्राप्त है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया, सदन को 6 मार्च तक की एक निश्चित तिथि के साथ स्थगित किया गया था और इस बजट अधिवेशन का बाकी बचा हुआ काम इस समय सदन में पूरा करना था।

बजट अधिवेशन के समय प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया। प्रतिपक्ष कभी बहिष्कार की घोषणा करता था, रोज आता, अपनी बात रखता और बहिर्गमन करता। उस समय भी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सब अवसर उपस्थित थे जिस समय किसी भी बात पर विपक्ष मत विभाजन करा सकता था। उसमें उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने 6 मार्च के पहले-पहले टाइम गिनकर कि 14 दिन का समय शेष है, अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का नोटिस कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों ने दे दिया। हम चाहते थे कि उस समय मत विभाजन हो जाता लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने वह अवसर भी जानबूझकर खोया, क्योंकि वह जानते थे कि उनका जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव का क्या फेट होने वाला है। वह प्रस्ताव निश्चित रूप से विफल होता। एक प्रकार से कांग्रेस के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बार-बार एक बात यहां पर दोहराई है कि बहुमत के बल के आधार पर हमारा गला, हमारी आवाज को आप दबाना चाहते हो। हम तो आवाज नहीं दबाना चाहते थे लेकिन उनके इस आरोप से यह बात प्रमाणित हो गयी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों को सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि प्रतिपक्ष के नेता होते, मैं समझता हूं कि शायद यह मामला इतना लम्बा नहीं चलता। उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण वह उपस्थित नहीं थे। फिर भी प्रतिपक्ष के उप नेता भी अगर चाहते और वह भी खड़े होकर दो शब्द कह देते तो अब तक यह मामला समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं हुआ और मुझे यह बात कहने में कोई शंका नहीं है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से रात को दस-दस बजे, ग्यारह -ग्यारह बजे तक बैठकर सदन की कार्यवाही चलाई है, सदन की कार्यवाही अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती है कि हमने राजस्थान की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया है। आज कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है, मैं उदाहरण देकर कह सकता हूं कि बहुत से प्रांतों की विधान सभाएं हैं वहां प्रतिपक्ष जब बाहर रहता है तो एक-एक दिन में अपनी सारी की सारी डिमान्ड्स पास करके चले जाते हैं लेकिन कार्य सलाहकार समिति ने जितने दिन डिमाण्ड्स के लिए, जितने दिन एप्रोप्रिएशन बिल के लिए, जितना समय विधेयक के लिए, जितना जनरल चर्चाओं के लिए, जितना कट मोशन्स के लिए चाहिए था वह देकर और जितनी भी जो सारी प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस सारी प्रक्रिया को अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशन में सत्ता पक्ष ने और राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से पूरा किया।

अध्यक्ष महोदय, पांच सदस्यों का जो निलम्बन किया गया है, उनकी बहाली में अभी बहुत समय बाकी है और वह सदन के बाहर हैं। आज आखिर दिन है अच्छा तो यह होता कि कांग्रेस के और प्रतिपक्ष के उप नेता या अन्य वरिष्ठ सदस्य यहां पर आकर कहते और वह मामला समाप्त हो जाता। माननीय मुख्य मंत्रीजी की इच्छा थी, बहुत दिनों पहले मामला समाप्त हो जाता, जिस दिन वह मामला समाप्त करना चाहते थे उसी दिन कोई न कोई प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यहां सदन में खड़े होकर या तो अध्यक्ष महोदय के प्रति या आसन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के प्रति या अन्य प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिन से पुनः एक बार अपमान आसन का और सदन का होता। इसके कारण से मामला धीरे-धीरे करके आगे खिसकता गया। अब, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का समय आ गया है कि हमको निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि राजस्थान की जनता के ध्यान में यह बात आ जाए कि हम निश्चित रूप से प्रजातन्त्र के पक्ष में हैं और प्रतिपक्ष को एक गाड़ी के दो पहियों के समान मानते हैं और वह हमारे साथ आकर राज्य के विकास में योगदान दे, इस प्रकार का हम सब चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : टायर पंक्चर हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टायर पंक्चर नहीं होने देंगे, पैबन्द लगा देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस आसन की भी बहुत बड़ी गरिमा है। इस आसन पर जिस प्रकार की परम्परा रही है, जो अद्‌भुत परम्परा है आप उसी परम्परा के आधार पर इस सदन में बिराजे हुए हैं। आपके प्रति जो कहे गये शब्द हैं, यद्यपि उनको आप व्यक्तिगत रूप से लेते भी नहीं हैं और आपको लेना भी नहीं चाहिए किन्तु उनसे आसन की अवमानना हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी बड़ा दिल रखना चाहिए और हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय जो इन दिनों सदन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वह उस आसन पर बैठ चुके हैं और वह बहुत लम्बे समय तक रहे, इतने लम्बे समय तक उन्होंने आसन की गरिमा को बढ़ाया और विधान सभा के अध्यक्ष के पद को उन्होंने सुशोभित करके उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया इसलिए वह जानते हैं अच्छी तरह से कि वहां बैठे रहने वाला आदमी चाहे आज उप मुख्य मंत्री पद पर बैठे हों, निश्चित रूप से उनका दिल भी बड़ा होगा और वह भी यह चाहेंगे। इन सबके बावजूद उन्होंने बहुत आक्षेप सहन किये हैं फिर भी उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में उदारता का परिचय देंगे और परिचय देकर इस प्रकार की बातचीत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय पहले दिन से ही चाहते थे, उनके मन में इच्छा थी, वह तड़प रहे थे वह कम आते थे वे जानते थे उनका तो प्रतिपक्ष के बिना मन ही नहीं लगता है। उन्होंने भाषण ही बहुत कम दिया। जब तक उनको सामने से कोई टोके नहीं तब तक उनको भाषण का मजा नहीं आता। उनका सारा का सारा काम बिना प्रतिपक्ष के चलता नहीं है। कई बार वह हमारे बिना काम चला लेवे हैं लेकिन प्रतिपक्ष के बिना उनका काम नहीं चलता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक शेर याद आता है कि इस बात पर मौजू शेर है।

"यार से छेड़ चली जाए ऐसा ना सही
वस्ल अदावत ही सही"

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो जिस प्रकार उनका बड़ा दिल है, जिस प्रकार का उनका

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

व्यक्तित्व है और जिस प्रकार का उनका नेतृत्व है, मैं जानता हूं। प्रतिपक्ष ने गलतियां की, आज इस समय उदाहरण है कि हरियाणा के अन्दर कांग्रेस के नेता को बहिष्कृत किया गया सदन से लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार नहीं किया। आज भी यह कि समाजवादी पार्टी के नेता चौटाला साहब को निकाला गया लेकिन पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया। आज भी है कि ममता बनर्जी को लोकसभा से अध्यक्ष महोदय ने निकाला और यह कह कर निकाला कि जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक अन्दर नहीं आने दूंगा, कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया। आज भी है कि आंध्र और कर्नाटक में कांग्रेस के माननीय सदस्यों को बाहर निकाला गया लेकिन फिर भी सारी कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया। वह भाग लेते रहे। अच्छा होता कि सदन की अवमानना के कारण से उनको निकालने के बावजूद वह सब माननीय सदस्य सदन में भाग लेते और भाग लेकर निवेदन करते और राजस्थान की जनता के लिए काम करते तो इतना लम्बा समय उनको बाहर भी नहीं निकालना पड़ता और हमारा मन भी दुःखी नहीं होता। अब, अध्यक्ष महोदय मैं इन सब बातों को कह चुका हूं। एक बात गुलाब सिंहजी ने कल कही, मैंने भी यहां कही थी। मैं राजनीति में नहीं ले जाना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार अपना काम करे, सदन अपना काम करे, राजनैतिक पार्टी अपना काम करती है, कांग्रेस पार्टी अब इसको जनता में ले जा रही है, हमने भी कह दिया कि इन घटनाओं की हम वीडियो कैसेट बनाएंगे और राज्य की जनता को यह दिखाएंगे कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने यह काम किया है। हम राज्य की जनता के सामने इस मामले को पार्टी के स्तर पर ले जाएंगे, वह हम निपटते रहेंगे। लेकिन एक बात, मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज भी इस बात को मानने वाला हूं कि उस कार्यवाही से आसन की गरिमा गिरी, प्रतिपक्ष की उस कार्यवाही से सदन की गरिमा गिरी, संसदीय परम्पराओं का हनन हुआ और यह जो अवमानना हुई है वह किसी सरकार की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, वह राज्य की जनता की हुई है, राज्य की जनता से उनको क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने नहीं की तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से विनम्र निवेदन करूंगा कि 1952 से लेकर आज तक आपने जिन परम्पराओं का निर्वहन कियाहै और गर्व से हम कह सकते हैं कि इन परम्पराओं का अगर हम पालन करते रहे तो हिन्दुस्तान के प्रजातन्त्र को कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, इस प्रकार की परम्पराएं कायम की हैं, आज आप एक परम्परा और कायम करें, उस परम्परा को कायम करने के बाद में यह इतिहास और गरिमामय हो जाएगा।

श्री किशनाराम नाई : हमारे नेता उदार दिल के हैं वह ऐसा करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, वह एक परम्परा का पालन करें। मैं उनको वापस लेने की बात के साथ-साथ एक परम्परा के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये आपसे कहना चाहता हूं, प्रतिपक्ष ने क्षमा याचना नहीं की, उन माननीय सदस्यों ने क्षमा याचना नहीं की लेकिन मैं आज नया इतिहास चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता आप हैं, आप सदन के नेता ही नहीं, राजस्थान की जनता के भी नेता हैं और उनके दिलों पर राज भी करते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन में आप खड़े होकर कहें कि इस कारण से, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के इस व्यवहार से राज्य की जनता की, संविधान की और संसदीय परम्पराओं की जो अवमानना हुई, सदन के नेता के नाते उनके कार्यों के लिये राज्य की जनता से मैं क्षमा याचना करता हूं। राज्य की जनता से आप क्षमा याचना करिये। आप जिस प्रकार हमारे नेता हैं उसी प्रकार से आप उनके भी नेता हैं। कई बार हम भी गलती कर जाते हैं। उन्होंने गलती कर ली, राज्य की जनता का जो अपमान हुआ है उसके लिये आप अपनी तरफ से खड़े होकर राज्य की जनता से क्षमा याचना करें और इसके बाद में उनको वापस लेने का प्रस्ताव पारित करवाएं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे प्रजातन्त्र की स्वस्थ परम्पराएं कायम होंगी, प्रजातन्त्र की गरिमा रहेगी, संसदीय परम्पराओं में परिपक्वता आयेगी, अध्यक्ष के आसन की गरिमा बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रजातन्त्र के प्रति जो स्वरूप है उसका दिग्दर्शन होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर आप उदारता दिखाएं और माननीय सदस्यों को क्षमा करें ताकि वे वापस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें। कमेटियों में भाग ले सकें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करवाएं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये। हम जब प्रजातन्त्र की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। डेमोक्रेसी को एक सकड़ी गली से गुजरना पड़ रहा है जिसमें एक तरफ खड्डा है मोबोक्रेसी का और एक तरफ खड्डा है तानाशाही का। यदि वह उधर झुकती है तो डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में परिणत हो जाएगी और उधर झुकती है तो देश में कुछ लोगों की तानाशाही होगी। नाम भले ही प्रजातन्त्र होगा लेकिन असल में राज कुछ लोग ही करेंगे, सारे देश में मिलाकर वह अपने आप में एक क्लास बन जाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़ी सावधानी से हमारे जनतन्त्र की व्यवस्थाओं को लागू करें।

20 तारीख के प्रकरण का जहां तक प्रश्न है, मैं स्वयं और हमारी पार्टी के लगभग सभी अधिकारीगण और हमारे नेता भी सब एक विचार के थे। बार-बार प्रतिपक्ष जो इस तरह का यहां बयान करता है कि मुख्य मंत्रीजी तो बड़े उदार हैं लेकिन भाभड़ा जी बड़े दुर्वासा हैं। वह इस तरह से भेदभाव

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम उठाती है वह हमारे नेता और हमारे सारे अधिकारी मिलकर उठाते हैं। इसलिए मेरे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यदि मेरे पर आक्रमण किया तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिये नहीं पड़ता कि मैं तो सारी पार्टी का एक छोटा सा अंग हूं। पार्टी जो निर्णय करती है उस निर्णय पर अडिग रहता हूं। जब पार्टी बदलती है तो उसको बदलने में मुझे किंचित मात्र भी देरी नहीं होती। इसलिए इस तरह का भेदभाव पैदा करने की भी कोशिश की गयी।

हमारा उस समय मत यह था कि 6 तारीख तक जो हाउस एडजोर्न किया, हमने प्रवोक नहीं करवाया उसके पीछे भी हमारा सोच था कि जो हो गया, हम 6 तारीख को पहले दिन ही निलम्बन वापस लेंगे। यह हमने मत बना लिया था लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि बिना उनके किसी पार्टी की बैठक हुए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बिना, अनुमति के बिना सोच-विचार के उनके दो सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया। हमको यह भी पता चला है कि उसमें उनकी पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें हमको पूछा नहीं गया और यह दो सदस्य अपनी मर्जी से रख रहे हैं और उसमें पार्टी का कोई सोच नहीं है। उसका परिणाम भी निकला। जब उन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा तब फिर हमने देखा कि ठीक है 6 तारीख को पहले दिन ही, उसी दिन अविश्वास प्रस्ताव पर विचार होगा और 6 तारीख को बिजनेस लिस्ट में भी लगा दिया। हमने कहा, पहले इस बात का निर्णय हो जाए क्योंकि 20 तारीख के मामले में तो उनका स्टैण्ड यह था कि सत्ता पक्ष माइनोरिटी में है, सत्ता पक्ष अल्पमत में आ गया है। पर आज सुबह जब वह रवाना हुए तो उनका मत यह था कि सत्ता पक्ष अपने बहुमत के कारण प्रजातंत्र का गला घोंट रहा है। यानी सत्ता पक्ष के बहुमत के अत्याचार को देख रहे हैं, यानी बहुमत तो मान ही लिया। वह कहते भी हैं यानी उनका जो शुरू में स्टैण्ड था कि हम अल्पमत हैं, वह समाप्त हो गया। लेकिन उस समय 6 तारीख तक यह स्थिति नहीं थी। 6 तारीख तक भी यह यही कहते रहे कि अभी अल्पमत में हैं। तो हमने देखा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो जाएगी और डिवीजन हो जाएगा उसके बाद में जो हमें करना है, हम करेंगे। लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने पता नहीं क्या सोचा, कि प्रस्ताव रखने के बाद भी उस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये बिना, अध्यक्ष पर अनर्गल आरोप लगाते रहे जो कि सारे प्रजातंत्र की परम्परा, मर्यादा और कानून के खिलाफ था। उनको मौका था, यदि उनको अध्यक्ष को डाक में ही खड़ा करना था, यदि उनको अध्यक्ष पर आरोप ही लगाना था तो निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती उसमें उनको छूट थी, वह खुलकर आरोप लगा सकते थे। उस समय, अध्यक्ष महोदय, आपको भी अवसर मिलता उनके आरोपों का यहां बैठकर जवाब

170

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

देने का आप भी अपनी बात कह सकते थे। वह प्रजातंत्र की एक स्वस्थ परम्परा थी लेकिन उन्होंने वह भी नहीं किया और 6 तारीख से ही उन्होंने पहले से ही बायकाट का घोषणा कर दी। जबकि हमारा मानस था निलम्बन वापस लेने का और उसमें बहस भी नहीं थी। उसके बाद तो उन्होंने निरंतर जिस तरह से आपने स्टैण्ड बदले हैं वह सबके सामने हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं।

मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमको स्वस्थ प्रजातंत्र को रखना है, प्रजातंत्र की परम्पराओं और मर्यादाओं को बनाकर रखना है तो उसके स्वरूप को निश्चित करना पड़ेगा, उस स्वरूप पर हमको टिक कर रहना पड़ेगा। उसको हम मोबोक्रेसी में नहीं बदल सकते। इस विधान सभा के प्रांगण में आकर हिंसा का तांडव नृत्य करने वाले यह कहें कि हमने प्रजातांत्रिक पद्धति से किया है। आपको टेविल पर आकर हाथ मारने वाले या गवर्नर के हाथ से भाषण की प्रतिलिपि छीनने वाले या उनको शारीरिक हानि पहुंचाने वाले, जो हैं क्या यह प्रजातंत्र है ? हम इस प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और इसलिये हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्परा यह है, जो आज भी है और पहले भी थी, इस सदन में भी थी। इस सदन में पहले भी कई बार लोग निलम्बित हुए हैं। हम भी प्रतिपक्ष के रहे हैं, हमारे लोग भी निलम्बित हुए हैं लेकिन निलम्बित होने के बाद कभी बायकाट नहीं किया। इसी सदन में बैठकर, हमारे नेता प्लीडिंग करते रहे। चाहे इसके लिए हमको 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, हमने सदन नहीं छोड़ा, सदन में बैठकर अपना प्रतिपक्ष का कर्तव्य भी निभाया और प्लीडिंग भी करते रहे कि अब उनका निलम्बन माफ हो जाना चाहिए और अन्ततोगत्वा हमको उनमें सफलता मिलती क्योंकि यह परम्परा है, सदन में बैठकर अपनी बात कहना, बार-बार उस पर खेद प्रकट करना। यह कहते थे कि जो हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, हम मानते हैं। उस हालात में, कांग्रेस के राज में तो इतना करने के बाद भी उन्होंने 14-14 दिन तक निलम्बित रखा है। फिर भी अन्ततोगत्वा यह प्रजातंत्र की परम्परा है और आज भी सारे हिन्दुस्तान में जहां-जहां भी प्रतिपक्ष के लोगों को निकाला जा रहा है, आप देख रहे हैं कोई भी निकालने वालों के साथ में बायकाट नहीं कर रहा है। वे सदन में बैठकर के सदन की मर्यादा की दुहाई देते हैं, अध्यक्षजी से माफी मांगते हैं, सदन से क्षमा मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं और बार-बार इस बात का आग्रह करके कोशिश यह करते हैं कि जो वातावरण बिगड़ गया था उसको एक दफा ठीक किया जाए। मगर यह भी उन्होंने कोशिश नहीं की। यदि वह सदन में आते, सदन में बैठते और अपना प्रतिपक्ष का कर्तव्य निभाते हुए इस पर भी एक घण्टा बोलते और इस बात को बार-बार कहते कि आप इसे वापस लीजिये तो मुझे विश्वास है कि 2-4 दिन में यह स्थिति क्लियर हो जाती और चूंकि परम्पराएं प्रजातंत्र की ऐसी रही हैं इसलिये हम उस परम्परा से डेवियट नहीं हो सकते, आज भी नहीं हो रहे हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आज भी जो घनश्यामजी ने यह प्रस्ताव रखा है, मैं तो उसको प्रजातंत्र की पद्धति के अनुरूप मानता हूं। इसमें हम कोई नयी बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम चूंकि प्रजातंत्र के सही स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को मानते हैं इसलिए उसकी मान्यताओं को, उसकी परम्पराओं को प्रतिस्थापित करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम केवल प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिए, चाहे वह आज हैं या नहीं हैं, उनकी मांग है या नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं, इसलिए घनश्यामजी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके पक्ष में हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, यद्यपि उन्होंने आप पर बहुत आरोप लगाए हैं लेकिन यह पद ही ऐसा है, यह पद तो ऐसा है कि इसमें जो कोई खड़ा होता है, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था सिर माथे पर मगर आपने अन्याय किया। आपने अन्याय किया, आपने यह गड़बड़ की यानी एक ही शब्द में व्यवस्था सिर पर मानकर आलोचना शुरू कर दी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है झगड़ा होता है पक्ष और प्रतिपक्ष में लेकिन उसकी मार पड़ती है अध्यक्ष पर, यदि वह वेल में आते हैं तो सीधा आक्रमण अध्यक्ष पर करते हैं, नाराजगी उनकी है सत्ता पक्ष से और हमारी नाराजगी उनसे हैं लेकिन यह भी प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। और इसलिये इसको एक हिस्सा मानकर आप भी अपने मन से, जो हमारी स्वस्थ परम्पराएं रही हैं जिसको हमने निभाया है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और हमारे मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि वे चाहे प्रजातंत्र की परम्पराएं न मानें, वह चाहे डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी तक ले जाएं लेकिन हम तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं इसलिए प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ओर से यह निलम्बन वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं जो प्रस्ताव घनश्यामजी ने रखा है, यह हमारे सदन के नेता की और बड़ी उदारता होगी क्योंकि इस सारे कांड का बुरा असर जनता पर पड़ा है, जनता में प्रजातंत्र के प्रति अनास्था पैदा हुई है, उस अनास्था को दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता से क्षमा याचना की जाए, विधान सभा में जो दृश्य उपस्थित हुए, उसके लिए यदि मुख्य मंत्रीजी यह करते हैं तो इनका बड़प्पन ही रहेगा और एक स्वस्थ परम्परा हम कायम करेंगे। यही बात कहकर, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस सत्र में कांग्रेस पार्टी के, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आंशिक रूप से ही उपस्थित रहे। न तो मैं कोई बहिष्कार मानता और जो बार बार कहा जाता है कि बायकाट करके चले गये, न ही मैं बायकाट को मानता। जो बात उन्हें कहनी थी, वह प्रारम्भ में कह गये और जो प्रारम्भ में बात कही उनका सम्बन्ध जनता की समस्याओं से नहीं था बल्कि अपनी पार्टी की आंतरिक समस्याओं से उनका सम्बन्ध था और इस कारण जो उन्होंने चाहा,

(172)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वह बोल दिया। बोलने की जितनी आवश्यकता समझी, उस आवश्यकता की पूर्ति की और सदन से बाहर चले गये। अच्छा होता कि वह जितनी भी देर बोले उस समय में जनता की समस्याओं का इस सदन में जिक्र करते तो चाहे वह बाहर ही चले जाएं लेकिन सत्ता पक्ष का स्वतः ही यह कर्तव्य हो जाता कि उन समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार का क्या रूख है, उनका समाधान करने के सम्बन्ध में सरकार क्या चाहती है, उसका सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता। इस कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन नहीं किया।

मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति बहुत आभारी हूं कि उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने सत्ता पक्ष का भी काम किया और प्रतिपक्ष का भी काम किया। राम और श्याम दोनों का जो कर्तव्य था उसका उन्होंने सही प्रकार से निर्वहन किया। यह आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हाउस में कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर खुलकर चर्चा नहीं हुई। कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सत्ता की आलोचना नहीं की हो। आलोचना करने में अन्तर होता है। एक समझाइश के लिए आलोचना की जाए, एक केवल आलोचना करने के लिए आलोचना की जाए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने आलोचना की लेकिन वह आलोचना बहुत ही रचनात्मक थी और उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि बजट में जो घोषणाएं की गयीं, उनमें सत्ता पक्ष के सदस्यों के भाषण का प्रभाव रहा कि जिस के कारण से वित्त मंत्रीजी ने 70 करोड़ रुपये की रियायतों की आज घोषणा की। इसलिए मैं माननीय सदस्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में इन्होंने बहुत ही श्रेयस्कर काम किया है और हाउस के अन्दर कभी-कभी भी इस बात का अहसास नहीं होने दिया कि यहां प्रतिपक्ष नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें तो हम पहले से एक्सपर्ट थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि इन पांच विधायकों का सस्पेंशन क्यों किया गया ? मैं उस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, लेकिन संकेत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय राज्यपाल महोदय यहां आये और वह भाषण पढ़ने लगे तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, यह संविधान में जो उनके निहित कर्तव्य हैं उन्हें उनका पालन करना होता है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल यहां पधारे, डायस पर गये, भाषण पढ़ना शुरू किया, उन्हें भाषण पढ़ने नहीं दिया गया। जाते वक्त उनको रोका और रोकने के साथ ही थोड़ी-सी देर बाद में एक सिपाही के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हुआ। वह चाहते थे कि 23 तारीख तक किसी प्रकार से विधान सभा में राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण नहीं पढ़ सकें, विधान सभा में आएं नहीं और एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। जिसके कारण से इस सरकार को भंग कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कोई आदमी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज के दिन ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं जानता हो कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चाहे वह पूरा नहीं पढ़ा गया हो, आंशिक रूप से भी पढ़ा गया है और राज्यपाल महोदय उसको प्रमाणित करते हैं अपने हस्ताक्षर से कि इस भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो वह पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। इतना ही नहीं, मैं एक बार का उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि राजभवन में ही राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है और उस अभिभाषण को भी अभिभाषण के रूप में मान लिया गया। वह तीन दिन तक उसी बात पर चर्चा हुई थी कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्चर्यचकित हो गया जब विधान सभा का सत्र आगे बढ़ा दिया गया उसके बाद में प्रतिपक्ष का एक डेपुटेशन स्वयं राज्यपाल महोदय से मिला, उन्होंने लिखित में तीन या चार ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिये, मैंने वह सारे ज्ञापन पढ़े, उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल महोदय, आपका अभिभाषण वहां हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि जिन राज्यपाल महोदय से वह मिलने गये उनको कम से कम इस बात का संकेत करते और उनसे कहते कि आपका अभिभाषण हुआ ही नहीं और सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि आपका अभिभाषण हो गया। लेकिन वह नहीं कहा। क्यों नहीं कहा ? मन में वह भी समझ गये कि हमने जो यह मुद्दा उठाया है इस मुद्दे का कोई आधार नहीं है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तो हो गया लेकिन मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाकर वह कहने लगे कि यहां पर जो बहुमत सिद्ध किया गया है वह पुलिस का बल था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा और कोई मीडिया का पर्सन नहीं होगा जिसने उन तीन दिन की घटनाओं से यह निष्कर्ष नहीं निकाला हो कि यदि यहां सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध नहीं किया जाता तो किस प्रकार का इतिहास इस राजस्थान विधान सभा का बनता। उनके मन में तो यह था कि जो गुजरात की विधान सभा में हुआ इस प्रकार की मारपीट यहां हो, यहां पर सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जाए और मैम्बर्स आपस में इस प्रकार से लड़ मरें कि किसी के चोट आएं, किसी के क्या हो। मैं समझता हूं कि घनश्यामजी यह कह रहे थे लेकिन मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि अगर उस समय सत्ता पक्ष सावधान नहीं होता तो उनका तो इरादा था कि गुजरात की सी स्थिति पैदा हो जाए। पहला इरादा था कि संवैधानिक संकट खड़ा किया जाए, उस संवैधानिक संकट के साथ-साथ गुजरात की सी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए ताकि विधान सभा भंग हो जाए, सरकार चली जाए और फिर वह अपनी सरकार बना लें। यह दोनों बातें चलीं।

अध्यक्ष महोदय, सस्पेंशन का जहां तक क्वेश्चन है, आप ही इस बात के साक्षी होंगे, दूसरा कोई नहीं हो सकता कि जिस दिन विधान सभा की कार्यवाही 22 तारीख को स्थगित हुई थी उसी दिन मैंने आपसे मिलकर कहा कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विधान सभा 6 मार्च को बुलायी जा रही है, 6 मार्च से इन विधायकों का निलम्बन समाप्त कर दिया जाना चाहिए, हम इस प्रकार की मानसिक तैयारी से चलें। आपने सहर्ष इस बात को स्वीकर किया और मैं भी यह मानकर चलता था कि 6 मार्च को आएंगे, तो 6 मार्च के दिन ये विधायकों का सस्पेंशन वापस ले लेंगे और सारी विधान सभा की कार्यवाही में यह पांचों विधायक भी भाग ले लेंगे। लेकिन मैं देखता क्या हूं कि कुछ दिनों के बाद मैं आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार कि अध्यक्ष महोदय ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की है। समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार कि जो विधान सभा में सस्पेंशन का प्रस्ताव पास किया है वह अवैधानिक है। अब आज उस स्थिति में मेरी जगह गुलाबसिंह जी होते, या परसराम जी होते या बैदजी होते, कोई भी इस बात के लिए, अध्यक्ष महोदय, से आग्रह नहीं कर सकता था आपके खिलाफ जिस बात को लेकर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है उसी बात में, कि 6 मार्च को इनको सदन के अन्दर वापस लिया जाए और इनका निलम्बन समाप्त किया जाए। यह इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। मैं उस प्रसंग में नहीं जाता कि दो आदमियों ने किया या पांच आदमियों ने किया। अगर कांग्रेस पार्टी यह भी कह देती सार्वजनिक रूप से जिस दिन दो माननीय सदस्यों ने यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस पार्टी खुले रूप से, सार्वजनिक रूप से यह कह देती कि कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रखा है, केवल दो माननीय सदस्यों ने रखा है तो मैं समझता हूं कि मुझे आपसे फिर आग्रह करने में किसी प्रकार को कोई संकोच नहीं होता। लेकिन आज कहें या दो दिन बाद मैं कहें तो उसमें बड़ा अन्तर है और इस कारण से हम यह कार्यवाही नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में इस समय विधान सभाएं चल रही हैं, लोकसभा चल रही है। आप यदि समाचार-पत्र उठाकर देखें तो कोई दिन ऐसा नहीं है जब यह समाचार नहीं आता कि अमुक विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को निष्कासित किया गया, अमुक विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वाक आउट कर दिया, अमुक विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता को निकाल दिया गया या सदस्यों को निकाल दिया गया। मुझे नहीं लगता इसमें सावधान होने की आवश्यकता है। भाभड़ा साहब कह रहे थे कि मोबोक्रेसी नहीं चलेगी लेकिन योजनाबद्ध तरीके से सारे देश में एक ही प्रक्रिया चल रही है कि विपक्ष में बैठो तो विपक्ष में बैठकर ऐसा काम करो कि या तो मैं हमारा निष्कासन हो यहां पर या हमें बहिर्गमन करना पड़े या अध्यक्ष महोदय को मार्शल के जरिये से हमको निकलवाना पड़े। यदि कोई तय करके ही विधान सभा में आ जाए तो ऐसा समझता हूं कि इसका जवाब कोई देने वाला नहीं है, इसका जवाब जनता ही देगी। हम कितना ही पाठ उनके सामने रखें, कितना ही निवेदन करें, इसका जवाब तो वहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी दो उप चुनाव हुए कुछ माननीय सदस्य यह कह दें कि जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है, जनता सरकार के खिलाफ है, यदि जनता सरकार के खिलाफ होती तो भारतीय जनता पार्टी जिन दो स्थानों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर आज तक नहीं जीती, नागौर के अन्दर और फुलेरा के अन्दर, भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं। इसलिये वह इस अभिमान में नहीं रहें कि जनता सब कुछ देख नहीं रही है। वह सब कुछ देख रही है। कोई इस अभिमान में नहीं रहे कि जनता केवल हमारे ही साथ है और बाकी के लोगों के साथ नहीं है।

अब वह परसों प्रस्ताव पास करके, धमकी देकर गये हैं कि हम सारे राजस्थान में घूमेंगे, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि हम भी अपंग नहीं हैं, घूमने-फिरने का हमारा भी रास्ता है। पूरे राजस्थान में हम भी घूमेंगे और जो विधान सभा में तीन दिन तक और बाकी के इतने दिनों में आपने कार्यवाही की है उसका भी पूरा दिग्दर्शन जनता को कराया जाएगा ताकि जनता को कम से कम इस बात का पता चल जाए कि विधायक चुनकर हम किस बात के लिए गये थे। विधायक चुनकर गये कि बिजली की समस्या का समाधान किया जाए विधायक चुनकर गये कि लॉ एण्ड आर्डर की समस्या के बारे में कोई चर्चा की जाए, पीने के पानी के सम्बन्ध में चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारा दृष्टिकोण देखिये, जब पहले ही दिन गुलाबसिंह जी ने कहा हम बिजली पर चर्चा करना चाहते हैं, हम लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो पहला मौका हमने बिजली की चर्चा का दिया और दूसरा मौका हमने कानून और व्यवस्था के ऊपर विचार करने का दिया। इसके बाद दुबारा फिर मांग आई कि जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है इस प्रिविलेज मोशन को वापस लिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रिविलेज कमेटी के सामने मोशन है और मैं नहीं मानता कि वे भी रूल्स से परिचित नहीं हैं, अपनी विधान सभा के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अन्दर एक बार प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाए तो उसको वापस लेने का अधिकार मूवर को नहीं है। श्री जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा, नियमों के अनुसार वह अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते। आज भी बार-बार कह रहे थे कि इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। अभी कमेटी उस पर विचार कर रही है, अगले सत्र के प्रथम दिन रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्होंने समय मांगा है। इस मांग की आवश्यकता नहीं थी, मांग वे कर भी नहीं सकते और हमारे कहने से प्रिविलेज कमेटी कोई कार्यवाही करती हो, इस प्रकार की मानसिक स्थिति उनकी है, यह भी गलत है। आखिर राजस्थान की परम्पराएं हैं राजस्थान की इन परम्पराओं में कम से कम एक विशेष बात रही है कि इस विधान सभा की जितनी भी समितियां गठित हुई हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट से, अपनी निष्पक्षता से , अपने ज्ञान से राजस्थान का एक रिकार्ड बनाया है और समितियों के सम्बन्ध में जनता में एक प्रकार का विश्वास पैदा किया है। ऐसी स्थिति में यह मांग की जाए, कोई विश्वास नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, सुबह पहले यहां पर आकर 11 बजे एक ही बात कहते हैं कि प्रस्ताव अवैधानिक है। प्रस्ताव अवैधानिक है तो कम से कम आप एक तो बताते कि यह अवैधानिक कैसे है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि यदि प्रस्ताव

(176)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अवैधानिक होता तो आप मान कर चलिये कि ये किसी न किसी अदालत के दरवाजे खटखटाते। लेकिन इनको मालूम है कि इस विधान सभा का प्रस्ताव, अध्यक्ष की व्यवस्था और विधान सभा का इस प्रकार का सर्वसम्मत निर्णय, किसी को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और वे गये नहीं।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात उठाई कि हमारे खिलाफ इंडियन पीनल कोड के तहत कोई कार्यवाही नहीं ही जाए। मैं समझता हूं, उन्होंने धाराएं पढ़ लीं और उन धाराओं में साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार की कोई घटना घट जाए तो सात वर्ष तक की सजा होती है। सात वर्ष ही है ना। 124 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाए तो सात वर्ष तक की सजा होती है, यह इन्होंने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में कह रहे हैं कि हमें यह मुकदमे नहीं बनाने चाहिए। हमारा कभी मुकदमा बनाने का इरादा नहीं था, न है और मेरे जैसा व्यक्ति कभी भी इस बात को स्वीकर नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि यह सदन सर्वोपरि है, इस सदन के पास सब प्रकार की शक्तियां हैं। यह सदन से निकाल भी सकता है, यह सदन के सदस्यों को उनके दुर्व्यवहार के कारण सजा भी दे सकता है। इसलिए मैं अपने अधिकार अदालत के सामने सरेण्डर करूं और पुलिस के मार्फत सरेण्डर कराऊं, इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का कभी दृष्टिकोण नहीं रहा । यह बात सही है कि कई लोगों ने हमको कहा, कई लोगों ने अखबारों में, समाचार पत्रों में यह समाचार छापे हैं, कई लोग मुझसे मिले हैं और मिल कर मुझे इंडियन पीनल कोड की धारा 124 को पढ़ कर बताया है। हालांकि मुझे जानकारी थी, लेकिन पढ़ा है। मुझे चिट्ठियां लिखीं और चिट्ठियां लिख कर कहा कि आप यह मुकदमा क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा, जो अधिकार मुझे है, इस सदन को जो अधिकार हैं वह अधिकार मैं दूसरे के हाथों में सरेण्डर नहीं करना चाहता। सदन सर्वोपरि है, सदन जिस प्रकार का निर्णय लेगा मुझे उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं रहे। इसका जनमानस पर क्या असर है ? इसका जनमानस पर यह असर है कि कांग्रेस पार्टी वोट तो हमसे ले गयी लेकिन हमारी समस्याओं के बारे में विधान सभा में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया। आज विशेषाधिकार के प्रश्न पर हमने उनसे 2-3 बार कहा कि सदन में खेद प्रकट करना कोई अपराध नहीं है। इस सदन में बहुत बड़े-बड़े नेताओं ने अपनी थोड़ी-सी गलती के कारण से, स्लिप आफ टंग के कारण से, जुबान से जल्दी में कुछ निकल गया इस कारण से भी खेद प्रकट किया है। यह खेद किसी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होगा, खेद कोई मुख्य मंत्री से नहीं मांग रहे हैं, खेद कोई सत्ता पक्ष से नहीं मांग रहे हैं और खेद कोई प्रतिपक्ष से नहीं मांग रहे हैं। यह लोकतंत्र का मन्दिर है, यह सदन लोकतंत्र का मन्दिर है और जैसे देवता के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं उसी प्रकार से इस मन्दिर में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो आएगा वह मन्दिर में सामूहिक रूप से जो हमारा उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व के प्रति हमने कर्तव्य का निर्वहन किया है या नहीं किया है इस दृष्टि से खेद प्रकट करता है। खेद प्रकट करने के कारण से कोई आप का अपमान हो गया वह मैं नहीं मानता कोई छोटा हो गया हो वह भी मैं नहीं मानता। कोई खेद प्रकट नहीं किया, इसके कारण से बहुत बड़ा हो गया हो ऐसा भी नहीं मानता। मैं समझता हूं कि खेद प्रकट करने का तरीका है। आज अगर विपक्ष के माननीय सदस्य बैठते और बैठते ही पहला सवाल यह उठाते हैं कि जिन सदस्यों को आपने यहां से निलम्बित किया है उन सदस्यों के मसले पर पहले विचार किया जाए, मैं समझता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। विचार होता और विचार होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती- सुबह उनका यहां आना और यहां से रोज बहिष्कार करना। यह परम्परा अपने आप ही टूट जाती। हमने कहा उनसे कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, दो सदस्यों का निलम्बन मैं वापस ले लूंगा, यूनिलेटरली ले लूंगा, कोई आपसे प्रस्ताव लेने की जरूरत नहीं है, कोई खेद भी प्रकट नहीं करें इसकी भी कोई चिन्ता नहीं है, मैं यूनिलेटरली चाहता हूं, मैं मूव करूंगा। लेकिन कहने लगे कि आप बड़े चतुर हैं। मैंने कहा कैसे ? कि दो सदस्यों को वापस लेने की बात करके आप हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा, लड़ाने का कहां सवाल पैदा होता है। मैं दो को वापस लेता हूं ताकि आप अन्दर प्रवेश कर जाओ और अन्दर आकर उन तीन की पैरवी करो, उन तीन के ऊपर हम सहानुभूति से विचार करेंगे। एक ही दिन हो सकता है, दूसरा दिन हो सकता है लेकिन कहा, नहीं प्रस्ताव अवैधानिक है इस प्रस्ताव को वापस लेओ। यह कभी स्वीकार नहीं हो सकता। प्रस्ताव सदन में पास किया है, अवैधानिक होता तो सदन यह प्रस्ताव पास नहीं करता। सदन ने वैधानिक प्रस्ताव को पास किया और उसके बाद में सदन सर्वोपरि है, उसमें जो भी संशोधन, परिवर्तन करना चाहते हैं वह संशोधन कर सकता है। यदि माननीय सदस्य सामने बैठ कर करते—

अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में कई प्रसंग आए सबसे मोटा प्रसंग आया जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी गवर्नर साहब के भाषण में रोक टोक की तो 12 सदस्यों को इस सदन से पूरे सत्रकाल के लिए निकाला। तीन यहां उपस्थित नहीं थे इसलिए नौ सदस्यों को सदन से निष्कासित किया। हमने मांग की थी कि सदन से निष्कासित करने के बाद इन सदस्यों को वापस लिया जाए। मैं समझता हूं कि वह भी राज्यपाल के अभिभाषण में टोका टाकी हुई और किताब हाथ से नहीं छीनी, कोई वहां से लाइट उठाकर नहीं फैंकी, न राज्यपाल महोदय का घेराव किया गया लेकिन उनको निकाला। निकालने के कारण से हमने कई बार मांग की। कांग्रेस पार्टी ने कभी उदारता का परिचय नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा इस प्रकार का प्रसंग आया, माननीय सदस्य देवीसिंह जो इस समय यहां है, यह एक तख्ती लगा कर आए, उस तख्ती पर लिखा हुआ था कि मुख्य मंत्रीजी की लड़की मंजू के साथ बलात्कार एवं हत्या। हमने तो देखा ही नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था और देखने से पहले ही यहां सारा सत्ता पक्ष उछल कर आया और उस समय लगा ऐसा कि जैसे हम पर हमला किया हो। इतने में चीप व्हिप यही खेतसिंह जी महाराज जो आज कहते हैं, उस समय इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इनकी सदस्यता सदन के लिए समाप्त कर दी जाए, निष्कासित कर

(18.00)

दिया जाए, खूब जोरदार बहस हुई और उस बहस में आज जो सबसे ज्यादा पैरवी कर रही थी कमलाजी उनके भाषण का एक अंश पढ़ना चाहता हूं।

"माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जिस सफाई के साथ इस शर्मनाक वाकिये को सिर्फ खेद प्रकट कर टालने की कोशिश की है और यह कहा कि अगर हम कम सजा देंगे तो सदन में एक बहुत भारी गरिमा की हम अनुपालना करेंगे, मैं समझती हूं, यह गरिमा शब्द का खुद का अपमान है।

अब आप अंदाज लगा लें और आगे तो मैं समझता हूं-" गरिमा शब्द का खुद का अपमान है।" सदन में जिस जिम्मेदार सदस्य ने अपनी बहनों-बेटियों की इस तरह बेइज्जती की है उसको माफ करने का विचार भी करें तो किस प्रकार से समाज में निकलेंगे और किस प्रकार से सड़कों पर जाएंगे और किस प्रकार से अपने घरों में जाएंगे, यह अपने आपमें सोचने की बात है। गरिमा बढ़ाने के नाम पर इस प्रकार के कुकृत्य को, इस प्रकार का अशोभनीय कृत्य जिससे नीच कृत्य कोई भी हो नहीं सकता, महिला समाज के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं हो सकता है, इस प्रकार का कृत्य हमारे सदस्य ने किया है। इस प्रकार के कृत्य को माफ करने की बात की जाए, मैं तो इनको माननीय कहने में भी संकुचाती हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज वे यहां भाषण दें कि हमारे साथ यह अन्याय हुआ इस सदन में, जब देवीसिंहजी पर विशेषाधिकार के रूप में हमला हुआ तो मैंने अपना भाषण शुरू किया, वह मेरे पास नहीं है, मैंने यह भाषण इस आधार पर शुरू किया कि महात्मा गांधी हर हरिजन की लड़की, परिवार के सदस्य को अपनी बेटी मानकर चलते थे, गरीब की बेटी को अपनी बेटी मानकर चलते थे, मुझे अफसोस है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री एक मेहतर की लड़की को अपनी लड़की मानने में संकोच कर रहा है। ज्यों ही मेरे शब्द निकले और शिवचरणजी खड़े हुए और बोले कि मैं इसको बेटी मानता हूं। मैंने कहा, बेटी मानते हो तो अपराध क्या हुआ? अपराध उस बेटी के साथ हुआ, उस अपराध की तख्ती लगाकर आ गये। आजकल तो हर कोई माननीय सदस्य तख्ती लगाकर आ जाता है। तख्ता-तख्ती सब कुछ लगा लें। यह बोले नहीं, केवल तख्ती लगाए हुए थे ये होशियार हैं, बिना बोले मैसेज दे दिया था। अब वह मैसेज देने के बाद धीरे-धीरे जब डिबेट चली और मैंने खेद प्रकट किया, खेद प्रकट करने के साथ ही फिर कहा कि नहीं, हम तो निकालेंगे, 10 दिन के लिए शायद— (व्यवधान)— सात दिन के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निकाला, 14 दिन के लिए निकाला फिर तीन दिन के लिए निकाला।

अब, अध्यक्ष महोदय, इससे अंदाज लगा लें। अगर पुरानी परम्पराओं को हम देखें तो इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सदन की गरिमा इसमें है, यह सदन बड़ा है, सदन प्रभावशाली है, सदन सत्ताधारी है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय घनश्यामजी ने जिस रूप में इस बात को रखा है, हमें इस सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखकर, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, अब के बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने पूरे उन नेताओं का उल्लेख किया है, पूरे उन माननीय सदस्यों का उल्लेख किया है। जिनके कारण से राजस्थान की प्रगति हुई है और स्वर्गीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सदन की परम्पराएं स्थापित करने में जो योगदान दिया है उसको राजस्थान में कोई भूल नहीं सकता। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि आप उन्हीं परम्पराओं पर चलते तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यदि कोई प्रेक्टिकली भी इस प्रकार की स्थिति में फंस जाए तो यह उचित होता कि सदन में बैठकर इस प्रकार के मसले उठाते और उठाते-उठाते यह बात आ जाती सामने कि इन मैम्बर्स को वापस लिया जाए, सस्पेंशन को निरस्त किया जाए तो कोई जिद करके नहीं बैठे थे, हमने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया था। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चलती, जनता की समस्या रखने के लिए हम यहां आए हैं, इस बात को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाती, इस बात को अपनी कर्तव्यपरायणता का प्रश्न बनाती और सदन का सम्मान बढ़ेगा, इस प्रकार की स्थिति में केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाती तो बहुत ही उचित बात होती।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो जैसा घनश्यामजी ने कहा बड़ा दुःख है, मैं तो अपने स्वास्थ्य के कारण से नहीं बोल पा रहा हूं। दूसरा, यह बात सही है, सामने कोई न बैठा हो तो बोलूं ही क्या ? (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, आप हमारे भेजे हुए हैं, नहीं तो आपसे भी दो-दो हाथ हो जाते, कोई बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में मैंने भी यह समझा कि अपोजीशन की अनुपस्थिति में डिबेट में माननीय सदस्य ही भाग ले रहे हैं, इतना ही पर्याप्त होगा, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए और इसलिए मुझे इस बात की तो खुशी है कि हमारे सदस्यों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको नहीं उठाया, कोई विषय नहीं है जिस पर चर्चा नहीं की, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर सुझाव नहीं दिया, कोई विषय ऐसा नहीं जिस पर आलोचना नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह कहना कि बहुमत नहीं है और यह है। मैं समझता हूं कि अगर बहुमत नहीं होता तो जैसे हरिशंकरजी ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ रखा गया है अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो

180

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम कहां रहते ? हम कहीं नहीं रहते । अब ऐसी स्थिति में जो मौका आया उसको खो दिया। एक प्रस्ताव से दो बात हो जाती, एक प्रस्ताव से इस सदन से जिनका सस्पेंशन हुआ, वह निरस्त हो जाता और सरकार भी संकट में पड़ जाती। मैं समझता हूं कि उन्होंने बचाया, इसलिए मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं खैर, शक्ति का परिचय जब होता तो उनके दावे खोखले साबित होते लेकिन कम से कम अध्यक्ष महोदय को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल जाता।

अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में आपके ऊपर एक प्रकार से आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण से निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से हर आदमी आहत होता लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सदन में अध्यक्ष महोदय, ये भी रहे हैं, आप भी रहे हैं और भी कई माननीय सदस्य रहे हैं, सदन में जिस प्रकार की जिम्मेदारी हैं, रैफरी कितनी ही निष्पक्षता से काम करे, जो पराजित होता है वह रैफरी को दोष दिए बिना नहीं रहता। इस स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको भी इस सारे परिप्रेक्ष्य में एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में सदन की गरिमा के अनुसार इन सब बातों पर ध्यान देकर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस उदारता की दृष्टि से जो घनश्यामजी ने कहा और हरिशंकरजी ने कहा मैं इन दोनों की बात में अपने को भी सम्मिलित करते हुए हमारे चीफ व्हिप से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखें ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए।

जहां तक कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों का सवाल है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में हम रहें, इस सदन में कटुता नहीं रहनी चाहिए। कटुता समाप्त हो तभी जाकर, रचनात्मक ढंग से इस विधान सभा में हम कोई कार्यवाही कर सकेंगे इसलिए इस प्रसंग को हम यहीं छोड़ दें। आज चीफ व्हिप प्रस्ताव रखें और हम इस कटुता को यहीं छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमको धमकाने की आवश्यकता नहीं है। हम बच्चे नहीं हैं कि डर जाएंगे, हमने भी काफी उम्र ली है। विधान सभा में भी ली है और जनता में भी ली है। ऐसे बच्चे नहीं कि बार-बार कोई धमकाए जाए कि हम कटुता का आगे जवाब देंगे। आगे भी हम तैयार मिलेंगे। हम कहां जा रहे हैं, यहीं मिलेंगे। लेकिन मैं मेरे मन में कटुता नहीं रखता और सदन के मेरे पक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे किसी प्रकार की कटुता लेकर सदन से बाहर न जाएं और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी कटुता नहीं रखें और जन सामान्य की समस्याओं को लेकर किस प्रकार से हम और वे मिलकर आपस में उनका समाधान कर सकते हैं, समाधान करने की चेष्टा करें।

घनश्यामजी ने कहा कि मुझे राजस्थान की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों का कोई दोष नहीं है जिसके लिए मैं क्षमा मांगू लेकिन सदन के नेता के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी भी है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो मैं पहली बार अपने जीवन में कांग्रेस के बिहाफ पर जनता से माफी मांग रहा हूं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है मैं यह माफी इसलिए मांग रहा हूं कि उनको यह अहसास हो जाए कि माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, माफी मांगने से निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। अगर वे इस प्रकार का काम कर देते तो उनकी गरिमा भी बढ़ती। लेकिन जब गरिमा बढ़ाने के विरोध में उन्होंने आयोजन कर लिया तो गरिमा किस प्रकार से बढ़ेगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान की जनता को भी यह कह सकता हूं कि चाहे प्रतिपक्ष नहीं हो, लेकिन हमारे सदस्यों ने राजस्थान की जनता का कोई वर्ग नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी जिस समस्या का उल्लेख न किया हो। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, मैं चीफ व्हिप से निवेदन करूंगा, कांग्रेस वाले सदस्य कहते हैं कि यह टौंक की मिर्ची ज्यादा गड़बड़ है, तेज है, इसलिए इस टौंक की मिर्ची से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी थोड़े ठंडे हों, क्योंकि उन पर भी हमले बहुत हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के हमले भाभड़ा जी पर हुए, इस प्रकार के हमले महावीर जी पर हुए, इस प्रकार के हमले स्पीकर साहब पर हुए लेकिन इन हमलों का कोई हल निकलने वाला नहीं है। यह तो सदाशयता है आपस के व्यवहार से इन चीजों का हल निकल सकता है। इसलिए मैं महावीर जी, जो हमारी पार्टी के चीफ व्हिप हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे विधिवत एक प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव को सदन से पारित कराएं और पारित कराकर इस सारे वातावरण को, जो कटुता है इसको तो होली में जला दें और कटुता समाप्त होते ही गुलाल के वातावरण में आकर राजस्थान का विकास करें, धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, टौंक में मिर्ची ही नहीं होती, टौंक में बहुत बढ़िया खरबूजे भी होते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : खरबूजे भी होते हैं, तरबूज भी होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी और मुख्यमंत्री के कहने के बाद मैं समझता हूं कि कुछ बचा नहीं है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द जी विश्नोई, जो इस आसन पर बिराजमान थे और जिस समय देवीसिंहजी का मामला आया उस समय जो वाद-विवाद हुआ उसमें जब यह सवाल आया कि पनिशमेंट क्या होना चाहिए तो उस समय उन्होंने कहा कि पनिशमेंट की कोई सीमा सदन के सामने नहीं है। फिर कहा कि वाद-विवाद इसलिए होता है कि अपराध है तो किस श्रेणी का दण्ड दिया जाए और कितना दिया जाए इसलिए चर्चा हो रही है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अपराध यहां पर तय होता है कि अपराध किस सीमा का है। उसी समय ही हरिसिंह (महुआ) ने भी अपने भाषण में यह कहा कि अपराध

(182)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उत्तेजना के वशीभूत होकर किया गया है इसलिए वह क्वांटम आफ पनिशमेंट को कम करता है। परंतु जो सोच-समझकर किया गया है वह क्वांटम आफ पनिशमेंट को बढ़ा देता है। उस समय हरिसिंह जी कुम्हेर, रामनारायण जी डूडी, माधवसिंह जी दीवान तथा बहुत सारे माननीय सदस्यों ने ऐसा रखा और हम चाहते थे कि वाद-विवाद के द्वारा तय होता। लेकिन जिस प्रकार की उदार भावना संसदीय परम्पराओं में रही है, हालांकि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कभी ऐसी उदार भावना का परिचय नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार की भावना मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्री और सभी माननीय सदस्यों की है उसका मैं स्वागत करता हूं और जिस प्रकार का हमला, मिची-विर्ची कहा गया, यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हमको बरदाश्त करना ही पड़ेगा और संसदीय परम्पराओं में ये सब बातें आपको और हमको सहन करनी पड़ेगी। उसके लिए तैयारी है और तैयार रहना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रक्रिया के नियम 292 के "परन्तुक" के अन्तर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं : -

"यह कि सदन संकल्प प्रस्तुत करता है, दिनांक 22 जनवरी, 1997 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव से श्री जगदीप धनखड़, श्री अमराराम चौधरी (सी.पी.एम), श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) श्री जुबेर खान, श्री गोपीचन्द गुर्जर को तीन महीने के लिए निलम्बित किया गया था, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 21 मार्च, 1997 से वह निलम्बन समाप्त किया जाए।"

श्री अध्यक्ष : दो शब्द मुझे भी कहने दें, मुझे ज्यादा कहना नहीं है। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय श्री महावीर प्रसादजी जैन, मुख्य सचेतक ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

माननीय श्री महावीर प्रसादजी जैन द्वारा रखा गया प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक 18.15 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा,
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा,
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा,
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 292 का विवरण

परिशिष्ट- "अ"

(अ) शिक्षाकर्मी योजना अन्तर्गत सीडा एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि का विवरण

वर्ष	(राशि लाखों में) सीडा से प्राप्त राशि	(राशि लाखों में) राज्य सरकार का अंशदान
1987-88	55.10	7.62
1988-89	110.00	6.66
1989-90	87.85	9.76
1990-1991	192.26	8.05
1991-92	230.00	20.00
1992-93	196.18	39.77
1993-94	545.27	60.59
1994-95	490.00	423.07
प्रथम चरण का प्रारंभिक शेष -		
	309.22	34.35
1995-96	810.00	775.41
1996-97 (जन.तक)	575.00	208.61

(ब) लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण :-

अवधि	सीडा व भारत सरकार से प्राप्त अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान
जून, 92 से मार्च, 93	400.00	80.00
अप्रेल, 93 से मार्च, 94	626.00	125.20
अप्रेल, 94 से मार्च, 95	933.00	186.60
अप्रेल, 95 से मार्च, 96	1500.00	300.00
अप्रेल, 96 से दिस. 96	2800.00	160.00

परिशिष्ट "ब"

शिक्षाकर्मी परियोजना अन्तर्गत शिक्षाकर्मी के चयन की योग्यताएं

शिक्षाकर्मी परियोजना से शिक्षकों को चयन न करके एक स्वेच्छा से समाज सेवक/सेविका के रूप में कार्य करने वाले आशार्थी का चयन शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा कार्य करने हेतु किया जाता है। चयन के आधार बिन्दु निम्नलिखित हैं: –

1. न्यूनतम योग्यता

   (अ) पुरुष आशार्थी कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए।

   (ब) महिला आशार्थी कक्षा 5 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

2. विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाला हो।

3. इसके अतिरिक्त आशार्थी में निम्नांकित क्षमताएं देखी जाती हैं : -

   (अ) मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति।

   (ब) गणित विषय का बुनियादी ज्ञान।

   (स) परियोजना की दृष्टि से उसका व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण।

   (द) गांव में उसकी प्रतिष्ठता, गांव वालों का उसके प्रति विश्वास।

   (य) सीखने-सिखाने की अभिरूचि।

   (र) वंचित वर्ग विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रति सार्थक अभिवृत्ति।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

जिला जालौर एवं सिरोही में स्वीकृत 35 के.वी. विद्युत सब स्टेशन

293. **श्री जयन्ति लाल कोली** (रवेदर) एवं

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालौर एवं सिरोही जिलों में विगत तीन वर्षों में कुल कितने 35 के.वी. विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से कितनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें चार्ज कर दिया गया है? शेष को कब तक चार्ज कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जालौर एवं सिरोही जिलों में विगत तीन वर्षों (वर्ष 1994 से 1996) में क्रमशः 16 व 6 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(2) उक्त 33/11 के.वी. स्टेशनों में से 8 जालौर जिले में व 5 सिरोही जिले में निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू कर दिये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में दर्शाया गया है। शेष 33/11 के.वी. सब स्टेशनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट "अ"

जालौर जिले में 33/11 के.वी. के स्वीकृत सब स्टेशन व चालू किये गये सब-स्टेशनों की सूची वर्ष 1994-96 तक

क्र.सं.	स्वीकृत 33/11 के.वी. सब स्टेशन का नाम	क्षमता एम.वी.ए.	टिप्पणी
	वर्ष 1994-95		
1.	तनपी	1 X 1.6	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	सांचौर	1 X 3.15	निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू किया
3.	हरजी	1 X 1.6	उपरोक्त

(186)

वर्ष 1995-96

4.	सेवाड़ी	1 X 1.6	उपरोक्त
5.	विशाला	1 X 3.15	उपरोक्त
6.	कूड़ा	1 X 3.15	उपरोक्त
7.	तेतरोल	1 X 1.6	उपरोक्त
8.	खेरा	1 X 1.6	1 X 3.15 एमबीए सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू किया। दिसम्बर-96 में।
9.	अंकोली	1 X 1.16	अंकोली निर्माण कार्य पूर्ण करके चालू किया दिसम्बर 96 में।
10.	तेलियाना (जीवाना)	1 X 1.6	उपरोक्त
11.	गांग	1 X 1.6	उपरोक्त
12.	पावली	1 X 1.6	उपरोक्त
13.	भागली	1 X 1.6	उपरोक्त
14.	झाव	1 X 1.6	नवम्बर -96 में 33 के.वी. कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।
15.	पांचला	1 X 3.15	उपरोक्त
16.	देवावास	1 X 3.15	उपरोक्त

परिशिष्ट "ब"

सिरोही जिले में 33/11 के.वी. के स्वीकृत सब स्टेशनों व चालू किये गये सब स्टेशनों की सूची वर्ष 1994 से 1996 तक।

वर्ष 1994-95 (स्पिलओवर)

1.	मंडार	1 X 1.6	निर्माण कार्य पूरा करके चालू किया। दिसम्बर-95

2.	रोको (आई/ए) आबू रोड	1 X 3.15	उपरोक्त 30.11.95
3.	मानपुर	1 X 3.15	उपरोक्त जनवरी-96
4.	रोहट (नयेचालू)	3.15	उपरोक्त 29.2.96
	वर्ष 1995-96		
5.	रोहीड़ा	1 X 3.15	उपरोक्त 31.3.96
6.	दांतराई	1 X 3.15	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के प्राथमिक विद्यालय

294. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नटाटा पंचायत समरा, पंचायत समिति थानागाजी में पिछले 25 वर्षों से नियमित रूप से प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार डूमाली, पंचायत झिरी में भी कई वर्षों से नियमित रूप से प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम नटाटा झिरी, कालेड-नटाटा आदि जयपुर रोड (पक्की डामर की सड़क) पर स्थित है ?

(4) क्या यह सही है कि दोनों ही जगह पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से नियमित विद्यालयों को बन्द कर शिक्षाकर्मी योजना प्रारम्भ कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। नटाटा एवं डूमाला प्राथमिक विद्यालयों को बन्द नहीं किया गया बल्कि शिक्षाकर्मी योजनान्तर्गत चलाया जा रहा है।

(5) पंचायत समिति, थानागाजी के कुल पांच प्राथमिक विद्यालयों का चयन शिक्षाकर्मी योजना में किया गया था जिसमें उक्त दो विद्यालय भी थे। यह चयन विकास अधिकारी, प्रधान एवं ग्रामवासियों की सहमति से किया गया। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में स्वीकृत 33 के.वी. विद्युत लाइन

295. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में 33 के.वी. की लाइन स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त लाइन किन-किन ग्रामों हेतु स्वीकृत की गई हैं ?

(3) क्या लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त लाइन को अब पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू में 33 के.वी. की वर्ष 1996-97 के फेज्ड प्रोग्राम में निम्नलिखित लाइन स्वीकृत हैं : -

1. बिग्गा से लिख्मादेसर
2. सूडसर से सावंतसर
3. श्री डूंगरगढ़ से रिडी वाया बाना
4. बम्बू तेणदेसर

(2) उक्त लाइनें निम्नलिखित व इनके आसपास के गांवों हेतु स्वीकृत की गई हैं:- 1. लिखमादेसर, 2. सावंतसर, 3. बाना, 4. तेणेदेसर।

(3) इन सभी लाइनों को पूरा करने का कार्य अभी चल रहा है।

(4) जी हां, उक्त सभी लाइनों का कार्य मार्च, 1997 तक पूरा कर दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

189

परिशिष्ट - 3

तारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूची

परिशिष्ट "अ"

खैरवाड़ा तहसील के अविद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नम्बर
1.	समलाई पानवा	21/17/2
2.	ममग	/3
3.	भाखड़ा	/8
4.	राणावाड़ा	/9
5.	गराजा	/11
6.	महुड़िया	/12
7.	मगरा	/17
8.	गतराली	/37
9.	हरसावाड़ा	/92
10.	सात सागड़ा	/93
11.	डबायचा	/120
12.	बीसलाठी	/121
13.	भीमटावाड़ा	/122
14.	पाटिया	/131
15.	कानपुर	/134
16.	माली फलां	/139
17.	माली फलां	/140
18.	बावड़ी खेड़ा	/229
19.	ओड़ा	/230
20.	उमरा	/4
21.	डावन	/13

1	2	3
22.	नला पीपला	/22
23.	पाचा पाडला	/23
24.	अकोट	/24
25.	पाडलिया	/25
26.	भाडदरा	/50
27.	कैलवाड़ा (ए)	/53
28.	माल	/54
29.	रामा बावड़ी	/56
30.	करमाला	21/17/89
31.	लक्ष्मणपुरा	/118
32.	बाव	/119
33.	जुआरवा	/123
34.	भगोरवाड़ा	/124
35.	झांझरी	/125
36.	देमत	/126
37.	बावड़ी	/127
38.	यदुनिया	/128
39.	भाणवा	/129
40.	गुदा	/130
41.	चीकली	21/17/132
42.	भगोरवाडा	/133
43.	रेठडा	/135
44.	बलीचा	/136
45.	सुखबानड़ी	/137
46.	चाक कनवई	/142

1	2	3
47.	थोपावाडा	/190
48.	गुन्डवाडा	/191
49.	बवाई	/1
50.	चाक-कनवई	/143
51.	खोरडा	/189

परिशिष्ट - 4

परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न संख्या 281 की सूची
पंचायत समिति टोडाभीम सवाईमाधोपुर की विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	कोड नं.	गांव का नाम	विद्युतीकरण दिनांक
1.	8/2/1	आतरहेड़ा	31.10.88
2.	2	करणपुर	29.11.72
3.	3	अन्नतपुरा	30.9.89
4.	4	भनकपुरा	30.6.67
5.	5	टुडावली	28.3.89
6.	6	पाटोली	30.6.67
7.	7	भेजड़ा	25.11.72
8.	8	दांतली	27.11.72
9.	9	मेहंदीपुर	25.10.71
10.	10	गेड़रोली	30.11.72
11.	11	सांकरवाड़ा	31.1.67
12.	12	भूड़ा	31.6.67
13.	13	पाडलाखालसा	29.1.76
14.	14	पाडलाजामीर	10.1.67
15.	15	शंकरपुरडोरका	28.2.67

(१९२)

1	2	3	4
16.	16	सरसेनाचक नं. 2	15.2.88
17.	17	चक नं.1	29.10.76
18.	18	भेसीना	26.10.76
19.	19	मुठेपुर	30.9.69
20.	20	झाडीसा	31.3.88
21.	21	भैंसापट्टीखुर्द	30.9.88
22.	22	भैंसापट्टीकलां	31.9.88
23.	23	चुरपुरा	23.3.88
24.	24	माधोपुरा	31.7.88
25.	25	मातासुला	31.3.88
26.	26	पाडली	31.7.88
27.	27	जोधपुरा	20.4.75
28.	28	खीरखीरी	31.7.88
29.	29	नांगलमांडल	28.2.88
30.	30	विशनपुरा	30.9.89
31.	31	अजीजपुर	30.3.75
32.	32	मीर्जापुर	31.3.74
33.	33	गोपालपुरा	30.10.88
34.	34	चकमहेन्द्रवाड़ा	30.9.89
35.	35	महेन्द्रवाड़ा	10.1.67
36.	36	असरो	31.1.67
37.	37	मकबरा	28.2.88
38.	39	कानेटी	28.2.88
39.	39	भीमपुर	28.2.88
40.	40	सुजानपुरा	31.8.87

1	2	3	4
41.	41	सेहराखर	27.1.73
42.	42	दादनपुर	27.1.73
43.	43	मानोज	5.7.70
44.	44	नंदीपुरी	10.1.67
45.	8/2/44 45	त्रिशुल	10.1.67
46.	46	झुनकी	19.12.88
47.	47	जयसनी	30.3.74
48.	48	खेड़ी	30.1.74
49.	49	मेरेडा	31.8.87
50.	50	तुरकपुर	9.9.88
51.	51	मन्डेरू	31.3.75
52.	52	धड़ीबाढ़	31.10.88
53.	53	गाजीपुर	31.7.88
54.	54	चकगाजीपुर	9.9.88
55.	55	खेडीया	14.12.73
56.	56	डोरावली	15.12.73
57.	57	कमालपुरिया का पुरा	15.12.73
58.	58	जाल	14.12.73
59.	59	बिशनुपुरा	31.3.88
60.	60	बाल	30.11.76
61.	61	करीरी	30.11.73
62.	62	खानपुर	30.11.73
63.	63	फतेहपुर	30.3.89
64.	64	मोहबुथुर	30.3.89
65.	65	बालावास	30.3.89

194

1	2	3	4
66.	66	कुडावल	30.3.89
67.	67	शंकरपुर	31.3.88
68.	68	नांगलसुल्तानपुर	15.6.76
69.	69	फोजीपुरा	15.12.88
70.	70	बदलेटाखुर्द	31.5.73
71.	71	माचड़ी	31.1.74
72.	72	बिजलवाड़ा	23.3.89
73.	73	लाडपुर	30.3.88
74.	74	ऐदलपुर	16.5.73
75.	75	भण्डारीअंदरूनी	31.1.75
76.	76	राजोर	16.5.73
77.	77	मकठोठ	31.8.87
78.	78	मीनापुर	31.8.87
79.	79	खेहरा	31.8.87
80.	80	पदमपुरा	31.8.87
81.	81	गज्जुपुरा	31.8.87
82.	82	बेरोज	31.8.87
83.	83	गोरड़ा	31.8.87
84.	84	राजोली	21.6.75
85.	85	धवान	31.1.75
86.	86	नान्द	31.8.87
87.	87	मोहनपुरा	31.1.75
88.	88	गावंडी	30.3.88
89.	89	कमालपुरा	31.1.75
90.	90	जहानगरमोरड़ा	31.5.75

195

1	2	3	4
91.	91	भंडारीबेरूनी	30.6.88
92.	92	नांगलखेर पुर	25.3.79
93.	93	बालघाट	25.3.79
94.	94	पेचला	30.3.89
95.	95	घाटलाखेरपुर	30.3.79
96.	96	पाडली	31.5.73
97.	97	बदलेटाबुजुर्ग	31.5.73
98.	98	बलेडी	15.12.88
99.	99	मेंण्डिया	31.7.76
100.	100	सलेहपुरा	15.12.88
101.	101	मजीदपुरा	15.12.88
102.	102	करमपुरा	15.12.88
103.	103	पाटकटारा	15.12.88
104.	104	जयसिंहपुरा	15.12.88
105.	105	जगदीशपुरा	15.12.88
106.	106	मेहमदपुर	15.12.88
107.	107	देवलेन	15.12.88
108.	108	नयागांव	15.12.88
109.	109	पीलवा	15.12.88
110.	110	रणमलपाड़ा	31.3.89
111.	111	तिगरिया	31.3.89
112.	112	मोसलपुर	31.3.89
113.	113	चककवंरपुरा	31.3.89
114.	114	कंवरपुरा	31.3.89
115.	115	नंदपुरा	31.3.89

198

1	2	3	4
116.	116	फादोली	31.3.89
117.	117	सिधंनीया	31.3.89
118.	118	सालीमपुर	31.3.89
119.	119	कटराअजीज	31.3.89
120.	120	लपावली	21.10.75
121.	121	ताजपुर	24.3.79
122.	122	कन्जोली	30.3.75
123.	123	पहाड़ी	25.3.75
124.	124	कुटीला	31.8.87
125.	125	बिचपुरी	15.12.88
126.	126	मुरडेन	31.3.89
127.	127	खिलचीपुरमीना	15.12.88
128.	128	खिलचीपुरबाड़ा	31.3.88
129.	129	बाडमहासिंहपुरा	28.3.89
130.	130	लुहारखेड़ा	31.3.88
131.	131	चंदवाड़	30.9.88
132.	132	मेहंसवा	31.10.87
133.	133	झोटवाड़ा	31.10.88
134.	134	अईयापुर	31.10.88
135.	135	किरवाड़ा	31.10.88
136.	136	आरेज	31.10.88
137.	137	शेखपुरा	31.10.88
138.	138	रानोली	31.8.87
139.	139	कालवाड़ी	31.8.87
140.	140	पट्टीशेखपुरा	31.8.87

1	2	3	4
141.	141	आखावाड़ा	31.8.87
142.	142	गाजीपुर	24.3.89
143.	143	बहादुरपुर	26.3.79
144.	144	चकबहादुरपुर	31.6.89
145.	145	भोगपुर	28.2.73
146.	146	सेहजनपुरा	31.6.79
147.	147	निसुरा	30.6.73

परिशिष्ट "ब"

पंचायत समिति टोडाभीम के विधुक्तीकृत घोषित ऐसे गांवों की सूची जिनमें एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं है तथा लाईने भी क्षतिग्रस्त है ।

क्रमांक	गांव का नाम	कोड नम्बर	विद्युतीकरण की दिनांक
1.	गोनरी	7/2/125	30.11.88
2.	चन्दवाड	7/2/124	30.11.88
3.	उदेन	7/2/129	31.3.88
4.	खिलाडीपुर वाडा	7/2/120	15.12.88
5.	मानसिंहपुरा	7/2/122	28.3.89
6.	मोसलपुरा	7/2/105	31.3.84
7.	भदोती	7/2/109	31.3.84
8.	कवरपुरा	7/2/107	31.3.84
9.	नन्दपुरा	7/2/108	31.3.84
10.	जयसिंहपुरा	7/2/97	31.3.84
11.	पटकटरा	7/2/96	15.12.88
12.	शंकरपुरा	7/2/65	15.12.88
13.	वालावास	7/2/63	31.3.88

1	2	3	4
14.	कटारा अजीत	7/2/112	30.3.89
15.	बीचपुरी	7/2/118	15.12.88
16.	खिलचीपुर	7/2/121	31.3.88
17.	अरेज	7/2/130	31.10.88
18.	फोजीपुर	7/2/67	15.12.88
19.	सुजानपुर	7/2/41	31.7.87

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 282 का विवरण

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन द्वारा वितरण किये गये बीज

जिन्स का नाम	विक्रय मात्रा	1994-95 विक्रय दर	(रुपये में) क्रय दर	विक्रय मात्रा	1995-96 विक्रय दर	क्रय दर (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
बी. एमएच. 169		1900	1627		2100	1525
" " 179		2480	1650		2700	2400
" एच एच बी. 60,67	3947	1080	950	4108	1180	907
" आई सी टी पी						
" डब्ल्यूसीसी-75		1000	950		1150	704
मक्का शंकर	2411	1150	955	2052	1450	949
" संकुल		900	604		1450	949
ज्वार	1313	1800	1650	1610	2000	1550
मूंग	1210	2100	1786	1771	2700	2113
उड़द	158	1600	860	159	3100	2709
मोंठ	45	1600	1100	51	2000	1217
चौला	18	1700	985	78	2300	2037

अरहर	190	2000	1900	321	2800	2410
ग्वार	181	1355	940	110	1500	1107
धान	186	1200	917	313	1500	1240
तिल	185	3100	2691	200	4000	3091
अरण्डी	37	4500	3822	167	6000	4910
सोयाबीन	4500	1800	1025	7634	1000	1099
मूंगफली	1561	2190	1597	1760	2300	1922
कपास बी. नरमा		1456	1208	3000	1855	
" एच- 777		1456	1208	–	2750	1899
" गंगानगर अगेती	11579	1248	1203	14723	2750	1899
अन्य किस्में		1664	1317		2500	1882
अन्य फसलें	530			3189		
गेहूं क. सोना, सी-306	79700	800	502			
अन्य किस्में		750	525	108033	1000	485
जौ जिन्स	1260	700	590	2125	750	503
चना	9500	1825	1422	7758	1800	1265
सरसों	10164	1900	1342	12422	1900	1207
अन्य जिन्सें	6460			2200		

परिशिष्ट -6

तारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची

मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सूची

1994-95 **वरिष्ठ लिपिक**

1. श्रीमूलचन्द श्रीमाल, कार्यालय वउजिशिअ, देवली टौंक	रामावि, गुडाखुर्द (अजमेर)	संस्था प्रधान एवं संघों की मांग पर
2. श्री कल्याणमल, राबाउमावि, मालपुरा (टौंक)	रामावि, लाम्बा-हरीसिंह	जांच में दोषी पाये जाने एवं कर्म. की मांग पर

3. श्री सत्यनारायण वैष्णव, राज. अन्धउमावि, अजमेर	राउमावि, लौटियाना	निलम्बन पर बहाल करने पर अन्यत्र लगाया
4. श्री हनुमान थानवी, जिला परिषद, अजमेर	रामावि, बादरसिदरी (अजमेर)	मुख्यकार्यकारी के निवेदन एवं कर्म. की मांग
5. श्री सत्यनारायण काबरा, कार्यालय जिशिअ, अजमेर	राउमावि, राजेन्द्र, अजमेर	जिशिअ (छात्रा) अजमेर के निवेदन पर
6. श्री अनील पारीक, डाइट शाहपुरा (भीलवाड़ा)	राबाउमावि, बनेडा (भोल)	जांच में दोषी पाये जाने पर
7. श्री ओमप्रकाश, रामावि, झाझावास (भीलवाड़ा)	राउमावि, ज्ञानगढ़ (भोल)	जांच में दोषी पाये जाने पर अन्यत्र किया गया।
8. श्री जीतेन्द्रप्रसाद जैन, राबाउमावि, माडल (भोल)	राउमावि, कारोई (भोल)	संस्था प्रधान की शिकायत पर।
9. श्री राजेन्द्र गर्ग, रामावि, साहुडा (भोल)	रामावि, संखला (भोल)	जाँच में दोषी पाये जाने पर अन्यत्र किया गया।
10. श्री गुलाबचन्द आर्य, राउमावि, (टौंक)	राउमावि, खावा (टौंक)	संस्था प्रधान द्वारा बार-बार शिकायत के कारण।
11. श्री दाऊलाल, राबाउमावि, मूण्डवा, (नागौर)	राबामावि, कुचेरा (नागौर)	जिशिअ (छात्रा) के निवेदन पर।
12. श्री ज्ञानचन्द सोमानी, रामावि, बिजलियाबास (अजमेर)	रामावि, चोराड़, (अजमेर)	जांच में दोषी पाये जाने पर अन्यत्र किया गया।

13. श्री चन्द्रप्रकाश राबामावि, टाटगढ़ (अजमेर)	रामावि राहटियाद (नागौर)	जांच में दोषी पाये जाने पर अन्यत्र किया गया।
14. श्री ओमप्रकाश रूपवास, राउमावि, माण्डल (भीलवाड़ा)	राउमावि, ब्राह्मणों की सरेरो (भीलवाड़ा)	संस्था प्रधान की शिकायत पर।
1995-96		
15. श्री रविन्द्र कुमार, राबामावि, कोबना (टौंक)	रामावि, खोखला भीलवाड़ा	प्रशासनिक कारण
16. श्री सुरेन्द्र कुमार, राबामावि, निनार (अजमेर)	राबामावि, विजयनगर	उपनि (म) के अनुरोध पर!
17. श्री सत्यनारायण वर्मा, राकेबाउमावि अजमेर	रामावि, बैजगांव (अजमेर)	संस्था प्रधान के निवेदन पर
18. श्री रामलाल, रामावि, गाडोली (भील)	रामावि, झाझावास (भील)	संस्था प्रधान की शिकायत पर
19. श्री शिवदयाल राबामावि, भीलवाड़ा	रामावि, कारोई (भीलवाड़ा)	" "
20. श्री सत्यनारायण वैष्णव, जिला परिषद, अजमेर	रामावि, सुरसुरा (अजमेर)	मुख्यकार्यकारी, जिला परिषद अजमेर की शिकायत पर।

बिना प्रार्थना पत्र एवं शिकायत के आधार पर किए गए स्थानान्तरण की सूची

कार्यालय सहायक

1994-95

22. श्री लक्ष्मीनारायण, मल्होत्रा, राउमावि, पुष्कर (अजमेर)	राउमावि, श्रीनगर (अजमेर)	संस्था प्रधान के बार बार अनुरोध पर।

1995-96

23. श्री ओमप्रकाश आर्य, राउमावि, मसूदा (अजमेर)	टाईट, मसूदा (अजमेर)	निदेशक महोदय के निर्देशानुसार एवं कर्मचारी की स्वयं की मांग पर।
24. श्री बालमुकन्द, राउमावि, आसीन्द (भीलवाड़ा)	राउमावि, शक्करगढ़ (भीलवाड़ा)	जाँच में दोषी पाये जाने के कारण अन्यत्र किया गया।

नोट :- वर्ष 1993-94 में कोई स्थानान्तरण नहीं किये गये।

परिशिष्ट -7
तारांकित प्रश्न संख्या 287 का विवरण

परिशिष्ट - ब

मार्च, 1995 से सितम्बर, 1996 के मध्य बेचान कर लीज पर वापस ली गई परिसम्पत्तियों का विवरण

परिसम्पत्तियां	मूल्य (रुपये करोड़ में)	स्थान
ट्रान्सफारमर्स	रुपये 525.87	विभिन्न परिचालन एवं संधारण वृत
मोटर्स	रुपये 121.21	"
अन्य (तडित चालक, सर्किट ब्रेकर्स, कैपेसिटर बैंक, सी. आर. पैनल्स आदि)	रुपये 186.02	"
कोटा तापीय परियोजना की परिसम्पत्तियां	रुपये 861.91	कोटा
रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र की परिसम्पत्तियां	रुपये 121.17	रामगढ़
कुल रुपये	रुपये 1816.18	

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की परिसम्पत्तियां क्रय करके वापस लीज पर उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं का विवरण

---

1. मैक्सवल अपरेल इण्डस्ट्रीज मुम्बई
2. ब्यूटीफुल सिक्योरिटीज लि. मुम्बई
3. अपोलो पिग्नवेस्ट (इण्डिया) लि. मुम्बई
4. आई.आई.टी. केपिटल सर्विसेज मुम्बई
5. गल्प आयल (इण्डिया) लि. मुम्बई
6. प्रीमियर आटो इलेक्ट्रिक लि. मुम्बई
7. आई.टी.आई. कारपोरेट सर्विसेज लि. मुम्बई
8. इण्डस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लि. मुम्बई
9. सैण्टरोज मफतलाल, इन्वेस्टमेंट एण्ड फा. लि. मुम्बई
10. निसकैल्प इनवैस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं. लि. मुम्बई
11. माईक्रो टेक्स इलास्टिक प्रा.लि. मुम्बई
12. आई.टी.सी. भद्रचलम फा. एण्ड ई. लि. मुम्बई
13. के.जे. एम. सी. फाइनेंशियल सर्विसेज लि. मुम्बई
14. वैंकटेशवर रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फार्म लि. मुम्बई
15. वेन्को रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फार्म लि. मुम्बई
16. सन फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज लि. मुम्बई
17. आदित्य मेडिसेल्स लि. मुम्बई
18. यूनिमेड टेक्नोलोजीस प्रा. लि. मुम्बई
19. हथावे इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि. मुम्बई
20. मनाली इन्वेस्टमेन्ट प्रा. लि. मुम्बई
21. मेहरा सिंडिकेट मुम्बई
22. सविता पोलिमर्स लि. मुम्बई

204

23. मिडइस्ट पोर्टलियो मैनेजमेन्ट लि. मुम्बई
24. मेरिको इण्ड. लि. मुम्बई
25. कैमौक्स सिक्योरिटीज लि. मुम्बई
26. केमौक्स केमिकल इण्डस्ट्रीज लि. मुम्बई
27. इन्वेस्टमेन्ट वैल पब्लिशर्स प्रालि. मुम्बई
28. बैंक आफ मदुरा लि.
29. पैनर पोटक्सन सिक्योरिटीज लि. हैदराबाद।
30. एस.आर.एफ. फाईनेन्स लि. नई दिल्ली।
31. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. नई दिल्ली।
32. भाई सुन्दर दास एण्ड संस प्रा. लि. नई दिल्ली।
33. बजाज आटो फाईनेन्स लि. पूना नई दिल्ली।
34. डी.जी.पी. विन्डसर (इण्डिया) लि. थाने, मुम्बई।
35. गुजरात गैस कं. अहमदाबाद।
36. एपीजे. फाइनेंस ग्रुप लि. कलकत्ता।
37. विप्रो फाइनेन्स लि. बैंगलोर
38. आई.सी.आई.सी. आई. लि. मुम्बई
39. आई.सी.आई. आई.सी. सिक्योरिटीज एण्ड फा. केलि. मुम्बई
40. एस.सी.आई.सी. आई. लि. मुम्बई
41. वैश्य बैंक लि. जयपुर।
42. उषा बैलट्रोन लि. रांची
43. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. मुम्बई
44. अहमदनगर फोर्जिग्स लि. पुणे।
45. वर्षा फोजिर्ग्स लि. पुणे।
46. नागार्जुन फ. एण्ड केमिकल्स लि. हैदराबाद।
47. क्रासलैण्ड रिसर्च लैब. मुम्बई।
48. गुजरात लीज फाइनेंसिंग लि. अहमदाबाद।
49. नागार्जुना फाइनेंस लि. हैदराबाद।
50. एन. एस.एल. लि. हैदराबाद।

51. जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. जयपुर।
52. जी.एल. एफ.एल. हाऊसिंग फा. लि. अहमदाबाद।
53. इन्टरफेस फाईनेंशियल सर्विसेज लि. अहमदाबाद।
54. बैंक आफ राजस्थान लि. जयपुर।
55. रिलायन्स केपिटल लि. मुम्बई।
56. आई.सी.आई. बैंकिंग का लि. मुम्बई।
57. टेल्कोडीलर्स लीजिंग एण्ड फा.के. लि. मुम्बई
58. लोक प्रकाशन लि. अहमदाबाद।
59. संदेश लि. अहमदबाद।
60. गोईटज इण्डिया लि. नई दिल्ली।
61. एस्कोर्ट फा. सर्विसेज लि. नई दिल्ली।
62. आई.टी.सी. क्लासिक फा.लि. कलकत्ता।
63. पिनाकल इन्वेस्टमेन्ट लि. कलकत्ता।
64. न्यू डील फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेण्ट लि. कलकत्ता।
65. रसेल इन्वेस्टमेंट लि. कलकत्ता।
66. पेनिन्सुलर इन्वेस्टमेंट लि. कलकत्ता।
67. सेज इन्वेस्टमेंट लि. कलकत्ता।
68. राजस्थान बैंक फा. सर्विसेज लि. कलकत्ता।
69. इण्डिया सिक्योरिटीज लि. मुम्बई।
70. पाल क्रेडिट एण्ड केपिटल लि. मुम्बई।
71. वी.एस.टी. इन्वेस्टमेन्ट लि. मुम्बई।
72. इण्डियन सीमलेस फा. सर्विसेज लि. मुम्बई।
73. अशोका लीलैण्ड फा. लि. चेन्नई।
74. फोरटिस फा. सर्वि. लि. नई दिल्ली।
75. गोवा कार्बन लि. पन्जी गोवा।
76. सोना स्टीयरिंग सिस्टम लि. नई दिल्ली।
77. कंलकूलस क्रेडिट लि. मुम्बई।
78. एपिल क्रेडिट इण्ड. लि. मुम्बई।

79. एपिल क्रेडिट कारपोरेशन लि. चेन्नई।

80. अल्फा जनरल लीजिंग एण्ड फा. प्रा. लि.।

81. अनाग्राम फाइनेंस लि. जयपुर।

82. खाण्डवाला सिक्योरिटीज लि. मुम्बई।

83. इण्डोनिसैन आक्सो केमिकल्स लि. मुम्बई।

84. बालाजी डिस्टीजरीज लि. चेन्नई।

85. बालाजी इण्डि. कारपोरेशन लि. चेन्नई।

86. बालाजी होटल्स एण्ड इन्टरप्राईजेज।

87. बालाजी बायोटेक लि. इण्टरप्राईजेज।

88. सेवन सीज डिस्टिलरी लि. इण्टरप्राईजेज।

89. अनिक फा. सर्वि. लि. मुम्बई।

90. रीयल वैल्यू अप्लायसं।

91. लोक हाऊसिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन के. लि.।

92. कोरोनेट इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. मुम्बई।

93. मतस्य गंधा इन्वेस्टमेंट एण्ड फा. लि. मुम्बई।

94. कोटक महेन्दरा, फाईनेन्स प्रा. मुम्बई।

95. पैरामाउन्ट

96. पैरामाउन्ट टैक्नो. लि.

97. एशियन अलायन्स् लि. मुम्बई।

98. एडवान्स रेडियो मास्ट. लि. मुम्बई।

99. एम. के. इलेक्ट्रिकल का. लि. मुम्बई।

100. सी.डी. केपिटल मार्केट लि. मुम्बई।

101. इन्डोनिप्पन लि.

102. डब्ल्यू. जी. एफ . सिक्योरिटीज लि.

103. सिक्योरेक्स फा. (सर्विसेज, इण्डिया) लि.

परिशिष्ट - 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 426 का विवरण

परिशिष्ट "क"

वन विभाग के अन्तर्गत उदयपुर सम्भाग में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण

क्रम संख्या		योजना का नाम
(1)		**राज्य योजनाएं**
	1.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना
	2.	वानिकी विकास परियोजना
	3.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी योजना
	4.	आर्थिक वृक्षारोपण
	5.	परिभाषित वनों का पुनरोद्धार
	6.	संघनन सीमा निर्धारण
	7.	फार्म वानिकी
	8.	पर्यावरण वानिकी
	9.	बास पौधारोपण योजना
	10.	संचार एवं भवन
	11.	जनजाति क्षेत्र उपयोजना
	12.	भू-संरक्षण योजना (घाटी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण)
	13.	वन संरक्षण
	14.	पर्यटन विकास (माथल -मगरा पर्यटन जिर्णोद्धार)
	15.	जिला निर्बंध योजना
	16.	शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण
	17.	राहत कार्य

(2)		केन्द्र सरकार की योजनाएं
	1.	जवाहर रोजगार योजना
	2.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
	3.	भू-संरक्षण योजना (चम्बल परियोजना को सम्मिलित करते हुए)
	4.	राष्ट्रीय पड़त भूमि विकास बोर्ड
	5.	आश्वासित रोजगार योजना
	6.	डूंगरपुर एकीकृत पडती भूमि विकास पहल योजना
	7.	जीवन धारा योजना
	8.	उन्नत शवदाह ग्रह
(3)		केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राज्य सरकार : केन्द्र सरकार) (के 50 : 50 अंश से)
	1.	केन्द्र प्रवर्तित योजना
	2.	ग्रामीण ईंधन व चारागाह विकास
	3.	सूखा संभाग्य कार्यक्रम
(4)		विश्व खाद्य संगठन कार्यक्रम परि. 2773-01
(5)		पर्यावरण मंत्रालय
	1.	लघु वन उपज का विकास
	2.	एकीकृत बंजड भूमि विकास परियोजना (झाडोल-कोटड़ा)
	3.	विकेन्द्रीकृत पौधशालाएं (एन.डब्ल्यू.डी.बी.)
	4.	आयड जल ग्रहण विकास

परिशिष्ट "ख"

उदयपुर संभाग में क्रियान्वित की जा रही वन विकास योजनाओं हेतु आवंटित राशि तथा व्यय का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित राशि	उपयोग में ली गई राशि
1	2	3	4
(1)	**राज्य योजना**		
1.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	6644.84	6530.07
2.	वानिकी विकास परियोजना	150.21	140.15
3.	राष्ट्रीय सा. वानिकी योजना	1324.46	1321.79
4.	आर्थिक वृक्षारोपण	404.29	402.25
5.	परिभाषित वनों का पुनरोद्धार	183.34	184.18
6.	संघनन सीमा निर्धारण	13.84	13.41
7.	फार्म वानिकी	64.51	61.96
8.	पर्यावरण वानिकी	40.22	38.25
9.	बास पौधारोपण योजना	8.08	7.97
10.	संचार एवं भवन	2.56	2.79
11.	जनजाति क्षेत्र उपयोजना	65.45	65.36
12.	भू संरक्षण योजना (घाटी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण)	107.94	108.38
13.	टसर योजना	9.78	9.81
14.	वन संरक्षण	29.72	29.56
15.	पर्यटन विकास (माछला-मगरा पर्यटन जीर्णोद्धार)	70.70	35.12
16.	जिला निर्बंध योजना	23.20	21.16
17.	शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण	5.35	5.35

1	2	3	4
	18. राहत कार्य	126.25	14.42
(2)	केन्द्र सरकार की योजनाएं		
	1. जवाहर रोजगार योजना	517.90	460.85
	2. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	43.27	43.21
	3. भू संरक्षण योजना (चम्बल परि. को सम्मिलित करते हुए)	1290.02	1278.86
	4. राष्ट्रीय पड़त भूमि विकास बोर्ड	15.07	14.97
	5. आश्वासित रोजगार योजना	783.38	749.42
	6. डूंगरपुर एकीकृत पड़ती भूमि विकास पहल योजना	2.00	2.00
	7. जीवन धारा योजना	3.40	3.40
	8. उन्नत शवदाह गृह	1.40	0.85
(3)	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राज्य सरकार : केन्द्र सरकार 50:50)		
	1. केन्द्र प्रवर्तित योजना	149.83	145.25
	2. ग्रामीण ईंधन व चरागाह विकास	582.16	574.36
	3. सूखा संभाव्य कार्यक्रम	569.36	560.24
(4)	विश्व खाद्य संगठन		
	1. विश्व खाद्य कार्यक्रम परि.	1230.28	1158.62
(5)	पर्यावरण मंत्रालय		
	1. लघु वन उपज का विकास	122.56	121.59
	2. एकीकृत बंजड भूमि विकास परियोजना (झाड़ोल-कोटडा)	391.47	390.01
	3. विकेन्द्रीकृत पौधशालाए (एनडब्लूडीबी)	2.40	2.40
	4. आयड जलग्रहण विकास	191.30	168.68

परिशिष्ट "ग"

उदयपुर संभाग में जिलेवार वन क्षेत्र की स्थिति

क्रम संख्या	जिले का नाम	वनक्षेत्र (किमी में)
1.	चित्तौड़गढ़	2632.77
2.	डूंगरपुर	643.95
3.	राजसमन्द	383.46
4.	उदयपुर	4701.38
5.	बांसवाड़ा	1190.42

परिशिष्ट -9

अतारांकित प्रश्न संख्या 429 की प्रति

राजस्थान-सरकार

क्रमांक प. 10 (6) कृषि/ग्रुप-2बी/83 जयपुर, दिनांक 6.2.83

1- निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
जयपुर।

2- सचिव,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

विषय :- नवीन मंडी प्रांगणों में छोटी दुकानों के आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

नवीन मंडी प्रांगणों में निर्मित छोटी फुटकर दुकानों के आबंटन में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार विभिन्न वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

1.	अनुसूचित जाति	7%
2.	अनुसूचित जनजाति	5%
3.	भूतपूर्व सैनिक	2%
4.	विकलांग	2%
5.	कृषि स्नातक	2%
6.	राज्य सेवा की अवधि में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित मूल्य	2%

उपरोक्त छोटी दुकान (Small Shops) खाद बीज, दवाइयां, कृषि साहित्य आदि के लिए भी दिया जाना उपयुक्त माना जाये। फिलहाल बड़ी दुकानों का आबंटन व्यापारियों को पूर्व निर्धारित पद्धति से किया जाता रहेगा।

कृपया तद्नुसार समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें व इस विभाग को भी सूचित करें।

भवदीय

ह/-

(उप शासन सचिव)

राजस्थान-सरकार

कृषि (ग्रुप -बी) विभाग

क्रमांक पं. 10 (6) कृषि/ग्रुप-2बी/83 जयपुर, दिनांक 29.1.95

निदेशक,

कृषि विपणन विभाग,

राजस्थान जयपुर।

विषय : नवनिर्मित मंडियों में दुकानों के आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

आपकी अ. शा. टी. सं. निकृषि/851255 दिनांक 19.1.85 के संदर्भ में इस विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 10 (6) कृषि/ग्रुप-2बी/83 दिनांक 6.8.83 में छोटी फुटकर दुकानों के आंबटन हेतु आरक्षण करने के संबंध में निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है।

1. क्रम संख्या 5 में "कृषि स्नातक' के स्थान पर "स्नातक" पढ़ा जाये।

2. क्रम संख्या 6 के बाद में क्रम संख्या 7 निम्न से जुड़ी हुई पढ़ी जाये।

(7) विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी नवीन मंडी में व्यक्ति विशेष की योग्यता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 5% दुकानें आबंटित की जा सकेगी।

इसके अलावा यह भी निर्णय किया गया है कि सभी नवीन मंडियों में जहां छोटी रिटेल/ संडरी शौप्स का निर्माण किया गया है वहां अथवा उन नवीन मंडी प्रांगणों में

213

जहां दुकानों/गोदाम खाली है, वहां सहकारी उपभोक्ता भण्डार को अपना सामान विक्रय करने हेतु दुकान आबंटित की जावें कृपया तदनुसार निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिदत्त भार्गव)

उप शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : पं. (22) कृषि/ग्रुप-2/94 जयपुर, दिनांक -7.9.95

आदेश

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों/ गौण मण्डी प्रांगणों में निर्मित दुकानों के आबंटन में विभिन्न मदों को आरक्षण करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10 (5)कृषि/ग्रुप-2 बी/83 दिनांक 6.3.83 आदेश क्रमांक प. 10 (6) कृषि/ग्रुप-2 बी/83 दिनांक 29.1.85 आदेश क्रमांक पं. 10 (4) ग्रुप-2/88 दिनांक 22.2.94 आदेश क्रमांक प. 9 (22) कृषि/ग्रुप-2/94 दिनांक 27.3.85 समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में अतिक्रमण में मण्डी समितियों में निर्मित अब केयर फुटकर दुकानों के आबंटन में ही कृषि वर्ग हेतु 10% प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग के लिये छोटी एवं बड़ी दुकानों में आरक्षण नहीं रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा स्वविवेक से आबंटन का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। पृथग वर्ग हेतु आरक्षित 10% फुटकर दुकानों का आबंटन अब व्यापार स्थानान्तरण के प्रथम चरण में प्रचलित निर्देशों के अन्तर्गत आबंटन द्वारा तथा इसके बाद के चरणों में कृषकों के बीच पर्यटन शुल्क निर्धारण हेतु खुली नीलामी से किया जावेगा।

आज्ञा से

ह.

(सुनील धारीवाल)

उप शासन सचिव

(214)

परिशिष्ट -10

अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची

वर्ष 96-97 में जल ग्रहण विकास व भू-संरक्षण विभाग, नागौर द्वारा करवाये जाने वाले टोपोग्राफिक्स सर्वे की सूचना

क्र.सं.	जल ग्रहण क्षेत्र का नाम	तहसील	सर्वे क्षेत्रफल (हे.)
1.	जल ग्रहण क्षेत्र सेनणी, चिताणी	मूंडवा	160
2.	जल ग्रहण क्षेत्र बुड़ि	नागौर	987
3.	जल ग्रहण क्षेत्र अम्बाली	जायल	500
4.	जल ग्रहण क्षेत्र बल्दू	लाडनूं	969
5.	जल ग्रहण क्षेत्र बालिया	डीडवाना	620
6.	जल ग्रहण क्षेत्र नराधनों की ढाणी	मेड़ता	978
7.	जल ग्रहण क्षेत्र ईडवा	डेगाना	982
8.	जल ग्रहण क्षेत्र कोडिया	–	557
9.	जल ग्रहण क्षेत्र राबडियादखानपुर	परबतसर	811
"ब"	मरू विकास योजना		
1.	जल ग्रहण क्षेत्र खामियाद	लाडनूं	1005
2.	जल ग्रहण क्षेत्र शंखवास	नागौर	2400
3.	जल ग्रहण क्षेत्र मेहगांव	परबतसर	1853
4.	जल ग्रहण क्षेत्र घोकलिया	"	1531
"स"	सुनिश्चित रोजगार योजना		
1.	जल ग्रहण मायापुर	परबतसर	2063

परिशिष्ट - 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 434 की प्रति एवं सूची

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मापदण्ड

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मापदण्ड

	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1.	ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2.	कक्षा -5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5.	2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा का नहीं होना।		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन-प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	3000	2500
छात्रा विद्यालय	4000	3000
छात्र संख्या (कक्षा -8)छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	15
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (किलोमीटर)	5	5

(3) माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु

1.	जनसंख्या (1991)	5000	4000
2.	छात्र/छात्रा संख्या कक्षा -10		
	छात्र विद्यालय	50	40
	छात्रा विद्यालय	40	30
3.	फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
4.	दूरी (किलोमीटर)	10	10

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासनिक आधार
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

वर्ष 1995-96 में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	स्वीकृति क्रमांक	क्रमांक	नाम विद्यालय	पंचायत समिति	विद्यालय प्रारम्भ करने की तिथि
1.	राज. सरकार के पत्रांक प. 14(1) शिक्षा-1/95 जयपुर, दिनांक 15.06.95	410	भोलुपुरा	करौली	10.07.95
		411	पीपरानी	करौली	15.07.95
		412	पेंटोली	करौली	04.07.95
		413	बापोली	सपोटरा	01.07.95
		414	ओणच	सपोटरा	01.07.95
		415	बुगडार	सपोटरा	01.07.95
		416	जोंल	टोडाभीम	14.07.95
		417	कटाराअजीज	टोडाभीम	15.07.95
		428	पाडली	टोडाभीम	25.07.95
		418	बाजोली	खण्डार	27.06.95
		419	नायपुर	खण्डार	13.07.95
		420	डाबर	बामनवास	13.07.95

1	2	3	4	5	6
		421	मकसूदनपुरा	बामनवास	01.07.95
		422	दतूली	बोली	01.07.95
		423	थडोली	बोली	1.07.95
		424	सालोदा	गंगापुर	15.07.95
		425	धनोली	सवाईमाधोपुर	19.07.95
		426	नींदरदा	सवाईमाधोपुर	15.07.95
		427	जीनापुर	सवाईमाधोपुर	01.07.95
		429	रारासायपुर	हिण्डौन	12.07.95
		430	बायजट्ट	हिण्डौन	12.07.95
		431	महूखास/सोमली	हिण्डौन	13.07.95
2.	दिनांक 25.7.95	7	रींगसपुरा	नादौती	13.08.95
		12	झरना	हिण्डौन	13.08.95
		30	नानपुरडांगक्षेत्र	सपोटरा	11.10.95
		35	कादरौली	हिण्डौन	09.08.95
		76	फुलवाड़ा	हिण्डौन	28.07.95
		52	डोरका	टोडाभीम	04.08.95
3.	दिनांक 1.12.95		महूवास	हिण्डौन	- -

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालय

1.	मोहआ	गंगापुर
2.	मिझोरा	सपोटरा
3.	गण्डाल	बामनवास

(218)

परिशिष्ट - 12

अतारांकित प्रश्न 436 का विवरण

मांगरोल (जिला बारां) स्थित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या								कब से रिक्त है
		प्र.चं.	व्याख्याता	कार्यालय सहायक	पुस्तका. अध्यक्ष	शा.शि.	व.लि.	प्र.शा. से	च.श्रे.क.	
1.	राबासीमावि मांगरोल	1	3	-	1	-	1	1	2	10/96, 6/96, 6/96, 11/96, 4/96, 11/96, 2/96, 9/94, 9/94
2.	रासीमावि मांगरोल	-	4	1	1	1	1	-	-	6/96, 8/96, 9/96, 8/96, 9/96, 8/96, 9/95, 8/96, 9/96, 12/96

परिशिष्ट - 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 440 की सूची

राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के विद्युतीकृत गांवों की सूची जिनमें ट्रान्सफार्मर नहीं लगाये गये।

क्र.सं.	विद्युतीकृत गांव का नाम	पंचायत समिति
1.	बाडिया	देवगढ़
2.	बाधा का खेड़ा	""
3.	हालेला	""
4.	भूरवाड़ा	""
5.	उण्डावासन	""
6.	वीडदेवदाद	""
7.	बारवालो का खेड़ा	""
8.	जैतपुरा	भीम
9.	जसवन्तपुरा	""
10.	माना नांगला	""
11.	अखैगढ़	""
12.	उदपुरा	""
13.	श्योपुरा आस.	""
14.	बांसावारी	""
15.	खीमागुढ़ा	""
16.	जताखेड़ा	""
17.	उवजार	""
18.	चैनपुरा खाजना	""

(220)

परिशिष्ट - 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 का विवरण

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 1993-94, 1994-95 व 1995-96 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1993-94		वर्ष 1994-95		वर्ष 1995-96	
		अनु.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	27	4	24	-	19	1
2.	अलवर	210	102	82	44.	49	32
3.	बांसवाड़ा	12	91	1	81	-	38
4.	बारां	108	99	53	56	14	1
5.	बाड़मेर	28	1	14	-	10	3
6.	भरतपुर	66	32	15	-	6	4
7.	भीलवाड़ा	166	20	140	16	95	2
8.	बीकानेर	8	-	11	–	13	-
9.	बूंदी	106	68	52	57	16	15
10.	चित्तौड़गढ़	317	203	164	84	95	147
11.	चूरू	52	1	11	-	58	-
12.	दौसा	168	233	98	154	103	174
13.	धौलपुर	6	1	3	-	2	-
14.	डूंगरपुर	5	134	2	53	-	44
15.	जयपुर	188	149	145	119	137	105
16.	जैसलमेर	5	-	3	-	3	-
17.	जालौर	92	9	29	-	42	-
18.	झालावाड़	207	85	108	36	32	-

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	झुंझुनू	141	9	99	10	49	1
20.	जोधपुर	144	2	85	-	119	-
21.	कोटा	131	65	84	22	26	23
22.	नागौर	288	1	62	-	102	1
23.	पाली	68	4	40	3	19	1
24.	राजसमन्द	52	6	17	2	16	1
25.	सवाईमाधोपुर	177	162	44	24	36	31
26.	सीकर	137	15	127	7	47	6
27.	सिरोही	120	34	91	25	13	14
28.	श्री गंगानगर	22	-	5	-	-	-
29.	टौंक	72	34	20	9	12	9
30.	उदयपुर	82	213	48	91	34	75
31.	हनुमानगढ़	-	-	7	-	6	-
	योग -	**3205**	**1777**	**1684**	**893**	**1173**	**728**

परिशिष्ट - 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 444 की प्रति

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

NO. RSEB/S.3/F.3 (419)/D.235 Jaipur, Dated : 22/24.1.75

ORDER

The Board in its 213th meeting held on 21st Dec., 1974 decided that employment on preferential basis to one dependent member of the Board employees, family will be given in case of death/retirement/permanent disablement of the workmen provided that :-

(i) There is no earning male member in the family.

२२२

(II) Vacancy exists.

(III) The dependent member fulfils the prescribed minimum qualifications.

The Board has also decided that the defination 'Family' for the above purpose would include wife/widow, sons and un-married daughters only.

By order,

Sd/-

(Rajendra Jain)

SECRETARY

परिशिष्ट - 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 452 की सूची

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में वृद्धावस्था पेंशन में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता		स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती रामप्यारी/नेहनू कोली	मानसर खेडी	विधवा	100.00 प्रतिमाह
2.	श्रीमती राधा/शेरसिंह राजपूत	मानसर खेडी	"	100.00 "
3.	श्रीमती नेहना/वृद्धीचन्द्र मीना	बस्सी	"	100.00 "
4.	श्रीमती राम/डूगाराम बैरवा	बस्सी	"	100.00 "
5.	श्रीमती काली/भौरीलाल मीना	"	"	100.00 "
6.	श्रीमती काली/बाबूलाल बैरवा	हरीरामपुरा	"	100.00 "
7.	श्रीमती बादाम/रामफूल मीना	काशीपुरा	"	100.00 "
8.	श्रीमती मांगीदेवी/नानगराम	बस्सी	"	100.00 "
9.	श्रीमती तारा/परमानन्द रेगर	बस्सी	"	100.00 "
10.	श्रीमती तीजा/बदरीनाथ	डरषानपुरा	"	100.00 "
11.	श्रीमती मीसी/रामेश्वरखाती	जटवाडा	"	100.00 "

1	2	3	4	5	
12.	श्रीमती गौरी/कल्याण	मोहनपुरा	विधवा	100.00	"
13.	श्रीमती धापा/गोविन्दा कोली	सामामीनावाला	"	100.00	प्रतिमाह
14.	श्रीमती कैलाशी/गोपाल मीना	माल्यावाला	"	100.00	"
15.	श्रीमती रामप्यारी/रामफूलमीना	सीदाकावास	"	100.00	"
16.	श्रीमती धापा/झूथाराम बैरवा	भाजूपुरा	"	100.00	"
17.	श्रीमती विजयकुमारी/मन्नालाल	बस्सी	"	100.00	
18.	श्रीमती मोतीदेवी/मूलचन्द बैरवा	बस्सी	"	100.00	"
19.	श्रीमती घीसी/मदारी मुसलमान	"	"	100.00	"
20.	श्रीमती गुलाब/रामकरण खटीक	"	"	100.00	"
21.	श्रीमती सीता/गोपाल डंगाइच	"	"	100.00	"
22.	श्रीमती कल्ली/सीताराम माली	रतनपुरा	"	100.00	"
23.	श्री मूलचन्द/मोमा/रामप्यारी/मूलचन्द भटैरी		वृद्धावस्था	150.00	(संयुक्त)
24.	श्री कालू/धन्ना बूंदी/कालू कोली	"	"	150.00	(संयुक्त)
25.	श्री कन्हैयालाल/कजोडी, मोती/कजोडी	"	"	150.00	(संयुक्त)
26.	श्री हरली/मूलचंद कोली	बस्सी	विधवा	100.00	प्रतिमाह
27.	श्री सुभान खां/आनन्दा	बांसखो	वृद्धावस्था	100.00	प्रतिमाह
28.	श्री मूलचन्द/गोविन्द जोगी	डिगोनिया	विकलांग	100.00	प्रतिमाह

प्रसूति सहायता योजना में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना लाभान्वित व्यक्तियों की सूची पारिवारिक सहायता पेंशन योजना लाभान्वित व्यक्तियों की सूची	इन योजनाओं में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं इस कारण कोई व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहा है।
राष्ट्रीय पोषाहार योजना में लाभान्वित छात्र/छात्रा	सत्र 1994-95 में योजना लागू नहीं हुई थी।

ह.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद्, जयपुर ।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में वृद्धावस्था पेंशन में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता		स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती चांदखां/जगदीश डाकोत	बेनाड़ा	विधवा	100/- प्रतिमाह
2.	दाखा/रेवड मल धोबी	गढ़	"	100/- "
3.	श्रीमती धापा/रामस्वरूप माली	गढ़	"	100/- "
4.	श्रीमती लल्ली/रामदेव मीना	चोखड़ा	"	100/- "
5.	श्रीमती गीता/रामकरण	रामसर	"	100/- "
6.	श्रीमती चांद/गोविन्दराम	कुथाडाखुर्द	"	100/- "
7.	श्रीमती भौरी/जन्सीराम	खोरी	"	100/- "
8.	श्रीमती मनफूली/जगदीश मीना	खोरी	"	100/- "
9.	श्रीमती नर्बदा/राधेश्याम	बांसखो	"	100/- "
10.	श्रीमती भौरी/सीताराम मीना	धारा	"	100/- "
11.	श्रीमती छोटी/रेवड	रामसर	"	100/- "
12.	श्रीमती कानी/किशना रेगर	रामरखपुरा	"	100/- "
13.	श्रीमती लक्ष्मा/रामनाथ	ग्वालनी	"	100/- "
14.	श्रीमती लक्ष्मी/कल्याण बैरवा	ग्वालनी	"	100/- "
15.	श्रीमती प्रभा/गोपाल माली	माधोगढ़	"	100/- "
16.	श्रीमती गजरामकेंवर/रामसिंह	चक चौहान	"	100/- "
17.	श्रीमती तीजा/घासी बैरवा	तैहन्यावाला	"	100/- "
18.	श्रीमती लाडा/जगदीश जाट	जटवाड़ा	"	100/- "
19.	श्रीमती लड्डू/गोविन्दकोली	"	"	100/- "
20.	श्रीमती प्रभाती/गोपी बैरवा	जैहन्यावाला	"	100/- "
21.	श्रीमती पूनी/कन्हैया कोली	भटेरे	"	100/- "
22.	श्रीमती पूनी/जगन्नाथ	अनन्तपुरा	"	100/- "
23.	श्रीमती जामोती/रामकरण	अनन्तपुरा	"	100/- "

1	2	3	4	5
24.	श्रीमती विमला/महेश छीपा	बस्सी	विधवा	100/- प्रतिमाह
25.	श्रीमती श्यामप्रताप/विजय कुमार	बस्सी	"	100/- "
26.	श्रीमती बरदी/कल्याण	दोली	"	100/- "
27.	श्रीमती भौरी/नाथा	धाटा	"	100/- "
28.	श्री काना/पांचू नारायणी/काना	गढ	वृद्धावस्था	150/- "(संयुक्त)
29.	श्री कजोड़/धासी छाजी/कजोड़	अखेपुरा	वृद्धावस्था	150/- " (संयुक्त)
30.	श्री भौरीलाल/धासी नर्बदा/धासी	अचलपुरा	"	150/- " (संयुक्त)
31.	श्री मोतीलाल/रामचन्द्र मीना	काशीपुरा	विकलांग	100/- प्रतिमाह
32.	श्री नानगराम/रामसहाय	गोकुलपुरा	विकलांग	100/- प्रतिमाह

प्रसूति सहायता योजना में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची	इन योजनाओं में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं इस कारण कोई व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहा है।
ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना लाभान्वित व्यक्तियों की सूची	
पारवारिक सहायक पेंशन योजना लाभान्वित व्यक्तियों की सूची	
राष्ट्रीय पोषाहार योजना में लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	24807 छात्र/छात्राओं का औसत

ह.

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में वृद्धावस्था पेंशन में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पता		स्वीकृत राशि
1.	श्रीमती सुशीला/रामचन्द्र	लालगढ़	विधवा	100/- प्रतिमाह
2.	श्रीमती तुलसी/कजोड़	माधोगढ़	"	100/- "
3.	श्रीमती संतोष/शंकरलेखरा	जटवाडा	"	100/- "
4.	श्रीमती कल्ली/देवीलाल मीना	माध्यावाला	"	100/- "

1	2	3	4	5
5.	श्रीमती अमरी/छीतरपुरी	हनुमानपुरा	"	100/- प्रतिमाह
6.	श्रीमती छोटी/जंगनाथ मीना	हनुमानपुरा	"	100/- "
7.	श्रीमती मूली/रेवडमल मीना	गढ़	"	100/- "
8.	श्रीमती समली/नरसी मीना	माकरी	"	100/- "
9.	श्रीमती शांति/प्रभु मीना	किशनपुरा	"	100/- "
10.	श्रीमती मन्नी/हनुमान	श्यारपुरा	"	100/- "
11.	श्रीमती देवी/लच्छू मीना	भूडली	विकलांग	100/- "
12.	श्री दशरथ/धन्ना, सेदामी/दशरथ	गिरधारीपुरा	संयुक्त	150/-
13.	श्री मांगीलाल/भौरीलाल खाती	भूडल्या	वृद्धा	100/- प्रतिमाह

प्रसूति सहायता योजना में लाभान्वित व्यक्तियों की सूची ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना लाभान्वित व्यक्तियों की सूची पारवारिक सहायता पेंशन योजना लाभान्वित व्यक्तियों की सूची	इन योजनाओं में आवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं इस कारण कोई व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहा है।
राष्ट्रीय पोषाहार योजना में लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या	योजना में इस वर्ष 19047 छात्र/छात्राओं को औसतन लाभान्वित किया गया है।

ह.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद जयपुर।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 453 सूची

वर्ष 1996-97 में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	पं. स. का नाम	खोली गयी शालाओं की संख्या
(1)	अजमेर		
	1. अजमेर	1. श्री नगर	3

1	2	3	4	5
	2.	2	जवाजा	2
	3.	3	मसूदा	2
	4.	4	केकड़ी	2
	5.	5.	भिनाय	2
				11
(2)	अलवर			
		6.	अलवर	2
		7.	राजगढ़	2
		8.	उमरैण	1
		9.	लक्ष्मणगढ़	3
		10.	तिजारा	2
		11.	कठुमर	2
		12.	मुंडावर	2
		13.	रामगढ़	3
		14.	बहरोड	1
		15.	नीमराना	1
		16.	बानसूर	4
		17.	थानागाजी	1
		18.	रैणी	1
				25
(3)	बारां			
		19.	बारां	1
		20.	अन्ता	1
		21.	अटरू	2
		22.	शाहबाद	1
		23.	छबड़ा	1
		24.	किशनगंज	1
				7

(4) बांसवाड़ा

25.	सज्जनगढ़	1
26.	बागी दोरा	3
27.	अटोल	1
28.	पीपलखूट	3
29.	बांसवाड़ा	1
		9

(5) बाडमेर

30.	सिवाण	1
31.	शिव	6
32.	बोलोतरा	2
33.	चौहटन	2
34.	बायतू	2
35.	सिणवरी	3
		16

(6) भरतपुर

36.	बैर	3
37.	डीग	2
38.	नगरपहाड़ी	1
39.	बयाना	2
40.	रुपवास	2
41.	नदबई	4
42.	सेवर	2
43.	कुम्हेर	1
		17

229

1	2	3	4	5
(7)	बीकानेर			
		44.	नोखा	3
		45.	बीकानेर	3
				6
(8)	भीलवाड़ा			
		46.	माण्डलगढ़	1
		47.	शाहपुरा	2
		48.	सुवाण	3
		49.	मांडल	1
		50.	आसींद	2
		51.	हुरड़ा	2
		52.	जहाजपुर	2
		53.	कोटड़ी	3
		54.	सहाडा	2
				18
(9)	बून्दी			
		55.	तालेड़ा	2
		56.	हडौली	5
		57.	नैनवां	1
		58.	के. पटान	2
				10
(10)	चित्तौडगढ़			
		59.	बेगूं	1
		60.	निम्बाहेडा	1
		61.	भदेसर	1

1	2	3	4	5
		62.	छोटी सादडी	2
		63.	अरनोद	2
		64.	शेसरोडगढ़	1
		65.	मेपालसागर	1
		66.	गगरार	3
				12
(11)	चूरू			
		67.	रतनगढ़	2
		68.	राजगढ़	2
		69.	चूरू	1
		70.	सुजानगढ़	3
		71.	डूंगरगढ़	
				9
(12)	दौसा			
		72.	महुवा	2
		73.	बांदीकुई	2
		74.	लालसोट	2
		75.	दौसा	2
				8
(13)	धौलपुर			
		76.	धौलपुर	5
		77.	बसेड़ी	1
		78.	बाड़ी	2
		79.	राजाखेड़ा	1
				9
(14)	डूंगरपुर			
		80.	सागवाड़ा	2
		81.	सीमलवाड़ा	1

1	2	3	4	5
		82.	डूंगरपुर	2
		83.	आसपुर	2
				7
(15)	गंगानगर			
		84.	सूरतगढ़	1
		85.	अनूपगढ़	2
				3
(16)	हनुमानगढ			
		86.	हनुमानगढ़	5
		87.	नोहर	2
		88.	भादरा	2
				9
(17)	जयपुर			
		89.	सांगानेर	1
		90.	झोटवाड़ा	1
		91.	फागी	1
		92.	सांभर	3
		93.	दूदू	2
		94.	गोविन्दगढ़	2
		95.	आमेर	1
		96.	जमुवा रामगढ़	1
		97.	कोटपूतली	1
		98.	चाकसू	2
		99.	शाहपुरा	1
				16

1	2	3	4	5
(18)	जैसलमेर			
		100.	साकड़ा	1
		101.	जैसलमेर	1
				2
(19)	जालौर			
		102.	आहोर	1
		103.	सायला	1
		104.	भीनमाल	1
		105.	सांचौर	4
				7
(20)	झालावाड			
		106.	झालरापाटन	2
		107.	खानपुर	1
		108.	डंग	2
		109.	चिड़ावा	
		110.	मनोहरथाना	2
				9
(21)	झुन्झुनू			
		111.	अलसीसर	2
		112.	बुहाना	2
		113.	खेतड़ी	1
		114.	उदयपुरवाटी	4
		115.	नवलगढ़	2
				11
(22)	जोधपुर			
		116.	ओसियां	2
		117.	भोपालगढ़	1

233

1	2	3	4	5
		118.	मण्डौर	2
		119.	सूणी	2
		120.	बालेसर	1
		121.	फलौदी	1
		122.	बान	1
				10
(23)	कोटा			
		123.	लाडपुरा	2
		124.	~~चेचट~~	2
		125.	सुल्तानपुर	2
		126.	इटावा	2
				8
(24)	नागौर			
		127.	डीडवाना	2
		128.	लाडनूं	2
		129.	कुचामनसिटी	2
		130.	नागौर	2
		131.	मंडवा	2
		132.	जायल	1
		133.	मकराना	2
		134.	परबतसर	2
		135.	डेगाना	1
		136.	रिया	2
				19
(25)	पाली			
		137.	सुमेरपुर	2

234

1	2	3	4	5
		138	खारची	3
		139.	रानी स्टेशन	1
		140.	देसूरी	1
		141.	जैतारण	2
		142.	रायपुर	2
		143.	बाली	2
		144.	रोहट	2
				15
(26)	राजसमंद			
		145.	राजसमंद	2
		146.	रेलमगरा	1
		147.	देवगढ़	1
		148.	खुमनौर	2
		149.	भीम	1
				7
(27)	स. माधोपुर			
		150.	हिंडौन	3
		151.	गंगापुर सिटी	2
		152.	करोली	2
		153.	सपोटरा	2
		154.	खण्डार	2
		155.	बौंली	2
		156.	नादोती	1
		157.	बामनवास	2
				16

1	2	3	4	5
(28)	सीकर			
		158.	पिपराली	2
		159.	धोद	2
		160.	दातारामगढ़	2
		161.	श्रीमाधोपुर	2
		162.	खंडेला	1
		163.	नीमकाथाना	3
				12
(29)	सिरोही			
		164.	रेवदर	2
		165.	आबूरोड	1
		166.	सिरोही	2
				5
(30)	टोंक			
		167.	टोंक	2
		168.	देवली	2
		169.	उनियारा	1
		170.	टोडारायसिंह	2
				7
(31)	उदयपुर			
		171.	गिर्वा	2
		172.	अरियावद	2
		173.	सलुम्बर	2
		174.	सराड़ा	2
		175.	मावली	1

1	2	3	4	5
		176.	खैरवाड़ा	3
		177.	शैडर	2
		178.	गोगुन्दा	1
		179.	झाड़ोल	2
				17

परिशिष्ट - 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 456 की प्रति

सर्वे की प्रति

परिशिष्ट "क"

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, दौसा

क्रमांक . 1409 दिनांक : 2.3.93

श्रीमान प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महोदय,

जयपुर ।

विषय : ग्राम श्रीमा एवं खटवा को बस सेवा उपलब्ध कराने बाबत सर्वे।

प्रसंग : - आपका पत्र सं. 93/456 दिनांक 9.2.94

महोदय,

उपरोक्त दोनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों की सर्वे रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1.	लालसोट	0 कि. मी.	लालसोट पंचायत समिति मुख्यालय।
	मांगल कीवाडियां	4 कि. मी.	ढाणी 20 घरों की आबादी
	ढंड की ढाणी	8 कि. मी.	यहां तक पक्का मार्ग
	खटवा	10 कि. मी.	ग्राम पंचयत मुख्यलय
	लालसोट से कुल दूरी	10 कि. मी.	वर्तमान में लालसोट से किसी निजी बस मार्ग का वृद्धिकरण किया जाकर 2 बस सेवा उपलब्ध कराया जाना उचित होगा।

2. लालसोट श्रीमा

लालसोट	0 कि. मी.
शिवसिंह पुरा	13 मि. मी.
(वाया चाकसूमोड)	पक्का मार्ग कुल दूरी 19 कि. मी.
जो लालसोट कोथुन मार्ग पर स्थित है।	
तलाब गांव	16 कि. मी.
श्रीमा	19 कि. मी.

श्रीमा बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु दूदू-लालसोट बस मार्ग की जो सेवाएं वर्तमान में तलाब गांव तक उपलब्ध हैं को श्रीमा तक बढाया जाने पर श्रीमा पंचायत मुख्यालय को बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

रिपोर्ट सेवा में पेश है।

एस. डी.
जिला परिवहन अधिकारी
दौसा

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 457 का ब्यौरा

परिवहन निगम को वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि में हुए लाभ का विवरण पूंजी निवेश स्टाफिंग पैटर्न का विवरण निम्नानुसार है : –

क्र. सं.	विवरण	1993-94 (वास्तविक) (लाख रुपयों में)	1994-95 (वास्तविक) (लाख रुपये में)	1995-96 (अन ऑडिट) (लाख रुपये में) (वास्तविक)
1.	लाभ हानि (लाख में)			
	क-वर्ष के दौरान अर्जित लाभ	2380.16	2339.36	882.85

ख-पूर्व वर्षों के खर्चों/राजस्व के समायोजन के बाद अर्जित लाभ	2293.08	2412.83	828.35

2\. पूंजी निवेश

पूंजी अंशदान के रूप में

क- राज्य सरकार द्वारा	16.00 (लाख रु)		
ख-केन्द्रीय सरकार द्वारा (वर्ष 1992-93 के लिए स्वीकृति राशि जो कि दिनांक 19.4.93 को निगम को प्राप्त हुई)	405.00		

3\. स्टाफिंग पैटर्न : निगम की प्रत्येक बस पर कार्मिकों की औसत संख्या

1. आगार/कार्यालय	5.69	5.21	4.89
2. मुख्यालय, केन्द्रीय भण्डार टायर प्लांट	0.28	0.28	0.24
3. केन्द्रीय कार्यशाला	0.32	0.26	0.24
योग =	6.29	5.75	5.37
कुल संख्या वर्ष के दौरान	25,892	25, 702	25, 904

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 का विवरण

माडम एवं बिसरी योजनान्तर्गत पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में वर्ष 91-92 से 95-96 तक कराये गये निर्माण कार्यों की सूची

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	कराये गये निर्माण कार्य का नाम	स्थान	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	91-92	आश्रम छात्रावास में निर्माण कार्य बहुउद्देश्यीय हाल	लक्ष्मीपुरा	1.49	0.93	बहुउद्देश्य हाल निर्माण का कार्य वर्ष 91-92 में स्वीकृत किया गया तथा अब तक इस पर राशि रु. 92842/- का व्यय हुआ है कार्य प्रगति पर है
2.	"	आश्रम छात्रावास बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	" "	0.34	0.34	कार्य पूर्ण
3.	"	"में हुआ निर्माण कार्य	" "	0.34	0.34	कार्य अपूर्ण
4.	"	जलोत्थान सिंचाई योजना	प्रतापपुरा	4.42	4.42	कार्य पूर्ण
5.	"	"	श्रीपुरा	4.90	4.90	" "

1	2	3	4	5	6	7
5.	91-92	जलोत्थान सिंचाई योगल	श्रीपुरा	4.90	4.90	कार्यपूर्ण
6.	"	"	श्रीपुरा द्वितीय	4.26	4.25	" "
7.	"	"	सुठाला	4.49	4.49	" "
8.	"	"	सुठाला	4.47	4.47	" "
9.	92-93.	सा. जलोत्थान सिंचाई योजना	बखतपुरा	8.27	8.27	" "
10.	"	"	खुमानगंज	6.31	6.31	" "
11.	"	"	बारोवा	8.64	8.64	" "
12.	"	पेयजल हैण्ड पम्प निर्माण कार्य	मोटरदुफा (312)	0.21	-	हाई रबेसिव स्ट्रेटा एवं अनए प्रोच्बल बिन्दु होने से इसका वेधन कार्य विभाग के लिये नहीं कर पायी। अतः उक्त कार्य के एवज में पंचायत समिति बड़ीसादड़ी में प्रस्तावानुसार कार्य की स्वीकृति दी।

241

1	2	3	4	5	6	7
13.	92-93	कलवर्ट निर्माण कार्य	पाडाझर महादेव (मंडेसर)	0.54	0.54	कार्य पूर्ण
14.	93-94	सा. जलोत्थान सिंचाई योजना	कंवरपुरा	4.22	4.22	" "
15.	"	" "	देवपुरा	7.35	7.35	" "
16.	"	" "	गणेशपुरा	7.44	7.44	" "
17.	94-95	" "	धांगद्रमऊ	6.45	6.45	" "
18.	"	पेयजल हैण्डपम्प निर्माण कार्य	भवानीपुरा	0.21	-	उक्त कार्य हाई रब्रेसिव स्ट्रेट अन एप्रोचेबल बिन्दु होने से वेधन कार्य विभाग के रिंग नहीं कर पायेगा। इन कार्यों के एवज में पं. स. बड़ीसादड़ी से प्रस्ताव अनुसार कार्य स्वीकृत किये
19.	"	"	खपाई (364)	0.21	-	" " " "
20.	"	"	मवादा (447)	0.21	" "	" " " "

1	2	3	4	5	6	7
21.		पेयजल हैण्डपम्प निर्माण कार्य	नंगपुरा (306)	0.21	-	" " " " " "
22.		" "	गोपालपुरा (392)	0.21	-	" " " " " "
23.		" "	कंवरपुरा (436)	0.21	-	" " " " " " "
24.	95-96	सामु. जलोत्थान सिंचाई योजना	नंगपुरा	6.59	6.59	कार्य पूर्ण हो चुका है।
			योग : -	82.97	79.88	

ह/-

अति. कलेक्टर (विकास)

चित्तौडगढ

परिशिष्ट - 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 462 की सूची एवं विवरण

बामनवास विधानसभा क्षेत्र में संचालित व स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों का विवरण- भवन व्यवस्था व वर्ष 1996-97 में सप्लाई की गयी औषधियों की राशि के विवरण सहित

क्र. सं.	स्थान औषधालय	भवन व्यवस्था का विवरण	वर्ष 1996-97 में सप्लाई की गयी औषधियों की राशि
1	2	3	4
			(रुपयों में)
1.	अमावरा	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3746.22
2.	मिगपुरा	राजकीय	3854.41
3.	गोतोड़	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3927.20
4.	लाखनपुर	राजकीय	3854.41
5.	पीपलवाड़ा	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3896.51
6.	झनून	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3896.51
7.	पीपल्दा	राजकीय	3854.41
8.	मलारना चौड	राजकीय	3854.41
9.	जस्टाना	राजकीय	3927.20
10.	निगोद राठौड	ग्राम पंचायत व जनसहयोग द्वारा व्यवस्था	3954.41
11.	निमोद करेल	ग्राम पंचायत व जनसहयोग द्वारा व्यवस्था	3854.41
12	गारदकलां	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3927.20
13.	शिशोलाव	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3896.51
14.	बडीला	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3746.22
15.	सुकार	अस्थाई व्यवस्था, ग्राम पंचायत द्वारा	3896.51
16.	रिवाली	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3896.51

(२४४)

1	2	3	4
17.	लिवाली	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3854.41
18.	पिपलाई	राजकीय	3854.41
19.	बरनाला	राजकीय	3746.22
20.	बिछोछ	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3927.20
21.	गंडाल	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3927.20
22.	बिन्झारी	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3927.20
23.	बामनवास	राजकीय	3927.20
24.	शफीपुरा	ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था	3896.51